VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अप्रैल 2025

# मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

# UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

**10 in Top 10 Selections in CSE 2024** (from various programs of VISIONIAS)

## हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

137 AIR अंकिता कांति
182 AIR रवि राज
412 AIR जितेंद्र कुमावत
438 AIR ममता
448 AIR सुख राम
483 AIR ईश्वर लाल गुर्जर
509 AIR अमित कुमार यादव
554 AIR विमलोक तिवारी
564 AIR गौरव छिम्वाल
618 AIR राम निवास सियाग
622 AIR आलोक रंजन
651 AIR अनुराग रंजन वत्स
689 AIR खेतदान चारण
718 AIR रजनीश पटेल
731 AIR तेशुकान्त
760 AIR अश्वनी दुबे
795 AIR कर्मवीर नरवाडिया
865 AIR आनंद कुमार मीणा
873 AIR सिद्धार्थ कुमार मीणा
890 AIR सुषमा सागर
893 AIR अरुण मालवीय
895 AIR अजय कुमार
899 AIR रितिक आर्य
911 AIR अरुण कुमार
921 AIR ममता जोगी
925 AIR विजेंद्र कुमार मीणा
953 AIR राजकेश मीणा
998 AIR इकबाल अहमद

# GS मेन्स एडवांस कोर्स 2025

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

यह कोर्स मूलभूत अवधारणाओं की समझ रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत अभ्यर्थियों को जटिल टॉपिक्स तथा उन्हें आपस में जोड़ कर पढ़ने और समझ विकसित करने में उनकी मदद की जाएगी। साथ ही, मुख्य परीक्षा में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता में सुधार किया जाएगा।

- अवधारणात्मक रूप से कठिन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा
- मेन्स 2025 हेतु आवश्यक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया जाएगा
- कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा (सॉफ्ट कॉपी)
- सेक्शनल मिनी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा
- कोर्स की अवधि: 7 सप्ताह, प्रति सप्ताह 6–7 कक्षाएं (जरूरत पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

ENGLISH MEDIUM
हिन्दी माध्यम

5 JUNE
2 PM

# विषय-सूची


**1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) ______ 4**

1.1. शक्तियों का पृथक्करण ______ 4

1.2. राज्य के विधेयकों को स्वीकृति ______ 5

1.3. राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग ______ 8

1.4. स्वामित्व योजना के 5 वर्ष ______ 11

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 14

1.5.1. लोक सभा में उपाध्यक्ष का पद ______ 14

1.5.2. दल-बदल की याचिकाओं पर अध्यक्ष की निष्क्रियता 14

1.5.3. आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक, 2025 ______ 15

1.5.4. पंचायत प्रगति सूचकांक ______ 15

**2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध ______ 17**

2.1. उभरती विश्व व्यवस्था ______ 17

2.2. अंतर्मुखी विकास रणनीतियां ______ 19

2.3. सिंधु जल संधि ______ 22

2.3.1. शिमला समझौता ______ 24

2.4. भारत-चीन संबंधों के 75 वर्ष ______ 26

2.5. चीन द्वारा दुर्लभ भू-धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण ______ 28

2.6. भारत-श्रीलंका संबंध ______ 31

2.7. भारत-सऊदी अरब संबंध ______ 33

2.8. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध ______ 35

2.9. छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन ______ 37

2.10. भारतीय प्रवासी ______ 40

2.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 42

2.11.1. सार्क वीज़ा-छूट योजना ______ 42

2.11.2. ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 2025 की बैठक में एक घोषणा-पत्र अपनाया गया ______ 42

2.11.3. आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता ______ 43

2.11.4. प्रत्यर्पण ______ 43

2.11.5. भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी ______ 44

2.11.6. भारत ने महाद्वीपीय मग्न-तट पर अपने दावे को बढ़ाया ______ 44

2.11.7. बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ______ 46

2.11.8. हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप ______ 46

2.11.9. मोराग एक्सिस ______ 47

**3. अर्थव्यवस्था (Economy) ______ 48**

3.1. डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम ______ 48

3.2. इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना ______ 50

3.3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ______ 52

3.4. एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ______ 55

3.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 58

3.5.1. भारत का विदेशी ऋण ______ 58

3.5.2. MoSPI ने कैपेक्स/ CAPEX (पूंजीगत व्यय) सर्वेक्षण जारी किया ______ 58

3.5.3. तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025 ______ 59

3.5.4. नई इस्पात नीति ______ 60

3.5.5. स्रोत पर कर संग्रह ______ 62

3.5.6. सेफ हार्बर ______ 63

3.5.7. लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ______ 64

3.5.8. IMF की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ______ 65

3.5.9. वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी-2025 रिपोर्ट ______ 66

3.5.10. अंकटाड ने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, 2025 जारी की ______ 66

3.5.11. अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक ______ 67

3.5.12. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ______ 67

3.5.13. केपटाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल ______ 68

3.5.14. नैनो-सल्फर ______ 68

3.5.15. लवणीय जलीय कृषि केंद्र ______ 68

**4. सुरक्षा (Security) ______ 70**

4.1. जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद ______ 70

4.2. भारत का रक्षा निर्यात ______ 73

4.3. जैविक हथियार अभिसमय ______ 74

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 77

4.4.1. वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II ______ 77

4.4.2. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ______ 78

4.4.3. राफेल मरीन (M) लड़ाकू विमान ______ 78

4.4.4. लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 'गौरव' ______ 79

4.4.5. Mk-II (A) DEW सिस्टम ______ 79

4.4.6. प्रोजेक्ट वर्षा ______ 80

4.4.7. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास ______ 80

**5. पर्यावरण ______ 82**

5.1. पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण ______ 82

5.2. उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण ______ 84

5.3. बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर ______ 86

5.4. फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन ______ 87

5.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 88

5.5.1. कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM) 88
5.5.2. ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड 89
5.5.3. सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व 90
5.5.4. गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य 91
5.5.5. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 91
5.5.6. जियोपार्क नेटवर्क 92
5.5.7. गुजरात में पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट 92
5.5.8. वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट-जीरो फ्रेमवर्क 93
5.5.9. वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO वैश्विक सम्मेलन 94
5.5.10. बाकू टू बेलेम रोडमैप 94
5.5.11. AIM4NatuRe पहल 95
5.5.12. गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र 95
5.5.13. स्मॉल हाइव बीटल 95
5.5.14. अरल सागर 96

**6. सामाजिक मुद्दे 97**

6.1. कार्यस्थल ऑटोमेशन 97
6.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 99
6.2.1. MoSPI ने "भारत में महिला और पुरुष 2024: चयनित संकेतक एवं डेटा" रिपोर्ट जारी की 99
6.2.2. AI किरण 99
6.2.3. IMF द्वारा जारी रिपोर्ट में सिल्वर इकॉनमी पर जोर 100

**7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 101**

7.1. भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना 101
7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 102
7.2.1. गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम 102
7.2.2. जेवॉन्स पैराडॉक्स 103
7.2.3. टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट 104
7.2.4. मिशन “फ्रैम 2” 104
7.2.5. आर्यभट्ट सैटेलाइट 105
7.2.6. विलवणीकरण प्रौद्योगिकियां 106
7.2.7. बैटइकोमोन 107

**8. संस्कृति (Culture) 108**

8.1. भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां 108
8.2. सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि 110
8.3. वायकोम सत्याग्रह 112
8.4. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व: सर चेत्तूर शंकरन नायर (1857-1934) 114
8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 116
8.5.1. बनारसी शहनाई और बनारसी तबला 116
8.5.2. कन्नडिप्पया जनजातीय शिल्प 116
8.5.3. फसल कटाई उत्सव 116
8.5.4. पद्म पुरस्कार 116

**9. नीतिशास्त्र (Ethics) 118**

9.1. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उपभोक्ता व्यवहार 118
9.2. बॉडी शेमिंग के नैतिक आयाम 120
9.3. मृत्युदंड और नैतिक आयाम 122

**10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 126**

10.1. पी.एम. श्री स्कूल (पी.एम. स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) 126

**11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) 128**

**12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News) 129**

## नोट:

**प्रिय अभ्यर्थियों,**

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

| | |
|---|---|
| | विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है। |
| | पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं। |
| | विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी। |
| | सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी। |

# 1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

## 1.1. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने **शक्तियों के पृथक्करण** के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि **लोकतंत्र में शासन संचालन केवल कार्यपालिका (सरकार) द्वारा होना चाहिए।** इसका कारण यह है कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और उनके प्रति जवाबदेह होती है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत** के तहत सरकार के तीनों अंगों को एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए **जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक** है।
- उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका द्वारा एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रवेश या अतिक्रमण चुनौती उत्पन्न करता है।

**शक्तियों के पृथक्करण के पीछे का विचार**

- **विचार:** शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ है सरकार की तीन शाखाओं - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका- में **अधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन।**
    - **कार्यपालिका** विधायिका द्वारा बनाए गए या अधिनियमित कानूनों को लागू करती है और सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है।
    - **विधायिका कानून बनाने वाली संस्था** है। इसका मुख्य कार्य देश के शासन के लिए **कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना या उन्हें निरस्त** करना है। साथ ही, विधायिका, **कार्यपालिका की जवाबदेही तय करती है और उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है एवं जांच** करती है।
    - **न्यायपालिका** का मुख्य कार्य **न्याय प्रशासन, कानूनों की व्याख्या करना और संविधान की रक्षा** करना है।
- **उत्पत्ति: अरस्तू** ने पहली बार सरकार के कार्यों को अग्रलिखित **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत किया था: सामान्य मामलों से संबंधित **विचार-विमर्श, मजिस्ट्रेट संबंधी और न्यायिक।**
    - हालांकि, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का आधुनिक प्रतिपादक फ्रांसीसी न्यायविद **'मोंटेस्क्यू'** को माना जाता है।
- **आधुनिक सिद्धांत: मांटेस्क्यू** ने अपनी पुस्तक **'द स्पिरिट ऑफ द लॉज (1748)'** में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित और स्पष्ट किया है।

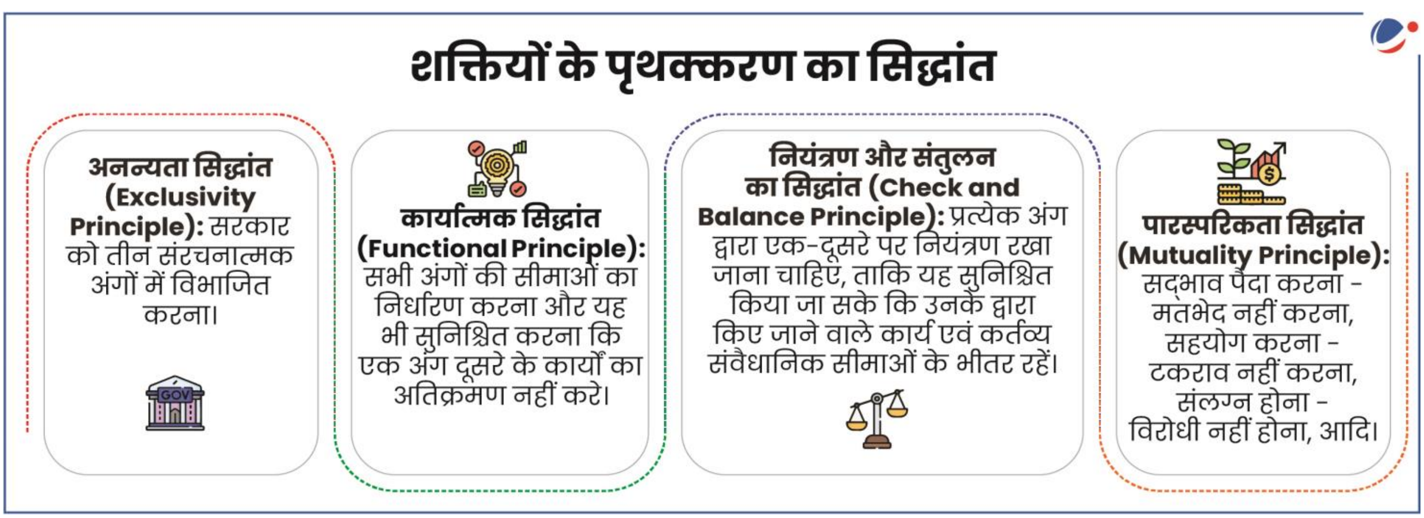


**भारत में शक्तियों का पृथक्करण**

- **नाजुक संतुलन:** भारतीय संविधान **शक्तियों के सीमित पृथक्करण के एक नाजुक संतुलन पर आधारित** है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का विभाजन किया गया है। साथ ही, उनके बीच **नियंत्रण एवं संतुलन** को बनाए रखा गया है, ताकि एक-दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण न किया जा सके।

 ©Vision IAS

- विधायिका कानून बनाने के लिए उत्तरदायी है, कार्यपालिका कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने एवं विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार है।

- **एक-दूसरे के कार्यों का आपस में टकराव (Functional Overlap):** भारतीय संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच **शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं** करता है। इस कारण कुछ मामलों में इन अंगों के कार्यों का आपस में टकराव होता है। उदाहरण के लिए-
  - **राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख होने के बावजूद,** संविधान के **अनुच्छेद 123** के अनुसार **अध्यादेश जारी करने जैसी विधायी शक्तियों** का प्रयोग कर सकता है।
  - **विधायिका भी कई मामलों में न्यायिक कार्य करती है,** जैसे- राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को पद से हटाना या अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामले में खुद ही निर्णय लेना, आदि।
  - **न्यायपालिका** कभी-कभी कार्यपालिका को दिशा-निर्देश जारी करती है और कुछ मामलों में विधायी संशोधन से जुड़े सुझाव भी देती है, जिससे वह **विधायी और कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करती हुई प्रतीत होती है।**
- **मूल ढांचे का हिस्सा:** सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि **शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा** है।
- **सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संघर्ष:**
  - **न्यायिक हस्तक्षेप:** कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों के माध्यम से विधायिका के कार्य क्षेत्र में घुसपैठ करता है।
    - उदाहरण के लिए- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे गए राज्य विधेयकों पर **राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।**
  - **विधायिका द्वारा अतिक्रमण:** कई बार विधायिका ऐसे कानून बनाती है, जो सरकार के अन्य अंगों के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)[1] अधिनियम। इस अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में केंद्रीय कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल किए गए थे।
  - **कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण:** कई अधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) में कार्यपालिका के सदस्यों का बहुमत होता है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना करता है। साथ ही, लगातार अध्यादेश जारी करने से कानून बनाने की विधायिका की शक्ति की उपेक्षा होती है।

**निष्कर्ष**

शक्ति के पृथक्करण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्ता का केंद्रीकरण सरकार के किसी एक अंग के हाथ में न हो, ताकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता और आजादी सुरक्षित रहे। हालांकि, सरकार के अंग पूरी तरह से अलग-अलग ढंग से कार्य नहीं कर सकते; वे वास्तव में आपसी सहयोग और एक-दूसरे के सम्मान के साथ कार्य करते हैं ताकि कोई एक अंग दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण न कर सके। इस प्रकार, कुछ कार्यात्मक टकराव और पर्याप्त नियंत्रण एवं संतुलन के साथ शक्तियों का व्यापक पृथक्करण लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।

"यदि एक ही व्यक्ति या एक ही निकाय, चाहे कुलीन वर्ग का हो या आम जन का, कानून बनाने, कानून लागू करने, सार्वजनिक प्रस्तावों को लागू करने और व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई करने की तीनों शक्तियों का प्रयोग करे, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा।"

— मोंटेस्क्यू

## 1.2. राज्य के विधेयकों को स्वीकृति (Assent to State Bills)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल** मामले में राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।

---

[1] National Judicial Appointments Commission

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **पृष्ठभूमि:** नवंबर 2020 और अप्रैल 2023 के बीच, तमिलनाडु राज्य विधान सभा ने 13 विधेयक पारित किए थे।
    - इनमें से **10 विधेयकों को राज्यपाल ने बिना किसी सूचना के या तो मंजूरी देने से मना कर दिया या विधान सभा को वापस भेज** दिया।
        - जब विधान सभा ने बिना किसी परिवर्तन के इन्हें **पुनः पारित** कर दिया, तो राज्यपाल ने इन्हें स्वीकृति देने की बजाय **राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित** कर दिया।
        - इसकी प्रतिक्रिया में, **तमिलनाडु सरकार** ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर राज्यपाल की लंबे समय से चली आ रही निष्क्रियता को चुनौती देते हुए **एक रिट याचिका दायर** की।

**क्या आप जानते हैं?**

> संविधान के **अनुच्छेद 168** के अनुसार, **राज्यपाल राज्य विधान-मंडल का हिस्सा** होता है, भले ही वह उसके किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। किसी विधेयक के कानून बनने के लिए, उसे **या तो राज्यपाल की स्वीकृति** मिलनी चाहिए, **या फिर यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो,** तो **राष्ट्रपति की स्वीकृति** जरूरी होती है।

- 
    - सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की निष्क्रियता और विधानसभा द्वारा विधेयकों को पुनः पारित करने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, **कानूनी रूप से अमान्य** था। इसलिए, उन विधेयकों पर राष्ट्रपति की कार्रवाई को भी **अमान्य घोषित** कर दिया गया।
- **न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया:** सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को **पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री/ आदेश पारित करने का अधिकार** देता है।

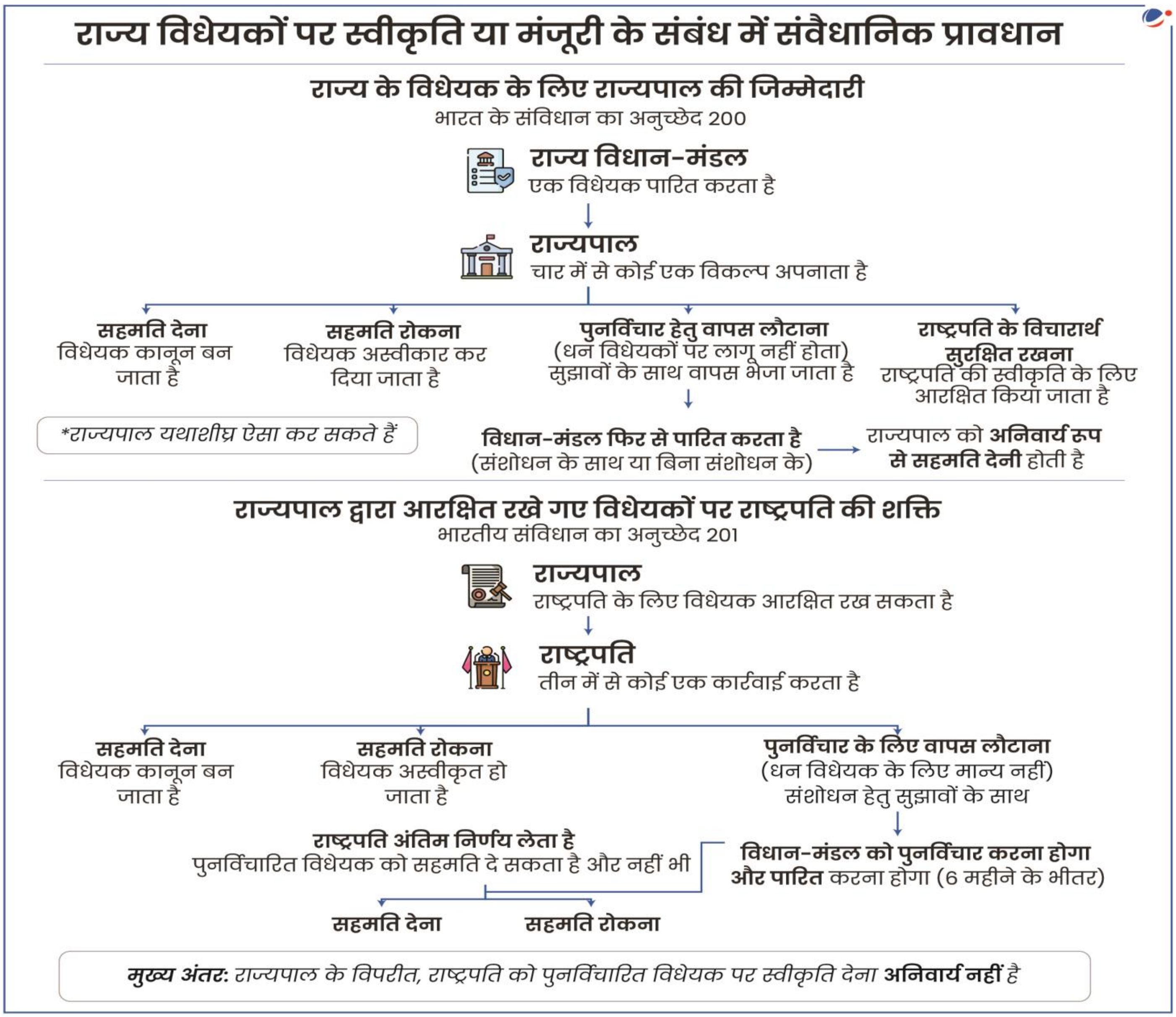

**निर्णय से संबंधित मुख्य बिंदु**

- **विधेयक पर राज्यपाल की निष्क्रियता असंवैधानिक है:** विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा मंजूरी देने के लिए भारतीय संविधान में **भले ही कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है,** लेकिन **अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास** या **अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास** कोई **पॉकेट या आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto)** भी **उपलब्ध नहीं** हैं।
  - यदि राज्यपाल/ राष्ट्रपति विधेयकों को मंजूरी देने में निष्क्रियता प्रदर्शित करता है, तो **राज्य सरकार** सक्षम न्यायालय से **परमादेश (Mandamus) रिट जारी करने की याचिका दायर** कर सकती है।
    - परमादेश रिट वह आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट **किसी सरकारी अधिकारी को उसके वैधानिक कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने या उसके विवेकाधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए जारी** करता है।
- **विधान सभा द्वारा फिर से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता:** विधेयक को **पहले चरण में ही** राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए **आरक्षित** किया जा सकता है।
  - यदि **राज्यपाल** विधेयक पर **अपनी सहमति नहीं** देना चाहता है, तो उसे **अनिवार्य रूप से इसे राज्य विधान सभा को वापस भेजना** होगा।
  - जब विधान सभा **विधेयक को पुनः पारित** करता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित **नहीं** रख सकता।
    - इस सामान्य नियम का **एकमात्र अपवाद** तब है, जब **दूसरी बार में प्रस्तुत किया गया विधेयक पहली बार में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए विधेयक से मूल रूप से भिन्न हो।**
- **विधेयकों को मंजूरी देने के लिए निर्धारित समय-सीमा:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ये समय-सीमाएं संविधान में संशोधन नहीं हैं, बल्कि **समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने और मनमानी से बचने** के लिए न्यायिक मानक हैं। न्यायालय ने शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु **समय-सीमा निर्धारित की है।**

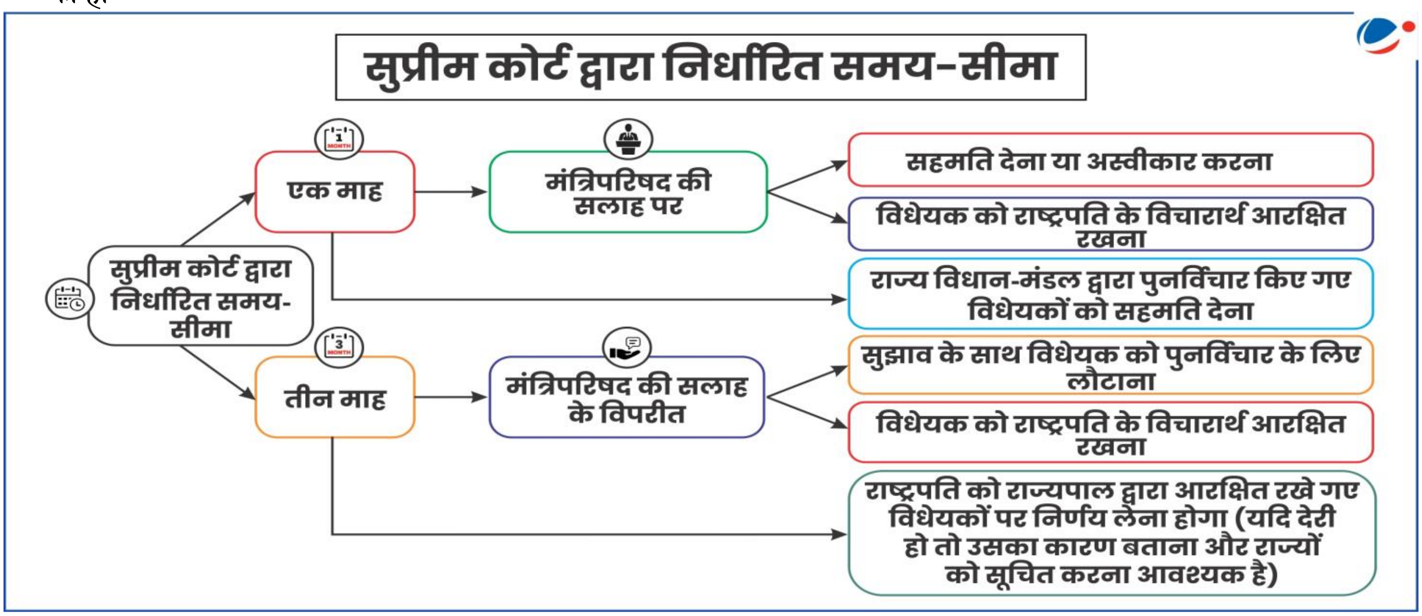


- **अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास पूर्ण विवेकाधिकार नहीं है: अनुच्छेद 163(1)** मंत्रिपरिषद द्वारा **राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का प्रावधान** करता है, सिवाय उन परिस्थितियों के **जहां राज्यपाल को संवैधानिक रूप से अपने विवेकाधिकार से कार्य करना आवश्यक हो।**
  - **अनुच्छेद 200** के तहत राज्यपाल को अपने **कार्यों के निष्पादन में कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं** है और **उसे मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है, सिवाय निम्नलिखित स्थितियों के:**
    - यदि राज्य विधान सभा द्वारा पारित किसी विधेयक से हाई कोर्ट की शक्तियों का हनन होता है तो, राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत ही उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा।
    - **वैसे राज्य विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रभावी नहीं होंगे:**
      - ➢ कुछ मामलों में **पानी या बिजली पर कर लगाने वाले विधेयक** (अनुच्छेद 288)।
      - ➢ राज्य विधान सभा द्वारा पारित **धन विधेयक या वित्त विधेयक,** जिन पर **वित्तीय आपातकाल** के दौरान **अनुच्छेद 207** के विशेष प्रावधान लागू होते हैं (अनुच्छेद 360)।

        - **समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित विधेयक:** यदि विधेयक संघीय कानून या उस मामले के संबंध में **मौजूदा कानून से असंगत है** {अनुच्छेद 254(2)}।
        - **अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, आदि पर प्रतिबंध से संबंधित विधेयक:** व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है (अनुच्छेद 304(b) को अनुच्छेद 255 के साथ पढ़ा जाए)।
    - **राज्य विधेयक जिन्हें अनुच्छेद 14 और 19 से छूट प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है:**
        - **अनुच्छेद 31A** (संपत्ति आदि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान) से संबद्ध विधेयक; तथा
        - **अनुच्छेद 31C** (कुछ नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करना) से संबद्ध विधेयक।
    - जहां विधेयक इस प्रकृति का है कि यदि उसे प्रभावी होने दिया गया तो वह **संविधान को कमजोर करेगा।**
- **अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है:** राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा **स्वीकृति प्रदान करना** (आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर) **न्यायालय के विचार योग्य नहीं** हो सकता है।
    - हालांकि, **राज्यपाल द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके किसी विधेयक को मंजूरी न देने या उसे आरक्षित रखने के फैसले को न्यायालय में चुनौती** दी जा सकती है, क्योंकि संविधान द्वारा इस विवेकाधिकार को सीमित किया गया है।
        - यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य करता है और किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, तो **राज्य सरकार उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती** दे सकती है।
        - यदि **राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता है,** तो उस कार्रवाई को भी **सुप्रीम कोर्ट में चुनौती** दी जा सकती है।
- **राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयकों की असंवैधानिकता के आधार पर पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करना चाहिए:** यदि राज्यपाल किसी विधेयक को **असंवैधानिक होने की आशंका** के कारण राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है तो:
    - राष्ट्रपति को **अनुच्छेद 143 (कानून या तथ्य के प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति)** के तहत **सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए।**
        - **राष्ट्रपति** न्यायालय की राय से **केवल वैध नीतिगत कारणों से ही असहमत** हो सकता है और इस असहमति के लिए **उसे स्पष्ट औचित्य प्रदान** करना होगा।
    - **ऐसा परामर्श महत्वपूर्ण है क्योंकि:**
        - **राज्यपाल ऐसे मामलों को न्यायालयों को नहीं भेज** सकता।
        - **सुप्रीम कोर्ट** संविधान और कानूनों की व्याख्या करने के लिए **अंतिम प्राधिकारी** है।
        - **अनुच्छेद 143 के अंतर्गत न्यायालय की राय का बहुत अधिक महत्व है** तथा सामान्यतः संसद और राष्ट्रपति, **दोनों को इसका पालन** करना चाहिए।

## 1.3. राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग (States' Demand For Autonomy)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

तमिलनाडु राज्य सरकार ने **राज्य की स्वायत्तता और संघवाद को मजबूत करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन** किया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश **न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ को इस समिति का अध्यक्ष** बनाया गया है।
- **समिति को सौंपे गए कार्य:**
    - केंद्र-राज्य संबंधों के **संवैधानिक, वैधानिक और नीतिगत पहलुओं की समीक्षा** करना,
    - राज्य सूची से **समवर्ती सूची में स्थानांतरित विषयों को वापस राज्य सूची में लाने** के  तरीके सुझाना,
    - **प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने में राज्यों की मदद करने के लिए** उपायों की सिफारिश करना,
    - **राष्ट्रीय एकता को प्रभावित किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता** देने हेतु सुधारों का प्रस्ताव करना,
    - **राजमन्नार समिति और संबंधित विषयों पर अलग-अलग रिपोर्ट्स** की सिफारिशों पर फिर से विचार करना,
    - वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर विचार करना।
- समिति से यह अपेक्षा की गई है कि वह जनवरी, 2026 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और आगामी दो वर्षों के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी।

- तमिलनाडु सरकार ने यह कहते हुए समिति का गठन किया है कि **राज्य के अधिकारों का हनन हो रहा है** और इस तथ्य की अनदेखी की जा रही है कि **"भारत राज्यों का संघ है, न कि एकात्मक राज्य[2]"**।

**भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था**

- भारत **राज्यों का एक संघ** है, और **राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं** है।
  - संघ एवं राज्यों के बीच **समान संस्थाएं और साधन** हैं, जैसे- **एकल संविधान, एकल नागरिकता**, समान **अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय निर्वाचन आयोग** और **एकीकृत न्यायपालिका**।
- **विधायी शक्तियों का विभाजन:**
  - **संविधान का अनुच्छेद 246** संसद और राज्य विधान-मंडलों को सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर विधायी शक्तियां प्रदान करता है।
    - **संघ सूची में 97 प्रविष्टियां** हैं,
    - **राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां** हैं, और
    - **समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां** हैं
  - भारतीय संघवाद को अक्सर **अर्ध-संघीय स्वरुप** वाला बताया जाता रहा है। इस तरह की व्यवस्था में संविधान में एक मजबूत केंद्र की वकालत की जाती है और उसे राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं।

**केंद्र-राज्य संबंधों पर पूर्व में गठित समितियां और उनकी सिफारिशें**

- **राजमन्नार समिति (1969):** तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित इस समिति ने सातवीं अनुसूची में शामिल विषयों के पुनर्वितरण के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग के गठन की सिफारिश की थी।
- **आनंदपुर साहिब संकल्प (1973):** केंद्र की शक्तियां केवल रक्षा, विदेश मामले, संचार, मुद्रा आदि तक सीमित रखने की मांग की गई, जबकि शेष सभी शक्तियां राज्यों को सौंपे जाने की बात कही गई थी।
- **पश्चिम बंगाल ज्ञापन (1977): अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) को हटाने** और संविधान में "संघात्मक" शब्द जोड़ने की मांग की गई थी।

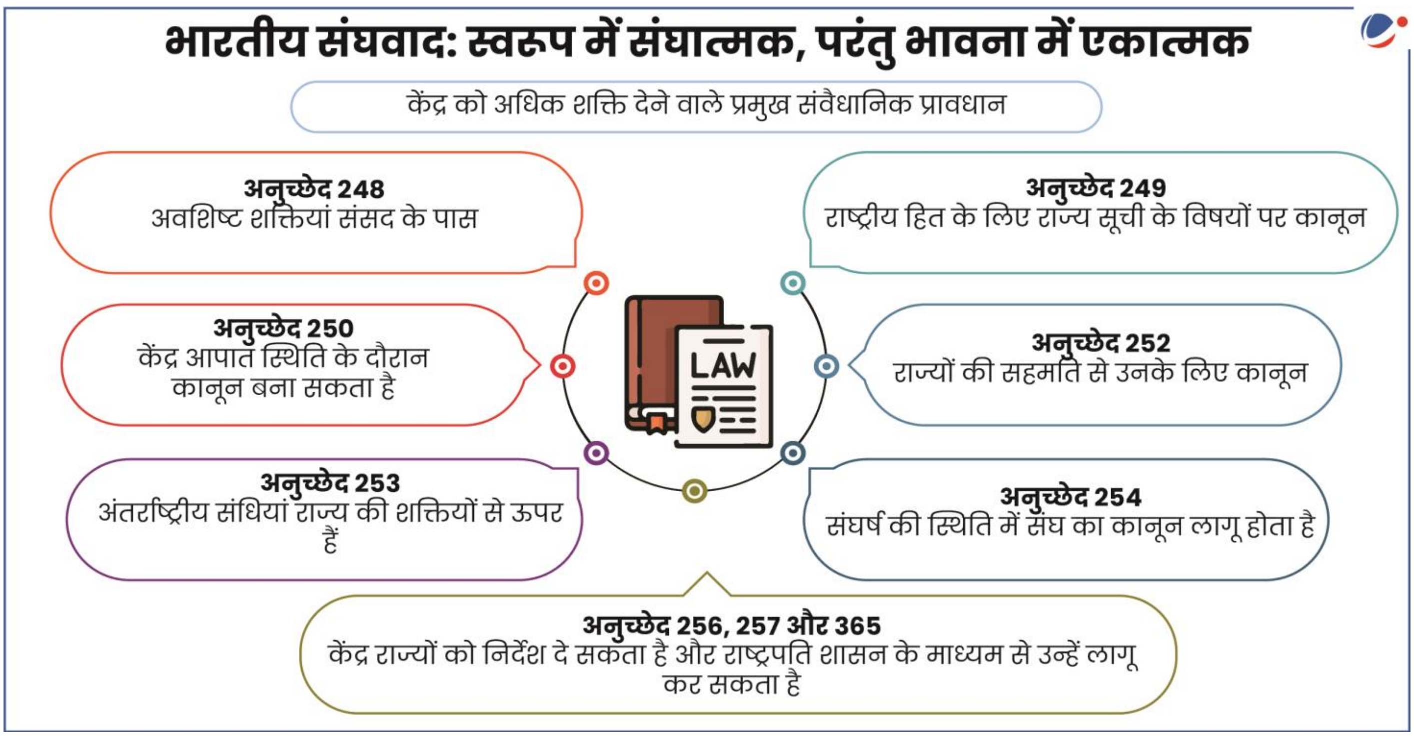


**भारत ने केंद्रीकृत संघवाद के स्वरूप को क्यों अपनाया?**

- **एक मजबूत केंद्र की परिकल्पना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई है:**
  - **भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना:** स्वतंत्रता के समय विभाजन की विभीषिका की वजह से विभाजनकारी शक्तियों के उभरने की आशंका को देखते हुए मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया गया।
  - **संपदा और विकास का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना:** केंद्र की भूमिका को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखा गया, जो अमीर राज्यों से गरीब राज्यों की ओर धन के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाकर समानता स्थापित करने में मदद करती है।

---

[2] India is a Union of States and not a unitary states

- **मूल संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना:** भारत के **संविधान का उद्देश्य न्याय, संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता** आदि के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर एक **विविध, बहुलवादी और बहुसांस्कृतिक संघीय समाज का निर्माण** करना है। इसे एक मजबूत केंद्र के माध्यम से और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।
- **एकरूपता को बढ़ावा देना:** सार्वभौमिक या **सर्व-स्वीकृत मानक निर्धारित करने वाले कानूनों को संघ द्वारा लागू किया जाना** चाहिए जिसके लिए सशक्त केंद्र सरकार का होना आवश्यक है।

हालांकि, पिछले कई वर्षों से कई राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु ने, केंद्र पर न केवल सामान्य नीतियों में बल्कि राज्यों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रभुत्व स्थापित करने का आरोप लगाया है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता कम हुई है।

**राज्यों की स्वायत्तता को कम करने वाले प्रमुख मुद्दे**

- **राज्य सूची के विषयों में केंद्र का हस्तक्षेप:** दक्षिणी राज्यों ने **विश्वविद्यालय की फैकल्टी और कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित UGC के मसौदा विनियमों** को चुनौती दी है। इन राज्यों के मुताबिक ये विनियम राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम करते हैं।
  - तमिलनाडु सरकार केंद्र द्वारा कथित रूप से थोपे गए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)**[3] का विरोध कर रही है।
  - **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा निम्नलिखित 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था:**
    - शिक्षा,
    - वन,
    - माप और तौल,
    - वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, तथा
    - न्याय प्रशासन
- **राजकोषीय शक्तियों का केंद्रीकरण: वस्तु एवं सेवा कर (GST)** के कारण राज्यों की कराधान शक्तियां सीमित हो गई हैं। राज्यों को कर हस्तांतरण में देरी की जाती है और अनुदान में कटौती की जा रही है।
  - वर्ष 2015-16 में राज्यों को दिया गया अनुदान 1.95 लाख करोड़ रुपये था, जो **घटकर 2023-24 में 1.65 लाख करोड़ रुपये** रह गया।
- **राज्यों की विविधता को नजरअंदाज करते हुए सभी के लिए एक जैसी नीतियां अपनाना:** तमिलनाडु त्रिभाषा फार्मूला का विरोध करता है, क्योंकि उसका मानना है कि यह नीति तमिल पहचान को समाप्त कर सकती है।
- **संस्थागत निगरानी में कमी:** कार्यपालिका के आदेश द्वारा स्थापित **योजना आयोग (अब नीति आयोग) संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित संस्था नहीं है।** साथ ही, राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित विधेयकों (जैसे- तमिलनाडु के मामले में) को **अनुच्छेद 200** के अंतर्गत राज्यपाल की मंजूरी मिलने में अनावश्यक देरी की जाती है।
- **केंद्रीकरण की बढ़ती घटनाएं:** हाल ही में तमिलनाडु राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा मंजूरी देने की शक्तियों के अनुचित दुरूपयोग ने सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को को उजागर किया।
  - इसी प्रकार, **पश्चिम बंगाल ने राज्य की सहमति के बिना राज्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच का विरोध** किया।

**केंद्र-राज्य संबंधों को सुधारने की प्रमुख पहलें**

- **अन्तर्राज्यीय परिषद:** इसका गठन **अनुच्छेद 263 के तहत** हुआ है। यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देती है।
- **योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन:** नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, जिसमें राज्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
- **कर हस्तांतरण में वृद्धि:** 14वें वित्त आयोग ने केंद्र से राज्यों को मिलने वाले करों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी।
- **GST परिषद:** यह **संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत** गठित एक संयुक्त फोरम है जिसमें केंद्र और राज्यों, दोनों के सदस्य शामिल हैं। यह परिषद **GST से संबंधित नीतिगत निर्णय लेती** है।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS)**[4] **की संख्या में कमी:** केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 130 से घटाकर 75 कर दी गई है, और भविष्य में इसे कम करके 50 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्यों को अपने फंड के व्यय में स्वायत्तता मिल सकेगी।
- **विकेन्द्रीकरण को मजबूत किया गया:** 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को अधिकार दिए गए हैं। इससे सरकार की तीसरी इकाई का निर्माण हुआ।

[3] National Eligibility cum Entrance Test

[4] Centrally Sponsored Schemes

**राज्य स्वायत्तता की मांग का प्रभावी रूप से समाधान करने के उपाय**

- **सरकारिया आयोग (1983) की प्रमुख सिफारिशों को लागू करना चाहिए:**
  - **अवशिष्ट शक्तियां:** सभी अवशिष्ट शक्तियों (कराधान को छोड़कर) को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाए।
  - **विधेयक पारित करने से पूर्व परामर्श करना:** समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श करना चाहिए।
  - **न्यूनतम हस्तक्षेप:** समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय कानूनों को केवल बुनियादी राष्ट्रीय मुद्दों पर एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए और स्थानीय मामलों को राज्यों पर छोड़ देना चाहिए।
- **समतामूलक विकास को बढ़ावा देना: पुंछी आयोग (2007) की सिफारिशों के अनुसार** पिछड़े राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण बढ़ाया जाए। साथ ही, **भौतिक और मानव संसाधन अवसंरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित** किया जाना चाहिए।
- **संस्थाओं के बीच संवाद को बढ़ावा देना: वेंकटचलैया आयोग की सिफारिश** के अनुसार **अन्तर्राज्यीय परिषद का उपयोग** अलग-अलग राज्यों से व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक रूप से, दोनों तरीके से परामर्श लिया जाए। **क्षेत्रीय परिषदों को फिर से सक्रिय** किया जाए ताकि वे सार्थक संवाद और सहयोग के मंच बन सकें।
- **प्रमुख संस्थानों के माध्यम से आम सहमति को बढ़ावा देना चाहिए**: अंतर-राज्यीय परिषद, GST परिषद, नीति आयोग और अन्य सहकारी मंचों के माध्यम से समन्वय और नीतिगत सहमति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

**निष्कर्ष**

राज्य स्वायत्तता की मांग केवल संवैधानिक शक्तियों के कम होने की धारणा से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह क्षेत्रीय दलों के उदय, असमान क्षेत्रीय विकास और पहचान आधारित राजनीति जैसे गहन मुद्दों से भी जुड़ी है। जैसा कि अन्नादुरई ने 1967 में कहा था, **"आपसी सद्भावना और समझदारी के माध्यम से हमें भाईचारे और परस्पर लाभकारी संबंध की स्थापना करनी चाहिए।"** एक संतुलित संघीय ढांचा राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता, दोनों का सम्मान करता है।

## 1.4. स्वामित्व योजना के 5 वर्ष (5 Years of Svamitva Scheme)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

स्वामित्व योजना ने अपने शुभारंभ के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। **स्वामित्व** से आशय है- ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas: SVAMITVA)।

**स्वामित्व योजना के बारे में**

- **शुरुआत:** वर्ष 2020
- **क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएं:** यह योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से लागू की जा रही है।
- **प्रौद्योगिकी साझेदार:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (NICSI)[5]
- **योजना के मुख्य घटक:**
  - **कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम (CORS) नेटवर्क की स्थापना:** यह सटीक भू-संदर्भ/ जियो-रेफरेंसिंग और भूमि सीमांकन के लिए **ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट** स्थापित करता है।
  - **ड्रोन मैपिंग:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग **ड्रोन का उपयोग करके ग्रामीण बसावटों का मानचित्र** बनाता है। इससे संपत्ति का सटीक मानचित्र या नक्शा तैयार करके भू स्वामित्व अधिकार जारी किया जाता है।
  - **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)[6] पहल:** जागरूकता कार्यक्रम से स्थानीय आबादी को योजना के तरीकों और लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता है।
  - **ग्राम मानचित्र में सुधार:** ड्रोन सर्वेक्षणों से प्राप्त डिजिटल स्थानिक डेटा ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने वाले विश्लेषणात्मक टूल्स को सशक्त बनाता है।

---

[5] National Informatics Centre Services Inc

[6] Information, Education, and Communication


©Vision IAS

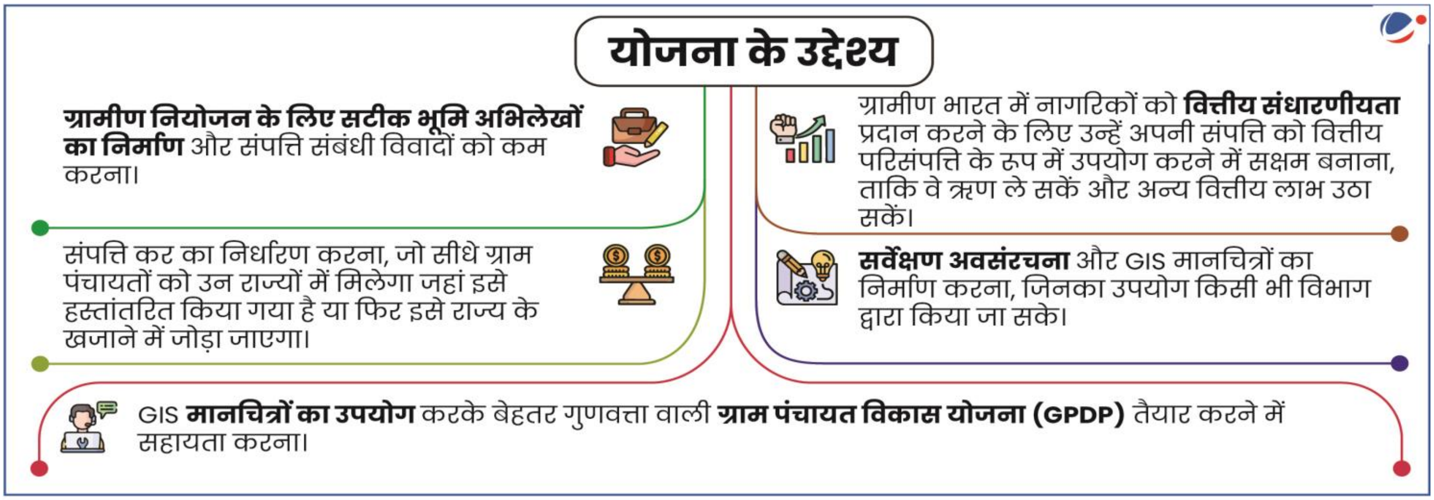


**स्वामित्व योजना का महत्व**

- **कानूनी रूप से सशक्तीकरण और विवाद समाधान**: यह योजना संपत्ति कार्ड जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करती है। इससे करोड़ों ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आ रहा है।
    - अब तक **भारत भर में 1,30,633 संपत्ति कार्ड वितरित** किए जा चुके हैं, जिससे लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों का समाधान हुआ है।
- **वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन**: स्वामित्व योजना के तहत जारी किए गए संपत्ति कार्ड को बैंकों से ऋण लेने हेतु जमानत रखने वाली संपदा (कोलेटरल) के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे पहले सम्पति कार्ड जारी नहीं किए जाते थे।
    - अब तक 67,000 वर्ग किलोमीटर **ग्रामीण आवासीय भूमि का सर्वेक्षण** किया गया है, जिसकी **अनुमानित कीमत 132 लाख करोड़ रुपये** है। यह उपलब्धि इस पहल के आर्थिक महत्व को दर्शाती है।
- **गवर्नेंस में क्रांति और संसाधनों का इष्टतम उपयोग**: महाराष्ट्र के एखातपुर-मुंजवडी जैसे गांवों में अद्यतन किए गए भू-अभिलेख के कारण **स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन में वृद्धि** हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के **बिलकिसगंज ग्राम पंचायत ने हाथ से बने अस्थायी नक्शों की जगह डेटा-आधारित स्थानिक योजना (Spatial planning)** को अपनाया है।
    - यह परिवर्तन **संसाधनों के प्रभावी तरीके से आवंटन में मदद** करता है, सेवा वितरण में सुधार करता है, और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाता है।
- **ग्रामीण विकास में तकनीकी इनोवेशन**: यह योजना **सर्वे-ग्रेड ड्रोन और कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम (CORS) नेटवर्क के इनोवेटिव उपयोग के माध्यम से ग्रामीण भूमि का नक्शा तैयार करने में तकनीकी क्रांति** ला रही है।
    - उपर्युक्त दोनों तकनीकें सम्मिलित रूप से **बहुत तेजी और सटीकता से हाई-रिज़ॉल्यूशन नक्शे तैयार** करती हैं। इससे **ग्रामीण भूमि के सीमांकन में व्यापक सुधार** देखा जा रहा है।
    - इस तकनीकी प्रगति के कारण, स्वामित्व योजना के तहत उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। जैसे कि 31 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में **अधिसूचित गांवों में से 92% में ड्रोन सर्वेक्षण** पूरा किया जा चुका है।
- **ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन और योजना निर्माण में मदद**: हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में, जहाँ **ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया 100% पूर्ण** हो चुकी है, यह योजना ग्रामीण विकास के लिए एक सुव्यवस्थित और टिकाऊ मॉडल प्रस्तुत करती है। यह आने वाली अनेक चुनौतियों का योजनाबद्ध तरीके से समाधान करने की क्षमता रखती है।

**योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियां**

- **संपत्ति कार्ड की कानूनी वैधता स्पष्ट नहीं होना:** कई वित्तीय संस्थाएं संपत्ति कार्ड को स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण नहीं मानतीं। इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकारें राजस्व अधिनियमों के तहत संपत्ति कार्ड को स्टाम्प ड्यूटी योग्य दस्तावेज के रूप में अधिसूचित करें।
    - कानूनों में संशोधनों के बिना, संपत्ति कार्ड "केवल एक और कानूनी दस्तावेज बनकर रह जाएगा जो **निर्णायक रूप से भू-स्वामित्व साबित नहीं करता** है"।
- **अलग-अलग राज्यों में भूमि-कानून और रिकॉर्ड रखने की पद्धतियां अलग-अलग:** राज्यों में भूमि रिकॉर्ड को प्रशासित करने वाले कानून अलग-अलग हैं। साथ ही भूमि रिकॉर्ड रखने की पद्धतियां भी अलग-अलग हैं।

   - आंध्र प्रदेश भू-अभिलेख के मामले में **पंजीकृत और अपंजीकृत, दोनों प्रकार की देनदारियों का रिकॉर्ड** रखता है, जबकि कई अन्य राज्य केवल **पंजीकृत बंधकों (Mortgages) का ही रिकॉर्ड** रखते हैं।
- **संपत्ति कर संग्रह के सीमित अधिकार:** सभी ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर एकत्र करने का अधिकार नहीं है।
   - **ओडिशा जैसे राज्यों ने ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर एकत्र करने का अधिकार नहीं दिया** है।
   - उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, केवल **जिला पंचायतें (ग्राम पंचायतें नहीं) संपत्ति कर एकत्र** करती हैं।
- **वंचित समुदायों को अधिक सुरक्षा नहीं:** भूमिहीन किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं जैसे उपेक्षित समुदायों के भूमि अधिकारों की अनदेखी का जोखिम बना रहता है, क्योंकि प्रभावशाली वर्ग प्रायः अपने हित में भूमि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
   - **वंचित या उपेक्षित समुदायों के भू-अधिकारों को मान्यता देने वाले राज्यों के कानूनों में एकरूपता की भी कमी** है।
      - उदाहरण के लिए, **कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य बेटियों को** सहदायिकी**/ सह-स्वामित्व अधिकार (Coparcenary rights)** प्रदान करते हैं, लेकिन कई राज्यों में इस तरह के अधिकार नहीं मिले हुए हैं।
- कोपार्सेनरी से आशय है हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में सह-स्वामियों या संयुक्त स्वामियों के बीच संपत्ति के विभाजन का अधिकार।
- **डेटा प्रबंधन और नियमों के अनुपालन की चुनौतियां:** विभिन्न स्तरों पर नियमों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। साथ ही, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गैर-व्यक्तिगत भूमि डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान भी अस्पष्ट हैं।

**आगे की राह**

- **कानूनी प्रावधानों में सुधार करना चाहिए:** राज्य के राजस्व अधिनियमों में संशोधन करके संपत्ति कार्ड को स्टाम्प ड्यूटी योग्य दस्तावेजों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वित्तीय संस्थाएं इन्हें वैध और स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में मान्यता दे सकें।
- **भू-अभिलेख की प्रक्रिया का मानकीकरण:** संपत्ति कार्ड पर सभी देनदारियों को दर्ज करने के लिए एक समान प्रक्रिया विकसित की जाए। व्यवस्थित तरीके से भू-अभिलेख रखने की प्रक्रिया अपनाने के लिए **राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षित** किया जाए।
- **स्थानीय शासन को सशक्त बनाना:** सभी ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर संग्रह करने का अधिकार देने के लिए कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। साथ ही, सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर पर सत्यापन के माध्यम से सटीक मूल्यांकन हेतु संपत्ति वर्गीकरण की सही प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
- **उपेक्षित/ वंचित समुदायों की सुरक्षा:** भू-सर्वेक्षकों को अनुसूचित जाति/ जनजाति समूहों, महिलाओं और बंटाईदार किसानों के अधिकारों को मान्यता देने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। भू-नक्शा बनाने और उसे दस्तावेज के रूप में रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **डेटा प्रबंधन में सुधार करना:** पारदर्शिता बढ़ाने के लिए गैर-व्यक्तिगत भूमि डेटा को सार्वजनिक रूप से सुलभ कराया जाना चाहिए। सभी राज्यों में एक समान भू-स्थानिक डेटा मानक लागू किए जाएं ताकि डेटा साझा करने और इनके प्रबंधन के लिए स्पष्ट शासकीय व्यवस्था तैयार हो सके।

**भारत की शासन व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के महत्त्व** के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

**वीकली फोकस #95**– प्रौद्योगिकी गवर्नेंसः लोक नीति के नए युग का निर्माण

## 1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 1.5.1. लोक सभा में उपाध्यक्ष का पद (Deputy Speaker of The Lok Sabha)

वर्ष 2019 से लोक सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहना एक संवैधानिक विसंगति का संकेत देता है।

**लोक सभा के उपाध्यक्ष पद के बारे में**

- **पृष्ठभूमि:** यह पद **भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत 1921** में अस्तित्व में आया था।
    - सर्वप्रथम **सचिदानंद सिन्हा** केंद्रीय विधान सभा में इस पद पर आसीन हुए थे।
    - **एम. ए. अय्यंगर** स्वतंत्रता के बाद पहले **निर्वाचित उपाध्यक्ष** थे।
- **चुनाव:** संविधान के **अनुच्छेद 93** में प्रावधान किया गया है कि लोक सभा जल्द-से-जल्द सदन के दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी।
    - लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार, **उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के सांसद** को दिया जाता है।
- **पद त्याग और पद से हटाया जाना: अनुच्छेद 94** में पद के रिक्त होने, पद त्याग और हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ध्यातव्य है कि लोक सभा उपाध्यक्ष को **सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया** जा सकता है।
    - अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को सौंपता है।
- **कर्तव्य: अनुच्छेद 95** के अनुसार, अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

**उपाध्यक्ष के पद का महत्त्व**

- **संवैधानिक अनिवार्यता:** यह केवल औपचारिक पद नहीं है, क्योंकि संविधान में इसे अध्यक्ष पद के समकक्ष स्थान दिया गया है।
- **निरंतरता, स्थिरता और संस्थागत संतुलन के लिए आवश्यक:** यह पद आपातकाल की स्थिति में **द्वितीय नेतृत्व** प्रदान करता है।
    - **1956 में अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के आकस्मिक निधन के बाद एम. ए. अय्यंगर** ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
- **विधायी कर्तव्य:** उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करता है, समितियों का नेतृत्व करता है और गंभीर वाद-विवाद का संचालन निष्पक्षता एवं प्राधिकार के साथ करता है।

**निष्कर्ष**

- **एक निश्चित समय सीमा** (जैसे, नई लोक सभा की पहली बैठक के 60 दिन) या एक **वैधानिक व्यवस्था की शुरुआत** की जा सकती है, ताकि समय सीमा के भीतर उपाध्यक्ष का चयन किया जा सके।

### 1.5.2. दल-बदल की याचिकाओं पर अध्यक्ष की निष्क्रियता (Inaction By Speakers on Defection Petitions)

सुप्रीम कोर्ट ने **दल-बदल याचिकाओं पर अध्यक्ष की लंबे समय तक निष्क्रियता की निंदा की।**

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा **दल-बदल याचिकाओं के संबंध में निर्णय देने में देरी से संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के सार्थक उद्देश्य** विफल हो सकते हैं।
- **सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानूनी प्रश्न:** क्या कोर्ट अर्ध-न्यायिक अधिकरण के रूप में कार्य करने वाले अध्यक्ष को दल-बदल विरोधी याचिकाओं पर एक तय समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है?

**सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां**

- **अध्यक्ष द्वारा निर्णय न देने के मामले में कोर्ट की शक्ति:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अध्यक्ष दल-बदल याचिकाओं पर **"अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है"** तो कोर्ट उस पर निर्णय देने में सक्षम है।

 ©Vision IAS

- **उचित समय-सीमा निर्धारित करने का कोर्ट का अधिकार:** यद्यपि कोर्ट दल-बदल याचिकाओं के परिणाम निर्धारित नहीं कर सकती, फिर भी कोर्ट अध्यक्ष को उचित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकती है।
    - उदाहरण के लिए- **केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधान सभा के माननीय अध्यक्ष और अन्य वाद (2020)।**
- **यदि अध्यक्ष कार्यवाही करने में विफल** रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के **अनुच्छेद 142** के तहत अपनी **असाधारण शक्तियों** का प्रयोग कर सकता है।

**दल-बदल विरोधी कानून के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई अन्य टिप्पणियां**

- **अध्यक्ष के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा:** यदि अध्यक्ष कार्यवाही में देरी करता है, तो कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए **(किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु वाद 1992)।**
- **अध्यक्ष की निष्पक्षता:** अध्यक्ष को एक राजनीतिक व्यक्ति की बजाय एक तटस्थ निर्णायक के रूप में कार्य करना चाहिए **(रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ वाद 1994)।**
- **दल-बदल संबंधी मामलों के लिए स्वतंत्र अधिकरण:** इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा शक्तियों को एक स्वतंत्र अधिकरण को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए **(कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता से संबंधित वाद 2020)।**

## 1.5.3. आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक, 2025 (Immigration and Foreigners Bill, 2025)

हाल ही में, संसद ने **आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक, 2025** पारित किया।

**विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र**

- **उद्देश्य:** आप्रवासन कानूनों को आधुनिक बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, और आप्रवासन प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।
- **इस विधेयक द्वारा निम्नलिखित अधिनियम निरस्त किए गए हैं:**
    - पासपोर्ट अधिनियम, 1920;
    - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939;
    - विदेशी विषयक, 1946; तथा
    - आप्रवासन (वाहकों की देयता) अधिनियम, 2000.
- **आप्रवासन विनियमन: आप्रवासन ब्यूरो** गठित किया जाएगा। इसे वीज़ा जारी करने और विदेशियों के प्रवेश-निकास नियमों की निगरानी करने का कार्य सौंपा जाएगा।
- **दंड:** बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को **अधिकतम पांच वर्ष की कैद, पांच लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों** का प्रावधान किया गया है।
- **गिरफ्तार करने का अधिकार:** हेड कांस्टेबल या उससे उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं।

## 1.5.4. पंचायत प्रगति सूचकांक (Panchayat Advancement Index: PAI)

पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पंचायत प्रगति सूचकांक जारी किया।

- **देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें** हैं। इनमें से **29 राज्यों की लगभग 2.16 लाख ग्राम पंचायतों के आंकड़ों का आकलन** किया गया है।
- **पंचायत** का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **अनुच्छेद 243B** के तहत गठित स्वशासन की संस्था से है।

**पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI) के बारे में**

- **अवधारणा:** PAI एक बहु-क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्रकीय सूचकांक है। इसका **पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन** करने के लिए उपयोग किया जाता है।

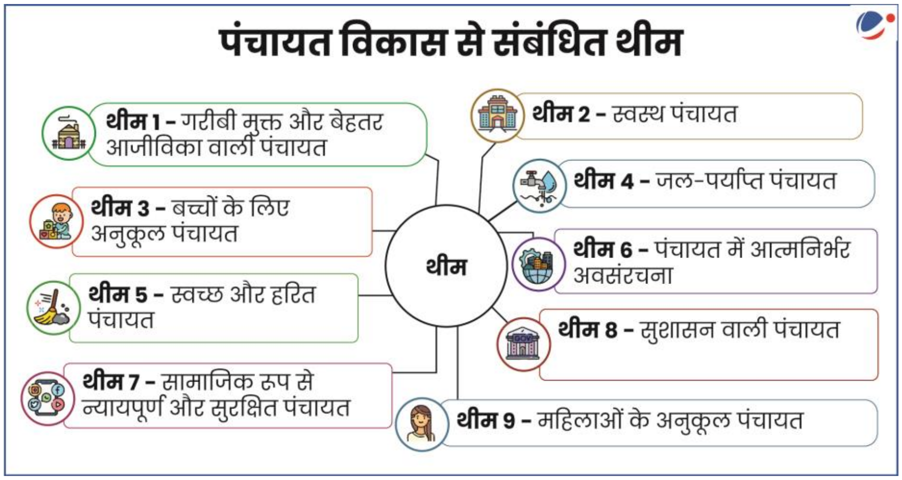


- **उद्देश्य:** यह ये मापने का प्रयास करता है कि जमीनी स्तर की संस्थाएं स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को कितनी अच्छी तरह प्राप्त कर रही हैं।
- **थीम:** सूचकांक स्थानीय विकास से संबंधित **9 प्रमुख थीम्स के आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन करता है (चित्र देखें)।**
- **पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI) में श्रेणियां**
  - **अचीवर (0%):** इस वर्ष के आकलन में भारत की कोई भी पंचायत **'अचीवर' श्रेणी में जगह नहीं** बना पाई है।
  - **एस्पिरैंट (आकांक्षी) (61.2%):** इस श्रेणी में **सर्वाधिक संख्या** में पंचायतों ने अपना स्थान हासिल किया है।
  - **परफ़ॉर्मर (प्रदर्शनकर्ता) (36%):** काफी संख्या में पंचायतों ने **मध्यम स्तर** की प्रगति हासिल की है।
  - **फ्रंट-रनर (अग्रणी):** इस श्रेणी में सबसे अधिक पंचायतों के साथ **गुजरात** शीर्ष पर है।

| QUIZ SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |
|---|---|---|

# 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

## 2.1. उभरती विश्व व्यवस्था (Emerging World Order)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **बिम्सटेक (BIMSTEC)** की एक बैठक में विदेश मंत्री ने रेखांकित किया कि नई विश्व व्यवस्था **क्षेत्रीय** और **एजेंडा-विशेष** आधारित होगी।

**विश्व व्यवस्था (World Order) के बारे में**

- **परिभाषा:** विश्व व्यवस्था से तात्पर्य शक्ति और अधिकार की उस व्यवस्था से है, जो वैश्विक स्तर पर कूटनीति एवं विश्व राजनीति के संचालन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
    - **वैश्विक मामलों में, 'व्यवस्था (Order)'** का अर्थ है- वह प्रणाली या तरीका जिसके माध्यम से एक देश अन्य देशों के साथ अपने संबंधों का संचालन करता है।

**नई विश्व व्यवस्था के उद्भव में योगदान देने वाले कारक**

- **युद्धोत्तर बहुपक्षीय व्यवस्था का पतन:** उदाहरण के लिए- संयुक्त राष्ट्र, जो कभी वैश्विक गवर्नेंस का एक स्तंभ था, अब **पुराना हो चुका** है। इसके अतिरिक्त, बहुपक्षवाद अब **वैश्विक खतरों के प्रबंधन में प्रभावी नहीं** रह गया है।
    - उदाहरण के लिए- संयुक्त राष्ट्र **रूस-यूक्रेन युद्ध** और **गाजा संकट** जैसे बड़े संघर्षों का समाधान करने में अप्रभावी रहा है।
- **बहुसंकट और वैश्विक अस्थिरता का उदय:** विश्व एक साथ, परस्पर जुड़े संकटों (जैसे- युद्ध, जलवायु परिवर्तन, लोकलुभावनवाद, आदि) का सामना कर रहा है।
    - उदाहरण के लिए- रूस का यूक्रेन पर आक्रमण, व्यापार युद्ध, साइबर युद्ध, महामारी, आदि।
- **क्षेत्रीय और एजेंडा-विशिष्ट भू-राजनीति का उदय:** उदाहरण के लिए- उभरती हुई विश्व व्यवस्था **स्वतंत्र बहुपक्षीय मंचों** को मजबूत करके **ग्लोबल साउथ को सशक्त** बनाने पर जोर देती है।
    - उदाहरण के लिए- ब्रिक्स (BRICS) का उद्देश्य **पारंपरिक वैश्विक शक्तियों** पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाना** है।
    - विश्व में एक बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां **"पश्चिम विरोधी" होने की बजाय, "गैर-पश्चिम" को महत्त्व** दिया जा रहा है।
- **बहुध्रुवीयता का उदय:** उभरती नई विश्व व्यवस्था पर अब **एक (एकध्रुवीय) या दो (द्विध्रुवीय) महाशक्तियों** का वर्चस्व नहीं है, बल्कि **स्वायत्तता का दावा करने वाले** कई प्रभावशाली राष्ट्रों द्वारा इसे आकार दिया जा रहा है।
    - उदाहरण के लिए- भारत ने यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराए गए मतदान से दूर रहकर और **'रणनीतिक स्वायत्तता'** बनाए रख कर अपने स्वतंत्र रुख का प्रदर्शन किया।
- **रणनीतिक स्व-सहायता का उदय:** विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अनुसार, "विश्व **स्व-सहायता** के युग की ओर बढ़ रहा है। विश्व के हर क्षेत्र को अपना ध्यान स्वयं रखने की आवश्यकता है- चाहे वह भोजन, ईंधन, उर्वरक, वैक्सीन या त्वरित आपदा प्रतिक्रिया हो।"
    - उदाहरण के लिए- छोटी आपूर्ति श्रृंखलाएं **(नियर शोरिंग)** और निकटतम पड़ोसी **(जैसे- बिम्सटेक देश)** अब बहुत अधिक महत्त्व रखने लगे हैं।

**उभरती विश्व व्यवस्था में भारत के लिए अवसर**

- **ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति के रूप में भारत:** भारत का बहुलवादी व गैर-पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल मौजूदा विश्व व्यवस्था के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। ध्यातव्य है कि पश्चिमी मॉडल ग्लोबल साउथ की जरूरतों की उपेक्षा करता आया है।
  - उदाहरण के लिए- भारत ने **"वसुधैव कुटुम्बकम"** थीम के तहत G-20 की मेजबानी की थी। भारत ग्लोबल साउथ का प्रत्येक मंच पर समर्थन करता है और **"विश्व-मित्र"** बनने की आकांक्षा रखता है।
  - उदाहरण के लिए- भारत ने विकासशील देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए **"वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स"** का आयोजन किया था।
- **संतुलित बहुध्रुवीयता:** शक्ति का संतुलित बंटवारा वैश्विक स्तर पर एकध्रुवीय प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है तथा सहयोगात्मक एवं लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए- ब्रिक्स, SCO, क्वाड और G20 में भारत की संतुलनकारी स्थिति।
- **मुद्दा-आधारित सहयोग (खाद्य, तकनीक, जलवायु परिवर्तन, आदि):** यह सहयोग सुगठित व सक्षम मंचों के माध्यम से निभाया जा रहा है।
  - उदाहरण के लिए- बिम्सटेक का कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन पर फोकस; इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF); आदि।
- **डिजिटल और तकनीकी नेतृत्व:** भारत CoWIN, UPI और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ डिजिटल रूप से अग्रणी देशों की श्रेणी में आ गया है।
- **जलवायु कूटनीति:** भारत हरित संवृद्धि और जलवायु वित्त सुधार को बढ़ावा दे रहा है।
  - उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)[7]; आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI)[8] आदि।
- **सांस्कृतिक और सभ्यतागत सॉफ्ट पावर:** विभाजित विश्व में एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में भारत के सभ्यतागत लोकाचार को बढ़ावा देना।
  - उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारतीय प्रवासी कूटनीति, आसियान देशों के साथ बौद्ध धर्म कूटनीति, आदि।

**उभरती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका के समक्ष मौजूद चुनौतियां**

- **राष्ट्रीय हितों के कारण वैश्विक सहयोग का विखंडन:** उदाहरण के लिए- अमेरिका द्वारा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अपीलीय निकाय में नई नियुक्तियों को रोकने से WTO का विवाद निपटान तंत्र कमजोर हो गया है।
  - इसलिए, निष्क्रिय वैश्विक संस्थाएं भारत की व्यापार क्षमता में बाधा डालती हैं। यह वैश्विक व्यापार में इसकी कम हिस्सेदारी (2023 में 4.3%) में परिलक्षित होती है।
- **जलवायु न्याय के मामले में मतभेद:** जलवायु वित्त और जिम्मेदारी पर विकसित और विकासशील देशों के मत अलग-अलग हैं।
  - उदाहरण के लिए- COP27 में हानि और क्षति कोष[9] बनाने पर बहस।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्रवाद:** वैश्विक संस्थाओं से क्षेत्रीय/ अनौपचारिक गठबंधनों को महत्त्व देने की ओर बदलाव से विभिन्न देशों के बीच आम सहमति का निर्माण कर पाना बहुत कठिन है।
- **विवैश्वीकरण (Deglobalization):** राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद आर्थिक अंतर-निर्भरता को कम करते हैं।
  - उदाहरण के लिए-
    - अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध।
    - यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM)[10] **भारत द्वारा यूरोपीय संघ को किए जाने वाले निर्यात को महंगा** कर देगा।
- **अन्य चुनौतियां:** प्रतिस्पर्धी **वैश्विक शक्तियों (अमेरिका और चीन)** के साथ संबंधों को संतुलित करना; जमीनी स्तर पर कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाना; लंबे समय से चले आ रहे **सीमा विवादों का समाधान करना; क्षेत्रीय तनावों का प्रबंधन करना;** आदि।

---

[7] International Solar Alliance

[8] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

[9] Loss & Damage Fund

[10] Carbon Border Adjustment Mechanism

**निष्कर्ष**

जैसे-जैसे नई विश्व व्यवस्था उभर रही है, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंधों, व्यवहारों और सिद्धांतों की नई परिभाषा जन्म ले रही है। इसलिए भारत को निष्पक्ष, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार वैश्विक नियमों एवं संस्थानों के निर्माण का नेतृत्व करके अपने बहुध्रुवीय विजन को कार्रवाई में बदलने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

**विश्व व्यवस्था** के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

**वीकली फोकस #90**– विश्व व्यवस्था: उदय और संभावित पतन

## 2.2. अंतर्मुखी विकास रणनीतियां (Inward-Looking Development Strategies)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

संयुक्त राज्य अमेरिका ने **"पारस्परिक प्रशुल्क (Reciprocal Tariff)"** योजना की शुरुआत की। इसके तहत अमेरिका ने **सभी आयातों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ यानी प्रशुल्क** लगाया है और अमेरिका के साथ **व्यापार अधिशेष वाले देशों पर उच्च टैरिफ लगाने की योजना** बनाई है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- यह कदम पहले की **बहिर्मुखी (Outward oriented) नीतियों से हटकर अंतर्मुखी (Inward) विकास रणनीतियों की ओर बदलाव का संकेत** देता है।
- यह **डी-ग्लोबलाइजेशन** की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है और इसे विशेष रूप से **अमेरिका एवं चीन** के बीच चल रहे **व्यापार युद्धों** के पीछे एक प्रमुख कारक के रूप में देखा जा रहा है।
- **अंतर्मुखी विकास रणनीतियों के अन्य प्रमुख उदाहरण:**
    - **चीन** द्वारा रणनीतिक आधार पर **जर्मेनियम** जैसे दुर्लभ भू-धातुओं पर लगाया गया **निर्यात नियंत्रण।**
    - **भारत की रणनीतियां,** जैसे- मेक इन इंडिया, उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आदि।

**अंतर्मुखी विकास रणनीतियां**

- **परिभाषा:** अंतर्मुखी विकास रणनीति का फोकस **स्वदेशी कच्चे माल और घरेलू बाजार की आवश्यकताओं पर आधारित उत्पादन** पर होता है।। यह रणनीति **स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने और बाहरी निर्भरता को कम करने वाली नीतियों के माध्यम से घरेलू आर्थिक विकास को प्राथमिकता** देती है।
    - ये ऐसी नीतियां होती हैं जिनमें देश घरेलू संसाधनों पर आधारित होकर तथा विदेशी व्यापार, निवेश और तकनीकी निर्भरता को कम कर घरेलू उत्पादन, आत्मनिर्भरता, और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देती है।

- **उत्पत्ति:** विविध देशों ने ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग समय अवधि में इन रणनीतियों को अपनाया है। **उदाहरण के लिए-**
    - **प्रथम विश्व युद्ध एवं आर्थिक महामंदी** के बाद, लैटिन अमेरिका के देशों ने **आर्थिक संकटों** से निपटने के लिए अंतर्मुखी विकास रणनीति की ओर रुख किया था। ये आर्थिक संकट 19वीं शताब्दी में शुरू हुए **मुक्त व्यापार के कारण उत्पन्न** हुए थे।
    - **स्वतंत्रता के बाद,** औपनिवेशिक शोषण के अनुभव और आर्थिक स्वायत्तता की इच्छा से, **भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत संरक्षणवादी रुख अपनाया था।**

**अंतर्मुखी विकास रणनीतियों के प्रमुख उद्देश्य और पद्धतियां क्या हैं?**

| उद्देश्य | पद्धतियां |
|---|---|
| राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता | • देश **कोविड-19 या भू-राजनीतिक संघर्ष जैसे संकटों** के दौरान **आपूर्ति में आने वाली बाधाओं से बचने और वैश्विक बाजारों पर निर्भरता को कम** करने हेतु अर्थव्यवस्था के **प्रमुख क्षेत्रकों** (जैसे- सेमीकंडक्टर, फार्मा, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि) **में घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विकसित करते** हैं। उदाहरण के लिए-<br>○ **संयुक्त राज्य अमेरिका का CHIPS अधिनियम**[11] घरेलू सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है।<br>○ **जापान** के **आर्थिक सुरक्षा संवर्धन अधिनियम**[12] **(2022)** का उद्देश्य महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। |

---
[11] Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act

[12] Economic Security Promotion Act

| | |
|---|---|
| **आर्थिक संप्रभुता को पुनः प्राप्त करना** | • **वैश्विक व्यापार नियम और WTO व IMF जैसी संस्थाएं** अक्सर अमीर देशों का पक्ष लेते हैं। इससे विकासशील देशों का उनकी अपनी ही अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण सीमित हो जाता है। ऐसे में अंतर्मुखी रणनीतियां विकासशील देशों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती हैं। **उदाहरण के लिए-**<br>○ स्थानीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए **भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान** (20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज)।<br>○ **चीन की दोहरी सर्कुलेशन नीति** घरेलू उपभोग को बढ़ावा देती है, जबकि सीमित तौर पर बाहरी जुड़ाव भी बनाए रखती है। |
| **घरेलू विनिर्माण से संबंधित रोजगार को पुनर्जीवित करना और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना** | • **वैश्वीकरण** ने विनिर्माण क्षेत्रक से जुड़ी कई नौकरियों को **कम श्रम लागत** वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया है। अंतर्मुखी नीतियां आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती हैं, जिससे रोजगार सृजन होता है। **उदाहरण के लिए-**<br>○ **रक्षा मंत्रालय** ने रक्षा क्षेत्रक में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए **5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां** जारी की हैं। इनके तहत कुछ निर्धारित वस्तुओं को केवल भारतीय उद्योगों से ही प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।<br>○ **जर्मनी की राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीति 2030** में घरेलू विकास और संरक्षण के लिए दस रणनीतिक क्षेत्रकों को विशेष रूप से लक्षित किया गया है। |
| **व्यापार असंतुलन का समाधान करना** | • राष्ट्र अक्सर आर्थिक और तकनीकी रूप से उन्नत प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ अपने उद्योगों को **समान अवसर** उपलब्ध कराने के लिए **टैरिफ एवं गैर-टैरिफ बाधाओं** को लागू करते हैं।<br>○ उदाहरण के लिए- **भारत सरकार ने रक्षा बजट का 75% हिस्सा घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए आरक्षित** कर रखा है। |

**अंतर्मुखी विकास रणनीतियों के संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं?**

- **उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि:** टैरिफ और आयात प्रतिबंध जैसी संरक्षणवादी नीतियों के कारण अक्सर **उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और प्रतिस्पर्धा में कमी** आती है।
  - यह लागत अंततः उपभोक्ताओं पर आरोपित कर दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू बाजारों में कीमतें बढ़ जाती हैं और उत्पादों के विकल्प सीमित हो जाते हैं।
- **दक्षता में कमी:** उत्पादन को वापस अपने देश **(रीशोरिंग)** या सहयोगी देशों **(फ्रेंडशोरिंग)** में ले जाने का उद्देश्य भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निर्भरता को कम करना है, लेकिन इससे **अवसंरचना का दोहराव होता है और दक्षता में कमी** आती है।
  - यह बदलाव महंगा हो सकता है और इससे हमेशा लचीलेपन या रोजगार सृजन में अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विखंडन:** इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे जटिल व बहु-देशीय इनपुट पर निर्भर उद्योगों को कमजोर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण देरी, उच्च लागत और नवाचार में कमी का सामना करना पड़ता है।
- **व्यापार तनाव और व्यापार युद्धों में वृद्धि:** संरक्षणवादी रणनीतियां अक्सर व्यापार भागीदारों से जवाबी कार्रवाई को बढ़ावा देती हैं, जो व्यापार युद्धों में बदल जाती हैं।
- **व्यापार गुटों और द्विपक्षीयता का उदय:** जैसे-जैसे बहुपक्षवाद कमजोर होता जा रहा है, विश्व के अलग-अलग देश तेजी से क्षेत्रीय व्यापार गुटों और द्विपक्षीय समझौतों की ओर रुख कर रहे हैं।
  - यह खंडित व्यापार परिवेश लघु या विकासशील देशों को बाहर कर सकता है और वैश्विक व्यापार मानदंडों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है।

**निष्कर्ष**

अंतर्मुखी-रणनीतियां **कमजोर उद्योगों की रक्षा और आर्थिक संप्रभुता सुनिश्चित** कर सकती हैं, किंतु वे उपभोक्ताओं के लिए **आर्थिक दक्षता में कमी एवं उच्च कीमतों** का कारण भी बन सकती हैं। अंतर्मुखी रणनीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए आमतौर पर घरेलू उत्पादक क्षमता, तकनीकी क्षमताओं और मानव पूंजी विकास को बढ़ाने हेतु **पूरक नीतियों** की आवश्यकता होती है। बेहतर परिणाम के लिए अक्सर पूरी अर्थव्यवस्था को अलग रखने के बजाय रणनीतिक क्षेत्रों में ही **चयनात्मक संरक्षणवाद** अपनाया जाता है।

## 2.3. सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty: IWT)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में हुए **पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ की गई 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को तत्काल प्रभाव से निलंबित** कर दिया। इस फैसले पर तब तक कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय तौर पर सीमा-पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता।

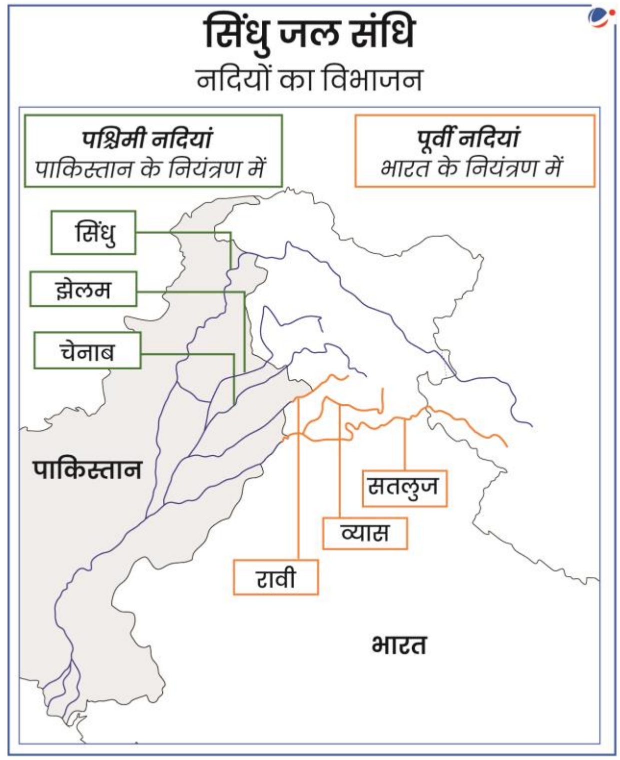


**अन्य संबंधित तथ्य**

- **'निलंबन'** शब्द अस्थायी निष्क्रियता या स्थगन की स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, यह अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के तहत **कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अवधारणा नहीं** है।
- न तो **सिंधु जल संधि (IWT)** और न ही **वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज (VLCT), 1969** किसी संधि के दायित्वों को रोकने या स्थगित करने के लिए 'निलंबन' को एक वैध आधार के रूप में स्वीकार करता है।
  - **वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज (VCLT)** संधियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो राष्ट्रों के बीच होने वाली संधियों से जुड़े सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। यह उन प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को विधिवत रूप देता है जो सरकारों के बीच समझौतों के गठन, व्याख्या और क्रियान्वयन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए, इसे आमतौर पर **"संधियों पर संधि (Treaty on Treaties)"** के रूप में जाना जाता है।
- IWT में **एकतरफा निलंबन** की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है।
  - **IWT के अनुच्छेद XII(4)** में कहा गया है कि यह संधि तब तक प्रभावी बनी रहेगी जब तक कि इसे किसी विधिवत अनुमोदित नई संधि के माध्यम से औपचारिक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता।

**सिंधु जल संधि (IWT) के बारे में**

- **उत्पत्ति:** सिंधु जल संधि पर **1960 में भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर** किए थे। इस संधि पर **विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता** की गई थी।
- **उद्देश्य:** सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का **भारत व पाकिस्तान के बीच वितरण** सुनिश्चित करना।
- **नदी जल के बंटवारे के प्रावधान:**
  - **पूर्वी नदियां (रावी, ब्यास और सतलुज): भारत** इन नदियों का समस्त जल बिना किसी रोक-टोक के उपयोग कर सकता है।
  - **पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम और चिनाब):** इन नदियों का जल **पाकिस्तान** को आवंटित किया गया है। हालांकि, भारत को विशिष्ट गैर-उपभोग उद्देश्य से कुछ सीमित गतिविधियों की अनुमति प्राप्त है, जैसे- नौवहन, बाढ़ सुरक्षा या बाढ़ नियंत्रण, घरेलू उपयोग, कृषि उपयोग, जल-विद्युत उत्पादन से संबंधित गतिविधियां, आदि।
  - संधि के **अनुच्छेद III(1) के अनुसार,** "भारत पर यह दायित्व है कि वह पश्चिमी नदियों के जल के प्रवाह को पाकिस्तान में बहने देने के लिए बाध्य है।"
- **डेटा का आदान-प्रदान:** संधि के तहत जल प्रवाह और उपयोग के संबंध में दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है।

- **विवाद समाधान:** IWT **3-चरणीय विवाद समाधान तंत्र** प्रदान करता है, अर्थात्:
  - **चरण 1: स्थायी सिंधु आयोग (PIC)**[13]**:** यदि संधि की व्याख्या या इसके उल्लंघन से संबंधित कोई संदेह या विवाद हो, तो इसे हल करने की **पहली जिम्मेदारी PIC (यानी सिंधु आयुक्तों) की होती है।**
    - संधि के संचालन से जुड़े संवाद के लिए दोनों देश से एक-एक आयुक्त के साथ एक PIC की नियुक्ति करने की आवश्यकता थी।
    - PIC को नियमित रूप से **वर्ष में कम-से-कम एक बार,** बारी-बारी से भारत और पाकिस्तान में **बैठक करना आवश्यक** है।
  - **चरण 2: तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert):** यदि PIC में किसी तकनीकी विवाद पर सहमति नहीं बन पाती है तब मामला **तटस्थ विशेषज्ञ** के पास भेजा जाता है। इसका निर्णय बाध्यकारी होता है।
    - तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति विश्व बैंक द्वारा की जाती है।
  - **चरण 3: मध्यस्थता न्यायालय (CoA)**[14]**:** यदि कोई तटस्थ विशेषज्ञ विफल रहता है, तो विवाद CoA के पास जाता है। यह आम तौर पर सात सदस्यों वाला अस्थायी मध्यस्थता अधिकरण होता है, जो अपनी प्रक्रियाओं एवं निर्णयों का निर्धारण **बहुमत** से करता है।

| **सिंधु जल संधि के निलंबन के संभावित प्रभाव** | |
|---|---|
| **भारत के लिए** | **पाकिस्तान के लिए** |
| • **एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय पक्षकार के रूप में विश्वसनीयता:** एकतरफा तौर पर IWT का उल्लंघन करना, इस संधि के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। इससे एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय पक्षकार के रूप में भारत की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है।<br>• **पारिस्थितिक असंतुलन:** नई अवसंरचना परियोजनाओं से जैव विविधता-समृद्ध और भूकंपीय रूप से संवेदनशील सिंधु बेसिन में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।<br>• **जल संसाधनों का शस्त्रीकरण:** ब्रह्मपुत्र के संबंध में चीन द्वारा भी यही रणनीति अपनाई जा सकती है। | • **खाद्य असुरक्षा:** विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंधु नदी तंत्र पाकिस्तान की 80% से अधिक खाद्य फसलों की सिंचाई करता है। जल की आपूर्ति में व्यवधान से गंभीर खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है।<br>• **अर्थव्यवस्था:** गेहूं, धान और कपास की खेती मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है। ये पाकिस्तान के प्रमुख निर्यात उत्पाद भी हैं। इनसे 2022 में 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे। जल की कमी से निर्यात और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।<br>• **बिजली और जल की कमी:** पाकिस्तान की एक तिहाई बिजली जलविद्युत से आती है और पाकिस्तान पहले से ही जल की कमी से ग्रस्त देश है। संधि के निलंबन से बिजली उत्पादन एवं जल उपलब्धता की समस्या और बढ़ सकती है। |

**IWT से संबंधित अन्य मुद्दे**

- **भारतीय बांधों पर पाकिस्तान की आपत्तियां:** किशनगंगा (झेलम) और रतले (चेनाब) बांधों पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है।
- **विवाद समाधान-तंत्र का पालन न करना:** भारत की किशनगंगा जलविद्युत परियोजना पर पाकिस्तान ने तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र को दरकिनार करते हुए सीधे **हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA)** में मामले को ले गया था।
  - यह संधि के विवाद समाधान तंत्र का उल्लंघन करता है, जिसमें तकनीकी मध्यस्थता से कानूनी मध्यस्थता तक की क्रमिक कार्यवाही अनिवार्य है।
- **जैव विविधता पर प्रभाव:** शाहपुरकंडी (रावी) और उझ (रावी) परियोजनाएं रावी के प्रवाह को बदल सकती हैं। इससे सिंधु नदी डॉल्फिन और उनका पर्यावास प्रभावित हो सकते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, 2021 में भारत की जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिंधु नदी पर जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ IWT पर पुनः चर्चा करने की सिफारिश की थी।
- **राज्य-प्रायोजित आतंकवाद:** 2016 में, कश्मीर में एक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने चेतावनी दी थी कि "पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते"।
- **संधि में योजना के अनुसार नियमित डेटा साझाकरण नहीं:** नदी बेसिन की गतिशीलता को समग्रता से समझने के लिए जल प्रवाह संबंधी डेटा साझाकरण महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है।

---

[13] Permanent Indus Commission

[14] Court of Arbitration

**अंतर्राष्ट्रीय जल साझाकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत**

- **हेलसिंकी नियम, 1966:** इसे इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन द्वारा अपनाया गया है। यह **राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली नदियों और उनसे जुड़े जल के उपयोग** को नियंत्रित करता है।
- **हेलसिंकी कन्वेंशन, 1992:** यह **सीमा-पार जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी ढांचा** प्रदान करता है।
- **यू.एन. कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन-नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटरकोर्स, 1997:** इसे **यू.एन. वाटरकोर्स कन्वेंशन** के रूप में भी जाना जाता है। यह एक **लचीला और व्यापक वैश्विक कानूनी ढांचा** है, जो सीमा-पार जल स्रोतों के **उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण** के लिए बुनियादी मानक एवं नियम तय करता है।
  - **भारत, चीन और पाकिस्तान** ने इस पर हस्ताक्षर **नहीं** किए हैं।

**निष्कर्ष**

भारत द्वारा 'निलंबन' शब्द का प्रयोग अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को अस्वीकार करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि, यह एक रणनीतिक संकेत है कि संधियों को व्यावहारिक राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लचीला और प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। ये संधियां तभी टिकाऊ रह सकती हैं जब सभी पक्ष अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें और भारत के राष्ट्रीय हितों को कोई क्षति न पहुंचे।

## 2.3.1. शिमला समझौता (Simla Agreement)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह **शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों में अपनी भागीदारी को 'निलंबित'** रखेगा।

**शिमला समझौता**

- **पृष्ठभूमि:** भारत-पाकिस्तान ने **1971 के युद्ध के बाद शांति उपाय के रूप में इस समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर** किए थे।
  - 1971 के युद्ध के परिणामस्वरूप **पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण** हुआ।
- **शिमला समझौते के मुख्य प्रावधान:**
  - **संबंधों का सामान्यीकरण:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत और उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को विनियमित करेंगे।
    - इस समझौते में **संचार, व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आम लोगों के बीच संपर्क को फिर से स्थापित करने** के लिए उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
    - इसने युद्धबंदियों और संघर्ष के दौरान हिरासत में लिए गए नागरिकों की स्वदेश वापसी को भी सुगम बनाया, जो एक मानवीय कदम था।
- **द्विपक्षीय समाधान:** सभी विवादों का समाधान आपसी सहमति से शांतिपूर्ण माध्यमों के जरिए करना, जैसे- द्विपक्षीय वार्ता या किसी अन्य शांतिपूर्ण तरीके से।
- **जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना:** युद्ध के बाद **17 दिसंबर 1971** को जम्मू और कश्मीर में जो संघर्ष विराम रेखा थी, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) मान लिया गया।
- **संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान:** दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प लिया।
- **भविष्य की बैठकों के लिए प्रावधान:** शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने और अनसुलझे मुद्दों का समाधान करने के लिए शासनाध्यक्षों के बीच बैठकों का प्रावधान किया गया।

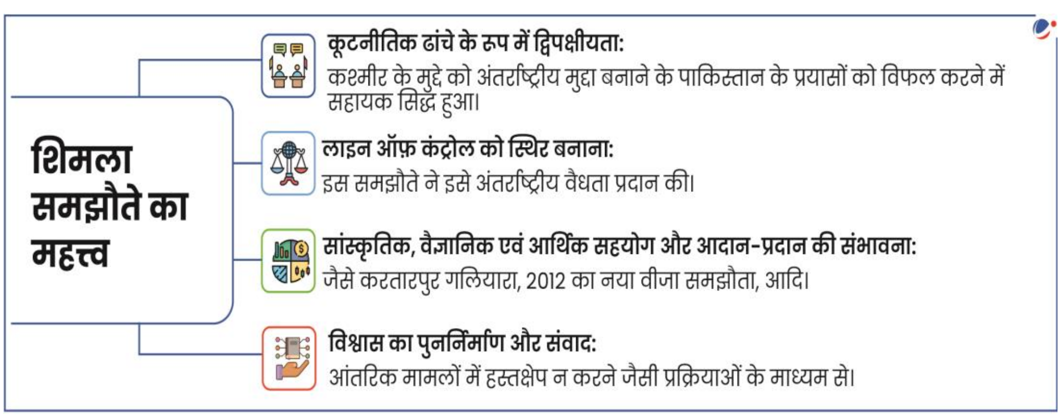


**शिमला समझौते के निलंबन के प्रभाव**

- **सांकेतिक और राजनयिक प्रभाव:** पाकिस्तान द्वारा निलंबन मुख्य रूप से सांकेतिक है, क्योंकि बार-बार उल्लंघन के कारण इस समझौते की व्यावहारिक प्रासंगिकता कम हो गई है।

- इस समझौते के तहत परिकल्पित द्विपक्षीय वार्ता तंत्र निष्क्रिय ही रहा है, और 2019 के पुलवामा हमले जैसी बड़ी घटनाओं के बाद उच्च-स्तरीय वार्ता निलंबित कर दी गई है।

- **LoC के लिए सामरिक निहितार्थ:** पाकिस्तान द्वारा LoC को वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता न देने से यथास्थिति को बदलने के प्रयास हो सकते हैं, जैसा कि कारगिल युद्ध में देखा गया था।
  - हालांकि, भारत की सैन्य तत्परता तत्काल सामरिक परिणामों से निपटने में सक्षम है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** इस समझौते का निलंबन क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर कर सकता है, विशेष रूप से परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के संदर्भ में।
  - यह राजनयिक और सैन्य तनाव को बढ़ा सकता है, जिससे वार्ता की संभावना विफल हो सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** पाकिस्तान का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना का अवसर प्रदान कर सकता है। इससे पाकिस्तान की अविश्वसनीयता संबंधी भारत के आरोपों को बल मिल सकता है।
- **भारत के लिए सामरिक लाभ:** यह निलंबन विरोधाभासी रूप से राजनयिक बाधाओं को दूर करके भारत को लाभ पहुंचाता है।
  - भारत **सीमा-पार आतंकवाद** के खिलाफ अधिक कठोर रुख अपना सकता है, **पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) पर अपने दावों पर नए सिरे से फैसला ले सकता है,** और पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज कर सकता है।
  - इस समझौते के अभाव में भारत अन्य द्विपक्षीय संधियों, जैसे- वीजा व्यवस्था और व्यापार समझौतों का भी पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। इससे विभिन्न द्विपक्षीय संधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप बनाया जा सकेगा।

**भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य महत्वपूर्ण समझौते:**

- **नेहरू-लियाकत समझौता:** 1950 में हस्ताक्षरित यह समझौता अपने-अपने देशों में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार से संबंधित है।
- **सिंधु जल संधि 1960:** यह सिंधु नदी तंत्र के जल के उपयोग और वितरण से संबंधित है।
- **धार्मिक तीर्थस्थलों की यात्राओं पर द्विपक्षीय प्रोटोकॉल:** इस पर 1974 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह पाकिस्तान में 15 मंदिरों और गुरुद्वारों हेतु सैकड़ों हिंदू एवं सिख तीर्थयात्रियों के साथ-साथ भारत में भी पांच मस्जिदों व दरगाहों हेतु मुस्लिम तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करता है।
- **भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौता 1988:** दोनों देश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को एक-दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में सूचित करेंगे।
- **हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रोकथाम और सैन्य विमानों द्वारा ओवरफ्लाइट एवं लैंडिंग की अनुमति पर समझौता 1991:** एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन से बचने और सहयोग से संबंधित है।
- **बैलिस्टिक मिसाइलों के उड़ान परीक्षण की पूर्व-सूचना पर समझौता, 2005:** इस समझौते के तहत किसी भी भूमि या समुद्र से प्रक्षेपित तथा सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के उड़ान परीक्षण की अग्रिम सूचना देनी होगी।
- **करतारपुर गलियारा समझौता 2019:** यह भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए पाकिस्तान में अवस्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की वीजा-मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है।

**निष्कर्ष**

शिमला समझौते में भारत-पाकिस्तान संबंधों को फिर से स्थापित करने की क्षमता है, क्योंकि इसके द्विपक्षवाद और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों ने स्थिरता के लिए एक ढांचा प्रदान किया था। आगे बढ़ते हुए, दोनों राष्ट्र ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करने और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए शिमला समझौते की भावना का सहारा ले सकते हैं।

## 2.4. भारत-चीन संबंधों के 75 वर्ष (75 Years of India-China Relations)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर चीन के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच **"ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो"** जैसे संबंधों का उल्लेख किया। यह दोनों देशों के बीच सामंजस्यपूर्ण साझेदारी का प्रतीक है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **"ड्रैगन-एलिफेंट टैंगो"** शब्दावली वास्तव में **रूपकात्मक कहावत है,** जिसका उपयोग **चीन और भारत** के बीच **शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों** के विजन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
- **ड्रैगन चीन** का प्रतिनिधित्व करता है, जो चीनी पौराणिक कथाओं का एक प्रतीक है। वहीं **एलीफेंट (हाथी) भारत** का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत में शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है।
- **टैंगो** (एक प्रकार की नृत्य शैली) **समन्वय, सद्भाव और आपसी समझ** का प्रतीक है।

**शांतिपूर्ण भारत-चीन संबंधों का महत्व**

- **क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए:** शांतिपूर्ण संबंध विवादित सीमा पर टकराव की आशंका को कम करता है और इससे दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
  - तनाव कम करने से दोनों देश अपने संसाधनों को सैन्य क्षेत्र में खर्च करने की बजाय **सामाजिक-आर्थिक विकास** और अन्य प्रमुख घरेलू प्राथमिकताओं में लगा सकते हैं।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि और शांति:** स्थिर भारत-चीन संबंध हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक तनाव को कम करके और सहयोगात्मक विकास को बढ़ावा देकर समृद्धि और शांति सुनिश्चित कर सकता है।
- **व्यापार और निवेश:** स्थिर संबंध द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देता है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के प्रायः सभी क्षेत्रकों को लाभ होता है।
  - उदाहरण के लिए, चीन भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए **सक्रिय फार्मास्युटिकल घटकों (APIs)**[15] का मुख्य स्रोत है। साथ ही वह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बड़ा निवेशक भी है।
- **भारत के लिए क्रिटिकल संसाधनों का स्रोत:** चीन दुर्लभ भू-धातुओं (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) के उत्पादन में अग्रणी है, जो नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए आवश्यक है। दोनों देशों के बीच स्थिर संबंध भारत की इन अति महत्वपूर्ण यानी क्रिटिकल संसाधनों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
  - भारत **नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों** को प्राप्त करने के लिए सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल के लिए भी चीन पर निर्भर है।
- **वैश्विक प्रभाव:** भारत और चीन एशिया की प्रमुख शक्तियां हैं। उनके बीच स्थिर संबंध होने पर वे ग्लोबल गवर्नेंस में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO)[16] जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी उनके प्रभाव को बढ़ाते हैं।
  - भारत और चीन के बीच सहयोग अंतर्राष्ट्रीय मामलों में **पाश्चात्य देशों के प्रभावों को कम** कर सकता है। इससे विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए दबाव बनाया जा सकता है।
- **वैश्विक चुनौतियों का सामना करना:** भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण संबंध **जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा** जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त कार्रवाई को भी बढ़ावा मिलेगा।

**भारत-चीन संबंधों में मुख्य चिंताएं/ समस्याएं**

- **सीमा-निर्धारण स्पष्ट नहीं होना:** भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)[17] पर आपसी सहमति की कमी के कारण कई बार सैन्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
  - इनके कुछ उदाहरण हैं; **डोकलाम गतिरोध (2017)**, **गलवान घाटी संघर्ष (2020)**।
- **व्यापार असंतुलन:** वर्ष 2022-23 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 83.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो **2023-24 में** बढ़कर **85 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया। भारत सेमीकंडक्टर, फार्मास्युटिकल API आदि के लिए चीन पर निर्भर है।

---

[15] Active Pharmaceutical Ingredients

[16] Shanghai Cooperation Organization

[17] Line of Actual Control

- वर्तमान में, चीन भारत का **सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है, और वर्ष 2023-2024 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

- **चीन-पाकिस्तान गठजोड़:** भारत पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) से गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC)[18] को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता है।
- **चीन की आक्रामकता:** चीन विशेष रूप से दक्षिण एशिया में **स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स** जैसी रणनीतियों के माध्यम से मालदीव, श्रीलंका जैसे भारत के पड़ोसी देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। साथ ही, दक्षिण चीन सागर में उसकी सैन्य और क्षेत्रीय दावेदारी से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है।
  - इस बीच, भारत **क्वाड (भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम के माध्यम से समान विचारधारा वाले देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। इसे चीन की आक्रामकता के रणनीतिक प्रतिसंतुलन के रूप में देखा जा रहा है।
- **जल शक्ति:** चीन का भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से बहने वाली नदियों पर नियंत्रण है। चीन ने अपने क्षेत्र में **जांगमू , दागू, जिएक्सू और जियाचा बांध** जैसी कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इससे वह जल को **भू-रणनीतिक हथियार** के रूप में भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।

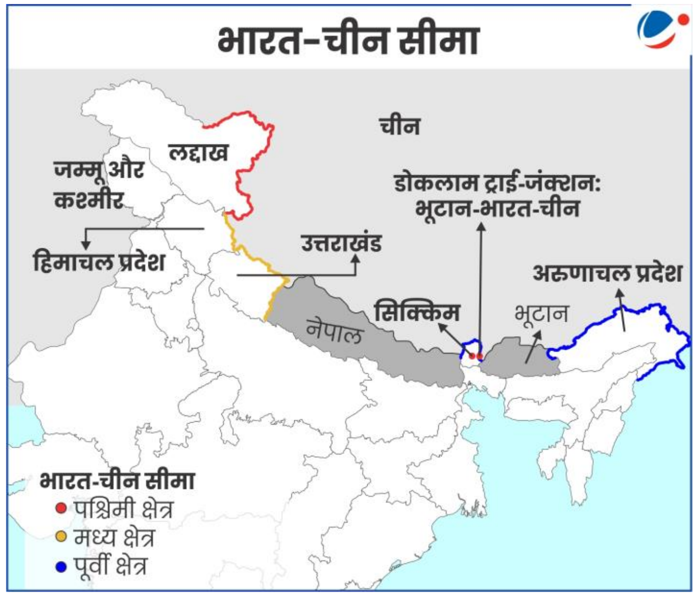


**आगे की राह**

- **राजनयिक संवाद बनाए रखना:** ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन जैसे द्विपक्षीय या क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से संवाद के खुले चैनल बनाए रखने चाहिए।
  - दोनों देश **ब्रिक्स, SCO, G20 और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)** के सदस्य हैं।
- **एक-दूसरे का सम्मान करना और आपसी समझ के आधार पर संबंध बनाना:** दोनों देशों को एक-दूसरे का सम्मान करके, एक-दूसरे की संवेदनशीलता का ध्यान रखकर और आपसी हित के त्रिस्तरीय सूत्र के आधार पर संबंधों के फिर से मजबूत करने वाले "स्थायी आधार" की आवश्यकता है।
- **रणनीतिक संतुलन:** भारत को अनावश्यक तनाव से बचते हुए तथा अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए **सामरिक सतर्कता और संपर्क** के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
- **जल संसाधन प्रबंधन:** दोनों देशों में बहने वाली नदियों के लिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर सहयोग बढ़ाना चाहिए  तथा संभावित संघर्षों को कम करने हेतु संयुक्त प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- **विश्वास निर्माण उपाय (CBMs)[19]:** केवल सैन्य स्तरीय वार्ताओं तक सीमित न रहकर, सीमा क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी CBMs का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

**निष्कर्ष**

भारत के विदेश मंत्री **डॉ. एस. जयशंकर** ने अपनी पुस्तक **'द इंडिया वे: स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड'** में तर्क दिया है कि चीन से निपटना यथार्थवाद (realism), चपलता (agility) और रणनीतिक स्पष्टता (strategic clarity) का विषय है। इस संदर्भ में, भारत के लिए यह उचित होगा कि वह संतुलित रणनीति अपनाए - जहाँ सतर्कता और संपर्क, दोनों का संतुलन हो। **साथ ही, वैश्विक साझेदारी का लाभ उठाने** और **बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में प्रॉक्सी बने बिना अपने राष्ट्रीय हितों को सशक्त रूप से प्रस्तुत करना चाहिए**। इस अनिश्चितता भरे विश्व में, चीन से निपटना केवल समस्या के अंतिम समाधान तक पहुँचने के बारे में नहीं है, बल्कि **ताकत, कूटनीति और दूरदर्शिता के माध्यम से उसके साथ संतुलन बनाए रखने के बारे में है -** जो एक परिपक्व वैश्विक शक्ति की पहचान है।

---

[18] China-Pakistan Economic Corridor

[19] Confidence Building Measures

**स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति**

- **स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स** एक भू-राजनीतिक और रणनीतिक फ्रेमवर्क है। इसके अंतर्गत चीन **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)**[20] में **वाणिज्यिक और सैन्य ठिकानों** (जिन्हें "मोती" कहा जाता है) का एक नेटवर्क विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य अपने **ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा** करना और **क्षेत्र में अपने प्रभाव** का विस्तार करना है।
- **बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का नेटवर्क:** चीन ने पाकिस्तान (ग्वादर), श्रीलंका (हंबनटोटा), बांग्लादेश (चटगांव) और म्यांमार (सितवे और कोको द्वीप) जैसे देशों में बंदरगाह सुविधाओं में निवेश किया है और उनका विकास किया है। **जिबूती में उसका एक सैन्य अड्डा** भी है।

**भारत की "हीरों का हार(Necklace of Diamonds)" रणनीति**

इस बहुआयामी अप्रोच में निम्नलिखित शामिल हैं -

- **नौसैनिक अड्डों का विकास और पहुंच सुनिश्चित करना:** उदाहरण के लिए, ईरान (चाबहार), ओमान, सिंगापुर (चांगी नौसैनिक अड्डा), आदि के विकास में भारत की भूमिका रही है।
- **क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करना: एक्ट ईस्ट नीति** अपनाई गई है। इसके अलावा आसियान, जापान और **ऑस्ट्रेलिया** के साथ संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। **क्वाड** और **हिंद-प्रशांत पहलों** के माध्यम से रणनीतिक भागीदारी बढ़ाई जा रही है।
- समुद्री क्षेत्र में सहयोग हेतु **सागर/ SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)** और **महासागर/ MAHASAGAR** रणनीतियों को अपनाया गया है।

## 2.5. चीन द्वारा दुर्लभ भू-धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण (China's Rare Earth Elements Export Control)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशुल्क/ टैरिफ बढ़ाने के जवाब में रक्षा, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रकों में उपयोग किए जाने वाले **सात दुर्लभ भू-धातुओं (REEs)[21] और मैग्नेट्स के निर्यात पर प्रतिबंध** लगा दिया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **नए प्रतिबंध 17 में से 7 दुर्लभ भू-धातुओं पर लगाए गए हैं:** अब कंपनियों को इन सात खनिजों और मैग्नेट्स के निर्यात के लिए विशेष निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- **नए प्रतिबंध वास्तव में पूर्ण प्रतिबंध (बैन) नहीं हैं:** इन दुर्लभ भू-धातुओं के निर्यात के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करना होगा।

**दुर्लभ भू-धातु (REEs) क्या हैं?**

- **दुर्लभ भू-धातु 'दुर्लभ' नहीं हैं:** यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, अधिकांश REE उतने दुर्लभ नहीं होते हैं जितना कि उनके नाम से प्रतीत होता है। ये तत्त्व पृथ्वी की भूपर्पटी (क्रस्ट) में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
  - हालांकि, ये आमतौर पर इतनी अधिक सांद्रता में नहीं पाए जाते हैं कि उनका **खनन आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सके।**
- **उन्हें "दुर्लभ भू-धातु" इसलिए कहा गया** क्योंकि उनमें से अधिकांश की पहचान 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान "भू-धातुओं" (अर्थ एलिमेंट्स) के रूप में की गई थी और, चूना या मैग्नेशिया जैसे अन्य "भ-धातुओं" की तुलना में ये अपेक्षाकृत दुर्लभ थे।
  - **भू-धातुओं** को ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिन्हें ऊष्मा के संपर्क में लाने के बाद भी और अधिक बदलाव नहीं लाया जा सकता है।
- **दुर्लभ भू-धातु (REEs):** 2005 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री (IUPAC) के अनुसार, REEs **17 धात्विक तत्वों का एक समूह** है।
  - इन तत्वों में **उच्च घनत्व और उच्च चालकता** जैसे समान गुण मौजूद हैं।

---

[20] Indian Ocean Region

[21] Rare Earth Elements

- 17 REEs हैं: सेरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), एर्बियम (Er), यूरोपियम (Eu), गैडोलीनियम (Gd), होल्मियम (Ho), लैंटानम (La), ल्यूटियम (Lu), नियोडिमियम (Nd), प्रेजोडियम (Pr), प्रोमेथियम (Pm), सैमरियम (Sm), स्कैंडियम (Sc), टेरबियम (Tb), थ्यूलियम I, यटरबियम (Yb), और यट्रियम (Y)।

- **स्रोत:** REEs के मुख्य स्रोत **बास्टनासाइट, लोपेराइट और मोनाजाइट** जैसी खनिजें हैं।

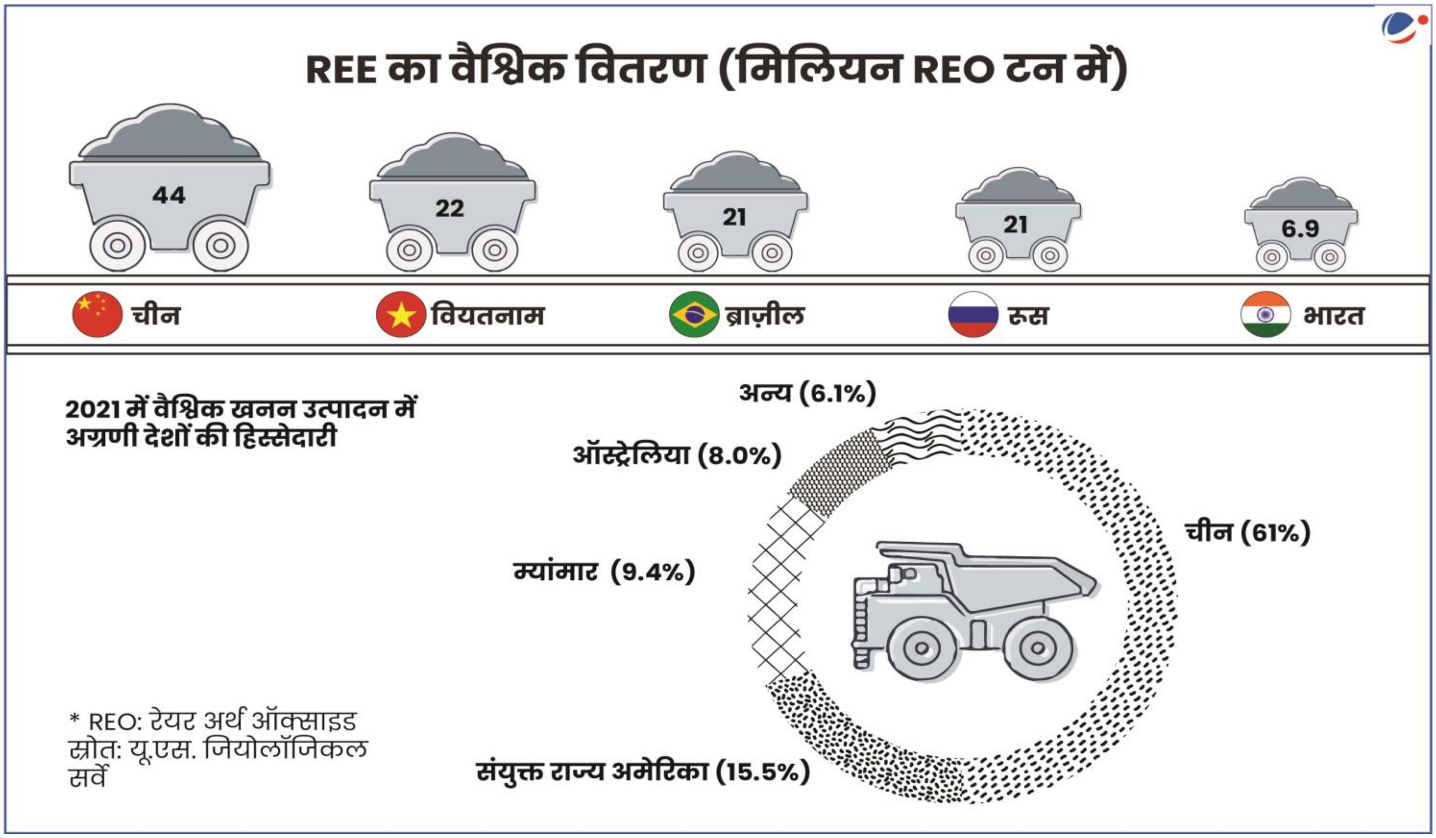


**दुर्लभ भू-धातु (REEs) के हालिया निर्यात नियंत्रण का भू-रणनीतिक महत्व**

- **टैरिफ युद्ध में बढ़त हासिल करना:** चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ (प्रतिशोधात्मक शुल्क/ पारस्परिक प्रशुल्क) के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में निर्यात पर नियंत्रण वाला कदम उठाया है। रेसिप्रोकल टैरिफ लगने से चीनी सामानों के निर्यात में गिरावट के कारण चीन के उद्योग को नुकसान हो सकता है।
- **क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों पर प्रभाव: यट्रियम और डिस्प्रोसियम** का व्यापक रूप से **जेट इंजन के पुर्जों**, रक्षा उपकरणों और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
  - आयात करने वाले देशों के लिए, उपर्युक्त तत्वों की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने से उद्योगों के विनिर्माण पर प्रभाव पड़ सकता है, उत्पादन की लागत बढ़ सकती है और तकनीकी इनोवेशन में देरी हो सकती है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** REEs की आपूर्ति में कमी के कारण **संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, वियतनाम, जर्मनी** जैसे देशों पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि ये REEs के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं।
- **REEs का सैन्यीकरण:** चीन ने पहली बार 2010 में "दुर्लभ भू-धातुओं को सौदेबाजी के हथियार" की तरह इस्तेमाल किया था। तब उसने **जापान के साथ फिशिंग ट्रॉलर विवाद के बाद REE का निर्यात बंद** कर दिया था।
  - 2023 और 2025 के बीच, चीन ने **गैलियम, जर्मेनियम सहित कई स्ट्रेटेजिक मैटेरियल्स** के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया।
- **भू-रणनीतिक विकल्प:** यदि चीन इसी तरह REEs के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला जारी रखता है तो विश्व के देश लंबे समय में **कई अन्य स्रोतों से इसे प्राप्त करने का विकल्प तलाशेंगे।** साथ ही, विनिर्माण की **री-शोरिंग और फ्रेंड-शोरिंग,** और रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है।

- **रीशोरिंग** का मतलब है **उत्पादन को अपने मूल देश में** वापस लाना, और **फ्रेंड-शोरिंग** का मतलब है साझा हित वाले देशों में विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- विश्व के कई देश REEs की आपूर्ति के लिए अफ्रीका (विशेष रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और मलावी), दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का रुख करने लगे हैं।

**REEs के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के वैश्विक प्रयास**

- **2019 में क्रिटिकल मिनरल्स मैपिंग इनिशिएटिव (CMMI) की शुरुआत:** REEs सहित क्रिटिकल मिनरल्स संसाधनों पर शोध करने के लिए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने शुरू की है।
- **क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की समिति:** इसे दुर्लभ भू-धातुओं जैसे क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स के उचित प्रबंधन के लिए उपाय करने और रोडमैप बनाने का कार्य सौंपा गया है।
- **मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP):** यह फोरम भारत सहित कई अन्य देशों के बीच एक साझेदारी है। यह उन खनिजों और धातुओं की आपूर्ति श्रृंखला पर सहयोग करती है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तथा रक्षा, ऊर्जा और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं।

**REEs के उत्पादन के लिए भारत में शुरू की गई पहलें**

- **नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) की शुरुआत**: इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024–25 में की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुरक्षित करना है।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023:** इस अधिनियम के तहत अब निजी कंपनियों को REEs सहित क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग:** जैसे कि **भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप** की शुरुआत, ऑस्ट्रेलियाई दुर्लभ भू-धातुओं (REEs) परियोजनाओं में सह-निवेश आदि।
- **खोज संबंधी प्रयास: परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्थान के बालोतरा में इन-सीटू रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑक्साइड (REO) का एक बड़ा भंडार** खोजा है।

**निष्कर्ष**

चीन पर दुर्लभ भू-धातुओं (REEs) की निर्भरता को कम करने के लिए विश्व के विभिन्न देश अपना-अपना रणनीतिक भंडार (स्ट्रेटेजिक रिज़र्व) स्थापित कर सकते हैं, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं, और अत्याधुनिक रिफाइनिंग प्रौद्योगिकियों में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा गहरे समुद्र में इन तत्वों की खोज के प्रयास बढ़ाए जा सकते हैं और द्वितीयक स्रोतों से भी इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह REEs की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। साथ ही खनिजों के खनन से संबंधित नियमों को सरल बनाना और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने से भी REE मूल्य श्रृंखला में तेजी से आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है।

## 2.6. भारत-श्रीलंका संबंध (India-Sri Lanka Relations)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

भारत के प्रधान मंत्री को श्रीलंका की दो दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान **श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "मित्र विभूषण"** से सम्मानित किया गया।

**प्रधान मंत्री की श्रीलंका यात्रा के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **रक्षा सहयोग:** भारत और श्रीलंका ने **रक्षा सहयोग पर एक व्यापक समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किए। इसके माध्यम से पहले के समझौतों को नए व्यवस्थित फ्रेमवर्क का रूप दिया गया है।
  - इसके अलावा, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह आश्वासन दिया कि श्रीलंका की **भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होने दिया** जाएगा। साथ ही, उन्होंने क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत की चिंताओं को भी दूर किया।
- **ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग:** भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त रूप से **त्रिंकोमाली में** एक **एनर्जी हब** विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाना:** दोनों देशों ने **डिजिटल प्रौद्योगिकी में अपनी सफलताओं को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए। ये वे डिजिटल प्रौद्योगिकियां हैं जिन्हें देश की संपूर्ण आबादी तक पहुंचाई गई है ताकि उन्हें डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जा सके।
  - भारत ने श्रीलंका की **यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी परियोजना** के लिए समर्थन की घोषणा की।
- **अनुदान सहायता:** भारत ने त्रिंकोमाली में **थिरु कोणेश्वरम मंदिर**, नुवारा एलिया में **सीता एलिया मंदिर** और अनुराधापुरा में **सेक्रेड सिटी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट** के विकास के लिए अनुदान सहायता की घोषणा की।
- **अन्य बिंदु:**
  - भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को अनुदान में बदलने पर सहमति व्यक्त की।
  - भारत ने श्रीलंका के **ईस्टर्न प्रोविंस** के लिए 2.4 बिलियन श्रीलंकाई रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की।
  - भारत ने व्यापक **क्षमता निर्माण कार्यक्रम** की भी घोषणा की है जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 700 श्रीलंकाई नागरिकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

**भारत-श्रीलंका संबंधों का महत्त्व**

**दोनों देशों के लिए महत्त्व:**

- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग:** ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए श्रीलंका के आवेदन का भारत ने समर्थन दिया है।
  - श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में साझा समुद्री सुरक्षा हित:** दोनों देशों ने पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए तथा एक स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग:** भारत और श्रीलंका के बीच कई परियोजनाएं चर्चा के अलग-अलग चरणों में हैं। उदाहरण के लिए, इंटर-ग्रिड कनेक्टिविटी की योजना, दोनों देशों के बीच मल्टी-प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन, LNG की आपूर्ति, और **संपूर पावर प्रोजेक्ट** जो अभी प्रारंभिक चरण में है।
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश **राष्ट्रमंडल समूह, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)** और **बिम्सटेक** के सदस्य हैं।
- **सैन्य क्षेत्र में सहयोग: दोनों देशों के बीच प्रतिवर्ष SLINEX (नौसेना अभ्यास) और मित्र शक्ति (थल सेना अभ्यास)** जैसे संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।
  - श्रीलंका **मिलन (MILAN) नामक** बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भी भाग लेता है, जिसकी मेजबानी भारतीय नौसेना करती है।

| श्रीलंका के लिए महत्त्व | भारत के लिए महत्त्व |
|---|---|
| • **वित्तीय सहायता:** भारत ने 2022 और 2023 में श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबरने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता के रूप में लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए।<br>○ भारत ने जाफना में **कांकेसंथुराई बंदरगाह** के जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। | • **हिंद महासागर की सुरक्षा:** श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। भारत की सुरक्षा व स्थिरता के लिए नुकसानदेह अन्य देशों की कार्रवाइयों को रोकने के मामले में श्रीलंका की अहम भूमिका है। |

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का बेलआउट पैकेज:** श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने में भारत IMF को वित्तीय आश्वासन प्रदान करने वाले पहले देशों में से एक था। 2023 में IMF द्वारा श्रीलंका के लिए 2.9 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज की मंजूरी के लिए यह आश्वासन एक शर्त थी।
- **आर्थिक महत्व:** भारत श्रीलंका का सबसे **बड़ा व्यापार साझेदार** और **श्रीलंका में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक** है। साथ ही, **श्रीलंका में सबसे** अधिक पर्यटक भारत से आते हैं।
- **मानवीय सहायता:** भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में श्रीलंका के लिए 'प्रथम मददगार (First responder)' की भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, **कोविड-19 महामारी** के दौरान, भारत ने श्रीलंका को 500,000 वैक्सीन की खुराक भेजी थी।
- **भारत की नीतियों के केंद्र में:** भारत की **'पड़ोस प्रथम'** नीति और **'महासागर (MAHASAGAR)[22]'** सिद्धांत में श्रीलंका का केंद्रीय स्थान है।
- **श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल (IOTs)[23]:** लगभग 1.6 मिलियन 'भारतीय मूल के तमिल', मुख्यतः श्रीलंका के चाय और रबर बागानों में कार्यरत हैं। साथ ही श्रीलंका के व्यावसायिक क्षेत्र में भी इनका अधिक योगदान है।

**भारत-श्रीलंका संबंधों में बाधाएं/ अड़चने**

- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** चीन श्रीलंका को आर्थिक सहायता दे रहा है तथा **हंबनटोटा बंदरगाह** जैसी परियोजनाओं में निवेश बढ़ा रहा है। इस तरह श्रीलंका में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे भारत के रणनीतिक हितों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।
  - चीनी जहाज (**शी यान-6, युआन वांग-5)** श्रीलंका के बंदरगाह पर डॉकिंग के बाद डेटा संग्रह जैसी गतिविधियां संचालित करते हैं। इन डेटा का उपयोग भविष्य में भारत के विरुद्ध सैन्य अभियानों में किया जा सकता है।
- **मछुआरों के बीच विवाद:** श्रीलंका भारतीय मछुआरों द्वारा बॉटम ट्रॉलर के उपयोग और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में बार-बार प्रवेश का विरोध करता रहा है। श्रीलंका का कहना है कि भारतीय मछुआरों की वजह से समुद्री पर्यावरण और श्रीलंकाई मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचता है।
  - इसके अलावा, **कच्चातिवु द्वीप** को लेकर भी दोनों देशों के बीच समय-समय पर क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस **द्वीप को 1974 में भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया था**, लेकिन भारतीय मछुआरे अब भी इस क्षेत्र में मछली मारने के अपने पारंपरिक अधिकार का दावा करते हैं।
- **तमिल नृजातीय मुद्दा:** श्रीलंका में **तमिल-सिंहल संघर्ष** लगभग समाप्त हो चुका है, हालांकि दोनों नृजातीय समूहों के बीच सुलह की प्रक्रिया धीमी रही है। इससे श्रीलंका के संविधान में **13वें संशोधन** को लागू करने में देरी हो रही है। इससे भारत की घरेलू राजनीति भी प्रभावित होती है।
  - यह संशोधन **इंडो-लंका समझौते (1987)** के तहत लाया गया था। श्रीलंका के सिंहली राष्ट्रवादी इसे थोपा हुआ मानते हैं जबकि **तमिल समुदाय अधिक स्वायत्तता चाहते हैं**।

**आगे की राह**

- **भारत की पाँच "S" की नीति:** भारत को **सम्मान** (Samman), **संवाद** (Samvad), **सहयोग** (Sahyog), **शांति** (Shanti); तथा **सार्वभौमिक समृद्धि** (Samriddhi) के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की नीति पर चलना चाहिए।
- **रचनात्मक सहयोग:** मछुआरों से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए एक **स्थायी द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र** स्थापित करना चाहिए। साथ ही, 13वें संशोधन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए नैतिकता का पालन (अनुनय) करने की अपील करनी चाहिए और विकास सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति:** दोनों देशों को बौद्ध सर्किट और रामायण ट्रेल के तहत धार्मिक पर्यटन को संयुक्त रूप से बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, श्रीलंका में अवसंरचना विकास हेतु सहायता देनी चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करनी चाहिए और प्रवासी भारतीय समुदाय की भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देशों को क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक एकीकरण जैसे मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। साथ ही, सहयोग बढ़ाने के लिए बिम्सटेक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे फ़ोरम्स का प्रभावी तरीके से उपयोग करना चाहिए।

**भारत की नेबरहुड पॉलिसी** के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

**वीकली फोकस #108**– भारत की नेबरहुड पॉलिसीः संभावनाएं और चुनौतियां

[22] क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र प्रगति/ Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions

[23] Indian Origin Tamils

## 2.7. भारत-सऊदी अरब संबंध (India-Saudi Arabia Relations)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर गए थे।

**प्रधान मंत्री की सऊदी अरब यात्रा के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **रणनीतिक भागीदारी परिषद (SPC)[24]:** द्वितीय भारत-सऊदी अरब **रणनीतिक भागीदारी परिषद** ने **रक्षा सहयोग तथा पर्यटन एवं सांस्कृतिक सहयोग पर दो नई मंत्रिस्तरीय समितियां गठित** कीं।
  - इस परिषद का गठन 2019 में किया गया था। भारत चौथा देश है जिसने सऊदी अरब के साथ ऐसी परिषद गठित की है। अन्य तीन देश हैं; यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन।
- **निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स (HLTF)[25]:** इसका उद्देश्य भारत में ऊर्जा, तकनीक, अवसंरचना और अन्य प्रमुख क्षेत्रकों में सऊदी अरब के **100 बिलियन डॉलर** के निवेश को तेजी से आगे बढ़ाना है।
  - इसके अलावा, दोनों पक्ष भारत में दो रिफाइनरियां स्थापित करने पर सहयोग करने पर भी सहमत हुए।
- **हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/ समझौते:** इनमें शामिल हैं; अंतरिक्ष (शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए), डोपिंग-रोधी शिक्षा और डोपिंग रोकथाम, स्वास्थ्य-देखभाल, आदि।

**भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व**

**दोनों देशों के लिए महत्त्व**

- **भारत-सऊदी अरब संबंध भारत की मध्य पूर्व नीति में बदलाव का परिचायक है:** पहले दोनों पक्षों के बीच संबंध विप्रेषण (रेमिटेंस) और **धार्मिक कूटनीति** तक ही सीमित था, लेकिन अब भारत ने निवेश, रणनीतिक वार्ता, संयुक्त रक्षा मंच आदि क्षेत्रकों में सबंधों को बढ़ावा देकर एक नए युग में प्रवेश किया है।
  - इसलिए, सऊदी अरब के साथ भारत का संबंध **कोई नया प्रयास या आउटरीच नहीं** है बल्कि यह पुराने **संबंधों को ही नया परिप्रेक्ष्य और व्यापक रूप देना** है।
  - उदाहरण के लिए, दोनों देशों के बीच की **"हाइड्रोकार्बन ऊर्जा साझेदारी"** को **"व्यापक ऊर्जा साझेदारी"** में बदल दिया गया है और इस साझेदारी में **नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और रणनीतिक भंडारों की स्थापना** को भी शामिल किया गया है।
- **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना:** भारत और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे।
  - बाद में **रियाद घोषणा-पत्र (2010)** के द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को **रणनीतिक साझेदारी** में बदल (अपग्रेड) दिया गया।
  - **द्विपक्षीय रक्षा संबंध:** दोनों देशों के बीच **अल-मोहद-अल हिंदी** (नौसैनिक अभ्यास), **सदा तनसीक** (थल सेना) जैसे संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।
- **दोनों देश क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और व्यापार गलियारे में साझेदार हैं:** इनके उदाहरण हैं; हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS)[26], कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स (CMF), एशिया में संवाद और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन (CICA)[27]।

---

[24] Strategic Partnership Council

[25] High Level Task Force on Investment

[26] Indian Ocean Naval Symposium

[27] Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia

**भारत के लिए महत्त्व**

- **सऊदी अरब कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है:** उदाहरण के लिए, 2023-24 में सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का **तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता स्रोत** बना रहा। साथ ही, वह 2023-24 में भारत में तीसरा सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता भी था।
- **मजबूत होती और निरंतर बढ़ती आर्थिक साझेदारी:** उदाहरण के लिए, 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार **लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया। इसके अलावा, वर्तमान में **सऊदी अरब भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है।
- **खलीजी कैपिटल और निवेश:** भारत का लक्ष्य अपनी आर्थिक संवृद्धि के लिए सऊदी अरब के **खलीजी कैपिटल** (सॉवरिन वेल्थ फंड) का लाभ उठाना है।
  - उदाहरण के लिए, **सऊदी अरब ने अब तक** भारत में **लगभग 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश** किया है। साथ ही, 2019 में उसने **100 बिलियन अमरीकी डॉलर का अतिरिक्त निवेश** करने की योजना की घोषणा की थी।

**क्या आप जानते हैं?**

> सऊदी अरब में इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल- **मक्का में अल-हरम मस्जिद और मदीना में पैगंबर की मस्जिद** स्थित है। इनकी उपस्थिति सऊदी अरब को मुस्लिम जगत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है।

- **लोगों के बीच आपसी और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना:**
  - **विप्रेषण (रेमिटेंस):** 2024 में, भारत को प्राप्त कुल विप्रेषण का 6.7% हिस्सा सऊदी अरब से आया।
  - **धार्मिक संबंध:** वर्ष 2025 के लिए भारत का हज कोटा बढ़ा दिया गया है, जो धार्मिक मामले में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।
- **आतंकवाद-रोधी और रणनीतिक सहयोग:** सऊदी अरब ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ भारत की लड़ाई का लगातार समर्थन किया है। **उदाहरण के लिए:**
  - 2008 के मुंबई हमले का आरोपी **जबीउद्दीन अंसारी** की गिरफ्तारी और **अब्दुल सलाम** (नकली मुद्रा रैकेट) को निर्वासित करने में सहायता की।
  - इसके अलावा, **"ऑपरेशन कावेरी"** के दौरान, सऊदी अरब ने गृह युद्ध से प्रभावित सूडान से 3,500 भारतीयों की सुरक्षित निकासी में सहायता की।
- **उदारवादी इस्लाम और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समर्थन:** मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के बीच धार्मिक और राजनीतिक अंतर्संबंधों को देखते हुए, क्राउन प्रिंस के सुधारों के तहत सऊदी अरब द्वारा '**उदारवादी इस्लाम**' को बढ़ावा देना भारत के लिए काफी मायने रखता है।
  - उदाहरण के लिए, **मध्य पूर्व से कट्टरपंथी विचारधाराएं अक्सर दक्षिण एशिया में** फैल जाती हैं। गौरतलब है कि दक्षिण एशिया में 600 मिलियन (60 करोड़) मुसलमान रहते हैं, जिनमें से 400 मिलियन भारत में रहते हैं।

**सऊदी अरब के लिए महत्त्व**

- **भारत-सऊदी अरब आर्थिक संबंध:** भारत सऊदी अरब का **दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है। हाल के वर्षों में सऊदी अरब में भारतीय निवेश में भी वृद्धि हुई है, जो 2023 तक लगभग 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के संचयी आंकड़े तक पहुंच गया।
- **विज़न 2030 सिनर्जी:** सऊदी अरब के विज़न 2030 का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को पेट्रोलियम तक सीमित नहीं रखते हुए उसमें विविधता लाने की है और भारत को इस मामले में सऊदी अरब के प्रमुख भागीदार के रूप में देखा जाता है।

**भारत-सऊदी अरब संबंधों में चुनौतियां**

- **श्रम और प्रवासन नीतियां:** सऊदी अरब की **"सऊदीकरण"** नीति रोजगार में स्थानीय लोगों के लिए कोटा को अनिवार्य बनाती है। इससे भारतीयों सहित कई अन्य देशों के प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं।
- **व्यापार असंतुलन:** वित्त वर्ष 2022-23 में सऊदी अरब के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग 31.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
- **रणनीतिक परियोजनाओं में विलंब होना:** सऊदी कंपनी 'अरामको' के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में प्रस्तावित 50 अरब डॉलर की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना को महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण चुनौतियों और पर्यावरण मंजूरी के मुद्दों के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है।
- **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता रुकी हुई है:** भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)[28] के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास 2004 से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। सऊदी अरब GCC का एक प्रमुख सदस्य है।

---

[28] Gulf Cooperation Council

- **भू-राजनीतिक मतभेद:** क्षेत्र में भारत की रणनीतिक चिंताओं को देखते हुए, सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान को निरंतर आर्थिक सहायता देना संबंधों में जटिलता लाता है।
- **भू-राजनीतिक विसंगतियां:** ईरान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध हैं जिनका सऊदी अरब के संबंध अच्छा नहीं है, वहीं सऊदी अरब का चीन के साथ साझेदारी गहरी होती जा रही है। इससे दोनों देशों के बीच कई बार रणनीतिक मतभेद उत्पन्न हो जाती है।

**निष्कर्ष**

पिछले एक दशक में भारत और सऊदी अरब के बीच हुए सहयोग ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग, खाद्य और पर्यावरणीय सुरक्षा, तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे पारंपरिक से इतर क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को उजागर किया है। इसके साथ ही पारंपरिक क्षेत्रों के महत्त्व को दोहराते हुए दोनों पक्षों ने रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत किया है।

## 2.8. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध (India-UAE Relations)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, दुबई के क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा पर आए थे। **भारत में यह उनकी पहली राजकीय यात्रा** थी।

**यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाएं**

- **भारत मार्ट और वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (VTC):** यह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC)[29] को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहल है।
  - **भारत मार्ट** भारत की वेयरहाउसिंग फैसिलिटी है। यह भारतीय निर्यातकों को एक ही फोरम में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने में मदद करेगी। यह **चीन के ड्रैगन मार्ट जैसा ही** है।
- **शिप रिपेयर क्लस्टर (कोच्चि और वडीनार):** यह विश्व की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों से सीखकर भारत के समुद्री क्षेत्रक के विकास में योगदान देगा।
- **अन्य पहलें: भारत-यू.ए.ई. मैत्री अस्पताल (दुबई में), IIM अहमदाबाद का दुबई में कैंपस** और दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स का भारत में कार्यालय खुलना वास्तव में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगा।

**भारत-संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व**

**दोनों देशों के लिए महत्त्व:**

- **बढ़ते राजनीतिक संबंध:** प्रधान मंत्री ने 2015 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी, जो **34 साल** में भारत के किसी प्रधान मंत्री की UAE की पहली शासकीय यात्रा थी। तब से दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। **पहले द्विपक्षीय संबंध क्रेता-विक्रेता का था, लेकिन अब यह व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2017)** में बदल गया है।
  - भारत की अध्यक्षता में आयोजित **G-20 शिखर सम्मेलन** में **UAE को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया** था। इस शिखर सम्मेलन में **केवल 9 अतिथि देशों को आमंत्रित किया गया** था।
- **रणनीतिक वैश्विक भागीदारी:** दोनों देश **ब्रिक्स, I2U2 (भारत-इजराइल-UAE-संयुक्त राज्य अमेरिका) और UAE -फ्रांस-भारत (UFI)** जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
- **क्षेत्रीय सहयोग में भारत-UAE की बढ़ती भूमिका:**
  - **भारत-मध्य पूर्व आर्थिक (IMEEC) गलियारा:** भारत और UAE के बीच **भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे पर अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौता** दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाता है।
  - **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS):** इस फोरम के तहत दोनों देश स्वतंत्र एवं मुक्त समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करते हैं।
  - **नौसेना के मध्य भागीदारी और संयुक्त अभ्यास:** द्विपक्षीय अभ्यास: **गल्फ स्टार 1** और PASSEX, **डेजर्ट साइक्लोन** (भारत-UAE); तथा त्रिपक्षीय अभ्यास: **डेजर्ट नाइट** (भारत-फ्रांस-UAE) के माध्यम से दोनों देश समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत कर रहे हैं।

---

[29] India-Middle East-Europe Economic Corridor


©Vision IAS

**भारत के लिए महत्त्व**

- **भारत के प्रमुख ऊर्जा साझेदार के रूप में UAE की महत्वपूर्ण भूमिका:** उदाहरण के लिए, UAE भारत के लिए कच्चे तेल का **चौथा सबसे बड़ा स्रोत** है तथा LNG और LPG का **दूसरा सबसे बड़ा स्रोत** है।
  - **रणनीतिक तेल भंडार:** UAE इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है जो भारत में **रणनीतिक तेल भंडार** रखने का प्रस्ताव किया है।
- **मजबूत व्यापारिक संबंध:** उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार **85 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया। इसमें भारत से **लगभग 32 बिलियन डॉलर** का वस्तु निर्यात शामिल है।
  - इससे UAE, भारत का **तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** और **दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया** है।
- **मजबूत आर्थिक एकीकरण और निवेश:** UAE एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का **व्यापार समझौता- CEPA, 2022** और **निवेश समझौता- द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT[30], 2023)** दोनों हैं।
  - **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA)[31] का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार (तेल को छोड़कर) को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के स्तर तक ले जाना है।
  - इसके अलावा, 2000 से 2024 तक UAE भारत में **सातवां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक** रहा है।
- **लोगों से लोगों के बीच और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना:** UAE में भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या लगभग **3.5 मिलियन** है, जो इस देश का सबसे बड़ा **नृजातीय समूह** है।
  - **विप्रेषण (रेमिटेंस)**: वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को प्राप्त कुल रेमिटेंस का 19.2% (लगभग 11.7 बिलियन डॉलर) UAE से प्राप्त हुआ था। इस तरह **UAE भारत में रेमिटेंस का प्रमुख स्रोत** है।
  - **सांस्कृतिक उपलब्धि:** संयुक्त अरब अमीरात में **पहला हिंदू मंदिर 'BAPS मंदिर'** वास्तव में खाड़ी क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा मंदिर है।

**संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिए महत्त्व**

- **UAE के निवेशकों के लिए भारत एक प्रमुख निवेश गंतव्य है:** उदाहरण के लिए, UAE द्वारा किए गए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में **से भारत को 5% प्राप्त हुआ** (2000 - 2024)।
- **CEPA के तहत UAE को भारतीय बाजार तक आसान पहुंच:** CEPA के तहत, UAE से भारत में आने वाले 80% से अधिक उत्पादों पर टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
  - **उदाहरण के लिए,** CEPA के बाद, UAE से भारत को निर्यात में **7%** की वृद्धि दर्ज की गई।
- **UAE की खाद्य सुरक्षा में भारत की भूमिका:** UAE में कृषि गतिविधियों के लिए सीमित अवसर हैं क्योंकि वहां केवल **0.7% भूमि कृषि योग्य है।** जाहिर है कि UAE खाद्य वस्तुओं के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। दूसरी ओर भारत कृषि प्रधान देश है और इसलिए वह UAE की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, **एग्रीओटा (Agriota)** जैसे प्लेटफ़ॉर्म भारतीय किसानों को सीधे UAE के बाजारों से जोड़ते हैं।

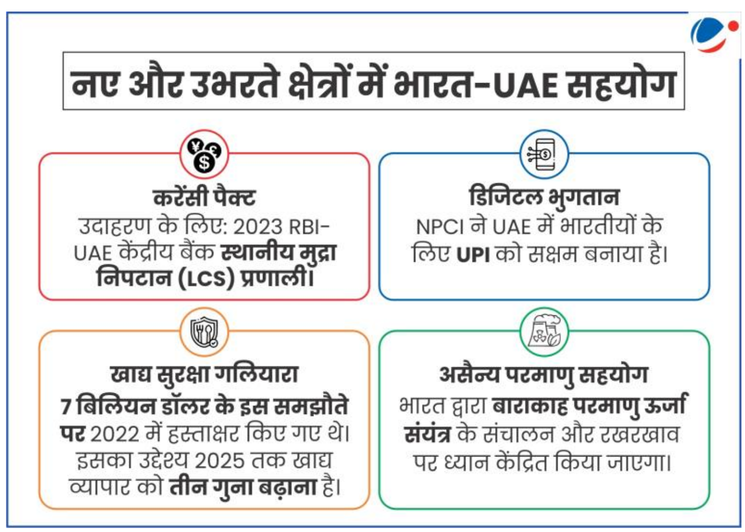


**भारत-UAE संबंधों में मौजूद चुनौतियां**

- **प्रवासन और श्रम संबंधी मुद्दे:** UAE की **कफाला प्रणाली** की काफी आलोचना की जाती है, क्योंकि इस प्रणाली के **बहाने प्रवासी श्रमिकों का शोषण और उनके अधिकारों का हनन** किया जाता है।
  - **कफाला प्रणाली** खाड़ी देशों में **स्पॉन्सरशिप-आधारित श्रम प्रणाली** है। इस प्रणाली में, विदेशी श्रमिकों को उनके नियोक्ता द्वारा **स्पॉन्सर** किया जाता है, जो श्रमिकों की कानूनी स्थिति, वीज़ा और रोजगार की शर्तों पर नियंत्रण रखते हैं।

---

[30] Bilateral Investment Treaty

[31] Comprehensive Economic Partnership Agreement

- **व्यापार असंतुलन:** वित्त वर्ष 2022 में, UAE के साथ भारत का व्यापार घाटा 16.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था।
- **तेल मूल्य निर्धारण और ओपेक देशों के बीच असहमति:** UAE ओपेक का सदस्य है, इसलिए वह उन नीतियों का समर्थन करता है जो भारत के हितों से मेल नहीं खाते हैं, खासकर जब तेल की कीमतों को कम करने की बात आती है। गौरतलब है कि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है।
- **वायु सेवा समझौता विवाद:** UAE भारत में अपनी उड़ानों और उड़ान स्थलों (भारत में अधिक एयरपोर्ट्स पर) की संख्या बढ़ाना चाहता है, लेकिन भारत अपनी घरेलू एयरलाइन्स कंपनियों के के आर्थिक हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।
- **क्षेत्रीय संकट:** गाजा में युद्ध संकट और लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों ने भारत-मध्य पूर्व गलियारा सहित कुछ अन्य क्षेत्रीय सहयोग परियोजनाओं को प्रभावित किया है।
- **भारत-ईरान बनाम UAE-चीन संबंध:** ईरान के साथ विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा हितों के मामले में भारत के रणनीतिक संबंध UAE को खटकता है वहीं UAE के चीन के साथ बढ़ते संबंध भारत को पसंद नहीं है।

**निष्कर्ष**

भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध अब रणनीतिक साझेदारी का स्वरूप ले चुका है। दोनों देशों के बीच मजबूत होते व्यापार संबंध और सहयोग इसके परिचायक हैं। हालांकि, भू-राजनीतिक संतुलन, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं और प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है।

## 2.9. छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (6th BIMSTEC Summit)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**थाईलैंड** की अध्यक्षता में **बैंकॉक में छठा बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन** संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलन की थीम थी - **"बिम्सटेक: प्रोस्पेरेस, रेसिलिएंट एंड ओपन[32]"।**

- बिम्सटेक (BIMSTEC) का अर्थ है- **बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।**

**छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलें**

- **बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र:** इसके तहत **भारत** में आपदा प्रबंधन, संधारणीय समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा तथा कृषि में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संबंधी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- **बोधि (मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्सटेक):** यह पेशेवरों, छात्रों, शोधकर्ताओं आदि को प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति प्रदान करके **युवाओं को कुशल बनाने** का कार्यक्रम है।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: भारत** क्षेत्र में इसकी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक **पायलट अध्ययन** आयोजित करेगा।
- **लोगों के बीच जुड़ाव को मजबूत करना:** भारत **2027 में प्रथम बिम्सटेक खेलों की मेजबानी** करेगा। भारत **बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव** की भी मेजबानी करेगा।

**अन्य मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **बिम्सटेक चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना:** प्रतिवर्ष **बिम्सटेक बिजनेस शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया जायेगा।
- **बिम्सटेक बैंकॉक विज़न 2030: 2030 तक एक समृद्ध, सक्षम और खुले या "प्रो बिम्सटेक"** के निर्माण के लिए रणनीतिक योजना की रूपरेखा तैयार करने वाला पहला विज़न तैयार किया गया है। इसके तहत आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिविटी और मानव सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **समुद्री परिवहन सहयोग पर समझौता**
- **इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) तथा मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) के साथ समझौता ज्ञापन:** साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में साझेदारी को संस्थागत बनाया जाएगा।
- **बिम्सटेक तंत्र के लिए प्रक्रियागत नियमों (Rules of Procedure) को अपनाना।**

---

[32] BIMSTEC: Prosperous, Resilient and Open

**बिम्सटेक (BIMSTEC) के बारे में**

- **उत्पत्ति:** यह एक **क्षेत्रीय संगठन है।** इसकी स्थापना **1997 में बैंकॉक घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
    - प्रारंभ में इसका गठन चार सदस्य राष्ट्रों- **बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड** के साथ किया गया था। तब इसका संक्षिप्त नाम BIST-EC था।
- **सचिवालय: ढाका** (बांग्लादेश) में स्थित है।
- **सदस्य देश (7):** बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
- **BIMSTEC चार्टर:** यह आधारभूत दस्तावेज़ है, जो बिम्सटेक के **लक्ष्यों, सिद्धांतों और संरचना** को रेखांकित करता है। इसे **श्रीलंका में आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन (2022)** में अंतिम रूप दिया गया था।
    - चार्टर समूह को **कानूनी व्यक्तित्व** प्रदान करता है तथा **बाहरी साझेदारी और पर्यवेक्षकों एवं नए सदस्यों** के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है
- **उद्देश्य:** तेजी से आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एक सक्षम परिवेश बनाना और साथ ही, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखना।
- **7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र/ स्तंभ (प्रत्येक का नेतृत्व 1 सदस्य देश द्वारा किया जाता है):**

| नेतृत्वकर्ता | क्षेत्र |
|---|---|
| बांग्लादेश | व्यापार, निवेश और विकास |
| भूटान | पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन |
| भारत | सुरक्षा व ऊर्जा |
| म्यांमार | कृषि एवं खाद्य सुरक्षा |
| नेपाल | व्यक्तियों के बीच संपर्क |
| श्रीलंका | विज्ञान, तकनीकी और नवाचार |
| थाईलैंड | संपर्क (कनेक्टिविटी) |

- **भारत सुरक्षा स्तंभ** के लिए नेतृत्वकर्ता देश है, जिसके अंतर्गत 3 उप-क्षेत्र हैं- **आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटना, आपदा प्रबंधन तथा ऊर्जा सुरक्षा।**

**बिम्सटेक भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में कैसे मदद कर सकता है?**

- **सार्क (SAARC) का विकल्प: भारत-पाकिस्तान तनाव** के कारण सार्क की प्रगति बाधित हुई है। **बिम्सटेक में पाकिस्तान को शामिल नहीं** किया गया है, जिससे भारत को क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक अधिक कार्यात्मक मंच मिल गया है।
    - **सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन)** भू-राजनीतिक तनावों, खासकर **भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता** के कारण **काफी हद तक निष्क्रिय** बना हुआ है।
- **भारत की विदेश नीति के साथ संरेखित:** बिम्सटेक भारत की **'एक्ट ईस्ट' और 'नेबरहुड फर्स्ट' नीतियों के साथ निकटता से जुड़ा** हुआ है।
    - इसे हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार और सुरक्षा बढ़ाने के भारत के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित करने तथा **क्वाड देशों** द्वारा समर्थित इंडो-पेसिफिक विज़न का समर्थन करने के रूप में भी देखा जा सकता है।

 ©Vision IAS

- **दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच रणनीतिक सेतु के रूप में: थाईलैंड और म्यांमार** जैसे आसियान सदस्य देशों के माध्यम से **भारत को आसियान देशों** के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ने में सहायक है।
    - आसियान और बिम्सटेक के बीच एक मजबूत साझेदारी एक **व्यापक इंडो-पेसिफिक फ्रेमवर्क** का निर्माण कर सकती है। यह फ्रेमवर्क महाद्वीपीय एवं समुद्री एशिया को जोड़ेगा।
- **नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा:** यह बंगाल की खाड़ी में भारत के हितों को बढ़ावा देता है तथा समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और आपदा प्रबंधन में मदद करता है।
    - यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के **सागर/ SAGAR** (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और **महासागर/ MAHASAGAR** (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) विज़न के साथ भी प्रभावी रूप से संरेखित है।
- **दक्षिण एशियाई एकीकरण:** इसके माध्यम से **अवसंरचना, ऊर्जा और परिवहन कनेक्टिविटी** पर बेहतर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। **परिवहन संबंधी कनेक्टिविटी के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान** जैसी परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

**बिम्सटेक से संबंधित मुद्दे**

- **धीमी संगठनात्मक प्रगति:** बिम्सटेक के गठन के 27 साल बाद चार्टर लागू हुआ है। पिछले 27 वर्षों में वर्तमान शिखर सम्मेलन सहित केवल 6 शिखर सम्मेलन ही आयोजित किए गए हैं।
    - 2011 तक बिम्सटेक का **कोई आधिकारिक मुख्यालय या सचिवालय नहीं** था। वर्तमान में यह अपनी परिचालन गतिविधियों के लिए अपर्याप्त वित्तीय और कार्मिक सहायता से ग्रस्त है।
- **भू-राजनीतिक चुनौतियां: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के माध्यम से सदस्य देशों में **चीन का बढ़ता प्रभाव** भारत के लिए रणनीतिक व सामरिक चिंताएं पैदा कर रहा है।
    - **भारत और भूटान को छोड़कर सभी बिम्सटेक सदस्य देश BRI परियोजनाओं का हिस्सा हैं।** इससे चीन को **दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया** में रणनीतिक लाभ मिल रहा है।
- **कम अंतर-क्षेत्रीय व्यापार:** क्षमताओं के बावजूद, बिम्सटेक सदस्यों के बीच व्यापार अपेक्षाकृत कम है, यानी कुल व्यापार का लगभग **6-7% है,** जो गहन आर्थिक एकीकरण की कमी को दर्शाता है।
    - **2004** में शुरू किया गया **बिम्सटेक FTA कई वार्ताओं के बावजूद लागू नहीं** हो पाया है। इससे क्षेत्र के भीतर व्यापार उदारीकरण और आर्थिक एकीकरण में बाधा आ रही है।
- **अवसंरचनात्मक और कनेक्टिविटी में अंतर:** रुकी हुई कनेक्टिविटी परियोजनाओं या इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के कारण सदस्य देशों के बीच भौतिक कनेक्टिविटी काफी खराब स्थिति में है। इससे व्यापार, लोगों के बीच संपर्क और एकीकरण सीमित हो रहा है।
    - उदाहरण के लिए- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता** लागू होने में काफी देरी हो रही है।
- **राजनीतिक अस्थिरता: म्यांमार, नेपाल** और **श्रीलंका** जैसे सदस्य देशों में आंतरिक राजनीतिक संकट एवं संघर्ष विकास कार्यों को बाधित करते हैं और संसाधनों की कमी व दुरूपयोग का कारण बनते हैं, जिससे क्षेत्रीय सहयोग में बाधा आती है।
    - सदस्यों के बीच तनावपूर्ण संबंध जैसे **रोहिंग्या शरणार्थी संकट पर बांग्लादेश-म्यांमार संबंध, भारत-नेपाल सीमा मुद्दा** आदि भी सहयोग में बाधा डालते हैं।

**निष्कर्ष**

सार्क के विपरीत बिम्सटेक एक **कार्यात्मक व दूरदर्शी समूह का प्रतिनिधित्व** करता है, जो भारत के भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों के साथ अच्छी तरह से संरेखित है। यह भारत के नेतृत्व में पुराने ढांचे की सीमाओं को दरकिनार करने और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने के लिए **उप-क्षेत्रीय एवं अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में भारत की रणनीतिक क्षमता का उदाहरण** है।

## 2.10. भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (2024-25) ने विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों** पर रिपोर्ट जारी की।

**भारतीय प्रवासियों या इंडियन डायस्पोरा के बारे में**

- **परिभाषा:** भारतीय प्रवासियों से तात्पर्य **भारतीय मूल के उन लोगों से है, जो या तो कई पीढ़ियों पहले या हाल ही में अन्य देशों द्वारा जारी दीर्घकालिक वीज़ा पर उन देशों में प्रवास कर गए थे और तब से वहीं रह** रहे हैं।
- **भारतीय प्रवासियों में शामिल हैं:**
  - **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)[33]:** ऐसा व्यक्ति जो या जिसके पूर्वजों में से कोई भारतीय नागरिक था और जो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता/ राष्ट्रीयता रखता है यानी उसके पास विदेशी पासपोर्ट है।
  - **प्रवासी भारतीय नागरिक (OCIs)[34]:** नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक (OCIs) कार्डधारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति।
    - **नोट: 2015 में** PIO और OCI कार्डधारकों को एक श्रेणी OCI के तहत विलय कर दिया गया था।
  - **अनिवासी भारतीय (NRI)[35]:** एक भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर रहता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है।
- **वर्तमान स्थिति:** जनवरी 2024 तक, **भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग 35.42 मिलियन** थी। इनमें **15.85 मिलियन NRIs और 19.57 मिलियन POIs एवं OCIs** शामिल थे।
- **भौगोलिक वितरण:** महत्वपूर्ण भारतीय आबादी वाले प्रमुख देशों में **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और कैरिबियन द्वीप समूह** शामिल हैं।

**समिति द्वारा उजागर की गई भारतीय प्रवासियों से संबंधित प्रमुख चिंताएं**

- **NRIs को मतदान के संदर्भ में सीमित अधिकार:** मौजूदा मानदंडों के अनुसार, मतदाता सूची में पंजीकृत अनिवासी भारतीयों को **वोट डालने के लिए स्वयं उपस्थित होना** पड़ता है।
  - लॉजिस्टिक संबंधी और व्यावहारिक समस्याओं के कारण पंजीकृत NRI मतदाताओं में से केवल कुछ ही मतदान के लिए आते हैं।

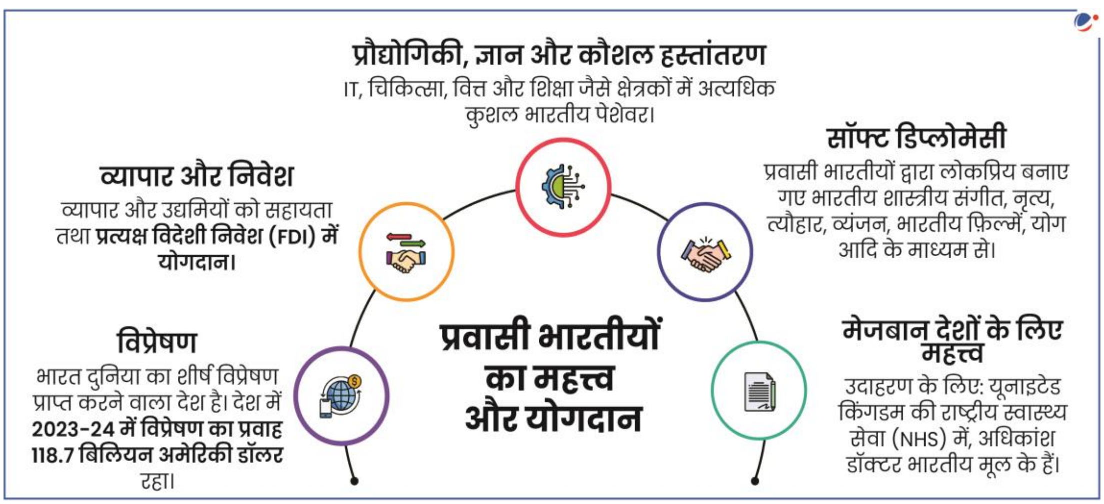


- **विदेशी जेलों में सजा काट रहे व्यक्तियों का स्थानांतरण:** समिति ने पाया कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के बावजूद, पिछले 3 वर्षों में केवल **8 भारतीय कैदियों को ही विदेशों से भारत** लाया गया है।
- **नौकरी रैकेट में फंसे पेशेवर:** उदाहरण के लिए- संदिग्ध फर्म्स सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (कंबोडिया, म्यांमार, लाओ पी.डी.आर. आदि) में फर्जी नौकरी भर्ती की पेशकश करती हैं, ताकि लोगों को **साइबर अपराध** करने के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जा सके।
- **प्रवासियों का पुनः एकीकरण:** समिति ने पाया कि आर्थिक व्यवधानों, कठोर आव्रजन नीतियों और नौकरी के अवसरों में कमी के कारण 2019 से 2024 तक लगभग **5.95 लाख** प्रवासी विदेशों से भारत वापस लौट आए हैं।

---

[33] Persons of Indian Origin

[34] Overseas Citizens of India

[35] Non-Resident Indians

- विदेशों से लौटने वाले प्रवासियों के **पुनः एकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर की कोई भी नीति मौजूद नहीं** है।

- **विदेश में भारतीय छात्रों की सुरक्षा:** उल्लेखनीय है कि 2018 से 2024 तक प्राकृतिक कारणों, दुर्घटनाओं और चिकित्सा स्थिति आदि के कारण विदेशों में भारतीय छात्रों की मृत्यु की 403 घटनाएं सामने आई हैं।

**प्रवासी भारतीयों के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम**

- **प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY):** इसे **2017** में शुरू किया गया था। यह योजना प्रवासी भारतीयों को **आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में 10 लाख रुपये का बीमा कवर एवं अन्य सुविधाएं** प्रदान करती है। इस योजना में, **दो साल** के लिए बीमा प्रीमियम **275 रुपये और तीन साल के लिए 375 रुपये** है।
- **भारत को जानो कार्यक्रम (Know India Programme):** यह **21-35 वर्ष** आयु वर्ग के भारतीय प्रवासियों के लिए **2003** में शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य **PIO युवाओं को समकालीन भारत** से परिचित कराना है।
- **ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम:** विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च (वज्र/ VAJRA)) फैकल्टी स्कीम, प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क (प्रभास/ PRABHASS), वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव/ VAIBHAV) फेलोशिप कार्यक्रम आदि।
- **प्रवासी भारतीय दिवस:** 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन को सम्मानित करने के लिए 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करना है।
- **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF):** इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और इसका संचालन 17 इमीग्रेशन क्लीयरेंस रिक्वायर्ड (ECR) देशों एवं मालदीव में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता हेतु ऑन-साइट कल्याणकारी गतिविधियों के क्रियान्वयन में आने वाले आकस्मिक व्ययों की पूर्ति करना है।

**आगे की राह: समिति की सिफारिशें**

- **NRI को वोटिंग अधिकार:** NRIs के लिए मताधिकार के संबंध में **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ETPBS)** पर विचार किया जा सकता है।
- **विदेशी जेलों में सजा काट रहे व्यक्तियों का स्थानांतरण: कैदियों की सुगम वापसी की सुविधा के लिए** मौजूदा समझौतों में संशोधन करना चाहिए या नए समझौते करने चाहिए। साथ ही, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक प्रयासों और वार्ताओं को बढ़ाना चाहिए।
- **पेशेवरों को नौकरी रैकेट से बचाना:** विदेशी नियोक्ताओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) और विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होनी चाहिए। साथ ही, **ग्लासडोर या लिंक्डइन** जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्पष्ट संपर्क एवं कर्मचारी फीडबैक के साथ पेशेवर वेबसाइट्स बनाए रखनी चाहिए।
- **वापस लौटे प्रवासियों का एकीकरण:** केरल भारत का एकमात्र राज्य है, जो वापस लौटे प्रवासियों के लिए आर्थिक एकीकरण और कल्याण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। यह अन्य राज्यों और यहां तक कि अन्य देशों के लिए भी अनुकरणीय है।
- **विदेशी छात्रों की सुरक्षा:** विशेष रूप से संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए नीतिगत ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, विदेशों में अध्ययन करने वाले छात्रों का रियल टाइम डेटाबेस भी बनाना चाहिए।
- **उत्प्रवास विधेयक, 2024 को प्राथमिकता देने की आवश्यकता:** समिति ने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के पुराने प्रावधानों को बदलने के लिए एक व्यापक विधायी सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। साथ ही, उत्प्रवास विधेयक में छात्र प्रवासन का समाधान करने की भी सिफारिश की है।

**प्रवासी भारतीयों** के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।
**वीकली फोकस #116**– विदेशों में भारतीय प्रवासी


एथिक्स
केस स्टडीज मॉड्यूल
Available in English & हिन्दी
12 जून 2 PM

## 2.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 2.11.1. सार्क वीज़ा-छूट योजना (SAARC Visa Exemption Scheme: SVES)

भारत सरकार ने घोषणा की है कि **पाकिस्तान के नागरिक अब सार्क वीज़ा छूट योजना (SVES) के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं** कर सकेंगे।

**सार्क वीज़ा छूट योजना (SVES) के बारे में**

- **शुरुआत:** यह योजना 1992 में शुरू की गई थी। **1988 में इस्लामाबाद** में आयोजित **चौथे सार्क शिखर सम्मेलन में इस वीज़ा की शुरुआत** के बारे में निर्णय लिया गया था।
- **उद्देश्य:** सार्क सदस्य देशों के बीच जनसंपर्क को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।
- **लाभार्थी वर्ग:** इस योजना के अंतर्गत **24 श्रेणियों** के व्यक्ति बिना वीज़ा के यात्रा करने के लिए पात्र थे। इनमें **गणमान्य व्यक्ति, उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद** आदि शामिल हैं।

### 2.11.2. ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 2025 की बैठक में एक घोषणा-पत्र अपनाया गया (BRICS Labour & Employment Minister's Meet 2025 Adopts Declaration)

बैठक में अपनाए गए घोषणा-पत्र में दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है: **"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एंड द फ्यूचर ऑफ़ वर्क"** तथा **"द इम्पैक्ट ऑफ़ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड ऑफ़ वर्क एंड ए जस्ट ट्रांजीशन।"**

- बैठक का आयोजन **ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रासीलिया** में किया गया। इस बैठक की थीम थी- **"अधिक समावेशी और सतत गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ के सहयोग को मजबूत करना"।**

**घोषणा-पत्र की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र**

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** ने श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया है।
- **घोषणा-पत्र में ब्रिक्स देशों ने निम्नलिखित प्रतिबद्धता जताई है:**
    - नवाचार और श्रमिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए **समावेशी AI नीतियों** को बढ़ावा देंगे।
    - **न्यायसंगत जलवायु संक्रमण** सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संवाद को प्रोत्साहित करेंगे।
    - विशेष रूप से लेबर गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन और हरित नौकरियों के सृजन में **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** को मजबूत करेंगे।

**श्रमिकों के लिए घोषणा-पत्र का महत्त्व**

- **गरिमापूर्ण कार्य के लिए AI का उपयोग:** यह सभी श्रमिकों की AI तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक साबित होगा, जिससे उनकी अभिव्यक्ति को सार्थक सामाजिक संवाद के माध्यम से सुनना आसान हो जाएगा।
    - ILO के अनुसार ब्रिक्स देश दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से कार्यस्थलों पर **AI के अधिकार-आधारित उपयोग के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों** को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **जस्ट ट्रांजीशन-हरित नौकरियां व समावेशी नीतियां:** पारिस्थितिकी-तंत्र के पतन से 1.2 बिलियन आजीविका खतरे में हैं; लगभग 2.4 बिलियन श्रमिक हानिकारक अत्यधिक गर्मी में काम करने हेतु मजबूर हैं।
- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा:** सामाजिक सुरक्षा में व्याप्त अंतर तेजी से बढ़ रहा है। इससे प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसा असुरक्षित वर्ग भी और अधिक प्रभावित हो रहा है। आज भी 83 प्रतिशत लोगों के लिए बुनियादी सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।
- **सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन:** ILO ने ब्रिक्स देशों को **"वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन"** के माध्यम से समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत उन्हें मानक मार्गदर्शन तथा शोध संबंधी और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

***नोट:** ब्रिक्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.5. देखें।*

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
Digital Current Affairs 2.0
LAUNCHING SOON
One Stop Solution
LAUNCHING SOON

## 2.11.3. आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN-India Trade in Goods Agreement: AITIGA)

भारत ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) पर **संयुक्त समिति की 8वीं बैठक** की मेजबानी की।

- दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान/ ASEAN) की स्थापना **1967 में बैंकॉक (थाईलैंड) में 10 देशों के एक समूह** के रूप में की गई थी।

**AITIGA के बारे में**

- **उत्पत्ति: AITIGA पर 2009 में हस्ताक्षर** किए गए थे और यह **2010 में लागू** हुआ था।
- **अधिदेश:** इस समझौते के तहत, **प्रत्येक पक्ष को GATT, 1994 के अनुसार दूसरे पक्षों की वस्तुओं को नेशनल ट्रीटमेंट** प्रदान करना होगा।
- **व्यापार:** भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार **121 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023-24)** तक पहुंच गया है।
- **भारत के वैश्विक व्यापार** में आसियान की हिस्सेदारी लगभग **11%** है।

***नोट:*** *आसियान के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.4. देखें।*

## 2.11.4. प्रत्यर्पण (Extradition)

26/11 मुंबई आतंकी हमले के एक आरोपी को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया।

- **यू.एन. ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC)** के अनुसार, **प्रत्यर्पण (Extradition)** का अर्थ है "किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपना, ताकि वहाँ उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।" हालांकि, इसमें एक शर्त यह है कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध **प्रत्यर्पण योग्य अपराध (Extraditable offence) की श्रेणी** में आता हो।
- **प्रत्यर्पण योग्य अपराध** वह होता है जो या तो किसी देश के साथ हुई **प्रत्यर्पण संधि में उल्लिखित हो,** या अगर कोई **संधि नहीं** हुई है, तो **ऐसा अपराध जिसके लिए भारत या संबंधित देश में कम-से-कम 1 साल की सजा का प्रावधान** हो।

**प्रत्यर्पण से जुड़े फ्रेमवर्क**

- **भारत में:**
  - **प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 (1993 में पर्याप्त संशोधन):** यह कानून भारत से विदेशों में अपराधियों को सौंपने और उन्हें विदेशों से भारत लाने के नियमों को निर्धारित करता है।
    - **विदेश मंत्रालय** भारत में प्रत्यर्पण संबंधी मामलों के लिए नोडल प्राधिकरण है।
    - भारत ने बांग्लादेश और अमेरिका सहित **48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां** की है।
  - प्रत्यर्पण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की अंतिम शक्ति **भारत सरकार** के पास है, लेकिन सरकार के निर्णय को **हाईकोर्ट में चुनौती** दी जा सकती है।
- **प्रत्यर्पण से जुड़े मामलों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रावधान:**
  - **प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि** (1990),
  - **प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून** (2004),
  - **सीमा-पारीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय** (2000), आदि।

**प्रत्यर्पण कानून में चुनौतियां**

- **दोहरे अपराध यानी डबल क्रिमिनैलिटी सिद्धांत का दुरुपयोग:** अपराधी अक्सर ऐसे देशों में भाग जाते हैं, जहां उनके कृत्य को अपराध नहीं माना जाता। इस वजह से वे प्रत्यर्पण से बच जाते हैं।
- **समय लेने वाली प्रक्रियाएं:** व्यापक दस्तावेज़ीकरण और प्रशासनिक बाधाओं के कारण प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है।
- **कम देशों के साथ संधियां:** भारत ने केवल **कुछ गिने-चुने देशों के साथ ही प्रत्यर्पण** संधियां की है।

## 2.11.5. भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी (India-Thailand Strategic Partnership)

भारत-थाईलैंड ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए।

- **रणनीतिक साझेदारी** एक कम औपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण सहयोग होता है। इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा से जुड़ा **साझा सहयोग** शामिल होता है, लेकिन यह व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों तक भी विस्तृत होता है।

**भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी का महत्त्व**

- **पारस्परिक रूप से लाभकारी लक्ष्य:** दोनों देश **एक स्वतंत्र, खुला, पारदर्शी, नियम आधारित, समावेशी और लचीले हिंद-प्रशांत** क्षेत्र को महत्त्व देते हैं। दोनों देश **आसियान केंद्रीयता** का भी समर्थन करते हैं।
  - **'आसियान केंद्रीयता'** का अर्थ है कि इस क्षेत्र की भू-राजनीति और भू-अर्थव्यवस्था में ASEAN (दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) की प्रमुख भूमिका बनी रहे।
- **रणनीतिक अवस्थिति:** थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी है और क्षेत्रीय शांति में उसकी महत्वपूर्ण रुचि है।
- **पूरक नीतियां:** भारत की **"एक्ट ईस्ट"** नीति और थाईलैंड की **"एक्ट वेस्ट"** नीति एक-दूसरे की पूरक हैं।
- **अपने क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय समूहों में भूमिका:** थाईलैंड भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर आसियान और BIMSTEC/ बिम्सटेक जैसे मंचों में।

**किए गए अन्य प्रमुख समझौते**

- **अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन: लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास (MDoNER)** हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाना: भारत-थाईलैंड कॉन्सुलर डायलॉग** की स्थापना की गई।
- **व्यापार सुविधा: स्थानीय मुद्रा-आधारित निपटान तंत्र** की स्थापना की संभावना पर विचार किया गया।

## 2.11.6. भारत ने महाद्वीपीय मग्न-तट पर अपने दावे को बढ़ाया (India's Extended Continental Shelf Claim)

भारत ने अपने **"विस्तारित महाद्वीपीय मग्न-तट[36]"** के तहत **मध्य अरब सागर जलक्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर** तक अपने दावे को बढ़ा दिया है। साथ ही, भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद से बचने के लिए **अपने पहले के दावे में भी संशोधन** किया है।

**समुद्री सीमा विवाद के बारे में**

- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)[37]:** समुद्र तटीय देशों के पास "अनन्य आर्थिक क्षेत्र" होता है। यह उनकी **तटरेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल मील** तक विस्तृत होता है। इस जल क्षेत्र में इन देशों को **खनन और मछली पकड़ने के अनन्य अधिकार** होते हैं।

---

[36] Extended Continental Shelf

[37] Exclusive Economic Zone

- इसके अतिरिक्त, ऐसे देश महासागर में और अधिक जल-क्षेत्र पर दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे **"महाद्वीपीय मग्न-तट की सीमाओं पर आयोग (CLCS)[38]"** के समक्ष वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध कर सकें कि उनका दावा किया गया जलक्षेत्र उनकी स्थलीय सीमा से निर्बाध रूप से समुद्री नितल तक फैला हुआ है।
    - यह आयोग **संयुक्त राष्ट्र** की एक संस्था है।
- यह पूरा महासागरीय जलक्षेत्र संबंधित देश के **विस्तारित महाद्वीपीय मग्न-तट का हिस्सा** माना जाता है।

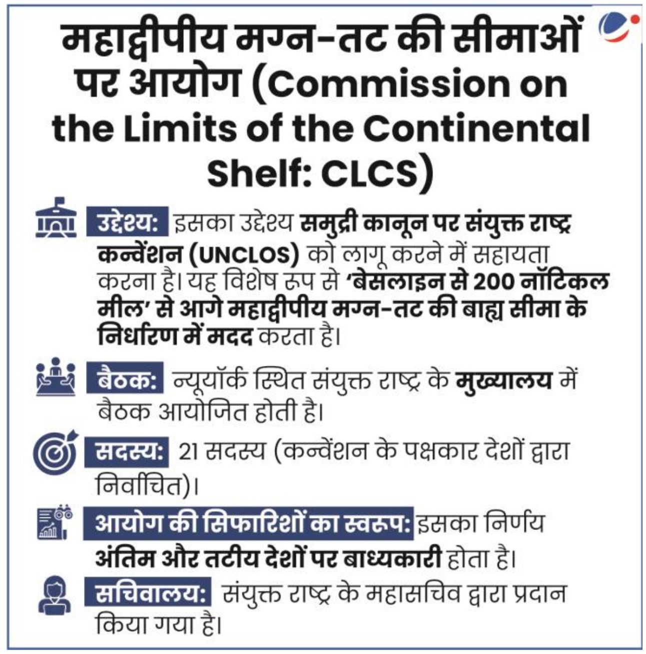


- भारत ने **2009** में अरब सागर के विस्तृत जल क्षेत्रों पर **"CLCS"** के समक्ष अपना पहला दावा प्रस्तुत किया था।
- पाकिस्तान ने **2021 में भारत के दावे पर आपत्ति** जताई थी। पाकिस्तान का कहना था कि भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र **"विवादित"** हैं। पाकिस्तान ने विशेष रूप से **सर क्रीक** को विवादित माना।
- मार्च 2023 में, **CLCS ने अरब सागर क्षेत्र में भारत के पूरे दावे को अस्वीकार** कर दिया था। हालांकि, आयोग ने **पक्षकार देशों को 'संशोधित दावे' प्रस्तुत करने की अनुमति** दी थी।

**सर क्रीक के बारे में**

- यह **96 किलोमीटर लंबा विवादित ज्वारनदमुख (Tidal estuary)** है।
- यह अरब सागर तक विस्तृत है और मोटे तौर पर **पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र से अलग** करता है।
- **वर्ष 1947** में, भारत चाहता था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल क्षेत्र कानून के सिद्धांत यानी **थालवेग सिद्धांत (Thalweg Principle)** के अनुसार सुलझाया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि राष्ट्रों की सीमाएं जलमार्ग में स्थित हैं तो फिर सीमा केवल नौगम्य जल-क्षेत्र (Navigable channel) के मध्य में निर्धारित की जानी चाहिए।
    - हालांकि, पाकिस्तान ने दावा किया कि **सर-क्रीक नौगम्य नहीं** है, इसलिए इस पर **थालवेग सिद्धांत लागू नहीं** हो सकता।

38 Commission on the Limits of the Continental Shelf

## 2.11.7. बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी (Transshipment Facility For Bangladesh)

भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश के साथ किए गए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रद्द कर दिया है।

- 2020 के एक समझौते के तहत **बांग्लादेश** को यह सुविधा दी गई थी कि वह अपने देश की वस्तुओं को भारतीय भूमि पर स्थित **सीमा शुल्क स्टेशनों (LCSs)** के माध्यम से यूरोप, पश्चिम एशिया आदि क्षेत्र के अन्य देशों को निर्यात कर सकता है।
- भारत ने इस समझौते को रद्द करने का प्राथमिक कारण **लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों** को बताया है। इसमें विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि **भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अत्यधिक भीड़भाड़** हो रही है, जिससे भारत के **अपने निर्यात कार्यों में बाधा** उत्पन्न हो रही है।
- हालांकि, सरकार ने यह फैसला **तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों** और बांग्लादेशी सरकार के मुख्य सलाहकार द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों के बाद लिया है। गौरतलब है कि बांग्लादेशी सरकार के सलाहकार ने यह कहते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेट सुरक्षा प्रदाता की भूमिका को नकार दिया था कि **'बांग्लादेश ही हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सभी के लिए एकमात्र सुरक्षा प्रदाता है।'**

**हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका**

- **भू-रणनीतिक:** हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की केंद्रीय स्थिति; **लगभग 7,500 किलोमीटर की तटरेखा;** और मलक्का जलडमरूमध्य, बाब अल-मंदेब जैसे **प्रमुख चोकपॉइंट्स** से भारत की निकटता; आदि इसे IOR में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते है।
  - भारत ने **'महासागर/ MAHASAGAR' (क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) विजन, 2025** जारी किया है। यह 2015 के **सागर/ SAGAR नीति** का ही विस्तार है।
- **समुद्री सुरक्षा:** भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एंटी-पायरेसी और तस्करी-रोधी अभियान संचालित करता है। इससे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- **विकास और मानवीय सहायता:** भारत ने हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी, 2014 के मालदीव जल संकट और 2022 के श्रीलंकाई आर्थिक संकट जैसी स्थितियों में तुरंत मदद पहुँचाई। इस त्वरित प्रतिक्रिया ने भारत को इस क्षेत्र में **"संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश"** के रूप में पहचान दिलाई है।

## 2.11.8. हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप (Heard and Mcdonald Island)

अमेरिकी राष्ट्रपति ने हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप सहित कई अमेरिकी व्यापार भागीदारों के लिए **पारस्परिक 10% टैरिफ की घोषणा की।**

- राष्ट्रपति ने **2 अप्रैल को "मुक्ति दिवस"** की संज्ञा दी और इसे **"अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक"** घोषित किया।

**हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीपों के बारे में**

- हर्ड द्वीप और मैकडोनाल्ड द्वीप **दक्षिणी महासागर में निर्जन उप-अंटार्कटिक द्वीप** हैं। यहां कोई **स्थायी मानव आबादी नहीं** रहती है।
- इन द्वीपों को **ऑस्ट्रेलिया प्रशासित** करता है।
- ये दक्षिणी महासागर के **एकमात्र सक्रिय उप-अंटार्कटिक ज्वालामुखीय द्वीप** हैं। ये पृथ्वी की भूगर्भीय प्रक्रियाओं और हिमनदों की गतिशीलता को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।
- ये द्वीप **यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची** में शामिल हैं।

## 2.11.9. मोराग एक्सिस (Morag Axis)

**इजरायल ने मोराग एक्सिस** के नाम से विख्यात एक नए सिक्योरिटी कॉरिडोर को अपने अधीन कर लिया।

**मोराग एक्सिस बारे में**

- यह क्षेत्र **खान यूनिस और राफा** के बीच स्थित है। यह मुख्यतः कृषि भूमि है, जो गाजा पट्टी में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है।
- **"मोराग"** नाम एक **अवैध इजरायली बस्ती** को संदर्भित करता है, जो 1972 और 2005 के बीच इस क्षेत्र में स्थापित की गई थी।

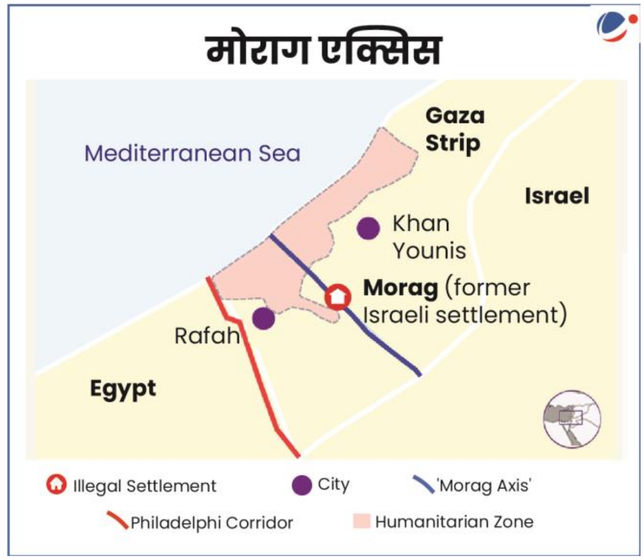


| SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |
|---|---|---|

# 3. अर्थव्यवस्था (Economy)

## 3.1. डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम (Innovation Ecosystem for Deep Tech)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स से आग्रह किया कि वे डीप टेक इनोवेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।

**डीप टेक स्टार्टअप्स क्या हैं?**

- डीप टेक्नोलॉजी या डीप टेक से तात्पर्य **एडवांस वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं** पर आधारित इनोवेशन या नवाचार से है। इसमें कई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
- डीप टेक स्टार्टअप्स या तो मौजूदा **एडवांस तकनीकों का उपयोग करके जटिल और अक्सर अनसुलझी समस्याओं के नए समाधान** विकसित करते हैं, या फिर **मूलभूत विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों पर आधारित और भी अधिक एडवांस्ड तकनीकों का आविष्कार** करते हैं।

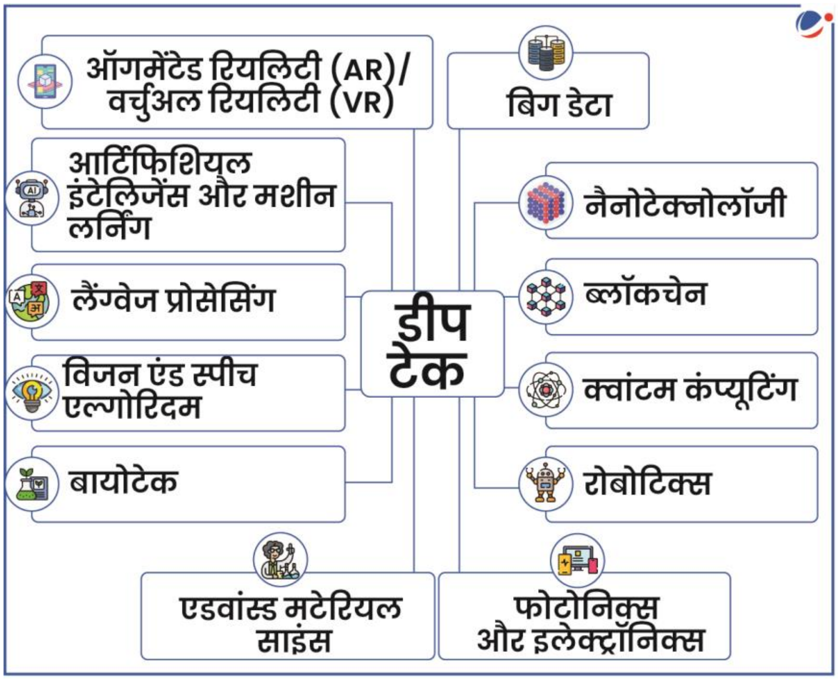


**भारत में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में**

- **संख्या:** भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)[39] के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में भारत में 4,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं तथा अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 10,000 तक पहुंच जाएगी।
- **विश्व में भारत की स्थिति:** नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, डीप टेक स्टार्टअप्स की तीसरी सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद, भारत 2023 में **दुनिया के शीर्ष 9 डीप-टेक इकोसिस्टम में छठे स्थान पर था।**
- **फंडिंग:** नैसकॉम के अनुसार, भारत के 4,000 डीप-टेक स्टार्टअप्स ने 2024 में 1.6 बिलियन डॉलर आकर्षित किए, जो पिछले साल की तुलना में 78 प्रतिशत की वृद्धि है।
- **उदाहरण:**
  - अग्निकुल कॉसमॉस नामक एक स्टार्टअप ने **दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है जिसमें सिंगल-पीस 3D-प्रिंटेड रॉकेट इंजन लगा हुआ** है।
  - इम्यूनोएक्ट, IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने **कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी विकसित** की है।
  - **आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी** अपने एडवांस ड्रोन के साथ UAV बाजार में क्रांति ला रही है।

**भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स क्यों पिछड़ रहे हैं?**

**शब्दावली को जानें**

> स्पिनआउट्स वे कंपनियां होती हैं जो विश्वविद्यालय के भीतर अकादमिक अनुसंधान के आधार पर गठित होती हैं और उन्हीं के स्वामित्व वाली होती हैं।

- **संस्थाओं से समर्थन प्राप्ति में कमी: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय** द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में सरकार द्वारा वित्त पोषित छह अनुसंधान और विकास संगठनों में से केवल एक ही डीप टेक स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करता है।
- **लगातार फंडिंग की कमी:** 2023 में, भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स ने पिछले वर्ष की तुलना में फंडिंग प्राप्त करने में गिरावट दर्ज की, लेकिन 2024 में इसमें वृद्धि देखी गई।

---

[39] Department for Promotion of Industry and Internal Trade


©Vision IAS

- इसके अतिरिक्त, भारत में **वेंचर कैपिटल फंड** आमतौर पर अपने निवेश पर त्वरित लाभ की अपेक्षा रखते हैं और लंबे समय तक रिटर्न के लिए प्रतीक्षा करने को लेकर संकोच करते हैं।

- **लाभकारी बनने में समय लगाना:** डीप टेक स्टार्टअप को पूर्ण रूप से विकसित होने में लंबा वक्त और अधिक पूंजी की जरुरत पड़ती है। साथ ही, इसमें तकनीक के सफलता के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के स्टार्टअप में जोखिम अधिक होता है।
- **भारत में उपभोक्ता सेवा आधारित स्टार्टअप पर अधिक बल:** भारत में स्टार्टअप बूम उपभोक्ता-आधारित व्यवसायों (जैसे कि फूड डिलीवरी या ई-कॉमर्स ऐप) के कारण है। इनमें डीप-टेक स्टार्टअप की भागीदारी बहुत कम है।
- **अधिक नियमों के पालन का बोझ:** डीप टेक क्षेत्र के लिए विनियमन को लेकर स्पष्ट और सर्वमान्य दृष्टिकोण का अभाव है। इसके साथ ही, नीतिगत अस्थिरता (जैसे- एंजल टैक्स का लागू होना और फिर वापस लिया जाना), लालफीताशाही, और निवेशकों में जोखिम उठाने की सीमित इच्छा जैसे कारक इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधाएं उत्पन्न करते हैं।
- **शिक्षा एवं अनुसंधान संबंधी अवसंरचना:** भारतीय विश्वविद्यालय शायद ही कभी मौलिक शोध के मामले में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं। भारतीय संस्थानों में उच्च स्तर के अनुसंधान नहीं होने के कारण भारतीय प्रतिभाएं विदेशों में पलायन कर जाती हैं।
- **शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के बीच समन्वय की कमी:** इस कारण शोध कार्यों को व्यावसायिक रूप देने और उन्हें व्यावहारिक उपयोग के अनुरूप डिजाइन करने में कठिनाई होती है, जिससे डीप टेक इकोसिस्टम के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

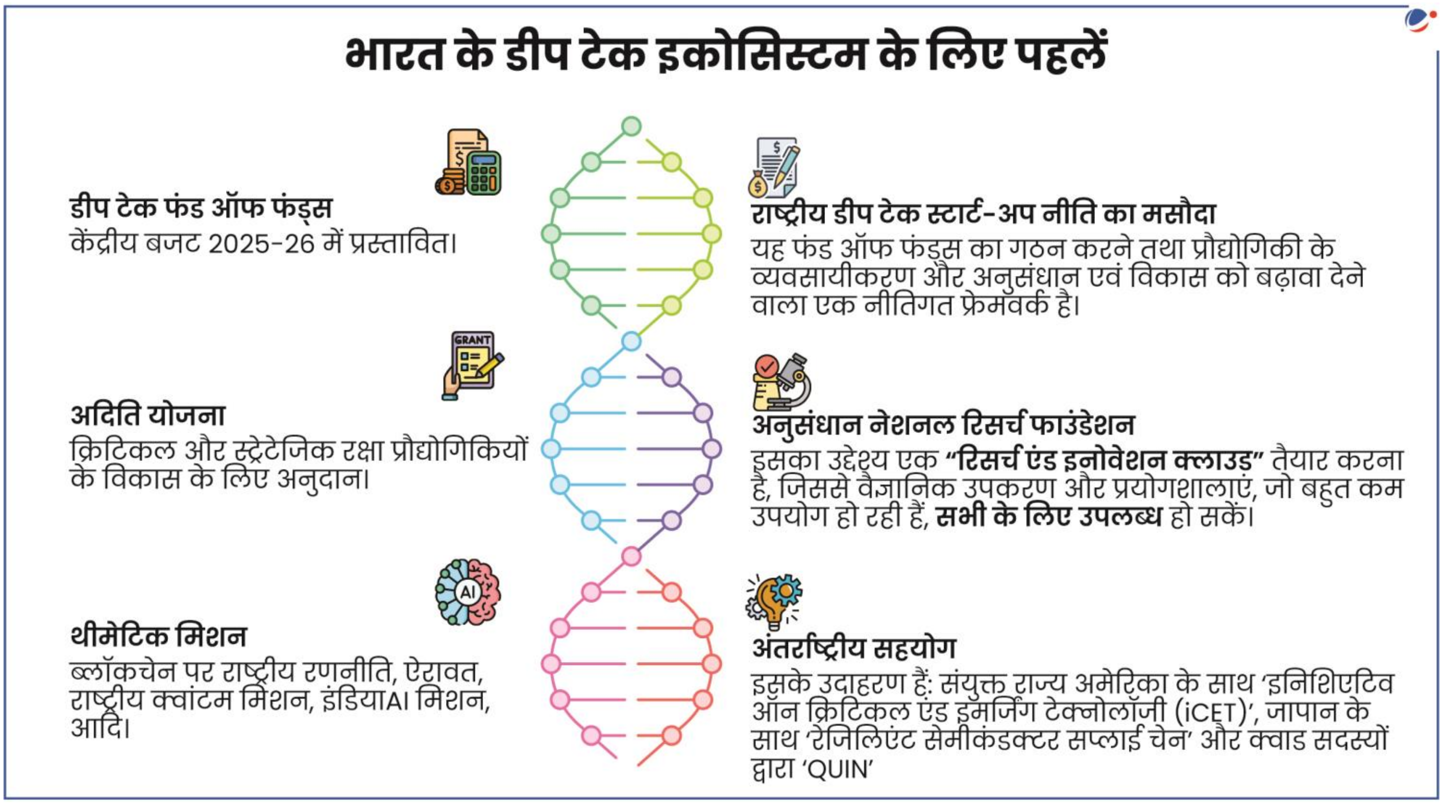


**आगे की राह**

- **स्पिनआउट:** प्रयोगशालाओं/ संस्थानों को अधिक संख्या में **स्पिनआउट** (इन्फोग्राफिक देखें) की स्थापना में सहयोग देने से डीप-टेक स्टार्टअप्स के सृजन के लिए एक सतत और सशक्त चक्र शुरू हो सकता है। साथ ही, प्रयोगशालाओं/ संस्थानों को अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने हेतु बाहरी स्रोतों से राजस्व अर्जित करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।
- **अवसंरचनाओं का विकास:** विशेष रूप से पांच फोकस क्षेत्रों (मेडिकल डिवाइसेज, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि और विनिर्माण) में इनोवेशन क्लस्टरों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें मजबूत करना चाहिए।
    - इसके अलावा, **विशेष अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की स्थापना की जानी चाहिए,** जिनमें हाई-परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग रिसोर्सेज, सिमुलेशन टूल्स एवं उत्पाद के परीक्षण के लिए सक्षम परिवेश जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

- **निवेश-अनुकूल व्यवस्था को बढ़ावा देना:** वेंचर कैपिटलिस्ट (VCs) के साथ सह-निवेश कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही, सरकार समर्थित उपायों (जैसे कि सब्सिडी, ऋण) को बढ़ावा देना चाहिए और वेंचर कैपिटल निवेश से जुड़े नियमों को आसान बनाना चाहिए।
  - इसके अलावा, भारत को डीप टेक के बारे में निवेशकों को जागरूक करना चाहिए और इसका महत्व बताना चाहिए। साथ ही, ऋण गारंटी, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (उत्पाद का वास्तविक स्थिति में परीक्षण) आदि के माध्यम से निवेशकों के निवेश की चिंताओं को दूर करना चाहिए।
- **अनुसंधान एवं विकास के लिए नीतिगत प्रोत्साहन:** उत्पादों के प्रोटोटाइप निर्माण हेतु स्टार्टअप्स को अनुदान दिया जाना चाहिए और उनके परीक्षण के लिए **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स** की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स को उद्योग जगत से जोड़ने वाले **इंटरफेस प्लेटफॉर्म** विकसित किए जाने चाहिए तथा डीप टेक अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए **टैक्स क्रेडिट (कर में छूट)** जैसी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।
- **नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (NDTSP) को लागू करना:** NDTSP को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक **व्यापक और स्पष्ट रूपरेखा** तैयार की जानी चाहिए। साथ ही, इसके क्रियान्वयन की **प्रगति की निगरानी और प्रभावी मूल्यांकन** के लिए एक **मजबूत निगरानी तंत्र** की स्थापना आवश्यक है।

## 3.2. इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (Electronics Component Manufacturing Scheme: ECMS)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने **इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना** को अधिसूचित किया।

**इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के बारे में**

- **मंत्रालय:** केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY)
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों (कंपोनेंट्स) के विनिर्माण के लिए एक अनुकूल माहौल बनाकर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूत करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को **ग्लोबल वैल्यू चेन** के साथ एकीकृत किया जाएगा और वैल्यू चेन में घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से **निवेश** आकर्षित किया जाएगा।
  - इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण, उत्पादन और वितरण से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल होती हैं।
- **निम्नलिखित सेग्मेंट्स पर अधिक बल दिया जाएगा:**
  - **सब-असेंबली** (जैसे- डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल)
  - **बेयर कंपोनेंट** (जैसे- मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आदि)
  - **सेलेक्टेड बेयर कंपोनेंट** (जैसे- फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आदि)
  - **आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम और पूंजीगत उपकरण** (जैसे- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामान, आदि)
- **अलग-अलग सेग्मेंट्स के लिए प्रस्तावित राजकोषीय प्रोत्साहन के प्रकार:**
  - **टर्नओवर के आधार पर** (वृद्धिशील टर्नओवर/ बिक्री पर): सब-असेंबली और बेयर कंपोनेंट के लिए।
  - **कैपेक्स या पूंजीगत व्यय के आधार पर (पात्र पूंजीगत निवेश पर):** इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हेतु आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम और पूंजीगत उपकरणों के लिए।
  - **हाइब्रिड प्रोत्साहन** (उपर्युक्त दोनों सेग्मेंट्स के लिए): उद्योग की जरूरतों के आधार पर चुनिंदा बेयर कंपोनेंट के लिए।
- **योजना अवधि:**
  - **टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन:** 6 वर्षों के लिए, जिसमें शुरुआती एक वर्ष का गेस्टेशन पीरियड (निवेश या व्यवसाय की शुरुआत से लेकर लाभ या रिटर्न मिलने में लगने वाला समय) शामिल है।
  - **कैपेक्स प्रोत्साहन:** 5 वर्ष तक।
- **पात्रता:** इस योजना के तहत, पात्र सेग्मेंट्स में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, दोनों प्रकार की परियोजनाओं की अनुमति दी गई है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना को **MeitY** द्वारा एक **नोडल एजेंसी** के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। यह नोडल एजेंसी **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** की भूमिका निभाएगी।

**भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक का महत्व**

- **आर्थिक क्षमता:** इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भारत में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले क्षेत्रकों में शामिल है। **वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24** के बीच देश में **इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन में पांच गुना वृद्धि** दर्ज की गई है।
  - वर्तमान समय में **भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रक 150 बिलियन डॉलर से अधिक का है।** इस दशक के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रक की वैल्यू **500 बिलियन डॉलर** तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **निर्यात वृद्धि:** इस क्षेत्रक ने **वित्त वर्ष 2024** में भारत के कुल निर्यात में **29.12 बिलियन डॉलर** का योगदान दिया। भारत में वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में 20% से अधिक की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर (CAGR)[40] दर्ज की गई है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** विशेष रूप से रक्षा क्षेत्रक में विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भरता देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही, भारतीय **डेटा के दुरुपयोग** होने और **संकट के समय आपूर्ति श्रृंखला या आयात बाधित होने का खतरा** बना रहता है।
  - **भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त सहयोग** के तहत भारत का पहला **राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट स्थापित** किया जाएगा। यह प्लांट **सैन्य हार्डवेयर के लिए चिप का विनिर्माण करेगा।**
- **उद्योगों में तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा:** उदाहरण के लिए, 5G प्रौद्योगिकी से रिमोट-सर्जरी (दूर से ही सर्जरी) और ऑटोनोमस वाहनों को बढ़ावा मिल रहा है।

## भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक के व्यापक विकास हेतु सरकारी योजनाएं

**मेक इन इंडिया (2014)**
भारत को वैश्विक विनिर्माण हब में बदलना

**चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) (2017)**
बड़े पैमाने पर मोबाइल डिवाइस के उत्पादन को प्रोत्साहित करना

**उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना (2020)**
मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की वृद्धिशील बिक्री पर 5 वर्षों तक 3-6% प्रोत्साहन

**इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPECS)**
प्रमुख घटक या उपकरण और सब-असेम्बली पर पूंजीगत व्यय का 25% प्रोत्साहन

**सेमीकॉन इंडिया (2021)**
76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का विकास करना

**इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (2021)**
भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में विनिर्माण, पैकेजिंग और डिजाइन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना

**भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां**

- **विनिर्माण की उच्च लागत:** कई तरह के टैरिफ स्लैब एवं सरचार्ज, कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत जैसे कारक भारत में विनिर्मित उत्पादों को विश्व के बाजारों में महंगा बना देते हैं।
  - भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़ी कंपनियों को इनपुट की ऊंची लागत और अधिक आयात शुल्क का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें चीन की तुलना में विनिर्माण सामग्री पर **4% से 5% तक की प्रतिस्पर्धात्मक हानि** उठानी पड़ती है।
  - **उत्पादन बढ़ाने की चुनौतियां:** भारत में ऐसे घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की संभावनाएँ मौजूद हैं जो कम तकनीकी जटिलता वाले हैं या जिन्हें स्थानीय स्तर पर तैयार किया जा सकता है, जैसे- केसिंग, कांच आदि।

---

[40] Compound Average Growth Rate


©Vision IAS

- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा डिजाइन के लिए अनुकूल माहौल का अभाव:** भारत **R&D पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम खर्च करता** है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन (2.5% से अधिक) की तुलना में बहुत कम है।
- **वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मांग में भारत की कम हिस्सेदारी:** जिन मुख्य **ग्लोबल ब्रांड्स का 80% इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर प्रभुत्व** है, उनमें से अधिकांश भारत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की आपूर्ति नहीं लेते, जिससे इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी बेहद सीमित रह जाती है।
- **क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर बहुत अधिक निर्भरता:** क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति पर हमेशा खतरा बना रहता है। साथ ही, मूल्य में भी उतार-चढ़ाव देखा जाता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल की कमी:** इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक में जो संवृद्धि दर देखी जा रही है उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण की दर कम है। इसकी वजहें हैं- **अधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)** की जरूरत और **निवेश पर कम टर्नओवर प्राप्त होना।**
  - **लंबा गेस्टेशन पीरियड:** कंपोनेंट्स विनिर्माण में निवेश और इनके उत्पादन के बीच **1-2 वर्ष का अंतराल देखा जाता** है। इसका मतलब है कि निवेश पर रिटर्न जल्दी प्राप्त नहीं होता है।
- **तकनीकी चुनौतियां:** भारतीय विनिर्माताओं के पास वर्तमान में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स के विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों और कौशल का अभाव है। इन्हें अन्य देशों से **प्रौद्योगिकी प्राप्त होने का इंतजार करना पड़ता** है।

**आगे की राह (नीति आयोग की एक रिपोर्ट "इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना"** के अनुसार)

- **राजकोषीय उपाय:**
  - **इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के विनिर्माण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन:**
    - **ओपेक्स/Opex (ऑपरेटिंग व्यय) में मदद करना:** कम जटिलता वाले/ स्थानीय रूप से उत्पादित कंपोनेंट्स (नॉन-SMT ग्रेड, केसिंग, ग्लास, आदि) के **विनिर्माण को बढ़ाने** के लिए ऑपरेटिंग व्यय में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
    - **पूंजीगत व्यय में सहायता:** अधिक जटिल कंपोनेंट्स {मैकेनिक्स, पूंजीगत वस्तु, विशेष घटक (SMD ग्रेड), लिथियम-आयन सेल} के विनिर्माण में वित्तीय मदद दी जानी चाहिए।
    - **अधिक जटिल कंपोनेंट्स के विनिर्माण में हाइब्रिड सपोर्ट:** SMD ग्रेड, 8 लेयर+ PCB पैसिव आदि के लिए।
  - भारतीय कंपनियों के SMEs/ R&D केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नवाचार योजना शुरू की गई है। यह योजना भारतीय कंपनियों को अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
  - बड़े आकार के क्लस्टर विकसित करना, श्रमिकों के लिए आवास सुविधाएं प्रदान करना, स्थानीय नियमों और विनियमों (जैसे- श्रम कानून) को सरल और अनुकूल बनाना, क्लस्टर गवर्नेंस को बढ़ावा देना, आदि।
- **गैर-राजकोषीय यानी अन्य तरह के समर्थन:**
  - **इनपुट (कच्चे माल) पर प्रशुल्क को कम करना चाहिए।** इससे निर्यातित उत्पाद सस्ते हो जाएंगे और विदेशी बाजारों में इनकी मांग बढ़ेगी।
  - हाई टेक कंपोनेंट्स के विनिर्माण एवं डिजाइन के लिए विदेशों से कुशल लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने में भी उनकी मदद ली जा सकती है। विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए तुरंत वीजा देने की नीति अपनानी चाहिए।
  - एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के विनिर्माण और उच्च तकनीकी कौशल वाली प्रतिभाओं को बढ़ावा देने लिए **शिक्षा एवं उद्योग जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।**
  - कंपोनेंट्स विनिर्माण के लिए **मंजूरी प्रक्रिया और उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।**

## 3.3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana: PMMY)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

8 अप्रैल, 2025 को **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 10 वर्ष** पूरे हो गए।

**PMMY के बारे में**

- **मंत्रालय:** वित्त मंत्रालय
- **शुरुआत:** वर्ष 2015

## प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के उद्देश्य

- देश में सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी बाधा के **बिना कुछ गिरवी रखे (कोलेटरल फ्री) ऋण** प्रदान करना।
- लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जोड़कर तथा उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर **वित्त-पोषण से वंचित लोगों को वित्त** प्रदान करना।
- हाशिए पर पड़े और अब तक सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का **वित्तीय समावेशन** और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- PMMY के अंतर्गत मुद्रा ऋण किसी भी बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs)[41], गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies: NBFCs) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि की **नजदीकी शाखा से प्राप्त** किया जा सकता है।
  - कर्ज लेने वाला व्यक्ति **मुद्रा ऋण के लिए उदयमित्र पोर्टल (Udyamimitra portal)** पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है।
- **मुद्रा/ MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड)** अपने मध्यस्थों अर्थात् बैंकों, MFIs और NBFCs को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है।
  - **मुद्रा** एक पुनर्वित्त एजेंसी (Refinance Agency) है, न कि प्रत्यक्ष ऋण देने वाली संस्था।
  - **मुद्रा** एक वेब पोर्टल का प्रबंधन करके PMMY डेटा की निगरानी करती है। साथ ही, PMMY के तहत दिए गए ऋणों के लिए गारंटी की सुविधा प्रदान करती है और समय-समय पर इसे सौंपी गई अन्य गतिविधियों का संचालन भी करती है।
- **मुद्रा ऋण की श्रेणियां:**
  - **शिशु:** 50,000 रुपये तक का ऋण;
  - **किशोर:** 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण;
  - **तरुण:** 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण; तथा
  - **तरुण प्लस:** 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक का ऋण।
    - तरुण प्लस उन उद्यमियों के लिए एक विशेष श्रेणी है, जिन्होंने **'तरुण'** श्रेणी के तहत पिछले ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान किया है।
- **वित्तीय सहायता के प्रकार:** टर्म लोन (Term Loan); ओवरड्राफ्ट सीमा (Overdraft Limit); कार्यशील पूंजी (Working Capital); पूंजीगत सामानों की खरीद के लिए कंपोजिट ऋण (Composite Loan for Acquiring Capital) आदि।
  - प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत स्वीकृत **10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट राशि** को भी PMMY के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**मुद्रा योजना से अन्य लाभ**

- **मुद्रा कार्ड:** यह ऋण लेने वालों को ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में **कार्यशील पूंजी (Working capital) जुटाने की सुविधा** प्रदान करता है।
- **मुद्रा मित्र:** यह न एक मोबाइल फोन एप्लिकेशन है। यह ऋण के आवेदक को PMMY के तहत मुद्रा ऋण प्राप्त करने हेतु किसी बैंक से संपर्क करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

### PMMY की मुख्य विशेषताएं

- **गिरवी या जमानत (Collateral) की आवश्यकता नहीं:** मुद्रा योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए किसी चीज को गिरवी रखने या किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
  - ऋण की गारंटी **क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU)** द्वारा दी जाती है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट फंड है, जिसका प्रबंधन ट्रस्टी के रूप में **नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC)** द्वारा किया जाता है।
- **ब्याज दर:** ब्याज दरों को **विनियमन मुक्त** कर दिया गया है यानी ऋणदाता संस्थाएं स्वयं अपनी ब्याज दरें तय कर सकती हैं।

---

[41] Micro Finance Institutions

- हालांकि, योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए, PMMY के तहत सभी पात्र आवेदकों को **शिशु सेगमेंट ऋण का त्वरित भुगतान करने पर 12 महीने की अवधि के लिए 2% की ब्याज छूट** दी जाती है।
- इसके अलावा, **मुद्रा (MUDRA)** ने **महिला उद्यमियों** को ऋण प्रदान करने वाले MFIs/ NBFCs को अपनी ब्याज दरों में **25 बेसिस प्वाइंट्स (bps) की छूट** दी है।

- **ऋण में लगातार वृद्धि (शिशु से तरुण तक): किशोर श्रेणी के ऋणों** की हिस्सेदारी **वित्त वर्ष 2016 के 5.9%** से बढ़कर **वित्त वर्ष 2025 में 44.7%** हो गई है। ये आंकड़े सूक्ष्म से लघु उद्यमों की ओर बढ़ने का संकेत है।
  - **तरुण श्रेणी** भी गति पकड़ रही है, जो साबित करती है कि **मुद्रा (MUDRA)** केवल व्यवसाय शुरू करने पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि उन्हें बढ़ाने में भी मदद करती है।
- **क्षेत्रीय असमानता को कम करने में मदद करती है:** SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रा ऋणों के वितरण में बदलाव आया है। विकसित क्षेत्रों को आवंटित अनुपात में कमी आई है, जबकि अविकसित क्षेत्रों, जैसे- बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को ऋण आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **पहली बार उद्यम करने वालों को बढ़ावा:** मुद्रा के तहत दिए गए 52 करोड़ ऋणों में से 10.6 करोड़ से अधिक ऋण पहली बार उद्यम करने वालों को दिए गए हैं।
- **वित्तीय समावेशन:**

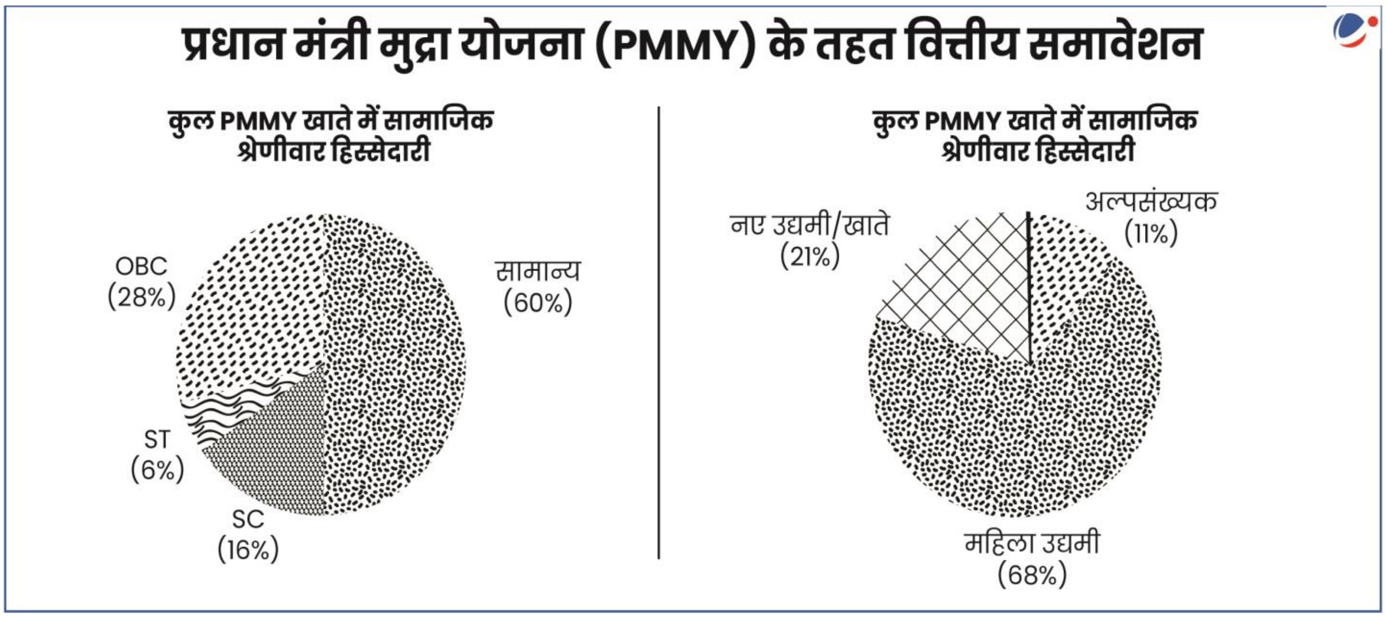


- **अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल:** मुद्रा, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। यह पहल इन सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देने के लिए मेक इन इंडिया पहल, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि के साथ अच्छी तरह से समन्वय करती है।

### PMMY से जुड़े मुद्दे

- **मुद्रा ऋण में उच्च NPAs:** वित्त वर्ष 2025 में PMMY के तहत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) कुल मिलाकर 2.21% हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों ने 3.6% का उच्च औसत NPA  दर्ज किया है।
  - हालांकि, हालिया दिनों में मुद्रा लोन के तहत NPAs में सुधार हो रहा है।
- **योजना के डिजाइन से संबंधित मुद्दे:**
  - **क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU)** के तहत, डिफॉल्ट ऋण के लिए कवर की जाने वाली **राशि की ऊपरी सीमा 15%** है। यह बैंकों के लाभों को सीमित करती है। इसका अर्थ है कि यदि ऋण चुकाने में कोई डिफॉल्ट होता है, तो CGFMU केवल ऋण की राशि के 15% तक ही गारंटी प्रदान करता है।
  - **अन्य मुद्दे:** उच्च गारंटी शुल्क; पुनर्वित्त के मामले में ब्याज की उच्च दरें; जमानत मुक्त ऋण होने के कारण डिफ़ॉल्ट होने का जोखिम; इत्यादि।

- **कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां:** ज्यादातर ऋण लेने वाले को बुनियादी दस्तावेजों के बारे में जानकारी नहीं होती। ऋण आवेदकों की अधिकांश अस्वीकृति CIBIL जांच स्तर पर और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण होती है।
- **ऋण अनुशासन का अभाव:** कभी-कभी ऋण को व्यक्तिगत उपयोग के लिए खर्च कर दिया जाता है। इससे ऋण के पुनर्भुगतान में चूक होती है।
- **खराब निगरानी और मूल्यांकन:** सूक्ष्म उद्यमियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए मानकीकृत प्रक्रिया का अभाव है, क्योंकि ऋणी का बार-बार एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरण होता रहता है।

**मुद्रा ऋण में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम**

- **वित्तीय जागरूकता का प्रसार करना:** उद्यमियों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि वे **अपने वित्त का प्रभावी प्रबंधन**, **डिफॉल्ट दरों में कमी**, **वित्तीय स्थिति में सुधार**, और **व्यवसाय संचालन को विस्तार** देने के लिए आवश्यक ज्ञान व समझ प्राप्त कर सकें। इससे उन्हें दीर्घकालिक सफलता के लिए सशक्त बनाया जा सकेगा।
- **संवर्धित ऋण गारंटी योजना (ECGS)[42]:** इससे बैंकों को लघु और सूक्ष्म उद्यमों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।
- **महिला उद्यमियों के लिए ऋण सीमा बढ़ाना:** महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए **उच्च ऋण सीमा, ब्याज में विशेष छूट, या महिलाओं के लिए लक्षित योजनाएं** प्रदान की जानी चाहिए। इससे योजना की पहुँच और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि हो सकेगी।
- **एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क (RMEF)[43] लागू करना:** वास्तविक समय में ऋण वितरण, उपयोग और पुनर्भुगतान को ट्रैक करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, ऋण का दुरुपयोग कम होगा और योजना की दक्षता में सुधार होगा। साथ ही, इससे हितधारकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

**निष्कर्ष**

औसत ऋण आकार में वृद्धि, MSME ऋण की बढ़ती हिस्सेदारी तथा सूक्ष्म से लघु उद्यमों की ओर संक्रमण, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। PMMY न केवल स्वरोजगार और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि भारत की जमीनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है और समान विकास को आगे बढ़ा रही है।

## 3.4. एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (One State, One RRB)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने **"एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" सिद्धांत के आधार पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)[44] के विलय** को अधिसूचित किया।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- केंद्र सरकार ने RRBs का विलय **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है।
- यह **विलय का चौथा चरण** है। इस विलय के बाद, **26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अब 28 RRBs होंगे**, जो पहले **43** थे।
  - उत्तर प्रदेश राज्य के सभी ग्रामीण बैंकों (बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक एवं प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक) को मिलाकर एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - **"उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक"** बना दिया गया है।
- विलय का **पहला चरण (वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2010) डॉ. व्यास समिति की सिफारिशों** पर आधारित था। इसमें **एक राज्य के भीतर एक ही प्रायोजक बैंक के तहत RRBs के विलय** पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) के बारे में**

- **उत्पत्ति: नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975)** की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1975 को RRBs की स्थापना हुई थी।

---

[42] Enhanced Credit Guarantee Scheme

[43] Robust Monitoring and Evaluation Framework

[44] Regional Rural Banks

- पहले पांच RRBs की स्थापना **2 अक्टूबर, 1975** को एक **अध्यादेश** के माध्यम से की गई थी। बाद में **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** द्वारा इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया गया था।

- **RRBs का स्वामित्व:** संयुक्त रूप से -
  - **केंद्र सरकार: 50%** हिस्सेदारी;
  - **राज्य सरकार: 15%** हिस्सेदारी; तथा
  - **प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक: 35%** हिस्सेदारी
- **विनियमन और पर्यवेक्षण:** RRBs का विनियमन **भारतीय रिजर्व बैंक** द्वारा **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के अंतर्गत किया जाता है। **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/ NABARD)** इनका **पर्यवेक्षण** करता है।
  - कर उद्देश्यों से **आयकर अधिनियम, 1961** के अंतर्गत इन्हें **सहकारी संस्थाओं** के रूप में दर्जा प्राप्त है।
- **RRBs के लिए मुख्य आवश्यकताएं:**
  - इन्हें **समायोजित निवल बैंक ऋण** (ANBC)[45] या **क्रेडिट एक्विवैलेन्ट ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (CEOBE)** (जो भी अधिक हो) का **75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL)** के रूप में वितरित करना पड़ता है। सरल शब्दों में, RRBs को अपने कुल ऋण का 75% हिस्सा PSL को देना पड़ता है।
  - RBI के नियमानुसार इन्हें **9%** का **जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)**[46] बनाए रखना अनिवार्य है।

**एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का महत्त्व**

**डेटा बैंक**

**नाबार्ड के अनुसार, मार्च 2024 तक भारत में RRBs की स्थिति**

- **92%** शाखाएं ग्रामीण/ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित
- 700 जिलों में कुल **22,000** से अधिक शाखाएं
- इन बैंकों में कुल **6.6 लाख करोड़** रुपये की जमा राशि
- कुल **3 करोड़** ऋण खाते

- **व्यावसायिक गतिविधियों में तीव्र गति से वृद्धि:** RRBs का कुल कारोबार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में, **वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 5.2%** तक पहुंचने की उम्मीद है, जो **वित्त वर्ष 2024 में लगभग 3.7%** था।
- **वित्तीय लाभ:** एकीकृत RRBs के पास-
  - **अधिक पूंजी आधार होगा:** इससे वे RBI द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा कर सकेंगे।
  - **बेहतर तरलता स्थिति होगी:** धन की उपलब्धता बढ़ने से तरलता की स्थिति में सुधार होगा, तथा इकोनॉमी ऑफ़ स्केल की वजह से बैंकिंग सेवाएं अधिक कुशल बनेंगी और संचालन की लागत में भी कमी आएगी।
- **नियमों एवं मानदंडों का बेहतर अनुपालन:** एकीकृत RRB नियमों के पालन को केंद्रीकृत कर सकता है, जैसे कि धन-शोधन विरोधी जांच, KYC सत्यापन तथा RBI और नाबार्ड को रिपोर्ट करना।
- **ऋण देने की क्षमता में वृद्धि:** इससे ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर MSMEs और कृषि को अधिक ऋण प्रवाह संभव हो सकेगा।
  - वित्त वर्ष 2022-23 में, कुल कृषि ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 11.2% हिस्सेदारी थी।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना:** बेहतर तकनीक और अवसंरचना से डिजिटल पहुंच का विस्तार हो सकता है तथा सरकारी योजनाओं के अनुरूप उत्पाद नवाचार को समर्थन मिल सकता है।
  - उदाहरण के लिए- कुछ RRBs ने ग्राहक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं, जैसे- **माइक्रो ATMs, कॉल सेंटर्स, नेट बैंकिंग, वीडियो KYC, RTGS, IMPS आदि** को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** एकत्रित संसाधन और विशेषज्ञता से विविधीकृत एवं स्थानीय रूप से तैयार उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इससे RRBs की बाजार में स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच में वृद्धि होगी।

---

[45] Adjusted Net Bank Credit

[46] Capital to Risk-Weighted Assets Ratio

    - RRBs छोटे व्यवसायों के लिए **सूक्ष्म वित्त के विविध विकल्प, मौसमी फसलों से जुड़ी अलग-अलग बचत योजनाएं**, तथा **बीमा सुविधाओं के साथ संयुक्त उत्पाद** जैसी योजनाएं पेश कर सकते हैं, जो ग्रामीण ग्राहकों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करती हैं।
- **एकीकृत आई.टी. और तकनीकी अवसंरचना:** आईटी और तकनीकी प्रणालियों का एकीकरण **विलय के बाद की इकाई को अधिक मजबूत और सक्षम** बना सकता है। इससे **साइबर सुरक्षा में सुधार**, **धोखाधड़ी की बेहतर निगरानी**, तथा **बिग डेटा एनालिटिक्स** के माध्यम से **स्मार्ट निर्णय-निर्माण** जैसी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं।
- **अन्य लाभ:**
    - **परिचालन या कामकाज में दक्षता:** इसे **शाखा नेटवर्क की पुनर्संरचना**, **अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त करने**, और **दैनिक परिचालन व्ययों (ओवरहेड्स)** में कटौती के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
    - विविध कौशलों में सक्षम **कार्मिकों के एक बड़े समूह की उपलब्धता सुनिश्चित** होगी।
    - क्षेत्रीय रूप से मजबूत प्रायोजक बैंकों के साथ RRBs को एकीकृत करके **निरीक्षण और परिचालन संबंधी गाइडलाइन को बेहतर** किया जा सकता है।

| RRBs के एकीकरण में चुनौतियां | |
|---|---|
| **परिचालनात्मक (Operational)** | **प्रशासनिक और हितधारक प्रबंधन** |
| • एकीकृत होने वाले बैंकों की **परिचालनात्मक और संगठनात्मक संरचना में अंतर।**<br>• **अप्रत्याशित देरी और डाउनटाउन,** जिसका ग्राहकों पर प्रभाव पड़ता है।<br>• दस्तावेजों और फाइलों की भौतिक आवाजाही एवं रखरखाव से जुड़ी **परिचालन संबंधी कठिनाई।** | • एकीकृत होने वाले बैंकों में **कार्यबल पुनर्गठन और कर्मचारियों की आवाजाही** से संबंधित मुद्दे।<br>• विभागों और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के बीच **अपडेट को ट्रैक करने में कठिनाइयां।** |
| **वित्तीय** | **तकनीकी** |
| • खातों की संरचना में अंतर और शाखा तथा कॉर्पोरेट लेजर की मैपिंग में विविधता जैसी वित्तीय असंगतियां एकीकरण की प्रक्रिया को जटिल बना देती हैं।<br>• एकीकरण के बाद CRAR अनुपात पर **प्रतिकूल प्रभाव की संभावना।**<br>• प्रतिभूतियों, निधियों और निवेशों के **प्रवाह में जटिलताएं।** | • समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (Consolidated Banking Statistics: CBS) डेटा के सुरक्षित माइग्रेशन को सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दे।<br>• ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और माइग्रेट किए गए डेटा के बैकअप सहित विशाल मात्रा में डेटा का सुरक्षित और सही तरीके से स्थानांतरण सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। |

**निष्कर्ष**

"एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, मानव संसाधन नीतियों को सुसंगत बनाना, डिजिटल प्रणालियों को एकीकृत करना, शाखा संचालन को सुव्यवस्थित करना और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप उत्पादों को तैयार करना महत्वपूर्ण है। इससे NPA की वसूली में तेजी लाने, राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन करने और नियमित वित्तीय समीक्षा करने से चुनौतियों का समाधान करने तथा वित्तीय स्थिरता एवं ग्रामीण समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

## 3.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 3.5.1. भारत का विदेशी ऋण (India's External Debt)

वित्त मंत्रालय की तिमाही विदेशी ऋण रिपोर्ट (दिसंबर 2024) के अनुसार, दिसंबर 2023 की तुलना में **विदेशी ऋण में 10.7% की वृद्धि** हुई है। इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से **मूल्यांकन प्रभाव** जिम्मेदार है।

- **मूल्यांकन प्रभाव** तब होता है, जब **अमेरिकी डॉलर** के मुकाबले **भारतीय रुपये** की कीमत **घटती** है।

**इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी ऋण का अनुपात:** यह सितंबर, 2024 के **19.0%** से बढ़कर दिसंबर, 2024 में **19.1%** हो गया है।
- **संरचना:** इसमें **सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य-वर्गित (Denominated) ऋण** की है।
- **डेब्ट सर्विस (मूलधन तथा ब्याज का भुगतान):** इसमें **0.1% की गिरावट** (सितंबर-दिसंबर, 2024) आई है।
- **दीर्घकालीन बनाम अल्पकालीन ऋण:** दीर्घकालीन ऋण में **मामूली वृद्धि** और अल्पकालीन ऋण में **मामूली गिरावट** देखी गई है।

**विदेशी ऋण के बारे में**

- **अर्थ:** यह वह धन है, जो भारत सरकार और कंपनियों द्वारा देश से बाहर के स्रोतों से उधार लिया जाता है (जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी)।
  - यह आमतौर पर **अमेरिकी डॉलर, विशिष्ट आहरण अधिकार (SDR)** आदि  के रूप में लिया जाता है।
- **स्रोत:** इसमें **विदेशी वाणिज्यिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान** (जैसे IMF, विश्व बैंक आदि) **या कोई अन्य देश** हो सकते हैं।

**बढ़ते विदेशी ऋण से जुड़ी चुनौतियां**

- **ऋण चुकाने का बोझ:** यह आमतौर पर **अन्य मुद्राओं** में लिया जाता है। इसलिए, विनिमय दर में बदलाव से ऋण के बोझ में भी वृद्धि हो सकती है।
- **बढ़ती मुद्रास्फीति:** दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के चलते ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। इससे आर्थिक संवृद्धि धीमी हो सकती है और GDP के अनुपात में विदेशी ऋण भी बढ़ सकता है।
- **वैश्विक परिदृश्य:** वैश्विक स्तर पर **स्टैगफ्लेशन** का खतरा भारत से निर्यात की मांग को घटा सकता है, जो डेब्ट सर्विस अनुपात को प्रभावित कर सकता है।

### 3.5.2. MoSPI ने कैपेक्स/ CAPEX (पूंजीगत व्यय) सर्वेक्षण जारी किया {MoSPI Releases Capex (Capital Expenditure) Survey}

**'निजी क्षेत्रक के पूंजीगत व्यय निवेश लक्ष्यों पर फॉरवर्ड-लुकिंग सर्वेक्षण (कैपेक्स सर्वेक्षण)' सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008** के तहत आयोजित किया गया था। यह **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** द्वारा आयोजित अपनी तरह का पहला सर्वेक्षण था।

- ध्यातव्य है कि **NSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक सांख्यिकीय शाखा** है।

**सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष**

- वित्त वर्ष **2022 से 2025 तक निजी क्षेत्रक का पूंजीगत व्यय (CAPEX) 66%** बढ़कर लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
- वित्त वर्ष 24-25 में **निजी क्षेत्रक के कुल पूंजीगत व्यय में विनिर्माण उद्यमों** का योगदान **48%** था।
- **2024-25** में, अधिकांश उद्यमों ने **पूंजीगत व्यय को मुख्य परिसंपत्तियों पर केंद्रित** किया था, जबकि अन्य ने **मूल्यवर्धन, अवसरवादी परिसंपत्तियों और विविध रणनीतियों** में निवेश किया था।

**पूंजीगत व्यय (CAPEX) का महत्त्व**

- **पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों पर खर्च करना शामिल है:** इससे व्यवसाय को दीर्घकालिक लाभ होता है। उदाहरण के लिए- संपत्ति, उपकरण, नई तकनीक हासिल करना आदि।
- **रणनीतिक निर्णय लेना:** पूंजीगत व्यय संबंधी निर्णय रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। ये प्राथमिकताएं भविष्य की संवृद्धि को गति देने के लिए संसाधनों के आवंटन को निर्धारित करती हैं।
- **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:** पूंजीगत व्यय में निवेश करके, कंपनियां अपनी परिचालन दक्षता बढ़ा सकती हैं, उत्पादों या सेवाओं में नवीनता ला सकती हैं तथा प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकती हैं।
- **परिसंपत्ति रखरखाव और उन्नयन:** मौजूदा परिसंपत्तियों को बनाए रखने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने, या उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है।
- **निवेशकों का विश्वास:** पूंजीगत व्यय निवेशकों को यह संकेत देता है कि कंपनी दीर्घकालिक विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है।

**निजी क्षेत्रक के पूंजीगत व्यय में आने वाली प्रमुख चुनौतियां**

- बड़ी इक्विटी और किफायती कर्ज जुटाने में कठिनाई आती है;
- जोखिम आकलन और शमन से संबंधित परियोजना संरचना संबंधी मुद्दे;
- मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी आदि।

**पूंजीगत व्यय के बारे में**

- **परिभाषा:** पूंजीगत व्यय वह धन है जो सरकार मशीनरी, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च करती है।
- **पूंजीगत व्यय में निम्नलिखित पर खर्च किया गया धन शामिल है:** अचल और अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण; मौजूदा परिसंपत्तियों का उन्नयन; मौजूदा परिसंपत्तियों की मरम्मत और ऋण का भुगतान।

| पहलू | पूंजीगत व्यय | राजस्व व्यय |
|---|---|---|
| **प्रकृति** | भविष्य के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करता है | परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता या देनदारियों को कम नहीं करता |
| **प्रभाव** | दीर्घकालिक लाभ या प्रतिफल प्राप्त होता है | दिन-प्रतिदिन का परिचालन व्यय। |
| **अवधि** | एकमुश्त या कभी-कभार व्यय करना | चालू, आवर्ती व्यय |

### 3.5.3. तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025 (Coastal Shipping Bill, 2025)

हाल ही में, **लोक सभा** ने **तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025** पारित किया।

**तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025 का उद्देश्य**

- **तटीय पोत परिवहन** के विनियमन से संबंधित कानूनों को समेकित करना।
- सभी प्रकार के जलयानों, जिनमें **पोत, नाव, नौकायन पोत, मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग यूनिट्स** शामिल हैं, को विनियमित करना।
- **मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के भाग XIV को निरस्त करना,** जो तटीय जल के भीतर व्यापार में संलग्न नौकायन पोतों के अलावा अन्य जलयानों को विनियमित करता है।

**शब्दावली को जानें**

- इस विधेयक के तहत, **"तटीय जल (Coastal Waters)"** से आशय भारत के प्रादेशिक जल के किसी भी भाग से है, साथ ही इसमें महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अंतर्गत आने वाले भारत से सटे अन्य समुद्री क्षेत्रों के वे हिस्से भी शामिल हैं, जहाँ तटीय व्यापार संचालित होता है।

**तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025 के मुख्य प्रावधान**

- **तटीय व्यापार के लिए लाइसेंस:** विदेशी जलयानों के लिए नौवहन महानिदेशालय (DGS)[47] द्वारा जारी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जबकि भारतीय जलयानों को इससे छूट दी गई है।
  - **तटीय व्यापार** से आशय भारत में एक स्थान या बंदरगाह से दूसरे स्थान या बंदरगाह तक **समुद्री मार्ग से माल या यात्रियों के परिवहन** या तटीय जल के भीतर कोई सेवा प्रदान करने से है। हालांकि इसमें **किसी भी तरह से मछली पकड़ना शामिल नहीं** है।
- **रणनीतिक योजना और डेटा संग्रह:** विधेयक में **राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत-परिवहन रणनीतिक योजना तथा राष्ट्रीय तटीय पोत-परिवहन डेटाबेस** बनाना अनिवार्य किया गया है।
  - राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत-परिवहन रणनीतिक योजना को **प्रत्येक दो वर्षों में अपडेट** करना होगा।
- **नौवहन महानिदेशालय (DGS) के अधिकार:** DGS को **सूचना प्राप्त करने, निर्देश जारी करने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित** करने जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- **केंद्र सरकार का नियंत्रण:** यह विधेयक केंद्र सरकार को **नियमों में छूट देने और नियमों के अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति प्रदान** करता है, ताकि भारत में तटीय पोत-परिवहन के संचालन को सुविधाजनक और प्रभावी बनाया जा सके।
- **अन्य प्रावधान:** यह विधेयक भारतीय संस्थाओं द्वारा किराए पर लिए गए विदेशी जलयानों को विनियमित करता है। साथ ही नियमों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है तथा जलयान विनियमन से जुड़े प्रमुख तंत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भागीदारी प्रदान करता है।

## 3.5.4. नई इस्पात नीति (New Steel Policy)

केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने संशोधित **'घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (DMI&SP)[48] के लिए नीति-2025'** को अधिसूचित किया है।

**DMI&SP नीति क्या है?**

- इसे 2017 में जारी किया गया तथा 2019, 2020 और अब 2025 में संशोधित किया गया।
- इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी संस्थाएं अपनी खरीद में देश में निर्मित स्टील को प्राथमिकता दें, जिससे घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिल सके।

**संशोधित नीति की मुख्य विशेषताएं**

- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय इस्पात मंत्रालय
- **किन पर लागू होगी:** सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग और संबद्ध एजेंसियां - जिनमें सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम (PSUs), सोसायटी, ट्रस्ट और वैधानिक संस्थाएं शामिल हैं।
  - 5 लाख रुपये से अधिक की सभी प्रकार की सरकारी खरीद पर लागू होगी।
- **शामिल की गई सामग्री: "मेल्ट एंड पोर"** स्थिति में इस्पात, जैसे कि फ्लैट-रोल्ड स्टील, बार, आदि।
  - **मेल्ट एंड पोर** से तात्पर्य उस इस्पात से है जिसे इस्पात बनाने वाली भट्टी में तैयार किया गया है और पहली बार ठोस आकार में ढाला गया है।
- **वैश्विक निविदाओं पर प्रतिबंध:** कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर लौह और इस्पात उत्पादों के लिए कोई **ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (GTE)** नहीं होगी। इसका मतलब है कि वैश्विक कंपनियों से खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित नहीं किए जाएंगे।
- **देश में मूल्य संवर्धन (DVA) पर जोर:** भट्टियों (Furnaces) और रोलिंग मिल्स जैसी पूंजीगत वस्तुओं में देश में कम-से-कम **50% मूल्य संवर्धन अनिवार्य** किया गया है।
- **रेसिप्रोकल क्लॉज:** यह उन देशों के आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाता है जो भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी संस्थाओं द्वारा इस्पात खरीद में तब तक रोक लगाते हैं। हालांकि, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय कुछ मामलों में इसकी अनुमति दे सकता है।

**नीति में संशोधन क्यों किया गया?**

- **इस्पात आयात से घरेलू उद्योगों के लिए बढ़ता खतरा:** भारत तैयार इस्पात का **शुद्ध आयातक** है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से सस्ते इस्पात के आयात में वृद्धि दर्ज की गई है जबकि निर्यात में गिरावट आई है।

---

[47] Director General of Shipping

[48] Domestically Manufactured Iron & Steel Products

- **वैश्विक बाजारों में मंदी:** देश में इस्पात उत्पादन क्षमता में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है जबकि विश्व में इस्पात की मांग में गिरावट दर्ज की जा रही है।
- **सरकारी खरीद की रणनीतिक भूमिका:** भारत में तैयार इस्पात के 25-30% हिस्से को सरकार बुनियादी ढांचे, रेलवे और रक्षा के लिए खरीदती है।
    - संशोधित नीति सरकारी मांग बढ़ाकर स्थानीय उद्योग को समर्थन प्रदान करेगी।

***<u>नोट:</u>*** *<u>इस्पात क्षेत्रक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर, 2024 की मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.9. (भारत में इस्पात क्षेत्रक) देखिए।</u>*

## 3.5.5. स्रोत पर कर संग्रह (Tax Collected at Source: TCS)

हाल ही में, आयकर विभाग ने **विलासिता की उन वस्तुओं की सूची अधिसूचित** की है, जिन पर करदाताओं को **1% टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स** का भुगतान करना होगा।

**टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (TCS) के बारे में**

- यह **विक्रेता द्वारा देय कर है,** जिसे वह वस्तु की बिक्री के समय क्रेता से एकत्र करता है।
- **आयकर अधिनियम की धारा 206** में उन वस्तुओं की सूची दी गई है, जिन पर विक्रेता को क्रेता से कर एकत्र करना चाहिए।
- **CGST अधिनियम, 2017 की धारा 52** में कर योग्य आपूर्ति के संबंध में ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स का प्रावधान किया गया है।
- **विक्रेता को TCS के तहत अधिकृत किसी भी व्यक्ति या संगठन** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें **केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, साझेदारी फर्म** आदि शामिल हैं।

### 3.5.6. सेफ हार्बर (Safe Harbour)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने **आयकर नियमावली, 1962 में संशोधनों** को अधिसूचित किया है। नए संशोधनों के जरिए **सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार** किया गया है।

- इन संशोधनों के तहत **सेफ हार्बर** नियमों के दायरे का निम्न रूप में विस्तार किया गया है:
  - सेफ हार्बर से संबंधित प्रावधान का लाभ उठाने की सीमा **200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये** कर दी गई है।
  - **मुख्य ऑटो कंपोनेंट्स की परिभाषा** में इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली **लिथियम-आयन बैटरियों को शामिल** किया गया है।
- **'सेफ हार्बर' क्या है?**
  - तकनीकी रूप से, "सेफ हार्बर" वह स्थिति है जिसमें **कर-एजेंसियां करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइसिंग को आर्म्स लेंथ प्राइस (स्वतंत्र बाजार मूल्य) मानकर स्वीकार करती हैं।**
    - **ट्रांसफर प्राइसिंग** वह मूल्य है जिस पर किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह की संबद्ध संस्थाओं के बीच लेन-देन होता है।
    - **आर्म्स लेंथ प्राइस** वह मूल्य होता है जो दो संबद्ध संस्थाओं के बीच लेन-देन को इस तरह सुनिश्चित करता है जैसे वह स्वतंत्र संस्थाओं के बीच हो रहा हो। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निष्पक्षता बनाए रखना है।
  - **आयकर अधिनियम, 1961** में **CBDT** को सेफ हार्बर नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है।


**ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) :** इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। VisionIAS पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए Vision IAS के Innovative Assessment System™ द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (GS Mains) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- CSAT टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (Open Test)
- Abhyaas– Abhyaas Prelims & Mains

**मेंटरिंग कार्यक्रम** – UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडे. मिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए Vision IAS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (Daksha): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (Lakshya): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

**करेंट अफेयर्स (Current Affairs)**– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए Vision IAS द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- PT 365
- Mains 365

**स्टडी मैटेरियल**– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए Vision IAS द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- PT 365 एवं Mains 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (PYQs) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

**Student Wellness Cell** – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर Vision IAS द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

## 3.5.7. लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (Liquidity Coverage Ratio: LCR)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर नए दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

- RBI ने यह भी कहा कि बैंकों को **खुदरा ग्राहकों की जमाओं (retail deposits) पर कम रन-ऑफ फैक्टर निर्धारित** करना होगा।
    - रन-ऑफ फैक्टर वास्तव में **किसी संकट की स्थिति में जमाकर्ताओं द्वारा बैंकों में जमा धनराशि में से निकाली जा सकने वाली प्रतिशत राशि** है।

**लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) के बारे में**

- यह **उच्च गुणवत्ता वाली लिक्विड एसेट (High-Quality Liquid Assets)** की मात्रा है। इन्हें वित्तीय संस्थानों को अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है, ताकि वे बाजार में उथल-पुथल या संकट की स्थिति में अपनी **अल्पकालिक देनदारियों को पूरा** कर सकें।
- LCR को बेसल समझौते (Basel Accords) में नए संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
    - बेसल समझौते **'बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति'** द्वारा तैयार किए गए नियम या मानक हैं।
- उच्च LCR बैंकों को **अधिक तरल परिसंपत्तियां रखने के लिए बाध्य** करता है। इससे **अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी** आती है।

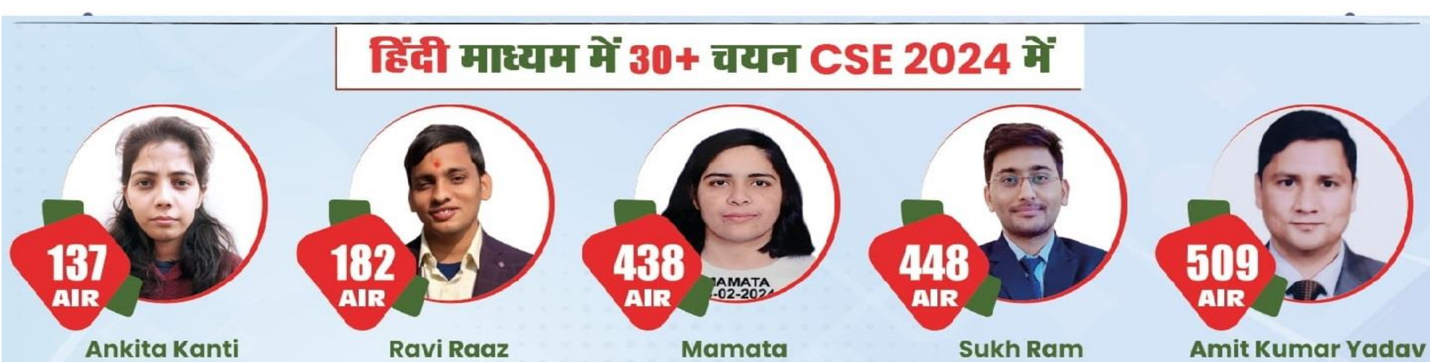

### 3.5.8. IMF की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (IMF'S Global Financial Stability Report)

IMF की 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' में भू-राजनीतिक जोखिमों का वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की इस रिपोर्ट के अनुसार, **वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिमों का उच्च स्तर** बना हुआ है। इन जोखिमों के व्यापक **वित्तीय स्थिरता पर बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताएं** भी बढ़ रही हैं।

**मुख्य भू-राजनीतिक जोखिम**

- **आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले विविध जोखिम:** देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, संसाधन प्राप्त करने की होड़, साइबर अटैक जैसी चुनौतियों के कारण वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं।
- **वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक केंद्रों तथा व्यापार में व्यापक बदलाव:** नए व्यापारिक समूह बन रहे हैं और निवेश के नए केंद्र उभरकर सामने आ रहे हैं। इससे पारंपरिक वैश्विक शक्ति संतुलन में भी बदलाव देखे जा रहे हैं।
- **कर व्यवस्था में एकरूपता का अभाव:** उदाहरण के लिए, जहां एक ओर कई देश **मिनिमम ग्लोबल टैक्स** को अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ देश **बहुपक्षीय टैक्स समझौतों से बाहर** निकल रहे हैं।
- **कार्यबल पर जनसांख्यिकीय, तकनीकी और सांस्कृतिक दबाव:** विकसित देशों की आबादी में जहां एक ओर **वृद्ध लोगों का अनुपात** और **सेवानिवृत्त होने वाले लोगों की जनसंख्या** बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर इन देशों में **जन्म दर कम** हो रही है।
    - देशों और समुदायों के बीच सांस्कृतिक संघर्ष में वृद्धि हुई है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग से भी जोखिम में वृद्धि हुई है।

**भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रभाव**

- **सॉवरेन जोखिम:** सैन्य खर्च में बढ़ोतरी और आर्थिक मंदी के चलते कई देशों का सरकारी ऋण, उनके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इससे उनकी वित्तीय स्थिरता पर संकट गहराता जा रहा है और बढ़ते कर्ज भार के कारण डिफॉल्ट (ऋण न चुकाने) होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।
- **वित्तीय खतरों की चपेट में अन्य देशों का आना:** भू-राजनीतिक जोखिम व्यापार और वित्तीय संबंधों के माध्यम से अन्य देशों में फैल सकते हैं। इससे विश्व के कई देश आर्थिक संकट की चपेट में आ सकते हैं।
- **मैक्रोइकॉनॉमिक प्रभाव:** जोखिमों के बढ़ने से आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना और पूंजी का देश से बाहर निकलना जैसे आर्थिक व्यवधान शामिल हैं।
- **निवेशकों का विश्वास कम होना:** आमतौर पर भू-राजनीतिक जोखिम निवेशकों के विश्वास को कम करते हैं। इससे बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ती है।
    - उदाहरण के लिए, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की वजह से हाल में **दोनों देशों के शेयर बाजारों में भारी गिरावट** दर्ज की गई।

## भू-राजनीतिक जोखिमों से निपटने हेतु मुख्य नीतिगत सिफारिशें

- **वित्तीय स्थिति की निगरानी बढ़ाना:** नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश-विशेष के भू-राजनीतिक खतरों पर लगातार नज़र रखी जाए और उनसे निपटने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय किए जाएं।
- **पूंजी भंडार बढ़ाना:** वित्तीय संस्थानों को भविष्य के जोखिमों से होने वाली हानियों से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी और लिक्विडिटी सुरक्षित रखनी चाहिए।
- **वित्तीय बाजारों को मजबूत करना:** उभरती अर्थव्यवस्थाओं को सख्त नियम बनाकर वित्तीय बाजारों को मजबूत और परिपक्व बनाना चाहिए ताकि वे भू-राजनीतिक संकटों से आसानी से निपट सकें।
- **मैक्रोइकोनॉमिक बफर बनाए रखना:** आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकारों को खर्च बढ़ाने और कर कटौती जैसे राजकोषीय राहत देने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिक विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना चाहिए।
- **संकट से निपटने के लिए तैयार रहना:** बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न वित्तीय अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए।

## 3.5.9. वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी-2025 रिपोर्ट (Global Trade Outlook and Statistics 2025)

यह रिपोर्ट **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** ने जारी की है।

**रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- वर्तमान परिस्थितियों में, वर्ष 2025 में **विश्व पण्य व्यापार (Merchandise Trade) की मात्रा में 0.2% की गिरावट** दर्ज होने का अनुमान है।
    - यह गिरावट विशेष रूप से **उत्तरी अमेरिका** में अधिक दर्ज की जाएगी। इस क्षेत्र से **निर्यात में 12.6% की गिरावट** होने का अनुमान है।
- रिपोर्ट में विश्व व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले **कई गंभीर खतरों का उल्लेख** किया गया है। इनमें **रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रयोग और नीतिगत अनिश्चितता** के प्रभाव शामिल हैं।
- इस रिपोर्ट में पहली बार **पण्य (वस्तु) व्यापार अनुमान के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार के लिए भी पूर्वानुमान** शामिल किया गया है।
    - **सेवाओं के व्यापार की मात्रा में 2025 में 4.0% की वृद्धि का अनुमान** लगाया गया है।

## 3.5.10. अंकटाड ने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, 2025 जारी की (UNCTAD Releases Technology and Innovation Report 2025)

इस रिपोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए एक **रोडमैप** प्रदान किया गया है कि **AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) विभाजन को गहरा करने की बजाय समावेशी विकास को बढ़ावा दे।**

**इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **AI की क्षमता: वैश्विक स्तर पर 2033** तक AI का बाजार मूल्य **4.8 ट्रिलियन डॉलर** हो जाने की संभावना है।
- **नौकरियों पर प्रभाव:** AI दुनिया भर में **40% नौकरियों को प्रभावित** कर सकता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ ऑटोमेशन और नौकरियों के खत्म होने से संबंधित चिंताएं भी उत्पन्न होंगी।
- **राष्ट्रीय और कॉर्पोरेट स्तर पर बाजार का प्रभुत्व:**
    - **वैश्विक कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास व्यय का 40% केवल 100 कंपनियों** द्वारा किया जाता है, जिनमें अधिकांश **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन** की हैं।
    - **वैश्विक AI निजी निवेश में लगभग 70% निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा किया जाता है।

**समावेशी AI हेतु आगे की राह**

- **विकासशील देशों में AI को अपनाने को बढ़ावा देना: स्थानीय रूप से उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना** को ध्यान में रखते हुए **AI समाधानों को विकसित** करना चाहिए। साथ ही, इस संबंध में कौशल के समक्ष उत्पन्न **बाधाओं को कम** करना चाहिए और **अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत** करना चाहिए।
- **कर्मचारी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना:** AI को प्रभावी ढंग से समेकित करने के लिए **कार्यप्रवाह और कार्यों को पुनर्व्यवस्थित** किया जाना चाहिए।
- **सरकार की भूमिका: अवसंरचना, डेटा और कौशल** इन तीन प्रमुख आयामों पर **राष्ट्रीय AI क्षमताओं** का मूल्यांकन करना चाहिए।

### 3.5.11. अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक (International Standards of Accounting and Reporting: ISAR)

भारत को **2025–2027** के कार्यकाल के लिए **संयुक्त राष्ट्र-अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर-सरकारी कार्यदल (ISAR)** में निर्विरोध चुना गया।

**ISAR के बारे में**

- ISAR एक **स्थायी अंतर-सरकारी कार्यदल** है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को **वित्तीय रिपोर्टिंग और गैर-वित्तीय डिस्क्लोजर की गुणवत्ता में सुधार** करने तथा उन्हें **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप** बनाने में सहायता करना है।
  - इनमें **पर्यावरणीय मुद्दे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** जैसे पहलू शामिल होते हैं।
- **ISAR का प्रत्येक वर्ष जिनेवा में सत्र** आयोजित होता है। इसमें **कंपनियों के लेखांकन और रिपोर्टिंग से जुड़े नए मुद्दों पर चर्चा** की जाती है।
- **सदस्य:** ISAR में **34 औपचारिक सदस्य** होते हैं। ये **तीन वर्षों** के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
  - **इन सदस्यों में शामिल हैं:** **9** अफ्रीकी देश, **7** एशियाई देश, **6** लैटिन अमेरिकी देश, **3** पूर्वी यूरोपीय देश तथा **9** पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश।

### 3.5.12. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange: BSE)

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) साल **2025 में अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ** मना रहा है।

**BSE के बारे में**

- इसकी स्थापना **वर्ष 1875 में 'द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन'** के रूप में हुई थी।
  - BSE **एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज** है।
  - साथ ही, खरीद-बिक्री में लगने वाले समय के मामले में यह **दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज** भी है।
- वर्ष 2017 में BSE, **शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाला (लिस्टेड) भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज** बना था।
- **कार्य:** BSE **इक्विटी, करेंसी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स** में कारोबार के लिए प्रभावी एवं पारदर्शी बाजार प्रदान करता है।
- **विनियामक संस्था:** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI/सेबी)।
  - सेबी एक **वैधानिक संस्था**। इसे **सेबी अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित** किया गया है।

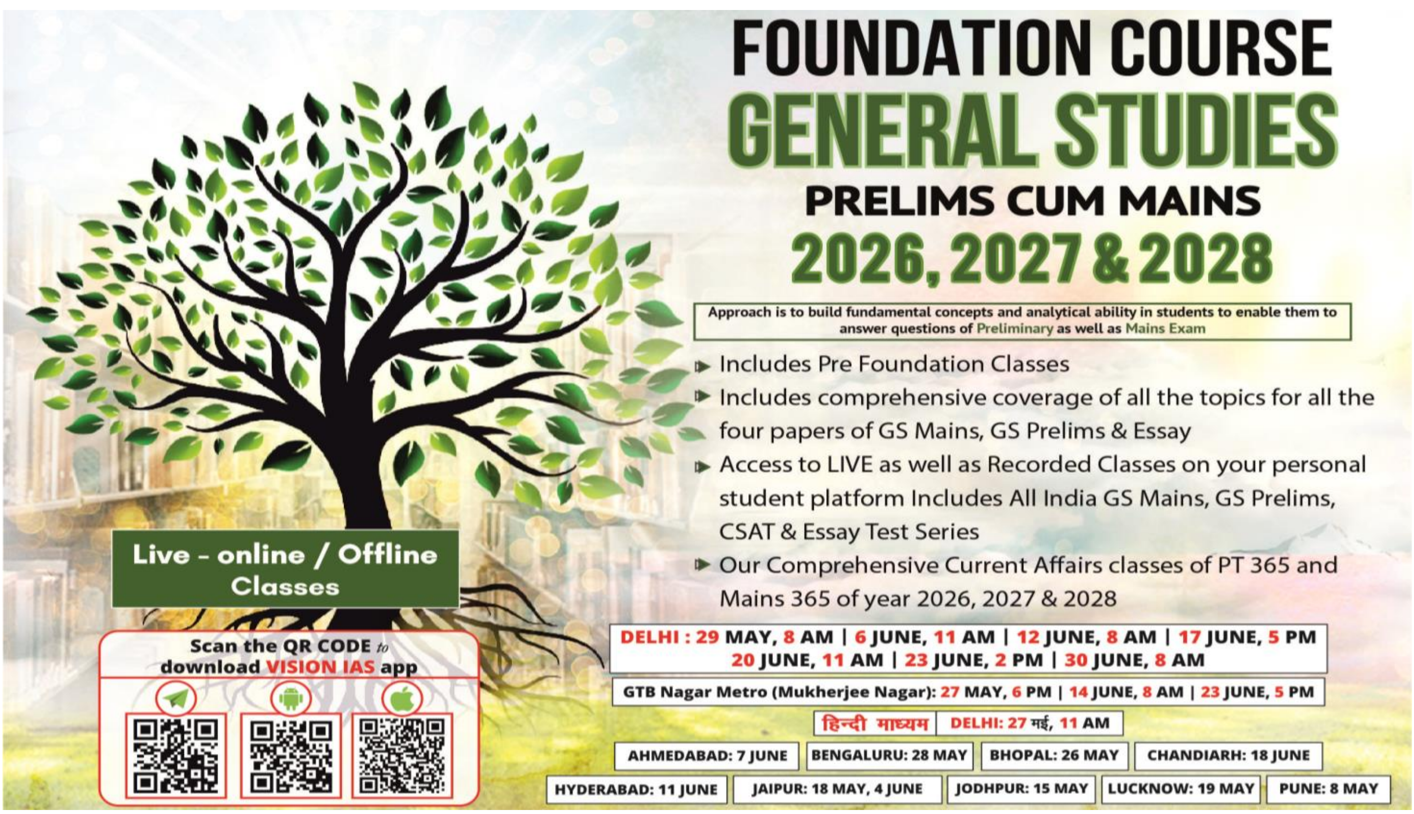

## 3.5.13. केपटाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल (Cape Town Convention and Protocol)

राज्य सभा ने **"विमानन वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक[49], 2025"** पारित किया।

- इस विधेयक का उद्देश्य विमानन से संबंधित भारतीय कानूनों को **केपटाउन कन्वेंशन (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट) और विशेष रूप से विमान उपकरणों से संबंधित विषयों पर प्रोटोकॉल** के अनुरूप करना है।

**केपटाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के बारे में**

- **उद्देश्य:** चल संपत्तियों, विशेष रूप से उच्च-मूल्य वाली परिसंपत्तियों (जैसे-विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर) से संबंधित लेन-देन को मानकीकृत करना, ताकि **डिफॉल्ट की स्थिति में ऋणदाता अपने अधिकारों को लागू कर सकें।**
- **स्वीकृति:** इन्हें **2001 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ़ प्राइवेट लॉ (UNIDROIT)** द्वारा संयुक्त रूप से अपनाया गया था।
- **पक्षकार: 2016** तक **65 देश** इस कन्वेंशन के पक्षकार बन चुके थे। **भारत ने इस कन्वेंशन पर 2008 में हस्ताक्षर** किए थे।

## 3.5.14. नैनो-सल्फर (Nano Sulphur)

ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी/TERI) के वैज्ञानिकों का दावा है कि इसका **नैनो सल्फर पारंपरिक सरसों की किस्मों का उपयोग करके DMH-11 के समान उपज वृद्धि** देता है।

- DMH-11 **आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों** की एक किस्म है।

**TERI के नैनो-सल्फर के बारे में**

- यह **एक पूरी तरह से हरित (ग्रीन)** उत्पाद है। इसमें **पादप संवर्धन करने वाले जीवाणु** का उपयोग किया जाता है, जो **एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स स्रावित** करते हैं।
    - यही गुण इसे **नैनो यूरिया और नैनो डाई-अमोनियम फॉस्फेट** जैसे अन्य नैनो-उर्वरकों से अलग बनाता है।
- नैनो-सल्फर में **जीवाणुरोधी और कीटनाशक गुण** होते हैं।
- **लाभ:**
    - यह पादप वृद्धि को बढ़ावा देता है।
    - यह पादपों को तनाव (जैसे सूखा, गर्मी आदि) सहन करने में सक्षम बनाता है।
    - यह पादप पोषण की गुणवत्ता में सुधार करता है।

***नोट:*** *कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मई, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.4.1. देखें।*

## 3.5.15. लवणीय जलीय कृषि केंद्र (Saline Aquaculture Hubs)

सरकार **हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश** में लवणीय जलीय कृषि केंद्रों की स्थापना पर जोर दे रही है।

**लवणीय जलीय कृषि के बारे में**

- **अर्थ:** इसके तहत अंतर्देशीय लवणीय जलीय कृषि के लिए **लवणता प्रभावित भूमि** (जो प्रायः पारंपरिक कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है) का उपयोग किया जाता है।
    - **जलीय कृषि:** इसमें जलीय सजीवों जैसे मछली, घोंघे, क्रस्टेशियंस आदि का पालन किया जाता है और जलीय पादपों की खेती की जाती है, ताकि उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके।
- **महत्त्व: जलीय कृषि के लिए लवणीय भूमि संसाधनों** की क्षमता का उपयोग करके रोजगार और आजीविका के अवसर उत्पन्न होगें; **जलीय कृषि संबंधी उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा** आदि।
- **भारत में संभावनाएं:**
    - उपर्युक्त 4 राज्यों के **58,000 हेक्टेयर चिन्हित लवणीय क्षेत्रों में से केवल 2,608 हेक्टेयर का ही वर्तमान में उपयोग** किया जा रहा है।

[49] The Protection of Interests in Aircraft Objects Bill

- ○ भारत **विश्व स्तर पर संवर्धित झींगों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही, समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य में 65% हिस्सेदारी** अकेले झींगों की है, जिसे लवणीय जल-कृषि के माध्यम से और **बढ़ाया** जा सकता है।

**लवणीय जलीय कृषि की क्षमता का उपयोग करने हेतु किए जाने वाले उपाय**

- **नीतिगत सुधार:** क्षेत्र संबंधी सीमा को **2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर** किया जाना चाहिए। साथ ही, उत्तर भारतीय राज्यों में लवणीय जलीय कृषि के संधारणीय विकास के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का भी गठन किया जाना चाहिए।
- **बेहतर विपणन माध्यम: सिरसा में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क** स्थापित करने की सिफारिश की गई है, ताकि विपणन माध्यमों को बेहतर किए जा सके।
- **तकनीकी ज्ञान का प्रसार:** राज्यों द्वारा लवणीय जलीय कृषि के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने तथा आउटरीच आधारित अनुसंधान करने हेतु **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का उपयोग** किया जाना चाहिए।

| | | |
|---|---|---|
| QUIZ SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |

## 4. सुरक्षा (Security)

### 4.1. जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद (Terrorism in Jammu and Kashmir)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन **लश्कर-ए-तैयबा (LeT)** से जुड़े संगठन **द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)** ने जम्मू और कश्मीर के **पहलगाम स्थित बैसरन घाटी** में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी।

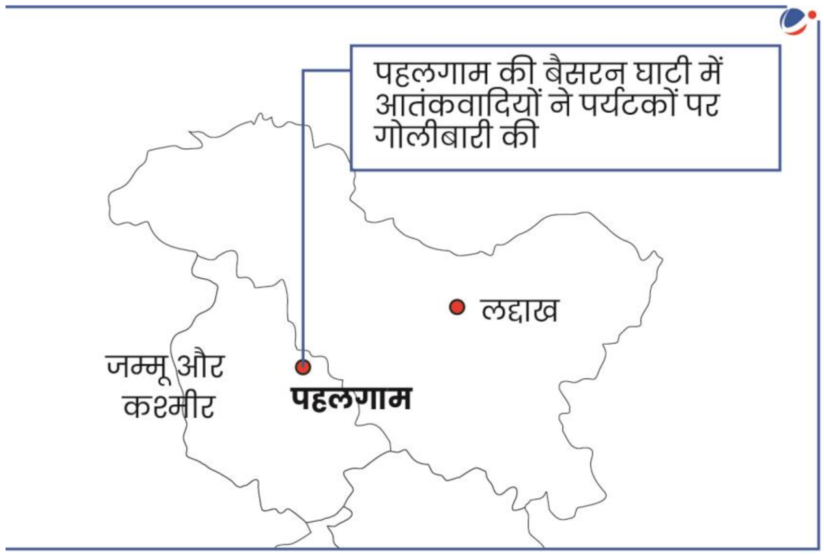


**अन्य संबंधित तथ्य**

- प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने कई कदम उठाए, जैसे- **सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा छूट योजना को रद्द करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं को निलंबित** करना, आदि।
- भारत ने **"ऑपरेशन सिंदूर"** के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के अंदर **9 स्थानों पर सटीक हवाई हमले** भी किए।
  - इन हमलों ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अन्य गैर-राज्य अभिकर्ताओं जैसे **विभिन्न आतंकवादी संगठनों** के गढ़ों को निशाना बनाया है, जो जम्मू-कश्मीर तथा भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं।

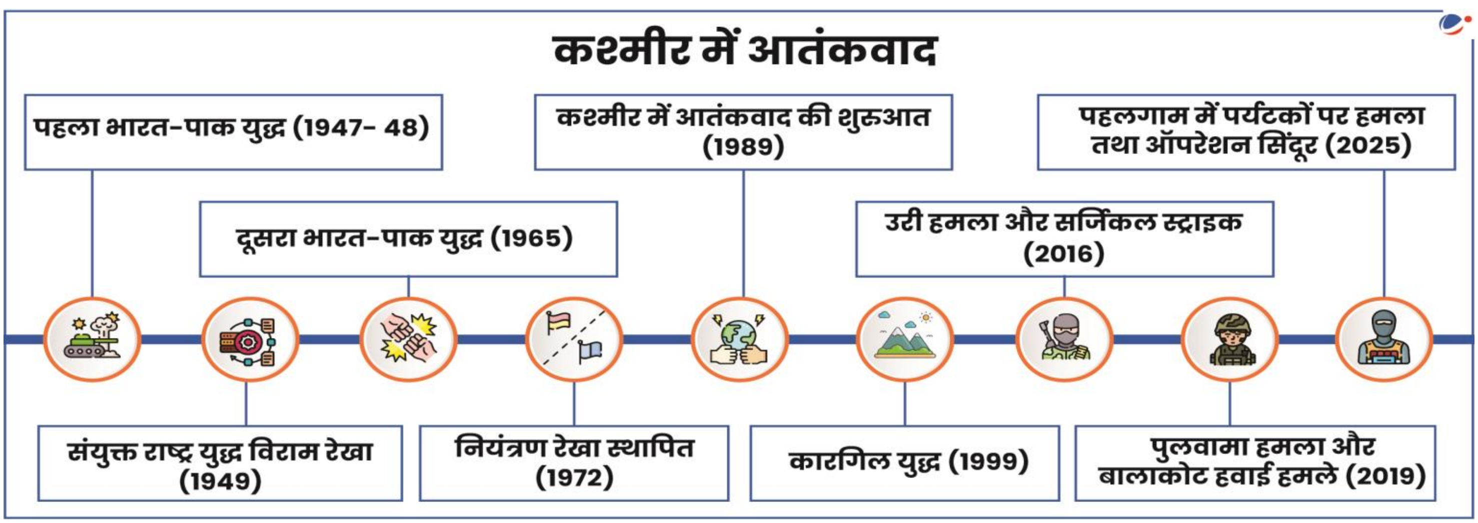


**कश्मीर में आतंकवाद की हालिया स्थिति**

- **गृह मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट** के अनुसार, 2019 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में **आतंकवादी एवं उग्रवादी हमलों में लगातार कमी** आई है।
  - साथ ही, **पर्यटन और अन्य अवसंरचना के विकास से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि** हुई है। इससे यह केंद्र शासित प्रदेश राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि ये हालिया हमले **जम्मू और कश्मीर की विकास यात्रा को पटरी से उतारने तथा भारत के अन्य हिस्सों में भी सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा** करने के लिए किए गए थे।

 ©Vision IAS

**जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार कारक**

- **बाह्य कारक:**
  - **पाकिस्तान का प्रॉक्सी युद्ध:** पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), हिजबुल मुजाहिदीन (HM) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) जैसे आतंकी समूहों को प्रशिक्षण, हथियार, सुरक्षित ठिकाने एवं लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती हैं।
    - पाकिस्तान इन आतंकी समूहों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपने **'हाइब्रिड युद्ध' के हिस्से** के रूप में करता है, क्योंकि उसे सीधे सैन्य टकराव में भारत को हराना मुश्किल लगता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असहमति:** असंगत अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान को बिना किसी महत्वपूर्ण दंडात्मक कार्रवाई के छद्म युद्ध जारी रखने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए- **चीन** अक्सर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर जैसे पाकिस्तान स्थित गैर-राज्य अभिकर्ताओं को आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध होने से बचाने के लिए वीटो का उपयोग करता है।
  - **वैश्विक कट्टरपंथी विचारधारा:** कट्टरपंथी इस्लामवादी विचारधाराएं (जैसे- ISIS), जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और लश्कर-ए-तैयबा एवं हमास जैसे समूहों के बीच संबंधों के माध्यम से फैलती हैं, कट्टरता को बढ़ावा देती हैं।
  - **घुसपैठ को सुगम बनाने वाली छिद्रिल सीमाएं:** नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर दुर्गम भूभाग के कारण सीमाओं को पूरी तरह से सील करना मुश्किल हो जाता है। इससे आतंकवादियों और हथियारों की आवाजाही को बढ़ावा मिलता है।
- **आंतरिक कारक:**
  - **कट्टरता:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जैसे- टेलीग्राम, यूट्यूब आदि) और स्थानीय नेटवर्क युवाओं को कट्टरपंथी बनाते हैं। इन युवाओं को बाद में आतंकवादी संगठनों द्वारा भर्ती किया जाता है।
  - **राजनीतिक अलगाव: सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA)[50], 1958** के प्रवर्तन सहित ऐतिहासिक शिकायतें, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी आदि के कारण अलगाववादी भावनाएं और गहरी हुई हैं।
  - **आर्थिक चुनौतियां:** उच्च बेरोजगारी और सीमित अवसर युवाओं को आतंकी समूहों द्वारा भर्ती के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।
  - **ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs):** OGWs धन प्रबंधन, भर्ती, प्रचार व दुष्प्रचार आदि के माध्यम से आतंकवाद को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - **आतंकवाद का वित्त-पोषण:** उदाहरण के लिए- **कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, दुख्तरान-ए-मिल्लत और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF)** जैसे अलगाववादी राजनीतिक संगठनों ने स्थानीय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से हवाला के माध्यम से धन प्राप्त किया है।

**जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में चुनौतियां**

- **हाइब्रिड आतंकवादी और वर्चुअल आतंकवादी संगठन:** पारंपरिक आतंकवादी औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठनों से संबद्ध होते हैं, लेकिन हाइब्रिड आतंकवादी **अक्सर असूचीबद्ध, शिथिल रूप से जुड़े हुए, या आत्म-कट्टरपंथी व्यक्ति** होते हैं। ये समाज में लो प्रोफ़ाइल बनाए रखते हुए आतंकवाद के कृत्यों को अंजाम देते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, सुरक्षा बलों ने **जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और TRF** जैसे वर्चुअल आतंकवादी समूहों के प्रसार का भी पता लगाया है, जो लश्कर-ए-तैयबा तथा अन्य आतंकवादी संगठनों के लिए केवल मुखौटा संगठन हैं।
- **छिद्रिल सीमाएं: जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC)** अपने दुर्गम भूभाग के कारण घुसपैठ एवं हथियार आदि की तस्करी को सक्षम बनाती है।
- **पाकिस्तान का सूचना युद्ध:** उदाहरण के लिए- भारत विरोधी दुष्प्रचार को भड़काने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जाता है।
- **खुफिया तंत्र की खामियां:** केंद्रीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय में कमी के कारण समय पर प्रतिक्रिया देने में बाधा आती है।
- **तकनीकी चुनौतियां:** आतंकवादी **ड्रोन, एन्क्रिप्टेड ऐप्स, AI आधारित प्रचार और उन्नत हथियार** (अक्सर अफगानिस्तान जैसे संघर्ष क्षेत्रों से लाए गए) का उपयोग करते हैं। ये ट्रेसिंग और प्रतिक्रिया करने को जटिल बनाते हैं।
- **बदलती रणनीति:** आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर हमले करने की बजाय लक्षित हत्याओं तथा पर्यटकों और अल्पसंख्यकों जैसे आसान लक्ष्यों पर हमले करना शुरू कर दिया है।

| **जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदम:** | |
|---|---|
| आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क पर कार्रवाई | • **आतंकवाद विरोधी अभियान:** उदाहरण के लिए- **हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक** (जैसे- पुलवामा हमलों के बाद 2019 में और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर), **OGWs पर कार्रवाई** आदि।<br>• **सुरक्षा:** ऑपरेशन ऑल-आउट (2017), बेहतर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए मल्टी-एजेंसी सेंटर, आदि।<br>• **OGWs:** भारत ने **OGWs के एक नेटवर्क** के माध्यम से आतंकवाद और भारत विरोधी दुष्प्रचार को बढ़ावा देने में शामिल होने के कारण **2019 में UAPA, 1967 के तहत जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया।** |

[50] Armed Forces Special Powers Act

| | |
|---|---|
| | • **पुनर्वास प्रक्रिया:** सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादियों, अनाथों और महिलाओं का पुनर्वास करना। उदाहरण के लिए- **ऑपरेशन सद्भावना** और पूर्व-आतंकियों का पुनर्वास नीति। |
| **सीमा-पार से आतंकवादी घुसपैठ से निपटना** | • **स्मार्ट बॉर्डर टेक्नोलॉजी का उपयोग:** सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM) योजना के तहत घुसपैठ को रोकने के लिए लेज़र फेंसिंग, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। |
| **विकासात्मक कदम** | • **हिमायत (कौशल विकास), उम्मीद (महिला सशक्तीकरण)** जैसे कार्यक्रम तथा पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाली नीतियों का उद्देश्य युवाओं को एकीकृत करना एवं आर्थिक संवृद्धि को गति देना है।<br>• इसके अलावा, बड़े पैमाने पर अवसंरचना का निर्माण **(उदाहरण के लिए- चेनाब ब्रिज और वंदे भारत ट्रेनों का संचालन)** निवेश लाने एवं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। |
| **राजनीतिक** | • **अनुच्छेद 370 का निरस्त** होना, प्रतिनिधि सरकार के लिए परिसीमन की प्रक्रिया तथा स्थानीय शासन और समय पर चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करने के प्रयास राजनीतिक अलगाव को दूर करते हैं। |
| **कूटनीतिक** | • भारत ने **IMF से** पाकिस्तान को अपने सहायता कार्यक्रम की समीक्षा करने और **FATF से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने** का निवेदन किया है।<br>• भारत आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को वैश्विक मंचों पर उजागर करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति का लाभ** उठा रहा है। |

**आगे की राह**

- **खुफिया तंत्र को मजबूत करना:** साइबर-कट्टरता, ड्रोन खतरों, अवैध वित्त-पोषण और OGWs से निपटने के लिए **अंतर-एजेंसी समन्वय** को बढ़ाना तथा **AI-संचालित विश्लेषण में निवेश** करना चाहिए।
    - **TECHINT (तकनीकी बुद्धिमत्ता)** के पूरक के रूप में **HUMINT (मानव बुद्धिमत्ता)** को मजबूत करने के लिए रणनीति विकसित करनी चाहिए।
- **सीमा सुरक्षा:** घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए नियंत्रण रेखा पर स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल इमेजिंग और निगरानी का तेजी से कार्यान्वयन **(मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों के अनुसार)** करना चाहिए।
    - सेना, CRPF, सीमा सुरक्षा बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस के बीच **अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार** महत्वपूर्ण है।
- **डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम:** चरमपंथी व्याख्याओं से निपटने और युवाओं की संवेदनशीलता को कम करने के लिए स्थानीयकृत पहलों (जैसे- शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक एकीकरण आदि) को बढ़ावा देना चाहिए।
    - साथ ही, स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से OGWs नेटवर्क को बाधित करने के लिए आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में **दिलों और दिमागों को जीतकर (जैसे, ऑपरेशन सद्भावना) स्थानीय समुदायों में विश्वास-निर्माण** करना चाहिए।
- **आर्थिक विकास:** आर्थिक शिकायतों को दूर करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन तथा अवसंरचना एवं पर्यटन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **राजनीतिक प्रक्रिया: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करके** राजनीतिक अलगाव को दूर करने तथा लोकतांत्रिक विश्वास को बहाल करने के लिए **समावेशी शासन-व्यवस्था सुनिश्चित** करनी चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय दबाव:** भारत को UNSC (जैसे- सीमा-पार आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करना), **FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग करना चाहिए** और पाकिस्तान पर अपने क्षेत्र से संचालित गैर-राज्य अभिकर्ताओं पर अंकुश लगाने के लिए दबाव डालने हेतु **समान विचारधारा वाले देशों (जैसे- सऊदी अरब और UAE) का समर्थन** लेना चाहिए।

## 4.2. भारत का रक्षा निर्यात (India's Defence Exports)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का **रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपये (लगभग 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के रिकॉर्ड उच्च स्तर** पर पहुंच गया।

**भारत के रक्षा निर्यात में रुझान**

- **क्षेत्रगत योगदान: निजी क्षेत्रक और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों (DPSUs)** ने 2024-25 के रक्षा निर्यात में क्रमशः 15,233 करोड़ रुपये (64.5%) और 8,389 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
    - DPSUs ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने निर्यात में **42.85% की उल्लेखनीय वृद्धि** दर्शाई है।
- **दीर्घकालिक रुझान:** पिछले 10 वर्षों में यानी 2015 से 2025 तक, भारत ने संचयी रूप से 1,09,997 करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा सामान एवं उपकरण निर्यात किए हैं।
- **लक्ष्य: भारत का लक्ष्य 2029 तक** अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाकर **50,000 करोड़ रुपये** करना है।
- **निर्यात गंतव्य:** भारत अब **100 से अधिक देशों** को रक्षा उपकरणों का निर्यात करता है। इन देशों में 2023-24 में **संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया** शीर्ष खरीदारों के रूप में उभरे हैं।
- **निर्यात पोर्टफोलियो:** इसमें सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल (SAM), एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) जैसी मिसाइल प्रणाली, फास्ट अटैक क्राफ्ट और अपतटीय गश्ती जहाजों जैसे नौसैनिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं। साथ ही, हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH ध्रुव) जैसे एयरोस्पेस एसेट्स भी शामिल हैं।

**रक्षा निर्यात में सुधार हेतु शुरू की गई पहलें**

- **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX):** इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यह पहल MSMEs, स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रक में नवाचार को बढ़ावा देती है। iDEX ने नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया है।
- **रक्षा औद्योगिक गलियारे (DICs):** रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए **उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु** में दो DICs स्थापित किए गए हैं।
- **रक्षा क्षेत्रक में व्यवसाय करने में सुगमता:**
    - लाइसेंस व्यवस्था से कलपुर्जों और घटकों को हटाकर **औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण** किया गया है। साथ ही, लाइसेंस की आवश्यकता वाली वस्तुओं को कम किया गया है और लाइसेंस की वैधता को **15 साल तक बढ़ा** दिया गया है।
    - **निर्यात प्राधिकार प्रदान करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) का सरलीकरण** किया गया है। इसके अलावा, एंड-टू-एंड डिजिटल निर्यात प्राधिकार प्रणाली की शुरुआत की गई है।

- **उदारीकृत FDI नीति:** विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 2020 से रक्षा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को उदार बनाया गया है। इसमें **स्वचालित मार्ग से 74% तक FDI और सरकारी मार्ग से 74% से अधिक** की अनुमति दी गई है।
    - अप्रैल 2000 से, रक्षा उद्योगों में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 5,516.16 करोड़ रुपये हुआ है।
- **प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF):** DRDO द्वारा क्रियान्वित इस कोष का उद्देश्य MSMEs और स्टार्ट-अप्स सहित भारतीय उद्योगों को अनुदान सहायता प्रदान करना है।
- **सृजन पोर्टल:** यह एक वन-स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। यह विक्रेताओं को उन वस्तुओं को को प्राप्त करने हेतु उन तक पहुंच प्रदान करता है, जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है।

**भारत के रक्षा निर्यात में चुनौतियां**

- **आयात निर्भरता:** भारतीय उद्योग रक्षा प्लेटफॉर्म्स के लिए महत्वपूर्ण घटकों जैसे इंजन, एवियोनिक्स और सेंसर हेतु आयात पर निर्भर हैं।
- **अनुसंधान एवं विकास का अभाव:** एआई-संचालित सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टील्थ प्रौद्योगिकियों सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास का अभाव है।
- **वैश्विक अभिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा:** भारत के रक्षा निर्यात को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे स्थापित वैश्विक अभिकर्ताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
    - चुनौतियों में **गुणवत्ता संबंधी धारणाओं पर नियंत्रण पाना** तथा स्टील्थ लड़ाकू विमानों और अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) जैसे **उन्नत प्लेटफॉर्म्स में तकनीकी अंतराल को दूर** करना शामिल है।
- **नौकरशाही की बाधाएं:** खरीद और परियोजना अनुमोदन में नौकरशाही संबंधी विलंब सहित विनियामक बाधाएं प्रगति में बाधा डालती हैं।

**आगे की राह**

- **सम्पूर्ण रक्षा प्रणालियों/ प्लेटफॉर्म्स के निर्यात को बढ़ावा देना:** अफ्रीकी महाद्वीप, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के देश सम्पूर्ण रक्षा प्रणालियों/ प्लेटफॉर्म्स के निर्यात हेतु संभावित बाजार हैं।
    - **ऐसे देशों के लिए निर्यात को बढ़ावा देने हेतु** एक्जिम बैंक से एक वित्त-पोषण तंत्र- क्रेडिट लाइन प्रदान करने/ बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।
- **उभरते रक्षा केंद्रों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी बनाना:** ये ऐसे देश हैं, जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में अपने रक्षा उद्योग में मजबूत वृद्धि दिखाई है और अब स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे **ऑस्ट्रेलिया, UAE, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया,** आदि।
    - रक्षा मंत्रालय को घरेलू रक्षा उद्योग के साथ मिलकर इन देशों में ऐसे अवसरों की पहचान करनी चाहिए तथा **संयुक्त विनिर्माण के लिए साझेदारी बनाने में भारतीय कंपनियों की सहायता** करनी चाहिए।
- **रक्षा निर्यात क्षितिज का विस्तार: भारत के रक्षा विनिर्माताओं को वैश्विक उपस्थिति** मजबूत करने के लिए **प्रमुख रणनीतिक देशों में विदेशी कार्यालयों की स्थापना** करनी चाहिए। इससे भारतीय रक्षा उत्पादों की पहुंच और ब्रांड मूल्य में वृद्धि होगी।
- **घटकों/ उप-प्रणालियों की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना:** अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाले विकसित राष्ट्र अक्सर अपनी **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला** को उन देशों में स्थापित करते हैं, जहां उत्पादन लागत कम होती है।
    - भारत के लघु और मध्यम रक्षा विनिर्माता अपनी **उत्पादन गुणवत्ता, तकनीकी दक्षता और प्रमाणन** में सुधार कर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही ये प्रमुख रक्षा विनिर्माताओं के **ऑफसेट दायित्वों** को पूरा करने में सहयोग कर सकते हैं।

## 4.3. जैविक हथियार अभिसमय (Biological Weapons Convention: BWC)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय (UNODA)**[51] ने जैविक हथियार अभिसमय (BWC) की **50वीं वर्षगांठ** मनाई।

**जैविक हथियार अभिसमय (BWC) के बारे में**

- इसका औपचारिक नाम है- **"जीवाणुजन्य (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध तथा उनके विनाश पर अभिसमय**[52]**"।**

---

[51] United Nations Office for Disarmament Affairs

[52] The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction

- **उत्पत्ति:** BWC पर **1969 से 1971 तक जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में अठारह राष्ट्र निरस्त्रीकरण समिति (ENDC)** तथा **निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन (CCD)** के अधीन वार्ता हुई थी।
    - इस अभिसमय को **अप्रैल, 1972 में हस्ताक्षर** के लिए प्रस्तुत किया गया था और यह **26 मार्च, 1975** को लागू हुआ था।
- **सदस्यता: 188 सदस्य देशों और चार हस्ताक्षरकर्ता देशों (मिस्र, हैती, सोमालिया और सीरिया)** के साथ लगभग सार्वभौमिक सदस्यता। भारत ने **1974 में हस्ताक्षर** किये थे और **अनुसमर्थन** किया था।
    - इसके **संचालन की समीक्षा** के लिए पक्षकार देश **लगभग हर 5 साल में बैठक** करते हैं।
    - **BWC के पक्षकार देशों** ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि **यह अभिसमय** लागू होने के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राजनीति और सुरक्षा में आए बदलावों के बावजूद **प्रासंगिक व प्रभावी** बना रहे।
- **BWC के बारे में मुख्य तथ्य**
    - यह **प्रथम बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि** है जिसके तहत सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
    - यह **जैविक और विषाक्त हथियारों** के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण एवं उपयोग पर प्रभावी रूप से **प्रतिबंध** लगाता है।
        - यह **1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल** का पूरक है जिसमें केवल **जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध** लगाया गया था।
    - **कार्यान्वयन सहायता इकाई (ISU)**[53] समीक्षा सम्मेलन द्वारा सहमत बैठकों, व्यापक कार्यान्वयन तथा अभिसमय के सार्वभौमिकरण के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी।
    - **पांच देशों (इजरायल, चाड, जिबूती, इरीट्रिया और किरिबाती) ने न तो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसे स्वीकार** किया है।

**शब्दावली को जानें**

- **जैविक हथियार:** ऐसे हथियार, जिनका उपयोग रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों (जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी, प्रायॉन या रिकेट्सिया) या विषाक्त पदार्थों (जो पशु, पौधों या सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होते हैं) का **प्रसार करके** दुनिया भर में मानवों, जानवरों या पौधों को नुकसान पहुँचाने या मारने के लिए होता है।
    - **ऐतिहासिक तौर पर जैविक हथियार कार्यक्रमों में निम्नलिखित को बनाने के प्रयास शामिल हैं:** अफ्लाटॉक्सिन; एंथ्रेक्स; बोटुलिनम टॉक्सिन; मुह व पैर के रोग; ग्लैंडर्स; प्लेग; क्यू फीवर; राइस ब्लास्ट; रिकिन; रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर; स्मॉलपॉक्स (चेचक); और टुलारेमिया, आदि

UNODA
UNITED NATIONS OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS

## संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय (United Nations Office for Disarmament Affairs: UNODA)

**उत्पत्ति:** 1998 में निरस्त्रीकरण मामलों के विभाग के रूप में स्थापित।

**परिचय:** यह **निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में मानक-निर्धारण** के लिए महासभा, इसकी प्रथम समिति, निरस्त्रीकरण आयोग और निरस्त्रीकरण सम्मेलन के माध्यम से महत्वपूर्ण एवं संगठनात्मक सहयोग प्रदान करता है।

**कार्य:**

- **सैन्य मामलों पर संवाद, पारदर्शिता और विश्वास-निर्माण** के माध्यम से निरस्त्रीकरण उपायों को बढ़ावा देता है तथा **क्षेत्रीय निरस्त्रीकरण** प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।
- यह सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों आदि से जुड़े पक्षकारों को बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण से जुड़े मुद्दों और गतिविधियों पर **निष्पक्ष, सटीक एवं अपडेटेड जानकारी** प्रदान करता है।
- यह संघर्ष के बाद के घटनाक्रमों और उपायों (जैसे- **पूर्व सैन्यकर्मियों को निरस्त्र करना, उनकी सेवामुक्ति करना और उन्हें नागरिक समाज में दोबारा शामिल** करना) के प्रवर्तन में मदद करता है।

53 Implementation Support Unit

**जैविक हथियार अभिसमय (BWC) को लागू करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम**

- **खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से संशोधित/ इंजीनियरड जीवों या कोशिकाओं का निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम[54], 1989:** जीन प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म जीवों के अनुप्रयोग के संबंध में पर्यावरण, प्रकृति एवं स्वास्थ्य की रक्षा करना।
- **सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम[55], 2005:** यह सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी आपूर्ति के साधनों से संबंधित गैर-कानूनी गतिविधियों (जैसे विनिर्माण, परिवहन या हस्तांतरण) पर प्रतिबंध लगाता है।
- **विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (SCOMET)[56]:** SCOMET सूची **राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची** है। इस सूची के तहत सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं, युद्ध सामग्री एवं परमाणु से संबंधित मदें शामिल हैं।
  - SCOMET सूची की **श्रेणी 2 में सूक्ष्म जीव और विषाक्त पदार्थ** शामिल हैं।
- **भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप** से BWC के **अनुच्छेद VII** के तहत सहायता की सुविधा के लिए एक **डेटाबेस स्थापित करने का प्रस्ताव** रखा है।
  - **अनुच्छेद VII,** BWC के उल्लंघन के परिणामस्वरूप खतरे में आए किसी भी पक्षकार देश की सहायता करने के दायित्व से संबंधित है।

**BWC से संबंधित चुनौतियां**

- **सत्यापन तंत्र का अभाव:** जैव विज्ञान में एक ही तकनीक या सामग्री का उपयोग जीवन बचाने और जीवन लेने दोनों के लिए किया जा सकता है। इस "दोहरी प्रकृति" के कारण, यह पहचानना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है कि कोई देश या समूह शांतिपूर्ण अनुसंधान कर रहा है या जैविक हथियार विकसित कर रहा है, खासकर जब एक लेखा-जोखा-आधारित (accounting-driven) दृष्टिकोण से देखा जाए। यही कारण है कि अन्य प्रमुख निरस्त्रीकरण संधियों की तुलना में जैविक निरस्त्रीकरण संधियों को लागू करना और उनका सत्यापन करना कहीं अधिक जटिल है।
  - **रासायनिक हथियार अभिसमय** के मामले में, सत्यापन लेखांकन द्वारा संचालित ढांचे पर आधारित है जिसमें सुविधाओं, उपकरणों और प्रासंगिक कच्चे माल आदि का दस्तावेज़ीकरण शामिल है।
- **डेटा संग्रहण के संदर्भ में लागू करने योग्य कानूनी प्रावधान का अभाव:** यह BWC की राजनीतिक रूप से बाध्यकारी विश्वास-निर्माण उपाय (CBM) प्रस्तुतियों पर निर्भरता में योगदान देता है।
  - CBM में राष्ट्रों की भागीदारी सीमित है। 2022 पहला ऐसा वर्ष था जब आधे से अधिक सदस्य देशों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- **सीमित संस्थागत सहायता:** कार्यान्वयन सहायता इकाई (ISU) में कर्मचारियों की कमी है। यह केवल नौवें समीक्षा सम्मेलन में ही संभव हुआ कि ISU ने 2006 में अपनी स्थापना के बाद से अपने कर्मचारियों की संख्या 3 गैर-स्थायी कर्मचारियों से बढ़ाकर 4 कर दी।
- **राष्ट्रीय स्तर पर समुचित ढंग से क्रियान्वयन की कमी:** उदाहरण के लिए- भारत के पास रासायनिक हथियार अभिसमय के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण (NACWC)[57] तो है, लेकिन जैविक हथियार अभिसमय (BWC) के लिए समान रूप से केंद्रीकृत निकाय का अभाव है।

**आगे की राह**

- **सत्यापन के लिए मॉड्यूलर-इंक्रीमेंटल अप्रोच को लागू करना:** यह अप्रोच अधिक मजबूत सत्यापन व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत प्रस्तावों और वैज्ञानिक साधनों को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
- **स्थायी संस्थागत समर्थन का विस्तार करना:** BWC अनुपालन की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की तहत एक चक्रानुक्रम आधारित विशेषज्ञ सत्यापन समूह[58] नियुक्त किया जाना चाहिए। इसमें निरस्त्रीकरण विशेषज्ञ और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए।
- **विश्वास-निर्माण उपाय प्रस्तुतीकरण को सार्वभौमिक बनाना:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हुई हालिया प्रगति ने कुछ CBM प्रस्तुतियों को आसान बनाने की क्षमता प्रदान की है। उदाहरण के लिए- डेटा हार्मोनाइजेशन और टेक्स्ट माइनिंग के उपयोग के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।
- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं से उत्पन्न होने वाले खतरों का समाधान करना:** गैर-राज्य अभिकर्ताओं (आतंकवादी समूहों) को जैविक हथियार हासिल करने, विकसित करने या उपयोग करने से रोकने के लिए BWC को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1540 के साथ एकीकृत करना चाहिए।

---

[54] Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro organisms, Genetically/Engineered Organisms or Cells Rules

[55] Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act

[56] Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies

[57] National Authority for Chemical Weapons Convention

[58] Rotating expert verification group

## 4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 4.4.1. वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II {Vibrant Villages Programme-II (VVP-II)}

कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए "वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II (VVP-II)" को मंजूरी दी।

- VVP-II की आधारशिला पहले चरण के **'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-I'** पर रखी गई है। VVP-I के तहत **पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती गांवों को लक्षित** किया गया था।
- यह पहल **सुरक्षित व संरक्षित भू-सीमाओं को सुनिश्चित करते हुए विकसित भारत@2047 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर** करती है।

**वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II (VVP-II) के बारे में**

- **प्रकार:** यह **100% केंद्र वित्त पोषण** के साथ **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। गौरतलब है **VVP-I केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना थी।**
- **कवरेज:** 17 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में **अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमाओं (ILBs)** के साथ सामरिक अवस्थिति वाले गांव। इसमें **VVP-I (2023-24)** के तहत कवर किए गए **पूर्वोत्तर सीमा के ब्लॉक्स शामिल नहीं** होंगे।
- **उद्देश्य:** जीवन स्तर में सुधार लाना, आजीविका के अवसर प्रदान करना, सीमा-पार अपराध को नियंत्रित करना तथा **आंतरिक सुरक्षा के लिए आबादी को 'आंख और कान' के रूप में तैयार** करना।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29

**वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II की मुख्य विशेषताएं**

- **अवसंरचना का विकास: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV)** के तहत **सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़क संपर्क** के साथ सड़क, आवास, स्वच्छता, पेयजल और स्मार्ट कक्षाओं में निवेश करना।
- **मूल्य श्रृंखला और आजीविका विकास:** टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों तथा सीमा-विशिष्ट आउटरीच गतिविधियों के लिए समर्थन जुटाना।
- **कल्याणकारी योजना:** कन्वर्जेंस मॉडल के अंतर्गत पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करते हुए निर्धारित गांवों में मौजूद कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना।
- **संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा:** पर्यटन और स्थानीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए मेलों, त्योहारों, जागरूकता शिविरों एवं राष्ट्रीय दिवस समारोहों का आयोजन करना।
- **पीएम गति शक्ति:** इसका उपयोग परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा।

### 4.4.2. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre: I4C)

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)[59], 2002 की धारा 66** के अंतर्गत शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की।

- इससे I4C को **प्रवर्तन निदेशालय (ED) तथा कानून लागू करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने और प्राप्त करने में मदद** मिलेगी। इससे साइबर क्षेत्र से जुड़े वित्तीय अपराधों के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत किया जा सकेगा।

**PMLA अधिनियम, 2002 की धारा 66 (सूचना को सार्वजनिक करना)**

- धारा 66 **प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अथॉरिटी को किसी अन्य एजेंसी के साथ सूचना साझा करने का अधिकार** देती है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
- उपर्युक्त अथॉरिटी उन सूचनाओं या जानकारियों को साझा कर सकती है, जो उसके पास उपलब्ध होगी। साथ ही, सूचना तभी साझा की जाएगी जब **किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन** हुआ हो और आगे कार्रवाई की जरूरत हो।

**भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के बारे में**

- इसे **आधिकारिक तौर पर 2020 में गठित** किया गया था। यह **केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल** है। इसे देश में **साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नोडल एजेंसी** के रूप में स्थापित किया गया है।
  - जुलाई 2024 में, इसे **केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक अनुलग्नक कार्यालय (Attached office)** बनाया गया था।
- **उद्देश्य:** इस संस्था का उद्देश्य साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए **सुरक्षा एजेंसियों को व्यवस्थित एवं कुशल तंत्र प्रदान** करना है।
- **I4C की संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP),
  - नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU),
  - नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट (NCEMU),
  - जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम (JCCT), आदि।

### 4.4.3. राफेल मरीन (M) लड़ाकू विमान {Rafale Marine (M) Fighter Jets}

केंद्र ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन (M) लड़ाकू विमानों के सौदे को मंजूरी दी।

- इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल **भारतीय नौसेना** द्वारा किया जाएगा। इन्हें देश के पहले **स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत** पर तैनात किया जाएगा।
- पहले से खरीदे गए **36 राफेल जेट विमानों का उपयोग भारतीय वायु सेना** द्वारा किया जा रहा है।

**राफेल विमान के बारे में**

- **निर्माता:** डसॉल्ट एविएशन, एक फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी है।
- **"ओमनीरोल" क्षमताएं:** इसका अर्थ है कि एक ही विमान सभी प्रकार के युद्धक मिशनों जैसे- वायु रक्षा, हमला, टोही, परमाणु प्रतिरोध आदि को अंजाम देने में सक्षम है।
- **पीढ़ी:** 4.5 पीढ़ी, अधिकतम गति 1.8 मैक (1 मैक = 1235 किमी/ घंटा)।

---

[59] Prevention of Money Laundering Act

| अलग-अलग नवीनतम पीढ़ी के विमान | विशेषताएं | उदाहरण |
|---|---|---|
| **चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान (1970-1980 के दशक)** | **हवा-से-हवा और हवा-से-जमीन दोनों तरह की मारक** क्षमता से युक्त थे। | मिग-29, एफ-16, मिराज-2000, आदि |
| **4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान** | चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सीमा बढ़ाने के लिए इनमें **'स्टील्थ', रडार अवशोषक सामग्री, थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रित इंजन** आदि शामिल किए गए। | यूरोफाइटर टाइफून, राफेल, आदि |
| **पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान** | **उन्नत स्टील्थ प्रौद्योगिकियां** और उन्नत हथियार | F-22 रैप्टर, चेंग्दू जे-20, आदि |

**संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान**

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अमेरिकी राष्ट्रपति ने **F-47 नामक अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान की योजना** को आगे बढ़ाने की घोषणा की है।
- **चीन:** दिसंबर 2024 में, चीन ने छठी पीढ़ी के **दो प्रोटोटाइप लड़ाकू विमानों (J-36 और J-50)** की उड़ान का सफल परीक्षण किया था।
- छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एकीकरण, हाइपरसोनिक क्षमताओं, मानव रहित क्षमताओं** से लैस हैं।

## 4.4.4. लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 'गौरव' (Long-Range Glide Bomb 'Gaurav')

DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 'गौरव' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

**'गौरव' के बारे में**

- **प्रकार:** लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम (LRGB)
- **वजन:** 1,000 किलोग्राम श्रेणी
- **रेंज:** यह लगभग **100 किलोमीटर** की रेंज में सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रहा।
- **विकास:** इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।

## 4.4.5. Mk-II (A) DEW सिस्टम {MK-II(A) DEW System}

**DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले** में नेशनल ओपन एयर रेंज (NOAR) में **Mk-II(A) लेजर- डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW) सिस्टम** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- इस परीक्षण के बाद **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का ऐसा चौथा** देश बन गया है, जिसके पास **उन्नत लेजर हथियार क्षमताएं** हैं।

**Mk-II (A) DEW सिस्टम के बारे में**

- इसे **DRDO की हैदराबाद स्थित संस्था सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज (CHESS) ने स्वदेशी** रूप से विकसित किया है।
- **संभावित लक्ष्य:** यह ड्रोन, मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को निष्क्रिय कर सकता है।
- **कार्य प्रणाली:** एक बार जब **रडार या इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक (EO) सिस्टम** द्वारा लक्ष्य का पता लगा लिया जाता है, तब यह सिस्टम उस लक्ष्य को निष्क्रिय करने के लिए **तीव्र उच्च-ऊर्जा युक्त 30 किलोवाट लेजर बीम** छोड़ता है, जिससे संरचनात्मक विफलता होती है।
- **विशेषताएं:** यह अत्यधिक सटीकता से तीव्र गति से हमला करता है। इससे कुछ सेकंड के भीतर ही लक्ष्य ध्वस्त हो जाता है।

**DEW सिस्टम का महत्त्व:**

- **युद्ध की आर्थिक संरचना में बदलाव की क्षमता:** यह महंगे गोला-बारूद पर निर्भरता कम कर सकता है। साथ ही, लक्ष्य के अलावा अन्य ऑब्जेक्ट्स (कोलैटरल डैमेज) को होने वाले नुकसान को भी कम कर सकता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय करने की क्षमता:** हाई-पॉवर माइक्रोवेव (HPM) हथियार बिना किसी भौतिक विनाश के **इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रडार्स और संचार को निष्क्रिय** कर सकते हैं।
- **रक्षात्मक और आक्रामक दोनों उपयोगों के लिए:** उदाहरण के लिए- सामरिक वायु रक्षा, एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा और एंटी-सैटेलाइट (A-SAT) मिशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। कम शक्ति वाले लेज़र भीड़ नियंत्रण और समुद्री लुटेरों को रोकने में उपयोगी हो सकते हैं।

## 4.4.6. प्रोजेक्ट वर्षा (Project Varsha)

प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत **INS वर्षा 2026 तक बन कर तैयार** हो जाएगा।

**प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में**

- यह एक **नौसैनिक परियोजना है,** जिसका उद्देश्य **भारत की जल के भीतर परमाणु क्षमताओं को मजबूत** करना है।
- **उद्देश्य:** 12 से अधिक **परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों (SSBNs)** के बेड़े को रखने के लिए एक **सुरक्षित भूमिगत बेस विकसित** करना।
- **स्थान: आंध्र प्रदेश** का तटीय गांव **रामबिल्ली।**
- **पश्चिमी तट** की सुरक्षा के लिए **कर्नाटक के करवार** बेस को **प्रोजेक्ट सीबर्ड** के तहत विकसित किया गया है, जो प्रोजेक्ट वर्षा के समान है। प्रोजेक्ट वर्षा **पूर्वी तट** की सुरक्षा के लिए है।

## 4.4.7. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

| अभ्यास | विवरण |
|---|---|
| **अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-10** | **भारतीय वायु सेना** ने **अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-10** में भाग लिया।<br>• यह एक प्रमुख **बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास** है। इसका आयोजन **संयुक्त अरब अमीरात (UAE)** द्वारा किया गया था। |
| **ऑपरेशन अटलांटा (Operation Atalanta )** | **यूरोपीय संघ नौसैनिक बल (EUNAVFOR) के ऑपरेशन अटलांटा** ने भारतीय नौसेना के साथ एक **संयुक्त अभ्यास का प्रस्ताव** दिया है।<br>**ऑपरेशन अटलांटा के बारे में**<br>• **उद्देश्य:** यह ऑपरेशन **शांति, क्षेत्र में स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के प्रयासों का समर्थन** करता है। इसके कार्यों में **समुद्री डकैती (पायरेसी), मादक पदार्थों की तस्करी, गैर-कानूनी तरीके से मछली पकड़ना जैसी गतिविधियों को रोकना** है।<br>• यह ऑपरेशन **पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर क्षेत्र में** संचालित किया जाता है। |
| **अभ्यास 'दस्तलिक' (Exercise 'Dustlik')** | **महाराष्ट्र के पुणे में दस्तलिक अभ्यास का छठा संस्करण** शुरू हुआ।<br>• यह **भारत और उज्बेकिस्तान का वार्षिक** संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह दोनों देशों **में बारी-बारी** से आयोजित होता है। |
| **टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास (Exercise Tiger Triumph)** | **टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण विशाखापट्टनम तट** पर शुरू हुआ।<br>• यह भारत और अमेरिका के बीच **द्विपक्षीय** त्रि-सेवा **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)** अभ्यास है।<br>• इस अभ्यास के **निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**<br>  ○ मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) कार्यों में भारत और अमेरिका की **तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और सहयोग को बेहतर बनाना,** और<br>  ○ एक **संयुक्त समन्वय केंद्र (CCC)** स्थापित करने के लिए **मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs)** का निर्माण करना। |

| | |
|---|---|
| INIOCHOS-25 | **भारतीय वायुसेना** ने **ग्रीस** में आयोजित **बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास INIOCHOS-25** में भाग लिया।<br>**INIOCHOS-25 के बारे में**<br>• यह **ग्रीस की हेलेनिक एयर फोर्स** द्वारा आयोजित एक **वार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास** है।<br>• इस अभ्यास का उद्देश्य अलग-अलग देशों की वायु सेनाओं को **अपना कौशल बढ़ाने, सामरिक ज्ञान साझा करने और सैन्य संबंध मजबूत करने** का अवसर देना है। |

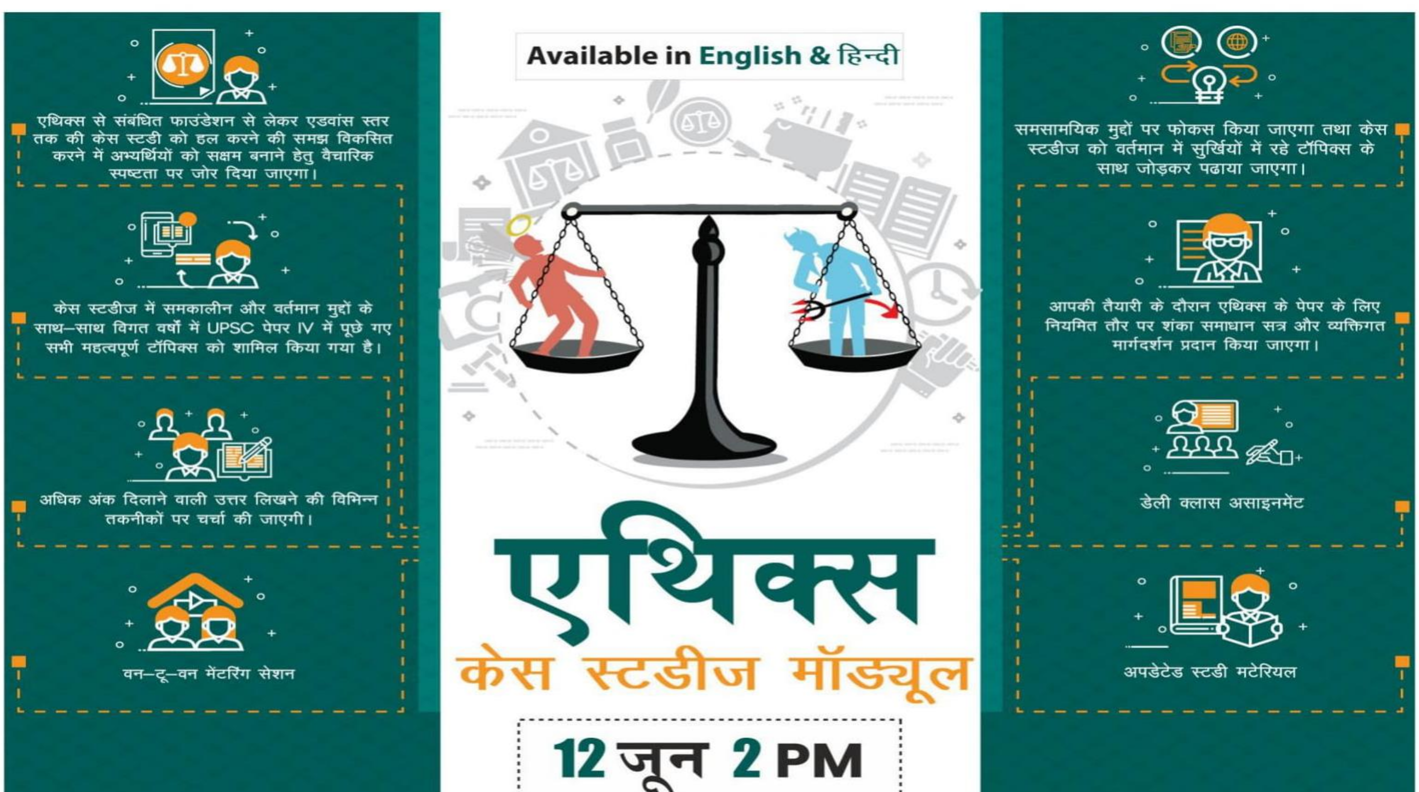

# 5. पर्यावरण (Environment)

## 5.1. पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण (Eco-Centric Approach)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह उल्लेख किया है, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र (International jurisprudence) के क्षेत्र में भारत पहला देश है जिसने **मानव-केंद्रित (Anthropocentric) दृष्टिकोण** से हटकर **पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण** अपनाया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- भारत के सुप्रीम कोर्ट ने **तेलंगाना** के **वन्यजीव वार्डन** को **कांचा गाचीबोवली 'वन' क्षेत्र** की 100 एकड़ वन भूमि के विनाश से प्रभावित वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
    - यह निर्देश उस समय जारी किया गया जब तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास लगभग 400 एकड़ वन भूमि की नीलामी कर IT पार्क बनाने की योजना बनाई थी। इस नीलामी का छात्र बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

**पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में**

- यह दृष्टिकोण **सम्पूर्ण पारिस्थितिक-तंत्र और उसके घटकों के संवर्धन को प्राथमिकता** देता है। साथ ही, यह **प्रकृति को स्वयं में मूल्यवान** मानता है, न कि केवल मानव उपयोग के लिए।
    - हालांकि, इसके विपरीत **मानव-केंद्रित दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है** और **अन्य प्राणियों अथवा चीजों को मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए उनकी उपयोगिता** के **आधार पर महत्व दिया जाता** है।
        - उदाहरण के लिए, **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1986) में**, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार** संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का मौलिक अधिकार है।
- इस दृष्टिकोण को मान्यता **नॉर्वे के दार्शनिक अर्ने नेस द्वारा डीप इकोलॉजी मूवमेंट** से भी मिली है।
    - इस आंदोलन ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव में **आमूलचूल परिवर्तन** करना होगा। इसमें प्रकृति को केवल मानव के लिए उसकी उपयोगिता के आधार पर महत्व देने के स्थान पर **प्रकृति के अंतर्निहित मूल्य को स्वीकार करने वाले दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।**
- यह विचार **हित सिद्धांत (Interest Theory)** से भी सुसंगत है, जो यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति उन अधिकारों का दावा कर सकता है जो उसके हित में हों, और जिनसे मिलने वाला लाभ **आंतरिक या अंतिम मूल्य वाला हो।**

| **मानव-केंद्रित और पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के बीच अंतर** | | |
|---|---|---|
| | **मानव-केंद्रित** | **पारिस्थितिकी-केंद्रित** |
| **कानूनी अधिकार** | कानूनी अधिकार केवल मनुष्यों या मानव हितों तक ही सीमित होते हैं। | प्रकृति (जैसे नदियां) के भी कानूनी अधिकार हो सकते हैं। |
| **नैतिक आधार** | मनुष्य को साध्य के रूप में माना जाता है।<br>• दार्शनिक **इमैनुअल कांट ने** तर्क दिया कि मनुष्य का यह **स्पष्ट कर्तव्य है** कि वह लोगों को सदैव **साध्य के रूप में देखे, कभी भी मात्र साधन के रूप में नहीं।** | समतावादी (Egalitarian) दृष्टिकोण |
| **नीतिगत दृष्टिकोण** | पर्यावरण संरक्षण **प्रतिक्रियात्मक** और मानव-हित से प्रेरित है। | सक्रिय रूप से पारिस्थितिकी का संरक्षण। |
| **संरक्षण संबंधी रणनीति** | **उपयोगितावादी संरक्षण** (जो उपयोगी है उसका संरक्षण करना)। | **समग्र संरक्षण** (सभी जैव विविधता का समान रूप से संरक्षण करना)। |
| **उदाहरण** | इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना (संरक्षण को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना)। | नदियों या वनों को कानूनी व्यक्ति के समान अधिकार प्रदान करना।<br>• उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को "विधिक यानी जीवित व्यक्ति" का दर्जा प्रदान कर उन्हें उसके अनुरूप अधिकार प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। |

**पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए प्रमुख चालक/ सुविधाकर्ता**

- **संवैधानिक आधार:**
    - **अनुच्छेद 21:** इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।
    - **अनुच्छेद 48A:** राज्य को पर्यावरण और वन्य जीवन का संरक्षण और सुधार करने का निर्देश देता है।
    - **अनुच्छेद 51A (g):** प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है।
- **न्यायिक सक्रियता:** इसके जरिए न्यायपालिका ने खुद अपनी बात नहीं कह सकने वालों जैसे कि पशु, वन और प्रकृति के पक्ष को रखा।
    - **सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों** और **नागरिकों** द्वारा **दायर जनहित याचिकाओं (PIL) ने** इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का विकास:** उदाहरणार्थ, **पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत** और **एहतियाती सिद्धांत।**
    - **पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत:** इसका मतलब है कि प्रकृति सभी की है और सरकार इसे जनता के लिए एक ट्रस्टी की तरह संभालती है।
    - **एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle):** इसका मतलब है कि नुकसान होने से पहले ही कदम उठाए जाएं।
- **पर्यावरणीय क्षरण और पारिस्थितिकी संकट:** जैसे वनों की कटाई, नदी प्रदूषण, आदि।

- **सांस्कृतिक लोकाचार:** भारत की पारंपरिक विचारधारा यह नहीं मानती है कि मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है। इसके बजाय, पर्यावरण को एक जीवित इकाई माना गया है और मनुष्य उसका एक हिस्सा है।
- **विधायी उपाय:** उदाहरणार्थ, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (1960), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972), आदि।

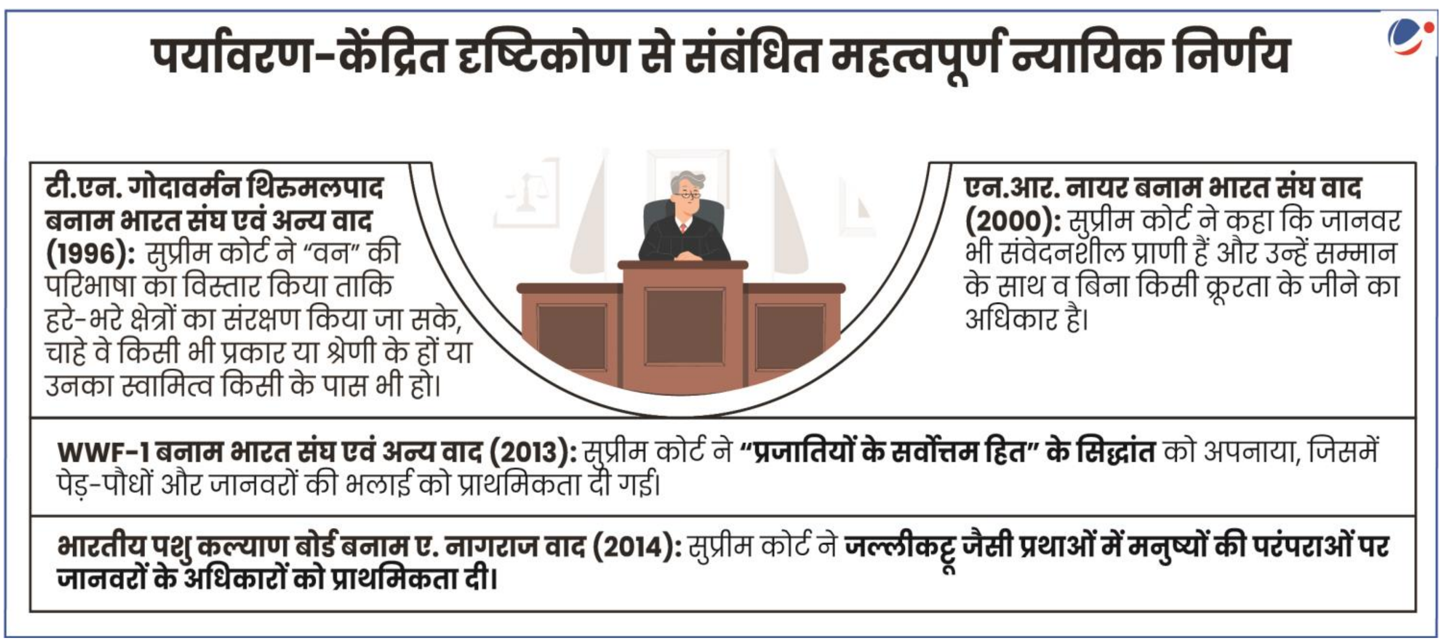


**निष्कर्ष**

भारत की न्यायपालिका द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को केंद्र में रखकर निर्णय लेना एक बड़ा और परिवर्तनकारी कदम है। यह प्रकृति के अपने आप में मूल्यवान होने को मान्यता देता है। यह हमारे संविधान की उस सोच को फिर से मजबूत करता है जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलित सह-अस्तित्व की बात की गई है। इससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक न्याय सुनिश्चित होता है।

 ©Vision IAS

## 5.2. उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण (Revised Classification of Industries)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)**[60] ने **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स (SPCBs)**[61] **को उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण** अपनाने का निर्देश दिया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- संशोधित वर्गीकरण का उद्देश्य स्वच्छ एवं पारदर्शी काम-काज तथा व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है।
- नए वर्गीकरण में, **CPCB ने कुल 419 क्षेत्रकों को रेड (125), ऑरेंज (137), ग्रीन (94), व्हाइट (54) और ब्लू (9)** श्रेणी में वर्गीकृत किया है।
  - **ब्लू श्रेणी को** हाल ही में शामिल किया गया है।
- **CPCB ने प्रदूषण सूचकांक (Pollution Index: PI)** पर आधारित **संशोधित कार्य-प्रणाली को अपनाया** है।

**शब्दावली को जानें**

**प्रदूषण सूचकांक (Pollution Index: PI)**

- यह सिद्धांत **एहतियाती दृष्टिकोण** पर आधारित है, जिसके अंतर्गत किसी विशेष उद्योग या क्षेत्रक द्वारा **जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा खतरनाक अपशिष्ट** उत्पन्न करने की क्षमता का आकलन किया जाता है।
- इसका मान **0 से 100** के बीच होता है। **PI स्कोर** जितना अधिक होता है, प्रदूषण का स्तर भी उतना ही अधिक माना जाता है।

- इसके अलावा, CPCB **पर्यावरण प्रबंधन संबंधी उपायों** के सफल **कार्यान्वयन का प्रदर्शन करने वाले** उद्योगों को **प्रोत्साहित भी करेगा।**
  - उदाहरण के लिए, रेड श्रेणी के लिए कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) परमिट अधिकतम 10 वर्षों की वैधता के लिए दिया जा सकता है।

**उद्योगों का वर्गीकरण**

- **पृष्ठभूमि:** इसकी शुरुआत 1989 में **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा जारी **दून घाटी (उत्तराखंड) अधिसूचना के साथ हुई थी।**
  - प्रदूषण सूचकांक आधारित **वर्गीकरण की शुरुआत 2016 में की गई थी।**
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि उद्योग की स्थापना पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप हो।
  - यह वर्गीकरण **सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रक के लिए है, न कि अलग-अलग इकाइयों के लिए।**
- **वर्गीकरण का उपयोग/ प्रासंगिकता:**
  - **उद्योगों की स्थापना हेतु स्थल निर्धारण मानदंड:** यह किसी उद्योग की स्थापना के लिए स्थान/ स्थल निर्धारण के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
  - **क्लस्टर का विकास: इसका उपयोग क्षेत्रक विशेष क्लस्टर** की योजना बनाने के लिए किया जाता है।
  - **प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्षेत्रक विशेष योजनाएं:** प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजनाएं तैयार की जा सकती हैं और क्षेत्रकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर लागू की जा सकती हैं।
  - **निरीक्षण की आवृत्ति:** SPCBs/ PCCs क्षेत्रकों की श्रेणियों के आधार पर **पर्यावरण निगरानी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे सकते हैं।**
  - **प्रगतिशील पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक साधन:** औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए **स्वच्छ प्रौद्योगिकियों**, स्वच्छ ईंधन आदि को अपना सकती हैं। इसके चलते ऐसी इकाइयां कम प्रदूषण वाली श्रेणी में स्थान बना सकती हैं।

| क्षेत्रकों से संबंधित मौजूदा श्रेणियाँ | | |
|---|---|---|
| **श्रेणी** | **प्रदुषण सूचकांक (PI)** | **मुख्य विवरण / उदाहरण** |
| **रेड** | PI> 80 | • **पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र/ संरक्षित क्षेत्र** में **सामान्यतः** रेड श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।<br>• जैसे सीमेंट, ऑटोमोबाइल विनिर्माण, डिस्टिलरी आदि। |
| **ऑरेंज** | 55 ≤ PI < 80 | • जैसे ईंट-भट्टे, ड्राई सेल बैटरी निर्माण, कोल वॉशरी आदि। |
| **ग्रीन** | 25 ≤ PI < 55 | • उदाहरणार्थ, कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर (CD/DVD) का विनिर्माण, शीतलन संयंत्र आदि। |

---

[60] Central Pollution Control Board

[61] State Pollution Control Boards


©Vision IAS

| | | |
|---|---|---|
| व्हाइट | PI < 25 | • ये **प्रदूषण रहित होते हैं** तथा इनके लिए **पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance)** और सहमति अनिवार्य **नहीं होती है।**<br>• जैसे एयर कूलर की असेंबली, कार्डबोर्ड विनिर्माण, मेडिकल ऑक्सीजन आदि। |
| **नोट:** किसी भी नए या छूटे हुए क्षेत्रक के लिए, SPCB/ प्रदूषण नियंत्रण समितियों (PCCs) को अपने स्तर पर क्षेत्र को वर्गीकृत करने की अनुमति है। | | |

**ब्लू श्रेणी के बारे में**

- इसमें घरेलू/ सामुदायिक गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए **आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं (ESSs)[62] को शामिल किया गया है।**
    - आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं वे सुविधाएं हैं- जो **घरेलू और औद्योगिक गतिविधियों** से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने, कम करने एवं निपटाने के लिए जरूरी होती हैं।
- **उदाहरण:** नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (सैनिटरी लैंडफिल/ एकीकृत सैनिटरी लैंडफिल, आदि) सीवेज उपचार संयंत्र, आदि।
    - नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट, कृषि-अवशेष आदि जैसे विभिन्न फीडस्टॉक पर आधारित **संपीडित बायोगैस संयंत्र (CBP)[63] को ब्लू श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है।**
        - **औद्योगिक अपशिष्ट या औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट** पर आधारित संपीडित बायोगैस संयंत्र **रेड श्रेणी** में बने रहेंगे।
- **ब्लू श्रेणी को शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी: इससे अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी प्रणालियों को** बढ़ावा मिलेगा।
    - इस श्रेणी के क्षेत्रकों के लिए कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) परमिट की वैधता अन्य श्रेणी की तुलना में 2 वर्ष अधिक होगी।

**निष्कर्ष**

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ब्लू श्रेणी को शामिल करते हुए जारी किया गया उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी औद्योगिक विनियमन की दिशा में प्रगतिशील बदलाव को दर्शाता है।

[62] Essential Environmental Services

[63] Compressed Biogas Plants

## 5.3. बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (Bio-Input Resource Centres)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)**[64] के अंतर्गत **बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।**

**बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) के बारे में**

* BRC **क्लस्टर-स्तरीय उद्यम** होते हैं। ये किसानों को किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में परीक्षण किए गए और स्थानीय रूप से तैयार जैविक तत्वों से बने इनपुट/ फार्मूलेशन को खरीदने के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन आदि में सुधार करना है।
* **केंद्रीय बजट 2023-24 में** सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत **10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स** स्थापित करने की घोषणा की थी।

**मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र:**

* **वित्तीय सहायता:** बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना के लिए **1 लाख रुपये की सहायता** प्रदान की जाएगी। सहायता में शेड निर्माण, सेंटर भवन का किराया आदि शामिल नहीं होगा।
* **अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय:** उदाहरण के लिए- 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन और संवर्धन, राष्ट्रीय तिलहन मिशन जैसी योजनाओं के प्रावधानों का लाभ उठाया जाएगा।
* **बायो-इनपुट तैयार करना:** स्थानीय किसानों की आवश्यकताओं, भूमि उपयोग पैटर्न, मृदा के प्रकार और फसल प्रणालियों को ध्यान में रखकर इनपुट तैयार किए जाएंगे।
* **BRCs का संचालन कौन कर सकता है:** ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPOs)[65], स्वयं सहायता समूह (SHG)[66], सहकारी समितियां, गौशालाओं सहित कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) आदि।

**राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming: NMNF) के बारे में**

* **उद्देश्य:** सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना।
* **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना।
  * केंद्र और राज्य द्वारा वित्त-पोषण- यह पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40 है।
* **कार्य अवधि:** 2025-26 तक
* **संबंधित मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
* **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC):** राष्ट्रीय स्तर पर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में मिशन का संचालन किया जाएगा।
* **प्रमुख लक्ष्य:**
  * इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टर्स में लागू करना।
  * **एक करोड़ किसानों को लाभान्वित करना तथा 7.5 लाख हेक्टेयर** क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करना।
  * कृषि विभाग में **लगभग 2000 प्राकृतिक खेती संबंधी** मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। इन फार्म्स की स्थापना कृषि विज्ञान केन्द्रों (KVKs), कृषि विश्वविद्यालयों (Agricultural Universities) और किसानों के खेतों में की जाएगी।
  * **प्राकृतिक कृषि पद्धतियों और ज्ञान को आसानी से बढ़ाने के लिए 30,000 कृषि सखियों (कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) को तैनात करना।**

***नोट:*** *प्राकृतिक खेती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए नवंबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.7 देखें।*

---

[64] National Mission on Natural Farming

[65] Farmer Producer Organization

[66] Self-Help Groups

## 5.4. फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन (Functional De-Extnniction)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी **कोलोसल बायोसाइंसेस** का दावा है कि उसने आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके ग्रे वुल्फ से जन्मे तीन बच्चों में विलुप्त डायर वुल्फ की विशेषताओं को शामिल किया है। इसलिए इसे दुनिया का पहला सफल **फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन** कहा जा रहा है।

**फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन क्या होता है?**

- डी-एक्सटिंक्शन के तहत किसी प्रजाति को ठीक उसी रूप में वापस लाया जाता है, जैसी वह अस्तित्व में थी। हालांकि, **फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन में** जीन एडिटिंग और क्लोनिंग तकनीकों का उपयोग करके विलुप्त प्रजातियों की **पारिस्थितिक भूमिकाओं और लक्षणों को पुनर्जीवित करने** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ।
- इन पुनर्जीवित जीवों को सटीक प्रतिरूप नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें विलुप्त प्रजातियों से मिलते-जुलते रूप या कार्यों के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया जाता है।
- **इसमें CRISPR जीन एडिटिंग, क्लोनिंग** और **जीनोम मैपिंग** जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

**डायर वुल्फ के बारे में**

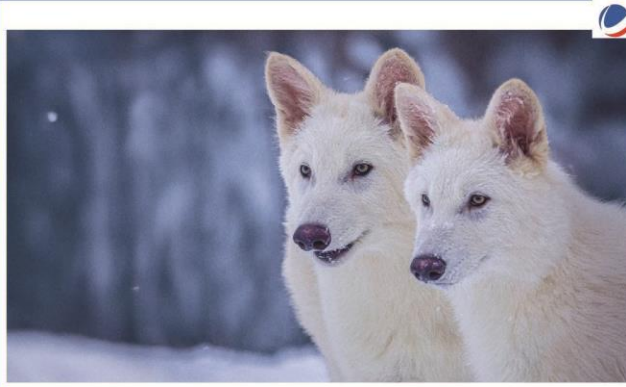

- **डायर भेड़िये (Aenocyon dirus)**: ये बड़े आकर के भेड़िये थे, जो दक्षिणी कनाडा और अमेरिका में छाए हुए थे, ये आज से लगभग 13,000 साल पहले विलुप्त हो गए।
- **शारीरिक विशेषताएं:** ये 3.5 फीट तक ऊंचे, 6 फीट से ज्यादा लंबे और लगभग 68 किलोग्राम वजन के होते थे।
- **ग्रे वुल्फ के साथ तुलना:** डायर वुल्फ आज के **ग्रे वुल्फ** (कैनिस ल्यूपस ) **जैसे दिखते थे**। हालांकि ग्रे वुल्फ की तुलना में इनका आकार बड़ा, सफेद फर वाला बाहरी आवरण, चौड़ा सिर, बड़े दांत, अधिक शक्तिशाली कंधे और मांसल पैर आदि थे।
- **विलुप्त होने के कारण:** इनकी विलुप्ति के पीछे इनका आहार बनने वाली बड़ी शिकार प्रजातियों का विलुप्त होना और मानवीय गतिविधियों को माना जा सकता है।

**कोलोसल बायोसाइंसेस कैसे डायर वुल्फ को वापस लाया?**

डायर वुल्फ के शावकों के जन्म के लिए क्लोनिंग और जीन-एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। यह तकनीक डायर वुल्फ के DNA के दो प्राचीन नमूनों के आधार पर काम करती है।

- **प्राचीन DNA प्राप्त करना:** डायर वुल्फ के दो प्राचीन अवशेषों यथा ओहायो से 13,000 साल पुराना एक दांत और आइडाहो से 72,000 साल पुरानी एक कान की हड्डी से DNA प्राप्त किया गया।
- **जीनोम मैपिंग:** डायर वुल्फ के जीनोम का अनुक्रमण किया गया और इसकी आधुनिक ग्रे वुल्फ के साथ तुलना करके कार्यात्मक जीन पहचाने गए।
- **CRISPR जीन एडिटिंग:** डायर वुल्फ के सबसे करीबी जीवित जीव ग्रे वुल्फ के जीन को एडिट किया गया, ताकि पूर्व में विलुप्त हो चुके इस डायर वुल्फ के विशिष्ट जीन वेरिएंट को इसमें शामिल किया जा सके।
- **क्लोनिंग एवं जन्म:** एडिटेड DNA को **केन्द्रक रहित अंडाणु (Enucleated ova) में प्रत्यारोपित किया गया और इन्हें घरेलू मादा कुत्ते के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया। इससे रोमुलस, रेमस** और **खलेसी** नामक तीन शावकों का जन्म हुआ।
    - पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक के बजाय, वैज्ञानिकों ने एक कम इनवेसिव विधि का उपयोग किया जिसमें ग्रे वुल्फ से एंडोथेलियल प्रोगेनिटर कोशिकाओं (EPCs) का उपयोग किया गया।

**फंक्शनल डी-एक्सटिंक्शन के बारे में चिंताएं**

- **पारिस्थितिकीय विघटन:** "डी-एक्सटिंक्ट" प्रजातियां पूर्णतः विलुप्त प्रजातियों की भूमिका को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकती हैं। साथ ही ये आक्रामक भी हो सकती हैं, तथा मौजूदा पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़ भी सकती हैं।
    - यह आनुवंशिक रूप से मिलते-जुलते जीव हैं, विलुप्त प्रजातियों का वास्तविक रूप में पुनर्जीवन नहीं है।
- **नैतिक चिंताएं:** डी-एक्सटिंक्शन प्रक्रिया में गंभीर आनुवंशिक परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, या यह हो सकता है कि यह जीव वर्तमान पर्यावरण के लिए उपयुक्त न हो।
- **संसाधनों पर दबाव:** आलोचक यह तर्क देते हैं कि डी-एक्सटिंक्शन परियोजनाओं पर खर्च किए गए संसाधन को वर्तमान संकटों का सामना कर रहे मौजूदा संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **विनियमन का अभाव:** डी-एक्सटिंक्शन के लिए कोई स्पष्ट वैश्विक नैतिक या कानूनी फ्रेमवर्क की कमी है।

**निष्कर्ष**

कोलोसल बायोसाइंसेज द्वारा डायर वुल्फ जैसे जीवों को वापस लाना **एक्सटिंक्शन साइंस में एक** महत्वपूर्ण कदम है। यह विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण और समझ के लिए नए रास्ते खोलता है। साथ ही, इस संबंध में नैतिक, पारिस्थितिकी और वैज्ञानिक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की भी आवश्यकता है। जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ती है वैसे-वैसे **नवाचार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन** और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

## 5.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 5.5.1. कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM) {Command Area Development And Water Management (M-CADWM)}

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM)' योजना को मंजूरी दी।

- **M-CADWM को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की एक उप-योजना के रूप में मंजूरी** दी गई है। यह योजना **2025-2026 की अवधि में संचालित** की जाएगी।
- **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)** की शुरुआत **2015-16** में की गई थी। इस **योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
    - खेतों तक जल पहुंचाना,
    - अधिक कृषि क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र के तहत लाना, और
    - खेतों में जल उपयोग दक्षता (Water use efficiency) बढ़ाना।

**M-CADWM के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **उद्देश्य:** सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना, ताकि मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई जल को नामित क्लस्टर में पहुंचाया जा सके।
- **प्रणाली:** योजना के तहत स्थापित जल स्रोतों से **अंडरग्राउंड प्रेसराइज़्ड पाइप्ड सिंचाई** के माध्यम से किसानों की **1 हेक्टेयर तक की भूमि को सूक्ष्म-सिंचाई सुविधा** उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मजबूत मूल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।
- **प्रौद्योगिकी:** जल-उपयोग की निगरानी (वाटर एकाउंटिंग) और जल प्रबंधन के लिए **'सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (SCADA), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
- **योजना के संभावित लाभ:**
  - **खेतों की जल उपयोग दक्षता (WUE) में सुधार होगा;** कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी; आदि।
  - सिंचाई से जुड़ी सुविधाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी **जल-उपयोग समितियों (WUS)** को सौंपकर संधारणीय कृषि को बढ़ावा मिलेगा।
    - अगले पांच वर्षों तक जल-उपयोग समितियों को **सहयोग एवं मार्गदर्शन** दिया जाएगा, ताकि वे **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)** जैसे आर्थिक संगठनों से जुड़ सकें।
  - आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाने से **युवाओं को कृषि गतिविधियों में आकर्षित** किया जा सकेगा।

**कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CAD&WM) कार्यक्रम के बारे में**

**शुरुआत:** इसे 1974-75 में शुरू किया गया था। वर्ष 2004 में बदलाव लाकर इसे वर्तमान नाम - CAD&WM कार्यक्रम - दिया गया।

**उद्देश्य:** विकसित सिंचाई सुविधाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और सतत रूप से **कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि** करना।

इसे 2015-16 **से प्रधान-मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के 'हर खेत को पानी'** घटक के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

**इस योजना के निम्नलिखित दो उप-घटक हैं:**
**सिंचाई संरचना का विकास:** खेत में सिंचाई सुविधाओं का विकास; फील्ड, इंटरमीडिएट व लिंक नहरों का निर्माण करना; आदि।
**गैर-संरचनात्मक उपाय:** पंजीकृत जल उपयोगकर्ता समितियों को एकमुश्त अनुदान देना; जल उपयोग दक्षता पर प्रशिक्षण प्रदान करना; खेतों में इसे वास्तविक रूप में दर्शाना और इसे अपनाने का परीक्षण करना।

## 5.5.2. ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड (Green Municipal Bonds)

गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड की शुरुआत की।

- इसे **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी** के तहत जारी किया गया था। इससे अत्याधुनिक **टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (TSTP)** के विकास के लिए ₹150 करोड़ जुटाए गए।
- TSTP यह सुनिश्चित करेगा कि **उपचारित जल उच्चतम मानकों को पूरा करे।** इससे यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाएगा।
- TSTP को **सार्वजनिक-निजी भागीदारी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (PPP-HAM) के तहत 40% नगरपालिका वित्त-पोषण** के साथ विकसित किया गया था।

**ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड (GMB) के बारे में**

- ये ऐसी **गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां**[67] हैं, जिन्हें **किसी नगरपालिका निकाय या ऐसी किसी अन्य संस्था** द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसे **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत कार्य सौंपे** गए हैं।
  - **ग्रीन बॉण्ड** का उपयोग **विशेष रूप से जलवायु शमन, अनुकूलन और अन्य पर्यावरण अनुकूलन एवं कम कार्बन उत्सर्जक परियोजनाओं (विश्व बैंक)** के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है।

**GMB का महत्त्व**

- **सतत विकास:** निवेशक अपनी निवेश प्रक्रियाओं में **पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस** कारकों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- **कम लागत व दीर्घकालिक पूंजी:** वे **अन्य बॉण्ड्स के साथ लागत-प्रतिस्पर्धी** होते हैं तथा **वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की तुलना में कम लागत पर पूंजी** प्रदान कर सकते हैं।

---

[67] Non-convertible debt securities

- **निवेशक आधार को व्यापक बनाना:** घरेलू बैंक ऋण जैसे मौजूदा पारंपरिक वित्त-पोषण स्रोत क्षमता वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

## 5.5.3. सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (Similipal Tiger Reserve)

ओडिशा सरकार ने सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित किया।

- सिमिलिपाल **भारत का 107वां और ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क** है। **भितरकनिका, ओडिशा का पहला नेशनल पार्क** है।
- गौरतलब है कि सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल **2,750 वर्ग किलोमीटर** है। इसके **845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेशनल पार्क** के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस तरह **सिमिलिपाल ओडिशा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क** बन गया है। **भितरकनिका** का क्षेत्रफल इससे **कम** है।

**सिमिलिपाल वन के बारे में**

- **अवस्थिति:** सिमिलिपाल नेशनल पार्क **ओडिशा के मयूरभंज जिले में छोटानागपुर क्षेत्र** में स्थित है।
- **बहने वाली मुख्य नदियां: बुद्धबलंगा, पलपला, बंदन, सालंदी, कहैरी और देव** नदी।
- सिमिलिपाल को **वन्यजीव अभयारण्य** और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत **टाइगर रिजर्व** के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। साथ ही, इसे **यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम** के तहत **2009 में बायोस्फीयर रिजर्व** भी घोषित किया गया था। यह **मयूरभंज एलीफैंट रिजर्व** का भी हिस्सा है।

**नेशनल पार्क क्या होता है?**

- **परिचय:** नेशनल पार्क एक ऐसा अधिसूचित क्षेत्र होता है, जिसे उसकी **पारिस्थितिकीय तथा उसमें पाए जाने वाले जीव-जंतु, वनस्पति, स्थलाकृति या वन्य-जीवों की वैज्ञानिक महत्ता** के कारण उसके **वन्य-जीवों और पर्यावरण को सर्वोत्तम संरक्षण** प्रदान किया जाता है।
  - नेशनल पार्क **किसी अभयारण्य के भीतर का संरक्षित क्षेत्र** भी हो सकता है या जरूरी नहीं है कि वह कोई अभयारण्य हो ही।
    - नेशनल पार्क के भीतर **किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित** होती है। हालांकि, राज्य के **मुख्य वन्यजीव संरक्षक** (Chief Wildlife Warden) द्वारा कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
    - साथ ही, **वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कुछ आदिवासी समूहों को नेशनल पार्क के भीतर रहने की अनुमति** दी गई है।
- **अधिसूचना: राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत नेशनल पार्क की अधिसूचना** जारी की जाती है।
  - हालांकि, एक बार अधिसूचित हो जाने के बाद, राज्य सरकार **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना नेशनल पार्क की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं** कर सकती।

## 5.5.4. गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary)

चीता परियोजना संचालन समिति ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ **चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित** करने को मंजूरी दी।

**गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में**

- **भौगोलिक:** गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य **पूर्वी मध्य प्रदेश** में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के दो जिलों यानी **मंदसौर और नीमच** में फैला हुआ है।
    - इस क्षेत्र को **निमाड़ क्षेत्र** के नाम से भी जाना जाता है।
- **प्रकार:** इस अभयारण्य के वन **खटियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन** का हिस्सा हैं।
- **नदी:** इससे होकर **चम्बल नदी** गुजरती है।
- **बांध:** यह अभयारण्य **गांधी सागर बांध** के कारण बने जलाशय के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- **वृक्ष:** सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदू, पलाश आदि।
- **वन्य जीव:** जंगली कुत्ते (ढोल), चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव, मगरमच्छ आदि।
- **ऐतिहासिक:** यह विश्व प्रसिद्ध **चतुर्भुजनाथ नाला शैलाश्रयों** का हिस्सा है।

## 5.5.5. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (International Big Cat Alliance)

भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) ने 'मुख्यालय समझौते' पर हस्ताक्षर किए।

- इस समझौते के माध्यम से **IBCA का मुख्यालय और सचिवालय** भारत में स्थापित किए जाएंगे। इससे IBCA को अपने आधिकारिक कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में मदद मिलेगी।

**इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)**

HQ भारत

**स्थापना:** इसे **प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष** पूरे होने के उपलक्ष्य में **2023 में भारत** ने शुरू किया था।

**संस्था का प्रकार:** **पूर्ण संधि आधारित अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था।**

**सदस्य:** **7 देशों (निकारागुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया, लाइबेरिया, गिनी और कंबोडिया)** ने औपचारिक रूप से इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

**उद्देश्य:** सात बड़ी बिडाल (बिग कैट) प्रजातियों **(बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा)** के संरक्षण को बढ़ावा देना। इनमें से केवल **5 प्रजातियां; बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता** भारत में पाई जाती हैं।

**समझौते के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य**

- यह IBCA सचिवालय और कर्मियों, परिसरों आदि को दिए जाने वाले **वीजा, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों** से संबंधित है।
- इसके अलावा, भारत **IBCA को 2023-24 से 2028-29 तक 5 वर्षों** के लिए एक कोष बनाने, अवसंरचना के निर्माण और आवर्ती (नियमित) व्यय को पूरा करने के लिए **150 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन** प्रदान करेगा।

**बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए अन्य प्रयास**

- **बाघों के संरक्षण के लिए सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा (2010): 13 टाइगर रेंज वाले सदस्य देशों ने Tx2 लक्ष्य** पर सहमति व्यक्त की है। 'Tx2 लक्ष्य' **2022 तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने** की वैश्विक प्रतिबद्धता है।
- **भारत:** प्रोजेक्ट टाइगर (1973); एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन (2020), आदि।

***नोट:*** *इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मार्च, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.5. देखें।*

## 5.5.6. जियोपार्क नेटवर्क (Global Geoparks Network: GGN)

**यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क (UGGP) की 10वीं वर्षगांठ** के अवसर पर यूनेस्को ने 11 देशों के 16 नए स्थलों को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GGN) में शामिल किया है।

- **ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क** यूनेस्को के तहत स्थापित एक **गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ** है।
- यह उन नैतिक मानकों की स्थापना करता है जिन्हें ग्लोबल जियोपार्क्स द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

**GGN में शामिल किए गए प्रमुख जियोपार्क्स**

- **कंबुला (चीन):** यह **किंघई-तिब्बत पठार** के किनारे स्थित है। इसमें बेहतर तरीके से संरक्षित **प्राचीन मैक्सिउ ज्वालामुखी** और **पीली नदी** शामिल है।
- **माउंट पैक्टू (उत्तर कोरिया):** यह उस जगह स्थित है जहां लगभग 1000 ई. में मिलेनियम विस्फोट हुआ था। मिलेनियम विस्फोट अब तक रिकॉर्ड किए गए **इतिहास में सबसे बड़े विस्फोटों में से एक** है।
- **उत्तरी रियाद (सऊदी अरब):** तुवैक पर्वत के आधार पर स्थित ओबैथरान घाटी (वादी ओबैथरान) एक हरा-भरा भंडार है, जो स्थानीय जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण।
    - इस घाटी में **प्राचीन प्रवाल भित्तियों के पारिस्थितिक तंत्र** भी मौजूद हैं।

**यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क (UGGP) के बारे में**

- **उत्पत्ति:** इसकी शुरुआत 2015 में **इंटरनेशनल जियोसाइंसेज़ एंड जियोपार्क्स प्रोग्राम (IGGP)** के एक प्रमुख घटक के रूप में की गई थी।
- **जियोपार्क्स:** UGGPs ऐसे **एकल व एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र** होते हैं, जहां **अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्त्व के परिदृश्यों** को निम्नलिखित की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधित किया जाता है:
    - **संरक्षण,**
    - **शिक्षा,** और
    - **सतत विकास**
- **प्रबंधन:** इनका प्रबंधन **राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त किसी विधिक निकाय** द्वारा किया जाता है।
- **पुनर्मूल्यांकन अवधि:** UGGP का दर्जा स्थायी नहीं होता, बल्कि **प्रत्येक चार साल** में इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
- **अनिवार्य नेटवर्किंग:** UGGPs के लिए GGN की सदस्यता अनिवार्य है।
- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में **50 देशों में 229 यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स** हैं। भारत में **एक भी यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नहीं** है।

## 5.5.7. गुजरात में पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट (Particulate Emission Trading Market in Gujarat)

एक नए अध्ययन से पता चला है कि **2019 में शुरू की गई सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ETS) पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को नियंत्रित** करने में सफल रही है।

- इसकी वजह से **प्रदूषण रोकथाम लागत में भी 10% से अधिक की गिरावट** आई है। साथ ही, इसमें शामिल उद्योग अब पर्यावरण कानूनों का बेहतर ढंग से पालन कर रहे हैं।

**सूरत ETS के बारे में**

- **एक नज़र:** यह **दुनिया का पहला बाजार है, जहां पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन का व्यापार** किया जाता है।
    - यह भारत की किसी भी तरह की **पहली प्रदूषण ट्रेडिंग योजना** है।
    - ETS की अवधारणा सबसे पहले **अमेरिका में सल्फर डाइऑक्साइड ($SO_2$) प्रदूषण को रोकने** के लिए शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य: प्रदूषक भुगतान सिद्धांत** के अनुसार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना।

* **कार्य प्रणाली:** यह बाजार से जुड़ी **'कैप एंड ट्रेड'** प्रणाली (इन्फोग्राफिक देखें) पर आधारित है।
    * इस प्रणाली का उपयोग **यूरोप में ग्रीनहाउस गैसों और चीन में कार्बन उत्सर्जन** के लिए किया जाता है।
    * ETS निगरानी के लिए **सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (CEMS)** उपकरणों का उपयोग करता है।

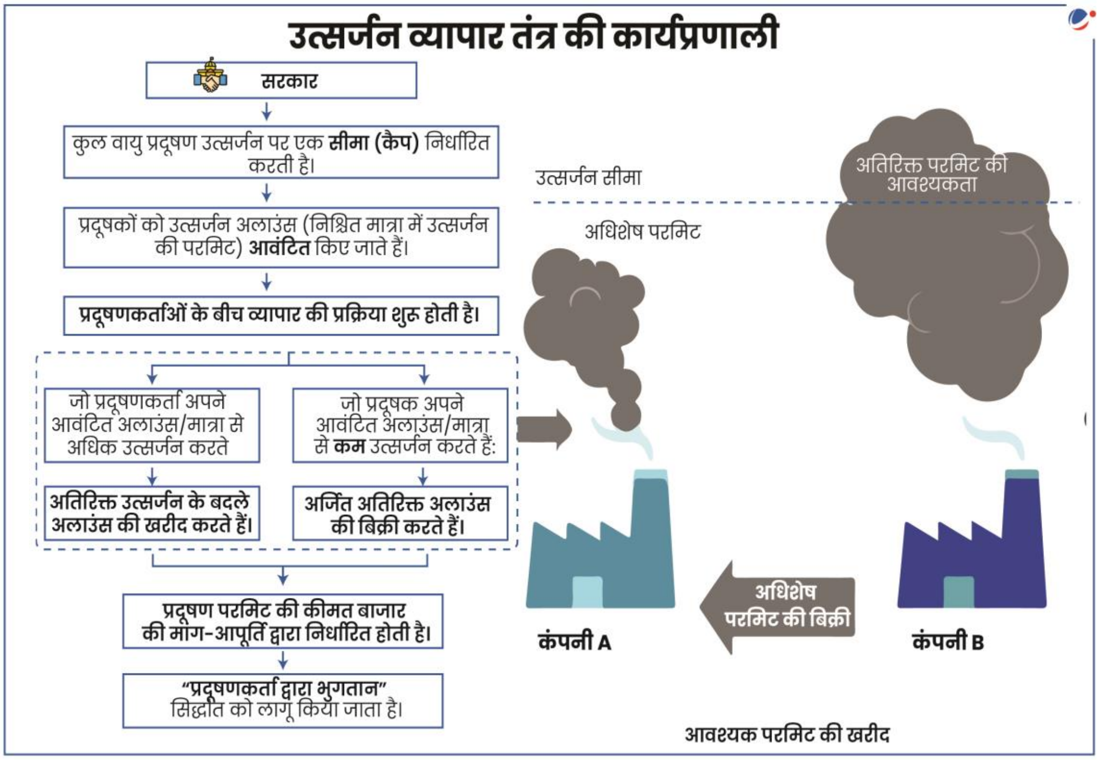


* **ट्रेडिंग:** उद्योग NeML **(नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ई-मार्केट्स)** द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म पर प्रदूषण परमिट्स की खरीद-बिक्री करते हैं।
* भाग लेने वाली संस्थाओं को एक **'पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि'** भी जमा करनी होती है, जो उद्योग के आकार के अनुसार तय होती है।

### 5.5.8. वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट-जीरो फ्रेमवर्क (Net Zero Framework for Global Shipping)

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट-जीरो फ्रेमवर्क को मंजूरी दी।

* IMO नेट-जीरो फ्रेमवर्क विश्व का पहला ऐसा फ्रेमवर्क है, जो **संपूर्ण उद्योग क्षेत्रक में अनिवार्य उत्सर्जन सीमा और GHG मूल्य निर्धारण** का प्रावधान करता है।
* पोत परिवहन **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 3%** का योगदान देता है।

**मुख्य विशेषताएं**

* इसे **जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (MARPOL/ मार्पोल) के एनेक्स VI** में शामिल किया जाएगा।
    * **एनेक्स VI:** जहाजों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित है।
* **उद्देश्य: 2050** के आसपास या उससे पहले **शून्य उत्सर्जन** प्राप्त करना।
* **कार्यान्वयन:** इसे **अक्टूबर 2025** में औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा तथा **2027** से प्रभावी होकर **अनिवार्य** हो जाएगा।
* एक बार प्रभावी होने के बाद, यह **5,000 सकल टन से अधिक बड़े समुद्री जहाजों** के लिए अनिवार्य हो जाएगा, जो **अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन से कुल $CO_2$ उत्सर्जन का 85%** उत्सर्जित करते हैं।

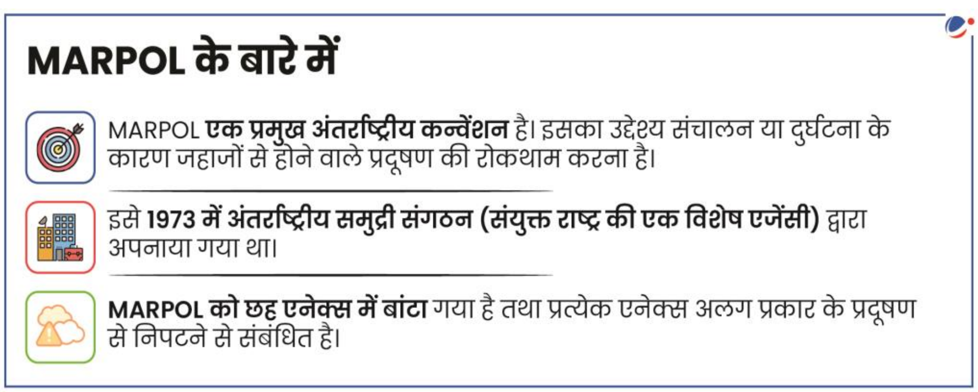

- **जहाजों को निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा:**
    - **वैश्विक ईंधन मानक:** जहाजों को अपनी **वार्षिक GHG फ्यूल इंटेंसिटी (GFI) यानी प्रयुक्त प्रति ऊर्जा इकाई पर उत्सर्जित GHG की मात्रा** को समय के साथ **कम** करना होगा।
    - **वैश्विक आर्थिक उपाय:** जिन जहाजों का उत्सर्जन तय GFI सीमा से अधिक होगा, उन्हें **"रिमेडियल यूनिट्स"** खरीदनी होंगी, ताकि अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई की जा सके। जो जहाज **शून्य या लगभग शून्य GHG तकनीकों** का उपयोग करेंगे, उन्हें वित्तीय पुरस्कार दिया जाएगा।
- **IMO नेट-जीरो फंड:** एक नया फंड बनाया जाएगा, जिसमें **उत्सर्जन मूल्य निर्धारण से प्राप्त राशि** जमा की जाएगी।

## 5.5.9. वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO वैश्विक सम्मेलन (WHO Global Conference On Air Pollution and Health)

दूसरा **"वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO वैश्विक सम्मेलन" कोलंबिया के कार्टाजेना में आयोजित** हुआ।

**सम्मेलन के बारे में**

- इस सम्मेलन को **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और कोलंबिया** ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। सम्मेलन के आयोजन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), विश्व मौसम संगठन (WMO) जैसे अन्य UN एजेंसियां भी शामिल थीं।
- **उद्देश्य: स्वच्छ वायु और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति** के लिए तथा **जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए** कार्यवाहियों में तेजी लाना।

**सम्मेलन के मुख्य आउटकम्स**

- 50 से अधिक देशों ने **'वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों' को 2040 तक 50% तक कम करने के साझा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता** व्यक्त की।
- भारत ने **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)** के लक्षित उपायों के माध्यम से 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

## 5.5.10. बाकू टू बेलेम रोडमैप (Baku to Belem Roadmap)

भारत ने ब्रिक्स देशों से **2035 तक जलवायु वित्त-पोषण के लिए प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु 'बाकू टू बेलेम रोडमैप' पर एकजुट होने** की अपील की है। भारत के अनुसार इससे **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) लक्ष्यों को पूरा** करने में मदद मिलेगी।

**'बाकू टू बेलेम रोडमैप' के बारे में**

- **अजरबैजान के बाकू** में आयोजित **'जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन पर पक्षकारों के 29वें सम्मेलन (UNFCCC COP-29)'** में इस नए वैश्विक वित्त-पोषण लक्ष्य और फ्रेमवर्क पर सहमति बनी थी। इसका उद्देश्य **ब्राजील के बेलेम** में आयोजित होने वाले आगामी **COP-30** तक जलवायु वित्त-पोषण के लक्ष्य को बढ़ाना है।
- इस रोडमैप का उद्देश्य विकासशील देशों को **कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले और जलवायु-परिवर्तन-अनुकूल विकास पथ अपनाने** के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे ये देश अपने **'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)' लक्ष्यों को प्रभावी रूप से लागू** कर सकेंगे।

***नोट:** जलवायु वित्त के बारे में और अधिक जानकारी के लिए नवंबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.3. देखें।*

## 5.5.11. AIM4NatuRe पहल (Aim4nature Initiative)

**खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल) पर 'एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन (AIM4NatuRe)'** पहल शुरू की।

**AIM4NatuRe पहल के बारे में**

- AIM4NatuRe **एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन (प्रकृति पुनर्स्थापन के लिए अभिनव निगरानी को तेज करना)** का संक्षिप्त नाम है।
- **उद्देश्य:** वैश्विक पारिस्थितिकी-तंत्र पुनर्स्थापन प्रयासों की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार करना।
  - यह पहल **वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के लक्ष्य 2 में उल्लिखित 2030 तक कम-से-कम 30% खराब पारिस्थितिकी-तंत्र को पुनर्स्थापित** करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मानकीकृत डेटा फ्रेमवर्क और क्षमता विकास का लाभ उठाएगी।
- यह FAO के **AIM4Forests कार्यक्रम का हिस्सा** है, जो प्रकृति पुनर्स्थापन निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु वनों से परे दायरे का विस्तार करता है।

## 5.5.12. गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (Vulture Conservation and Breeding Centre: VCBC)

**पिंजौर (हरियाणा)** स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VCBC) से **34 क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों को महाराष्ट्र स्थानांतरित** किया गया।

**गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VCBC), पिंजौर के बारे में**

- **उत्पत्ति:** इसे वर्ष **2001 में यूनाइटेड किंगडम सरकार के 'डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़'** फंड द्वारा स्थापित किया गया था।
- **साझेदार:** इसे **हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BHNS)** ने संयुक्त रूप से तैयार किया है।
- **लक्ष्य:** गिद्धों की **तीन प्रजातियों (सफेद पुट्ठे वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्ध)** को बचाना।
- **अवस्थिति: बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा।**
- **उपलब्धि:** इसके द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि **डाईक्लोफेनाक (एक गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा) गिद्धों की मृत्यु** का मुख्य कारण थी।

## 5.5.13. स्मॉल हाइव बीटल {Small Hive Beetle (SHB)}

**स्मॉल हाइव बीटल (एथिनाटुमिडा)** को भारत में पहली बार **पश्चिम बंगाल** में देखा गया। यह एक **विदेशी या गैर-स्थानिक बीटल** है।

**स्मॉल हाइव बीटल के बारे में**

- **मूल स्थान:** उप-सहारा अफ्रीका।
  - **अफ्रीका** में यह **कम नुकसान** करता है, लेकिन **दूसरे क्षेत्रों में यह भारी तबाही** मचाता है।
- **विशेषताएं: अंडाकार** आकार, **लाल-भूरा रंग** और **लंबाई 5 से 7 मिमी** तक होती है। इसका जीवनचक्र **अंडा, लार्वा, प्यूपा और व्यस्क** के चरणों से गुजरता है।
- **नुकसान:** स्मॉल हाइव बीटल की मादाएं मधुमक्खियों के छत्तों में **दरारों और सुराखों से प्रवेश** करती हैं और अंडे देती हैं। अंडों से निकलने वाले लार्वा **संग्रहीत शहद, पराग और मधुमक्खियों के अंडों को खा** जाते हैं, और **छत्तों में मल त्यागते हैं।** इससे **शहद मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त** हो जाता है।

 ©Vision IAS

## 5.5.14. अरल सागर (Aral Sea)

शोध से पता चला है कि **अरल सागर के सूख जाने के बाद उसके बेसिन की भूमि ऊंची** हो रही है, जो संभावित **भूवैज्ञानिक बदलाव** का संकेत है।

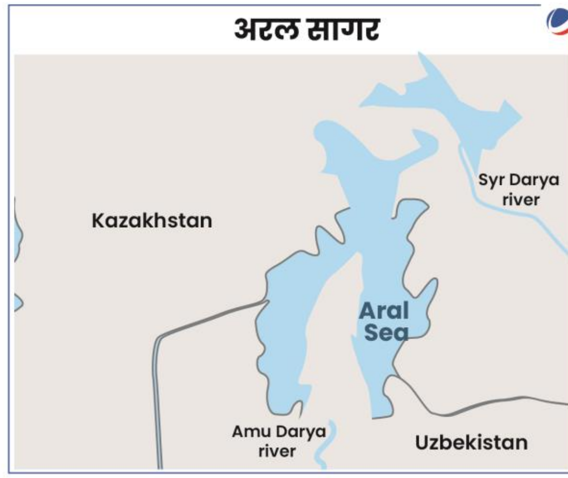


**अरल सागर के बारे में**

- **इसके बारे में:** यह **कभी मध्य एशिया की एक बड़ी खारे पानी की झील** थी।
- **अवस्थिति: कजाकिस्तान (उत्तर) और उज्बेकिस्तान (दक्षिण)** की सीमा पर अवस्थित है।
    - इसे मुख्य रूप से **अमू दरिया और सिर दरिया** नदियों से पानी मिलता था।
- **सूखने का कारण: सोवियत संघ के दौर में,** इन नदियों का पानी **खेती के लिए मोड़ दिया गया**, जिससे अरल सागर धीरे-धीरे सूख गया।
    - सूखने के बाद यह सागर **खतरनाक अरलकुम रेगिस्तान** में बदल गया है। आज यह क्षेत्र **दुनिया के प्रमुख धूल-उत्पादक क्षेत्रों** में से एक माना जाता है।

| | |
|---|---|
| SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। |

# 6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

## 6.1. कार्यस्थल ऑटोमेशन (Workplace Automation)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां जनरेटिव AI सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपना रही हैं, जिससे ग्राहक संपर्क और कार्यस्थल दक्षता में सुधार हो रहा है। हालांकि कर्मचारियों पर इसकी वजह से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

**कार्यस्थल ऑटोमेशन के बारे में**

- **आशय:** यह **मानव के न्यूनतम हस्तक्षेप** के साथ कार्यों और प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, ऑग्मेंटेड रियलिटी जैसी **प्रौद्योगिकियों का उपयोग** है।
- **भारत और ऑटोमेशन:** वित्त वर्ष 2029 तक भारत के औद्योगिक ऑटोमेशन बाजार का आकार 29.43 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना व्यक्त की गई है।
  - **भारत में कार्यस्थल ऑटोमेशन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक:** बढ़ता डिजिटलीकरण और तकनीकी इनोवेशन में तेजी, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएं, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बढ़ती श्रम लागत, बुजर्गों की बढ़ती आबादी, आदि।

**कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़े सामाजिक लाभ क्या हैं?**

- **'उपलब्ध कौशल और नौकरी के लिए आवश्यक कौशल के अंतर' तथा 'कार्यबल की उत्पादकता' के बीच के संबंध को कम करना:** AI-संचालित सिस्टम और एल्गोरिदम **प्रबंधन, कौशल एवं इसकी उपलब्धता के आधार पर** कार्य सौंपते हैं, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है। यह कौशल की कमी को पहचानता है और कौशल बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- **कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देना:** ऑटोमेशन से भर्ती और प्रदर्शन मूल्यांकन में पूर्वाग्रहों को कम किया जा सकता है। साथ ही, यह सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने के प्रयासों का समर्थन कर सकता है और व्यक्ति के **सामाजिक स्तर के उत्थान को बढ़ावा** दे सकता है।
- **सुरक्षित कार्यस्थल:** मशीनें खतरनाक और मानव के लिए कठिन कार्यों को कर सकती हैं।
- **बेहतर कार्य-जीवन संतुलन:** नियमित कार्य के ऑटोमेशन से कर्मचारियों को अपनी निजी जिंदगी के लिए अधिक समय मिलता है। दोहराए जाने वाले कार्यों में कमी आने से मानसिक थकान और बर्नआउट (काम की वजह से तनाव) में कमी आती है। इस प्रकार, कर्मचारी रणनीतिक, रचनात्मक और निर्णय लेने वाली भूमिकाएं निभा सकते हैं।
- **बेहतर ग्राहक सेवा:** ऑटोमेशन से सेवा में निरंतरता आती है, ग्राहकों के प्रश्नों का तेजी से समाधान होता है, और ग्राहक के अनुभव को जानना अधिक सुलभ व किफायती हो जाता है।

**कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़ी सामाजिक चुनौतियां क्या हैं?**

- **बढ़ती आय असमानता**
  - **कुछ ही लोगों को अधिक वेतन मिलना तथा रोजगार खोना:** ऑटोमेशन का लाभ मुख्यतः उच्च-कौशल वाले कर्मचारियों को मिलता है, जबकि कम-कुशल श्रमिकों को नौकरी छूटने या वेतन स्थिर रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है।
    - विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, ऑटोमेशन से 2027 तक 69 मिलियन नई नौकरियां सृजित होने की संभावना है, जबकि 83 मिलियन नौकरियां समाप्त हो जाएँगी।
  - **पुनः कौशल विकास में बाधाएं:** डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक असमान पहुंच के कारण पहले से मौजूद सामाजिक-आर्थिक असमानताएं और बढ़ सकती हैं।
  - **रोजगार में लैंगिक असमानताएं:** ऑटोमेशन सबसे पहले लिपिक और सचिवीय भूमिकाओं जैसे कम कौशल वाली नौकरियों का स्थान ले रहा है। इन रोजगारों में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है।
    - इस प्रकार, यदि महिलाओं को फिर से कौशल प्रशिक्षण नहीं दिया गया और उनकी सहायता नहीं की गई, तो ऑटोमेशन महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को और कम कर सकता है।

- **गिग वर्कर और नौकरी की असुरक्षा:** ऑटोमेशन **अनुबंध आधारित कम अवधि के रोजगार को बढ़ावा** दे सकता है और विशेष रूप से प्लेटफॉर्म-आधारित गिग अर्थव्यवस्थाओं में स्थायी रोजगार को कम कर सकता है।
    - गिग वर्कर्स को ऑटोमेटिड प्रणालियों के साथ कार्य करते समय संगठनों से कोई सुरक्षा या सहायता नहीं मिलती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य एवं सेहत पर असर:** श्रमिकों पर निरंतर नजर रखने और एल्गोरिदम नियंत्रण (जैसे, कीस्ट्रोक ट्रैकिंग, रियल टाइम निगरानी) से श्रमिकों में तनाव बढ़ सकता है और उनकी स्वायत्तता कम हो सकती है। इससे डिजिटल डिवाइसेज से लगातार जुड़े रहने के कारण थकान और बर्नआउट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।
    - लगातार ऑनलाइन जुड़े रहने का दबाव कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच के संतुलन और समग्र मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- **मानवीय निगरानी और निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट:** ऑटोमेटिड प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता कार्य में मानव के हस्तक्षेप को कम कर सकती है। इससे गलत निर्णय की आशंका बढ़ सकती है, या सिस्टम के खराब होने पर सुरक्षा चूक की स्थिति पैदा हो सकती है।
    - यह भी अनुमान है कि ऑटोमेशन धीरे-धीरे **स्वास्थ्य देखभाल सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी निर्णय लेने में इंसान की जगह ले** सकता है।

**समावेशी, सुरक्षित और न्यायसंगत कार्यस्थल ऑटोमेशन सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह**

- **आय समानता सुनिश्चित करना**
    - **सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा:** ऑटोमेशन के कारण रोजगार छूटने को श्रम कानूनों के तहत शामिल किया जाना चाहिए। ऑटोमेशन की वजह से सबसे अधिक खतरा झेल रहे अनौपचारिक, गिग और अनुबंध क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान की जानी चाहिए।
        - **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** का उद्देश्य संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रकों के **सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ** प्रदान करना है।
        - **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020** में श्रमिक पुनर्कौशल निधि का प्रावधान है। इस निधि में छंटनी किए गए श्रमिकों को फिर से नए कौशल प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं की ओर से श्रमिक के अंतिम पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर की राशि जमा की जाती है।
    - **न्यायसंगत ऑटोमेशन को बढ़ावा देना:** समावेशी नीतियों और लक्षित कौशल सुधार के माध्यम से ऑटोमेशन की वजह से पुरुष और महिला में बढ़ते भेदभाव को समाप्त करना चाहिए।
- **सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और नीतियों में प्रावधान करना:**
    - **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH)[68] कानूनों को अपडेट करना:** कार्यस्थल से जुड़े सुरक्षा कानूनों के तहत गिग श्रमिकों, टेलीवर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को शामिल करना चाहिए।
        - **डिजिटल युग में सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल के अधिकार को सुनिश्चित करने** के लिए भारत के कानूनों को **1981 के ILO कन्वेंशन संख्या 155** (OSH कन्वेंशन) और **2006 के कन्वेंशन संख्या 187** (OSH के लिए प्रसारात्मक फ्रेमवर्क) के अनुरूप करना चाहिए।
    - **रोबोटिक्स और मानव-रोबोट इंटरेक्शन पर नियमों को संशोधित करना: कार्यस्थल पर** सहयोगात्मक माहौल बनाने के लिए स्पष्ट सुरक्षा मानदंड और प्रोटोकॉल लागू करने चाहिए।
    - **डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को सुनिश्चित करना:** कार्य के घंटों के बाद कर्मचारी से कार्य करने की अपेक्षा नहीं रखी जानी चाहिए, ताकि ओवरवर्क एवं डिजिटल बर्नआउट को रोका जा सके।
- **मानव-केंद्रित एल्गोरिदमिक प्रबंधन को बढ़ावा देना:** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एल्गोरिदमिक प्रबंधन से जुड़े उपकरण पारदर्शी, नैतिक और इंसानी निगरानी में हों।
    - ऑटोमेटिड निर्णयन से प्रभावित श्रमिकों के लिए **स्पष्ट शिकायत निवारण प्रणाली** स्थापित करनी चाहिए।
    - संगठन में कर्मचारी के विश्वास को बनाए रखने और उसके मानसिक तनाव को कम करने के लिए सिस्टम डिजाइन में **कर्मचारी से फीडबैक लेने की व्यवस्था को शामिल करना चाहिए।**
- **जागरूकता को प्राथमिकता देना:** डिजिटल अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और नए खतरों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
- **पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना:** ग्रीन ऑटोमेशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा मिले और जलवायु परिवर्तन के प्रति दीर्घकालिक अनुकूलन विकसित किया जा सके।

---

[68] Occupational Safety and Health

**निष्कर्ष**

यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऑटोमेशन से कार्यस्थल की सुरक्षा, समानता और कल्याण में कोई कमी नहीं आए। इसके लिए सहयोगात्मक, श्रमिक-केंद्रित और दूरदर्शी सोच आवश्यक है। यदि प्रौद्योगिकी, नीति और भागीदारी के बीच सही संतुलन स्थापित किया जाए, तो ऑटोमेशन अधिक सतत, समावेशी और कर्मचारी-अनुकूल कार्यस्थल बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

**उभरती प्रौद्योगिकी के प्रभाव** के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

**वीकली फोकस #80**– उभरती प्रौद्योगिकी के एथिक्स

## 6.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 6.2.1. MoSPI ने "भारत में महिला और पुरुष 2024: चयनित संकेतक एवं डेटा" रिपोर्ट जारी की (MOSPI Released “Women and Men in India 2024: Selected Indicators and Data”)

यह रिपोर्ट **जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत में लैंगिक स्थिति** का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।

**रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **जन्म के समय लिंगानुपात:** 2014-16 और 2018-20 के बीच, **शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात (910) ग्रामीण क्षेत्रों (907) से अधिक** हो गया था। यह शहरी क्षेत्रों की ओर महिला प्रवासन में वृद्धि को दर्शाता है।
- **स्वास्थ्य: मातृ मृत्यु दर (MMR)** 2015-17 में 122 से घटकर 2018-20 में **97** हो गई थी।
- **शिक्षा:** 2017 में पुरुष साक्षरता दर **84.7%** और महिला साक्षरता दर **70.3%** थी। **केरल** में **सबसे कम** लैंगिक साक्षरता अंतराल है, जबकि **राजस्थान में सबसे अधिक** है।
- **आर्थिक भागीदारी:** महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR ) 2017-18 की **23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7%** हो गई।
  - **वित्तीय समावेशन:** सभी बैंक खातों में **39.2% महिलाओं के बैंक खाते** हैं और वे कुल जमा में **39.7% का योगदान** देती हैं।
  - **लीडरशिप की भूमिकाएं:** वित्त वर्ष 2025 में महिलाओं की निदेशक मंडल में **28.7% हिस्सेदारी** हो गई है, जो वित्त वर्ष 2020 में **26.7%** थी।
- **राजनीतिक भागीदारी:** महिला मतदान पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग रहा है। 2019 में यह **67.2%** था, लेकिन 2024 में कुछ कम होकर **65.8%** हो गया।
- **महिलाओं के खिलाफ हिंसा:** भारत में **18-49 आयु वर्ग की लगभग एक-तिहाई (31.9%) विवाहित महिलाएं वैवाहिक हिंसा** से पीड़ित होती हैं। **कर्नाटक (48.4%), बिहार (42.5%) और मणिपुर (41.6%)** में वैवाहिक हिंसा के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

### 6.2.2. AI किरण (AI KIRAN)

सरकार ने **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में महिलाओं को सशक्त** बनाने के लिए एक नई पहल **'AI किरण'** की शुरुआत की।

**AI किरण के बारे में**

- **उद्देश्य:** महिलाओं को इनोवेटर, चेंजमेकर और लीडर के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करने हेतु एक **जीवंत AI समुदाय** को बढ़ावा देना।
- **नेतृत्व:** भारत सरकार के **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA**) का कार्यालय।
- **फोकस क्षेत्र:** यह **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा** जैसे अहम क्षेत्रों में AI में प्रगति को आगे बढ़ाने वाली **250 से अधिक महिलाओं** के योगदान को उजागर करने पर केंद्रित है।

**किरण योजना के बारे में**

- **KIRAN/ किरण (नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग)** योजना **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** द्वारा शुरू की गई थी
- **उद्देश्य:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं का समर्थन एवं सशक्तीकरण करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

## 6.2.3. IMF द्वारा जारी रिपोर्ट में सिल्वर इकॉनमी पर जोर (IMF Report Stresses on Silver Economy)

IMF ने "वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO): ए क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट" रिपोर्ट जारी की।

- इस रिपोर्ट में **व्यापार के संबंध में तनाव और नीतिगत अनिश्चितता** की स्थिति के चलते **वैश्विक संवृद्धि दर** पूर्वानुमान को जनवरी 2025 के अपडेट से **घटाकर 2.8%** कर दिया गया है। इसे **भारत के लिए 6.2% अनुमानित** किया गया है।
- साथ ही, श्रम बल में वृद्ध हो रहे लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए **स्वस्थ एजिंग (आयुर्वृद्धि) सुनिश्चित** करने के पक्ष में नीतियां बनाने की सिफारिश भी की गई है।

**इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र वृद्धि:** घटती जन्म दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण देश अपने जनसांख्यिकीय के महत्वपूर्ण मोड़ से गुजर रहे हैं। इसके तहत **डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक ड्रैग** की ओर संक्रमण हो रहा है।
  - **दुनिया की जनसंख्या की औसत आयु 2020 से लेकर इस सदी के अंत तक 11 साल बढ़ने का अनुमान है।**
- **स्वस्थ एजिंग:** दीर्घायु में वृद्धि के साथ-साथ, **वृद्ध हो रहे लोगों की कार्यात्मक क्षमता** में भी समय के साथ सुधार हुआ है।
  - वर्ष 2022 में 70 साल के व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता वर्ष 2000 में 53 साल के व्यक्ति के समान थी।

**स्वस्थ एजिंग के लाभ**

- **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि:** स्वस्थ एजिंग से 2025-50 तक वैश्विक औसत सकल घरेलू उत्पाद में **0.4% की वृद्धि** होने का अनुमान है।
  - इसमें **भारत** का योगदान सबसे अधिक होगा, क्योंकि **50 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों की हिस्सेदारी 2025-50 की अवधि में तेजी से बढ़ेगी।**
- **श्रम बल भागीदारी पर प्रभाव: लक्षित स्वास्थ्य नीतियां वृद्ध श्रमिकों को अपनी** श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं।

**स्वस्थ एजिंग सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें**

- **समग्र दृष्टिकोण: सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने** के लिए पेंशन संबंधी सुधार, प्रशिक्षण, कार्यस्थल को अनुकूल बनाना और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने वाले हस्तक्षेपों को लागू किया जाना चाहिए।
- **श्रम बल भागीदारी अंतराल को कम करना:** जनसांख्यिकीय संबंधी बाधाओं से निपटने के लिए बेहतर कार्य-जीवन संतुलन, किफ़ायती बाल देखभाल सुविधा आदि के माध्यम से **श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा** देना चाहिए।

QUIZ
SMART QUIZ
विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI : 27 मई, 11 AM | JAIPUR : 4 जून | JODHPUR : 30 अप्रैल | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

# 7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

## 7.1. भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (Green Hydrogen Certification Scheme of India: GHCI)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने भारत की **ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI)** का शुभारंभ किया।

**भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) के बारे में**

- इसे **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)[69] के तहत शुरू** किया गया है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **ग्रीन हाइड्रोजन (GH) के उत्पादन के लिए बेहतर प्रमाणन प्रणाली** तैयार करना है, जिससे **पारदर्शिता, ट्रेसेबिलिटी और बाजार में विश्वसनीयता** सुनिश्चित की जा सके।
  - यह ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के मापन, निगरानी, रिपोर्टिंग, ऑनसाइट सत्यापन और प्रमाणन के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करने में मदद करेगा।
- **क्रियान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- **हाइड्रोजन उत्पादन की पात्र पद्धतियां:** इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास का रूपांतरण
- **सत्यापन: ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादकों को किसी मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन (ACV)[70] एजेंसी** से प्रतिवर्ष सत्यापन कराना होगा।
- **ग्रीन प्रमाणन:** यह तभी प्रदान किया जाएगा, जब प्रत्येक एक किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन **2 किलोग्राम $CO_2$ उत्सर्जन के बराबर या उससे कम हो।**
  - यह प्रमाणन गैर-हस्तांतरणीय है और **व्यापार योग्य नहीं** है। साथ ही, इसे किसी भी अन्य स्रोतों से **उत्सर्जन में कटौती से प्राप्त क्रेडिट हेतु दावे के रूप में प्रस्तुत भी नहीं** किया जा सकता है।

**ग्रीन हाइड्रोजन ($GH_2$) क्या है?**

- यह इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन है। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके जल के अणुओं ($H_2O$) को हाइड्रोजन ($H_2$) और ऑक्सीजन ($O_2$) में विभाजित किया जाता है।
  - इसका उत्पादन बायोमास के गैसीकरण (Gasification) की सहायता से भी किया जाता है।
- **प्रमुख उपयोग:** फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEVs) में, उद्योग (उर्वरक रिफाइनरी) में, परिवहन (सड़क, रेल) में, आदि।

**हाइड्रोजन के अन्य प्रकार**

| रंग | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **प्रकार** | ब्लैक/ब्राउन हाइड्रोजन | ग्रे हाइड्रोजन | ब्लू हाइड्रोजन | टर्क्वाइज़ हाइड्रोजन | पिंक हाइड्रोजन | येलो हाइड्रोजन | व्हाइट हाइड्रोजन |
| **प्रक्रिया** | कोयला गैसीकरण | मीथेन रिफॉर्मेशन | कोयला गैसीकरण और मीथेन रिफॉर्मेशन के साथ कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज (CCUS) | पायरोलिसिस | इलेक्ट्रोलिसिस | इलेक्ट्रोलिसिस | प्राकृतिक रूप से उत्पन्न |
| **स्रोत** | कोयला | प्राकृतिक गैस | जीवाश्म ईंधन | मीथेन | परमाणु ऊर्जा | सौर ऊर्जा | भूमिगत भंडार में प्राप्त |

[69] National Green Hydrogen Mission

[70] Accredited Carbon Verification

 ©Vision IAS

**राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)[71], 2023 के बारे में**

- **उद्देश्य:** भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना।
- **योजना की अवधि:** चरण I (2022-23 से 2025-26) और चरण II (2026-27 से 2029-30)
- **मुख्य घटक:**
  - निर्यात और घरेलू उपयोग बढ़ाकर ग्रीन हाइड्रोजन की **मांग में वृद्धि करना।**
  - **स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT) प्रोग्राम:** इसमें इलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।
  - इस्पात, मोबिलिटी, शिपिंग, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उपयोग, बायोमास से हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन भंडारण आदि के लिए **पायलट परियोजनाओं** को संचालित करना।
  - **ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास करना।**
  - ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के लिए विनियमन और मानकों का **एक मजबूत फ्रेमवर्क स्थापित करना।**
  - **अनुसंधान एवं विकास** कार्यक्रम।

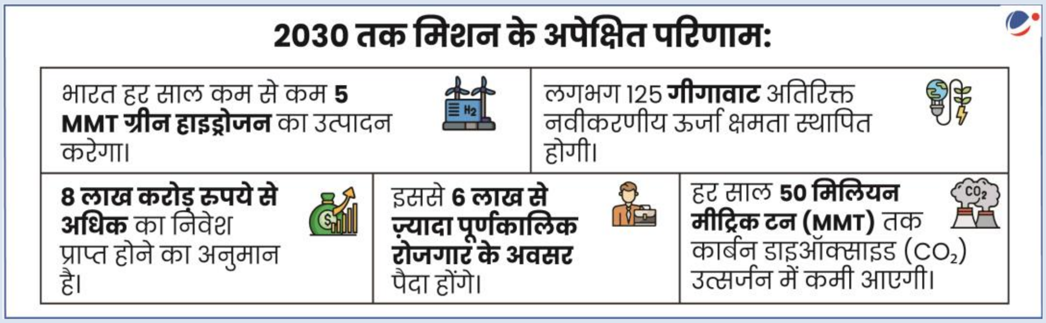


**निष्कर्ष**

भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए बहुआयामी तरीका अपनाना आवश्यक है। इसमें उत्पादन लागत को कम करना, इलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना, आदि शामिल होना चाहिए।

***नोट:** राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जुलाई 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.2. देखें।*

## 7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 7.2.1. गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम (Non-Nuclear Hydrogen Bomb)

चीन ने गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक विस्फोट किया।

**गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम की मुख्य विशेषताएं**

- **रासायनिक अभिक्रिया:** यह **परमाणु सामग्री के बिना** शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए **मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया** करता है।
  - दूसरी ओर, **हाइड्रोजन बम** मुख्य रूप से **परमाणु संलयन प्रक्रिया** पर आधारित होता है।
- **मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग: हाइड्रोजन** बम में ईंधन के रूप में **रेडियोधर्मी हाइड्रोजन समस्थानिकों (जैसे- ड्यूटेरियम या ट्रिटियम)** का उपयोग किया जाता है। इस गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम में **मैग्नीशियम हाइड्राइड** का उपयोग किया गया है।
  - मैग्नीशियम हाइड्राइड एक **चांदी जैसा पाउडर** होता है, जो ठोस अवस्था में **हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल** के रूप में कार्य करता है।
  - प्रज्वलित होने पर इसमें **हाइड्रोजन उत्सर्जित** होती है, जो तेजी से हवा के साथ मिल जाती है और विस्फोटक सीमा तक पहुंचने पर **गैस प्रज्वलित** हो जाती है। इससे एक **स्वतःस्फूर्त दहन चक्र**[72] निर्मित होता है।
- **विनाश का पैमाना:** यह **ट्राइनाइट्रो टॉलुईन (TNT) के विस्फोट बल का केवल 40%** ही उत्पन्न करता है, लेकिन एल्यूमीनियम मिश्रधातु जैसी सामग्रियों को पिघलाने के लिए पर्याप्त ऊष्मा उत्पादन के साथ अधिक **थर्मल डैमेज रेडियस** प्रदर्शित करता है।

---

[71] National Green Hydrogen Mission

[72] Self-sustaining combustion cycle


©Vision IAS

- **थर्मल डैमेज रेडियस:** यह विस्फोट के बिंदु के केंद्र से वह दूरी है, जिसके भीतर ऊष्मा के कारण एक निश्चित स्तर का नुकसान होता है।
- इसके लिए **न्यूनतम प्रज्वलन ऊर्जा** की आवश्यकता होती है तथा इसमें **विकिरण उत्पन्न किए बिना तीव्र व निरंतर ऊष्मा उत्पादित करने की क्षमता** होती है।

**परमाणु बम बनाम हाइड्रोजन बम**

| मानदंड | परमाणु बम | हाइड्रोजन बम (थर्मोन्यूक्लियर बम) |
|---|---|---|
| अभिक्रिया का प्रकार | **नाभिकीय विखंडन** | **नाभिकीय संलयन** |
| प्रक्रिया | › इसके अंतर्गत एक बड़ा परमाणु दो या **दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजित** होता है। इसे बहुत अधिक **ऊर्जा मुक्त** होती है।<br>› विखंडन या तो **स्वतः या न्यूट्रॉन के उपयोग** के माध्यम से होता है। | › इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक हल्के परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं।<br>› परमाणु बमों से भी **अधिक ऊर्जा उत्पन्न** होती है। |
| प्रयोग किया जाने वाला ईंधन | यूरेनियम-235, प्लूटोनियम-239 | ड्यूटेरियम व ट्रिटियम (हाइड्रोजन के समस्थानिक) |
| अभिक्रिया | 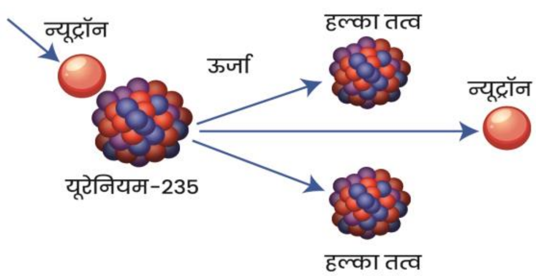 | 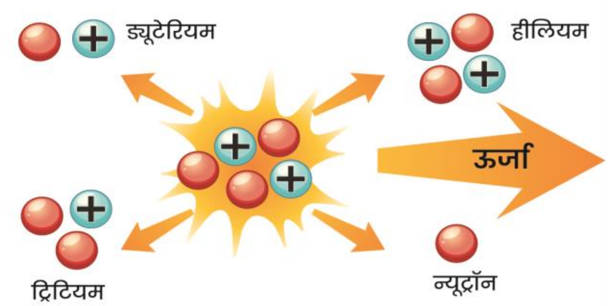 |

## 7.2.2. जेवॉन्स पैराडॉक्स (Jevons Paradox)

हाल ही में **माइक्रोसॉफ्ट के CEO** ने वैश्विक स्तर पर AI सिस्टम्स के बढ़ते उपयोग के संदर्भ में 'जेवन्स पैराडॉक्स' का ज़िक्र किया।

**जेवॉन्स पैराडॉक्स (विरोधाभास) के बारे में**

- इस विरोधाभास के अनुसार जो तकनीकी प्रगति किसी संसाधन के उपयोग को अधिक किफायती या अधिक दक्ष बनाती है, तो अक्सर वह उस संसाधन की मांग में वृद्धि का कारण बनती है।
- **पृष्ठभूमि:** इसका विचार पहली बार **विलियम स्टेनली जेवन्स ने 1865** में दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि **स्टीम इंजन अधिक कुशल हो जाएंगे,** तो ब्रिटिश फैक्ट्रियों में **कोयले की खपत घटेगी नहीं, बल्कि और बढ़ेगी**, क्योंकि कोयले का उपयोग अधिक सस्ता एवं आकर्षक हो जाएगा।
- **AI के संदर्भ में,** जैसे-जैसे AI प्रणालियां अधिक शक्तिशाली और सुलभ होती जाएंगी, यह संभावना है कि उनका उपयोग काफी बढ़ जाएगा।

### 7.2.3. टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (Tensor Processing Unit: TPU)

गूगल ने हाल ही में **अपना 7वीं पीढ़ी का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU)** लॉन्च किया। इसे **आयरनवुड** नाम दिया गया है। इसे AI मॉडल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

**TPU के बारे में**

- यह एक विशेष प्रोसेसर है, जिसे गूगल ने **2015 में विकसित** किया था। यह एक **एप्लिकेशन-विशिष्ट एकीकृत सर्किट (ASIC)** है, यानी किसी विशेष कार्य जैसे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए बनाया गया चिप है।
- TPU को **टेंसर ऑपरेशन** (मशीन लर्निंग मॉडल में उपयोग किए जाने वाले कोर डेटा स्ट्रक्चर) को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

**TPU के लाभ:**

- **AI वर्कलोड के लिए अनुकूलित:** मशीन लर्निंग के लिए विशेष रूप से निर्मित, TPUs AI कार्यों में CPUs और GPUs से बेहतर प्रदर्शन करते हैं
- **तीव्रता से प्रशिक्षण:** TPUs कुछ घंटों में जटिल न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं।

**सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) के बारे में:**

- **CPU:** यह **सामान्य कार्यों के लिए एक प्रोसेसर** होता है, जो कंप्यूटर के कई अलग-अलग काम संभालता है।
  - इसमें आमतौर पर **2 से 16 कोर** होते हैं। हार्डवेयर में कोर की संख्या जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक **मल्टीटास्किंग क्षमता** होगी।
- **GPU:** CPU की तुलना में GPU **अनुक्रमिक रूप से प्रोसेसिंग** की बजाय **समानांतर या साथ-साथ प्रोसेसिंग** में तेज होता है। इससे यह **ग्राफिक्स और AI मॉडल्स** में बेहतर बन जाता है।

### 7.2.4. मिशन "फ्रैम 2" (Mission "FRAM2")

**"फ्रैम 2"** नामक यह मिशन स्पेसएक्स के **ड्रैगन अंतरिक्ष यान** द्वारा लॉन्च किया गया है।

- इसमें कई प्रयोग किए जाएंगे जैसे- **अंतरिक्ष में X-ray लेना और माइक्रोग्रैविटी में मशरूम उगाने** का प्रयोग करना।
- स्पेसएक्स ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के ठीक ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया।

**पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के बारे में**

- ध्रुवीय कक्षा वह होती है, जब कोई उपग्रह या अंतरिक्ष यान **उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा** करता है।
  - **उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 10 डिग्री** तक का विचलन भी **ध्रुवीय कक्षा** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **ऊंचाई:** ध्रुवीय कक्षाएं आमतौर पर **200 से 1,000 कि.मी. की ऊंचाई के बीच मौजूद निम्न भू-कक्षाएं** होती हैं।
- **महत्त्व: पृथ्वी के घूर्णन के चलते ध्रुवों के ऊपर से परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान पूरे ग्रह का पर्यवेक्षण** कर सकता है।
  - ध्रुवीय कक्षा का उपयोग विशेष रूप से **मौसम, मानचित्रण और जासूसी उपग्रहों** के लिए उपयोगी होता है।
- **समस्या:** ध्रुवीय कक्षाओं में रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए **अधिक ईंधन की आवश्यकता** होती है। ऐसा इस कारण, क्योंकि इस कक्षा में जाने के लिए रॉकेट पृथ्वी की घूर्णन गति का लाभ नहीं उठा सकता है।

| उपग्रह कक्षा | ऊंचाई | आवेदन | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| **निम्न भू-कक्षा (LEO)** | 2000 कि.मी. की ऊंचाई तक | सेटेलाइट इमेजिंग, कम्युनिकेशन, भू-प्रेक्षण, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान | अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) इसी कक्षा में परिक्रमा करता है, क्योंकि पृथ्वी से कम ऊंचाई होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यहां पहुंचना आसान होता है। | रिसैट-2B |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (SSO)** | यह पृथ्वी से 600 से 800 कि.मी. तक की ऊंचाई के बीच होती है | यह भूमि-उपयोग परिवर्तन, बर्फ पिघलने और मौसम के अध्ययन के लिए आदर्श होती है। | यह एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा होती है, जिसमें उपग्रह सूर्य के साथ समकालिक होते हैं। | भू-प्रेक्षण के लिए HysIS |
| **मध्यम भू-कक्षा (MEO)** | यह पृथ्वी से 2,000 से 36,000 कि.मी. तक की ऊंचाई के बीच होती है। | यह नेविगेशन उपग्रहों और टेलीफोन संचार के लिए आदर्श होती है। | MEO में मौजूद उपग्रहों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए विशिष्ट पथ की आवश्यकता नहीं होती है। | यूरोपीय गैलीलियो प्रणाली |
| **भूस्थिर कक्षा (GEO)** | 35,786 कि.मी. | दूरसंचार, मौसम उपग्रह, GPS, आदि। | यह कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, और उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ पश्चिम से पूर्व की दिशा में गमन करते हैं। | भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इनसैट/ INSAT) |

## 7.2.5. आर्यभट्ट सैटेलाइट (Aryabhata Satellite)

भारत के पहले सैटेलाइट **'आर्यभट्ट' ने प्रक्षेपण के 50 वर्ष** पूरे किए।

**आर्यभट्ट सैटेलाइट के बारे में**

- **कक्षा:** लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO)
- इस सैटेलाइट का निर्माण इसरो (ISRO) ने **एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी, वायुमंडलीय विज्ञान (एरोनॉमिक्स), और सोलर-फिजिक्स में प्रयोग** करने के लिए किया था।
- इस **सैटेलाइट का नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम** पर रखा गया है।
- इसे **1975 में सोवियत संघ के कोस्मोस-3M रॉकेट से वोल्गोग्राड प्रक्षेपण केंद्र (वर्तमान रूस)** से प्रक्षेपित किया गया था।
- इसने भारत को अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट भेजने वाला **विश्व का 11वां देश बना दिया था।**

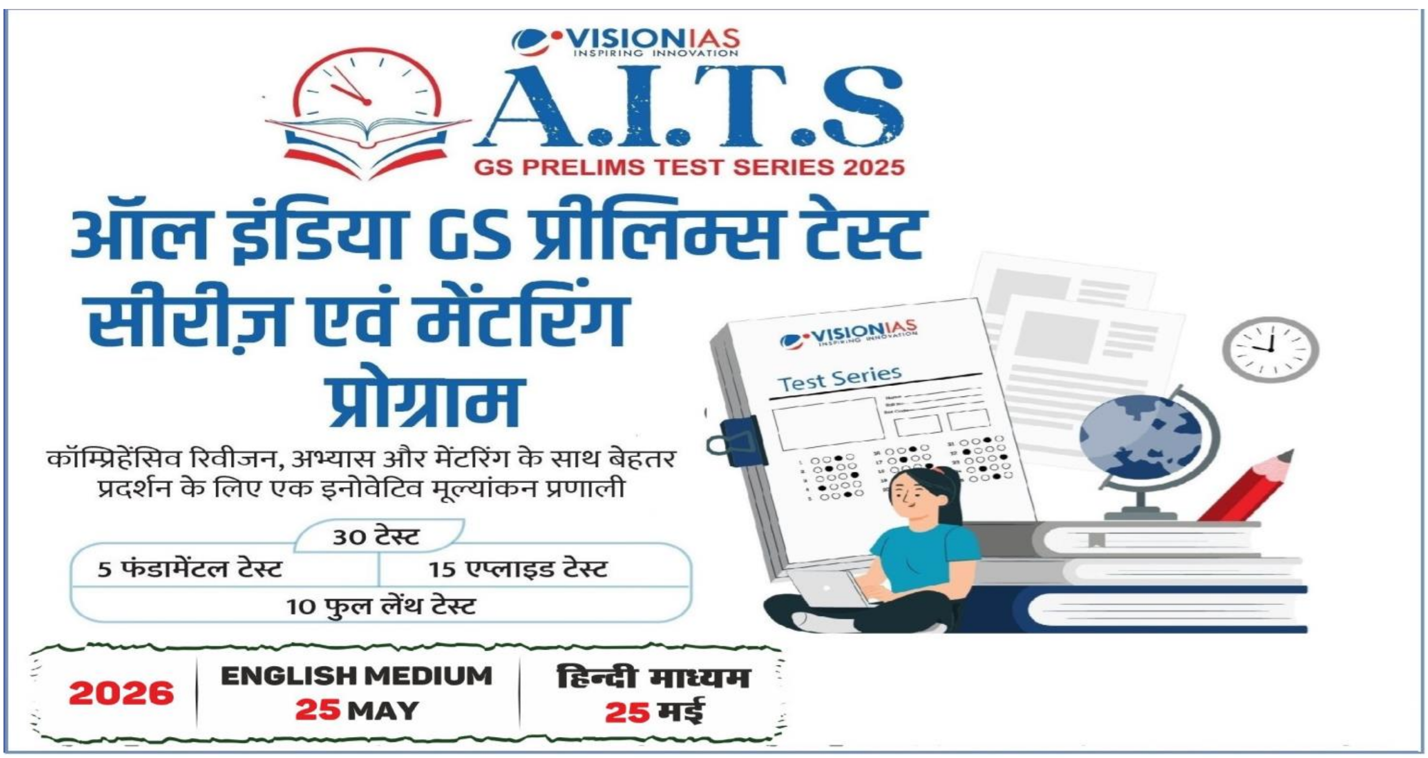

## 7.2.6. विलवणीकरण प्रौद्योगिकियां (Desalination Technologies)

IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवापोरेटर विकसित किया।

- इसके तहत एक नया **हाइड्रोफोबिक ग्राफीन-आधारित पदार्थ** विकसित किया गया है। यह पदार्थ **जल विलवणीकरण में सहायक** हो सकता है। यह विश्व में ताजे जल के संकट को दूर करने में एक महत्वपूर्ण सफलता साबित हो सकती है।

**ताजे पानी का संकट**

- पृथ्वी के लगभग **71% भाग** पर पानी मौजूद है, लेकिन पूरी दुनिया की आबादी **केवल 3% उपलब्ध ताजे पानी** पर निर्भर है।
    - इस 3% ताजे पानी में से केवल **0.06% ही आसानी से सुलभ** है, बाकी पानी **आर्कटिक एवं अंटार्कटिक हिमावरण, ग्लेशियरों, भूमिगत जल और दलदली क्षेत्रों** में मौजूद है।

**विलवणीकरण प्रौद्योगिकियां और प्रक्रियाएं**

| विलवणीकरण प्रौद्योगिकियां | थर्मल प्रौद्योगिकी | मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी |
|---|---|---|
| **सिद्धांत** | • इसमें खारे पानी को गर्म करके उसके संघनित वाष्प को एकत्र करके शुद्ध पेयजल प्राप्त किया जाता है।<br>• **उपयोग: मुख्य रूप से समुद्री जल विलवणीकरण** के लिए। | • जल में घुलित ठोस पदार्थों को छानने के लिए जल को पंप के जरिए **अर्ध-पारगम्य मेम्ब्रेन (झिल्ली) से होकर गुजारा** जाता है।<br>• **उपयोग: मुख्य रूप से लवणीय जल के विलवणीकरण** के लिए। |
| **उप-श्रेणियां (प्रक्रियाएं)** | **तीन समूह:**<br>• मल्टी-स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन<br>• मल्टी-इफेक्ट डिस्टिलेशन<br>• वेपर कम्प्रेशन डिस्टिलेशन | **दो समूह:**<br>• इलेक्ट्रोडायलिसिस/ इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल (ED/ EDR)<br>• रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) |
| **गुण** | • **लवणता की सान्द्रता को अधिकतम कम करने** की क्षमता।<br>• मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी की तुलना में **कम विद्युत ऊर्जा की** आवश्यकता होती है। | • **पर्यावरण अनुकूल:** उदाहरण के लिए, ED रसायनों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।<br>• **कम जगह की आवश्यकता:** आमतौर पर पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की तुलना में इसके लिए **कम स्थान की आवश्यकता** होती है। |
| **अवगुण** | • इसमें **कोयले जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों** का उपयोग किया जाता है।<br>• **इसमें उच्च लागत आती है:** इसलिए, खारे पानी के विलवणीकरण के लिए इसका उपयोग शायद ही कभी किया गया है।<br>• **संक्षारण की संभावना:** उदाहरणार्थ, MSF प्लांट्स। | • मेम्ब्रेन में ब्लीचिंग की समस्या।<br>• **नियमित रखरखाव** की आवश्यकता।<br>• **मेम्ब्रेन से अपशिष्ट को साफ़ करने** में चुनौतियां।<br>• **कुल घुलित ठोस (TDS) या रोगाणुओं को पूरी तरह से नहीं हटाया** जा सकता। |
| **उदाहरण** | **केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कवरत्ती, मिनिकॉय और अगत्ती द्वीपों में लो टेंपरेचर थर्मल डिसेलिनेशन (LTTD) संयंत्र स्थापित किए गए थे।** | **रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक पर आधारित नेम्मेली समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र, तमिलनाडु** (यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र है) |

 ©Vision IAS

## 7.2.7. बैटइकोमोन (Batechomon)

**बैट इकोलोकेशन मॉनिटरिंग** का संक्षिप्त नाम बैटइकोमोन है। यह **भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली** है। इसे **इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, बेंगलुरु** में विकसित किया गया है।

**बैटइकोमोन (BatEchoMon) के बारे में**

- यह एक **स्वचालित प्रणाली** है, जो रियल टाइम में **चमगादड़ों की आवाज का पता लगाने और उसका विश्लेषण** करने में सक्षम है।
- यह **बैट डिटेक्टर** के रूप में कार्य करती है, जो एक विशेष रिकॉर्डिंग उपकरण है। यह प्रणाली **कीटभक्षी चमगादड़ों की अल्ट्रासोनिक इकोलोकेशन कॉल या आवाज को मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनियों में परिवर्तित** कर सकती है।
  - इसमें **रास्पबेरी पाई माइक्रोप्रोसेसर और कन्वॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम** का उपयोग किया गया है, जो इकोलोकेशन कॉल्स के माध्यम से चमगादड़ों की प्रजातियों का पता लगाने और उन्हें पहचानने में मदद करता है।

| | | |
|---|---|---|
| SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |


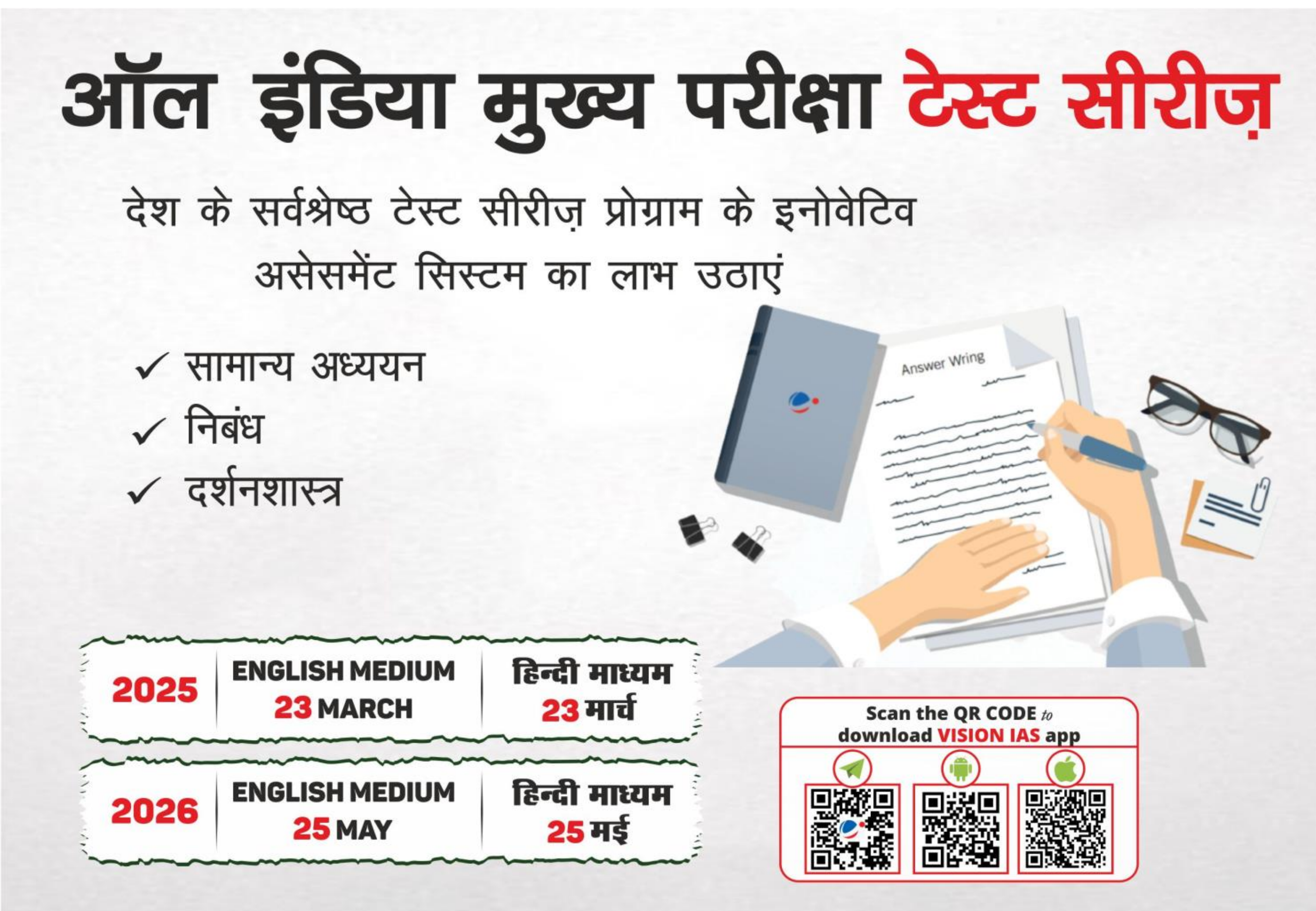

# 8. संस्कृति (Culture)

## 8.1. भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां (Manuscripts of Bhagavad Gita and Natyashastra)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)[73] ने **भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों के संग्रह** को अपने **'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर'** में शामिल किया है।

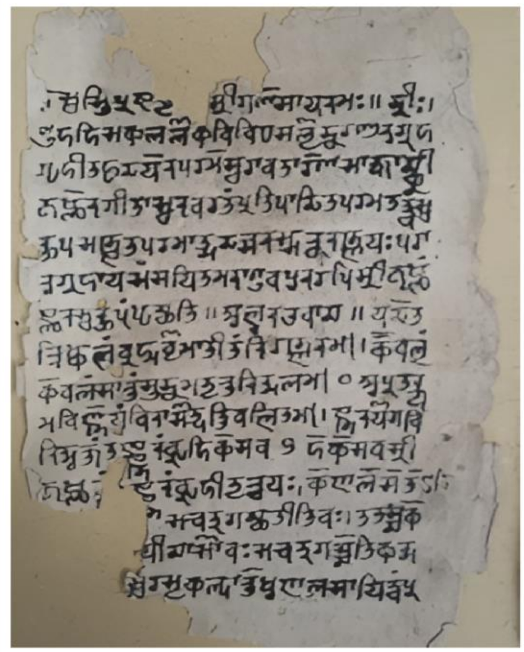

भगवद् गीता का पांडुलिपि संग्रह

**यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MOW) प्रोग्राम के बारे में**

- **शुरुआत:** यह कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** दस्तावेज के रूप में उपलब्ध विरासत (Documentary heritage) के संरक्षण की सुविधा प्रदान करना (विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो संघर्ष और/ या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं), इन्हें **सभी के लिए सुलभ कराना**, विश्व भर में इन विरासतों के महत्त्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना।
  - गौरतलब है कि दस्तावेज के रूप में उपलब्ध विरासतें मानव जाति की धरोहर हैं। इनके माध्यम से **हम अतीत में झांक सकते हैं, अपने वर्तमान जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, और स्थायी स्मृतियों से प्राप्त साहस के साथ भविष्य की ओर देख सकते हैं।**
- **अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति (IAC)**[74] यूनेस्को को संपूर्ण कार्यक्रम की योजना बनाने और कार्यान्वयन पर सलाह देने वाली मुख्य संस्था है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति में **14 सदस्य होते** हैं जो व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करते हैं, और जिनकी **नियुक्ति यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा** की जाती है।
- **वर्तमान स्थिति: 1995 से** अब तक **"मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड" अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में कुल 570 दस्तावेज़ी विरासतों को सूचीबद्ध किया गया है।**
  - 2025 में "मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड" अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में 74 नई दस्तावेज़ी विरासतों को सूचीबद्ध किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर के अलावा, UNESCO ने **100 से अधिक देशों में 4 क्षेत्रीय रजिस्टर** और **राष्ट्रीय "मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड"** समितियों की स्थापना करने में सहायता की है।

**भगवद् गीता के बारे में**

- **परिचय:** इसकी रचना **महर्षि वेदव्यास** ने की थी। इसमें **कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय** हैं। यह महाकाव्य **'महाभारत'** के **भीष्म पर्व** (अध्याय 23-40) का हिस्सा है।
- भगवद् गीता प्राचीन भारतीय बौद्धिक परंपरा का एक केंद्रीय ग्रंथ है, जो निरंतर और संचयी रूप में अलग-अलग दर्शनों— जैसे वैदिक, बौद्ध, जैन और चार्वाक — का समन्वय करता है।
- इसे **कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में** भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में संकलित किया गया है। युद्ध के पहले अर्जुन मोह और विषाद से ग्रस्त हो गया था। तब श्रीकृष्ण उन्हें कर्तव्य पथ का उपदेश देते हैं।
  - कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्म के फल की आसक्ति (निष्काम कर्म) के बिना अपने कर्तव्य का पालन करने को कहते हैं, चाहे वह फल अच्छा हो या बुरा हो।
- **गीता में जीवन पथ के तीन मार्ग बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग।** ये तीनों मार्ग आध्यात्मिक साधना के तरीके हैं, जो व्यक्ति के जीवन और आत्मिक उन्नति के लिए बताए गए हैं।

---

[73] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

[74] International Advisory Committee

- **भगवद्-गीता के बारे में अन्य मुख्य तथ्य:**
    - गीता में भक्ति की महत्ता बताई गई है।
    - **असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक शंकरदेव की शिक्षाएं** भगवद गीता से प्रेरित थीं।

**नाट्यशास्त्र के बारे में**

भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की पांडुलिपि

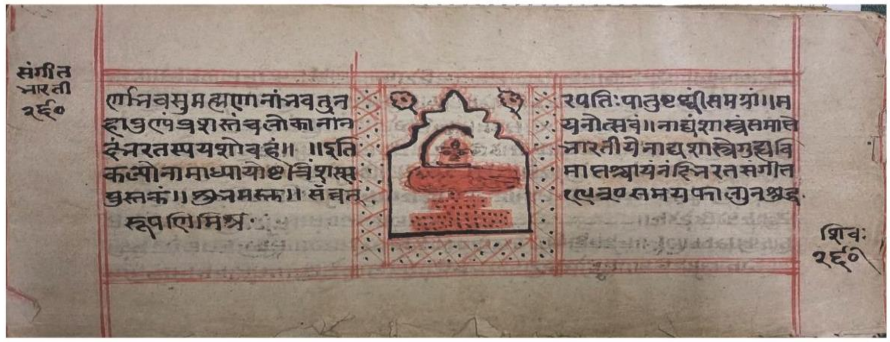

- नाट्यशास्त्र की **रचना भरतमुनि** ने की थी। इसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आस-पास संहिताबद्ध किया गया था।
- नाट्यशास्त्र, **नाट्यवेद का सार** है। यह निष्पादन कला यानी परफार्मिंग आर्ट्स का मौखिक ज्ञानकोष है, जिसमें 36,000 श्लोक हैं। इसे **गन्धर्ववेद** के नाम से जाना जाता है।
- **नाट्योत्पत्ति** का अर्थ है "निष्पादन कला का उदय"। यह नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की कथा को संदर्भित करता है।
    - इसमें **कला की उत्पत्ति और पृथ्वी पर इसके आगमन का पौराणिक विवरण** है।
    - कथा में बताया गया है कि नाट्यशास्त्र का निर्माण सभी 4 वेदों- **पाठ्य या सस्वर पाठ (ऋग्वेद से), संगीत (सामवेद से), अभिनय या प्रदर्शन (यजुर्वेद से) और रस या भावनाएं (अथर्ववेद से)-** के सार से हुआ है।
    - इसलिए, नाट्यशास्त्र को अक्सर **'पंचम वेद'** भी कहा जाता है।
- इसमें **नाट्य, अभिनय, रस, भाव और संगीत** आदि को परिभाषित करने वाले नियमों का **विस्तृत विवरण** दिया गया है।
    - **उद्देश्य:** दर्शकों में **रस** (भावनात्मक आनंद) की अनुभूति कराना। इसे अनुभूति रंगमंच और रंगमंच-सज्जा से जुड़े हर व्यक्ति को **स्पष्ट निर्देश** देकर उत्पन्न किया जाता है।
- यह **भारत में वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण** पर उपलब्ध **सबसे पहला ग्रंथ** माना जाता है।

| यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की अन्य महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ | |
|---|---|
| • गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर बैठक के अभिलेखागार<br>• अभिनवगुप्त (940-1015 ई.): उनकी कृतियों की पांडुलिपियों का संग्रह | 2023 |
| • मैत्रेयवराकरण और गिलगित पांडुलिपि | 2017 |
| • शांतिनाथ चरित्र | 2013 |
| • लघुकालचक्रतंत्रराजटिका (विमलप्रभा)<br>• तारीख-ए-खानदान-ए-तिमुरिया | 2011 |
| • ऋग्वेद | 2007 |
| • पांडिचेरी में शैव पांडुलिपि | 2005 |
| • डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखागार | 2003 |
| • आई.ए.एस. तमिल चिकित्सा पांडुलिपि संग्रह | 1997 |

## 8.2. सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि {Agriculture in Indus Valley Civilization (IVC)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

एक नई रेडियोकार्बन स्टडी में, **मेहरगढ़ की कृषि बस्तियों की समयावधि 8000 ईसा पूर्व की जगह 5200 ईसा पूर्व** बताई गई है। मेहरगढ़ **पाकिस्तान में स्थित दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी ज्ञात नवपाषाणकालीन कृषि बस्ती** है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- प्रारंभ में शोधकर्ताओं ने मेहरगढ़ में कृषि गतिविधि का समयकाल निर्धारित करने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से जली हुई लकड़ी के अवशेष से तिथि निर्धारित की थी। हालांकि, लकड़ी का चारकोल ऐसा पदार्थ है जो वास्तविक घटना की तिथि से कई सदियों पुराना हो सकता है। इसलिए शोधकर्ताओं ने नई पद्धति को अपनाया।
    - नई शोध टीम ने जली हुई **लकड़ी की बजाय दांतों के इनेमल में मौजूद कार्बन से तिथि निर्धारित की।** इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु का वास्तविक वर्ष का पता चल जाता है और इस अवशेष के आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होने की संभावना भी बहुत कम होती है।
- **चूंकि सिंधु घाटी में सभ्यता का उदय नवपाषाणकालीन प्रयोग और विकास की** एक लंबी अवधि के परिणाम के रूप में माना जाता है। इसलिए, यह नवीन अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) में कृषि की शुरुआत की टाइमलाइन को भी आगे बढ़ाता है।

**सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि**

**प्रारंभिक शिकारी-संग्राहक समुदायों की मौसम के अनुसार गतिशीलता** धीरे-धीरे एक अधिक स्थायी कृषि आधारित जीवन शैली में बदल गई। पहले ये समुदाय अपने निर्वाह के लिए जंगली पौधों व जंगली जानवरों पर निर्भर थे। बाद में इन समुदायों ने फसल उगाना और पशुओं को पालना शुरू कर दिया, जो मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

सिंधु घाटी और आस-पास के क्षेत्रों में किए गए पुरातात्विक उत्खनन से प्रारंभिक कृषि पद्धतियों के ठोस प्रमाण मिलते हैं, जैसा कि अनाज भंडारणगृह, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मूर्तियों और सजावटी कलाकृतियों की खोज में देखा गया है।

- **उगाई जाने वाली फसलें:**
    - **गेहूँ और जौ मुख्य रबी फसलें थीं, जबकि सरसों, तिल, कपास, खजूर और दलहनी फसलें खरीफ फसलों** के रूप में उगाई जाती थीं।
        - **हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से गेहूं** के साक्ष्य मिले हैं, जबकि **जौ के साक्ष्य शोर्तुघई** में मिले हैं।
    - **चावल की खेती के साक्ष्य सीमित हैं, जो केवल गुजरात के लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, वहीं रंगपुर में चावल की भूसी** पाई गई है।
    - **दालें: मूंग, उड़द और कुल्थी** विभिन्न स्थलों एवं **बालाथल** में उगाए जाती थी, जबकि **मटर** के साक्ष्य **हड़प्पा** से मिले हैं।
    - **ब्रेसिका:** ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस (भूरी सरसों, पीली सरसों व तोरिया) और ब्रेसिका जंसिया (सरसों) के साक्ष्य **चन्हूदड़ो एवं सुरकोटदा** से प्राप्त हुए हैं। विद्वानों के अनुसार इनका **उपयोग तेल, औषधि या पक्षियों के चारे** के रूप में किया जाता था।
    - **कपास:** सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) विश्व की **पहली कपास उत्पादक** सभ्यता थी। **कपास के लिए बेबीलोनियन और ग्रीक नाम क्रमशः सिंधु एवं सिंदों, इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि कपास की उत्पत्ति सिंधु घाटी** में हुई थी।
        - **मोहनजोदड़ो** से कपड़े का टुकड़ा और **24 प्लाई (fold) वाले धागे के अवशेष** मिले हैं।
    - **फल:**
        - **बेर** (जुजूब) के साक्ष्य **मेहरगढ़** से मिले हैं।
        - खजूर के बीज **नौशारो और मोहनजोदड़ो** में पाए गए हैं।
        - **अंगूर के बीज मेहरगढ़, नौशारो और शोर्तुघई** से प्राप्त हुए हैं।
        - **अखरोट और पीपल का फल हुलास** से प्राप्त हुए हैं।

- **कृषि तकनीक और उपकरण:**
    - **हल:** हड़प्पावासियों ने संभवतः **हल** की तकनीक **सुमेरियन सभ्यता** से सीखी थी। **वे लकड़ी के हल का उपयोग करते थे, जो समय के साथ लकड़ी के सड़ने के कारण बच नहीं पाते थे।**
        - **मोहनजोदड़ो से प्राप्त टेराकोटा हल मॉडल** उनके डिजाइन को दर्शाता है, हालांकि उसमें हैंडल नहीं है।

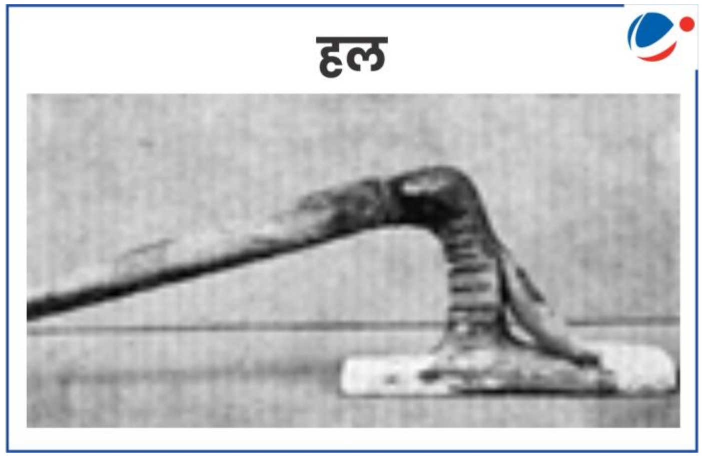


    - **पहिएदार गाड़ियां:** ठोस पहियों वाली बैलगाड़ियां खेत की खाद जैसे सामान को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। यह **पशु बल और पहिये की तकनीक** को उजागर करता है।
        - **हड़प्पा और चन्हूदड़ो से बैलगाड़ियों के कई कांस्य मॉडल** पाए गए हैं। साथ ही, **हड़प्पा में गाड़ियों के पहियों के निशान (Cart-ruts)** भी पाए गए हैं, जो उनके उपयोग को प्रमाणित करते हैं।
    - **फसल पैटर्न: कालीबंगन** में उत्खनन से **ग्रिड पैटर्न** वाले एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जहां **मिश्रित फसल (जैसे- सरसों और चना) उगाई** थी। यह **संभवतः विश्व में हल से जुताई वाले खेत का सबसे पहला सबूत है।**

    - **सैडल-क्वेर्न (अवतल चक्की):** जिसे आधुनिक सिल और बट्टे (वट्टे) का समकक्ष माना जाता है। इसका उपयोग **भुने हुए जौ जैसे अनाज को पीसने** के लिए किया जाता था। जैसा कि **मोहनजोदड़ो** में एक **टेराकोटा** मूर्ती में एक महिला को आटा गूंथते हुए दिखाया गया है। यह प्रथा, यानी हाथ से पत्थर पर पीसने की विधि (जो सैडल-क्वेर्न जैसी है), आज भी भारतीय घरों में सिल और बट्टे (वट्टे) के रूप में मौजूद है।
    - **फसल सुरक्षा: हिरण, जंगली सूअर, तोते** जैसे जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते थे।
        - हड़प्पा स्थलों पर पाए गए **टेराकोटा गोफन/ गुलेल की गेंदों** से पता चलता है कि किसान गुलेल का इस्तेमाल जंगली जानवरों, पक्षियों आदि को डराने के लिए करते थे। यह तरीका **आज भी उत्तरी भारत के ग्रामीण इलाकों** में देखा जाता है।

- **भूमि और सिंचाई पद्धतियां:**
    - खेत मुख्य रूप से नदी के किनारे स्थित थे, **जहां सिंचाई के लिए मौसमी बाढ़ का लाभ** उठाया जाता था।
    - रबी की फसलें बाढ़ के बाद बोई जाती थीं, जबकि खरीफ की फसलें बाढ़ की शुरुआत में बोई जाती थीं और इसके समाप्त होने पर काटी जाती थीं।
    - उन्नत सिंचाई (गबरबंद, नहरें व कुएं) से साल भर विशेषकर शुष्क मौसम के दौरान खेत की सिंचाई करने में सहायता मिलती थी।

**निष्कर्ष**

सिंधु घाटी सभ्यता अपनी मजबूत कृषि व्यवस्था/ पद्धति के कारण सदियों तक फलती-फूलती रही। उसकी उन्नत कृषि पद्धति ने विकसित शहरों, सुंदर कला और व्यापक-व्यापार नेटवर्क का समर्थन किया। यह कृषिगत सफलता ही थी, जिसने उन्हें मानव इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में सक्षम बनाया।

***नोट:*** *हड़प्पा सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सितंबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 8.1. "हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष" देखें।*

## 8.3. वायकोम सत्याग्रह (Vaikom Satyagraha)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

इस वर्ष **वायकोम सत्याग्रह की आधिकारिक तौर पर वापसी की शताब्दी (100वीं वर्षगांठ)** मनाई जा रही है। वायकोम सत्याग्रह को **30 नवंबर, 1925** को वापस ले लिया गया था।

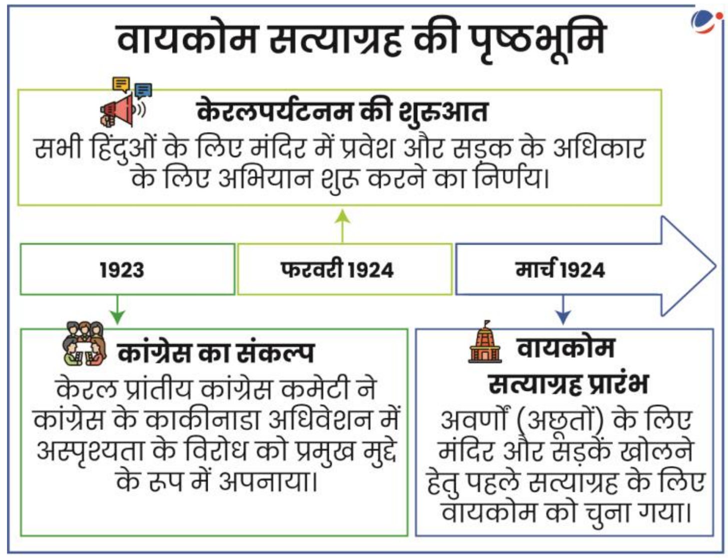


**अन्य संबंधित तथ्य**

- वायकोम सत्याग्रह भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह **अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर** साबित हुई थी।
- **गांधी और त्रावणकोर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डब्ल्यू. एच. पिट के बीच** विचार-विमर्श के बाद सत्याग्रह को वापस ले लिया गया था।

**वायकोम सत्याग्रह के बारे में**

- वायकोम सत्याग्रह **केरल के त्रावणकोर में हिंदू जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक अहिंसक नागरिक अधिकार आंदोलन** था।
- इस आंदोलन ने विशेष रूप से **निम्न जातियों (अवर्णों) को वायकोम में शिव मंदिर के चारों ओर की सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने से रोकने वाले निषेध** का विरोध किया था।
- निषेधात्मक आदेशों के कारण किसी **जुलूस की बजाय प्रतिदिन तीन स्वयंसेवकों को सड़क पर** भेजकर सत्याग्रह की शुरुआत की गई।
    - खादी पहने तीन युवक **गोविंदा पणिक्कर (नायर), बहुलेयन (एझवा) और कुंजप्पू (पुलया),** मंदिर की ओर कूच करते हुए आगे बढ़े।
- उन्हें तुरंत **रोक दिया गया और गिरफ्तार** कर लिया गया। इसलिए, अगली सुबह फिर **तीन अन्य व्यक्ति निषिद्ध सड़कों पर आ गए और अपनी गिरफ्तारी दी।**
    - यह क्रम प्रतिदिन चलता रहा जब तक कि पुलिस ने **गिरफ्तारी करना बंद नहीं कर दिया और इसकी बजाय पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी।**
- इसके बाद, सत्याग्रहियों ने शांतिपूर्ण विरोध के तरीके अपनाए, जैसे-**सड़कों को अवरुद्ध करना, शांत प्रदर्शन करना और सभाएं आयोजित** करना।
- **मंदिर के पास अलग-अलग जातियों के स्वयंसेवकों** को आश्रय देने के लिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई, **जिससे सामाजिक एकता को बल मिला।** इस सत्याग्रह को **पंजाब के अकालियों के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों के ईसाई और मुस्लिम नेताओं का भी** व्यापक समर्थन मिला।

**प्रमुख नेतृत्व**

- मंदिर में प्रवेश का मुद्दा सबसे पहले **एझवा नेता टी. के. माधवन ने 1917 में अपने अखबार देशाभिमानी के एक संपादकीय** के माध्यम से उठाया था।
    - उनके प्रयासों के कारण **जनवरी, 1924 में अस्पृश्यता विरोधी समिति (AUC)** का गठन हुआ। इसमें **के. पी. केशव मेनन और के. केलप्पन (जिन्हें केरल का गांधी कहा जाता है) जैसे अन्य जाति-विरोधी उग्र सुधारवादी भी शामिल थे।**
    - ये तीनों **वायकोम सत्याग्रह आंदोलन के अग्रदूत** माने जाते हैं।
- केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति ने **अस्पृश्यता-विरोध को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में अपनाने के लिए एक संकल्प अपनाया** था। इस समिति की अध्यक्षता **के. केलप्पन** ने की थी। इसमें **टी. के. माधवन, वेलायुध मेनन, के. नीलकांतन नंबूथिरी और टी. आर. कृष्णास्वामी अय्यर** जैसे सदस्य शामिल थे।
- जब **आंदोलन के अग्रणी नेता जेल में थे, तब जॉर्ज जोसेफ** ने कुछ समय के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्होंने **पेरियार से सत्याग्रह का नेतृत्व करने का अनुरोध** किया था।
- **ई. वी. रामासामी नायकर (पेरियार)** ने सरकारी प्रतिबंधों की अवहेलना की, **सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया और दो बार जेल गए।** उन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    - **ई. वी. रामासामी नायकर (पेरियार) को 'वायकोम वीरार'** के नाम से भी जाना जाता है।
- **गांधी ने मार्च, 1925 में वायकोम का दौरा किया, सार्वजनिक बैठकें कीं, महारानी से भेंट की और नंबूदरी पुजारी से बहस की।** उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि **अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्वराज की लड़ाई।**

 ©Vision IAS

- **वायकोम सत्याग्रह में महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर भागीदारी** दिखाई थी। कई महिलाएं अग्रणी भूमिकाओं में रहीं: **नागम्मई (पेरियार की पत्नी), एस. आर. कन्नम्मा और भाग्यम स्तानुमालय पेरुमल** ने मंदिर के चारों ओर 'प्रतिबंधित सड़क' में प्रवेश करने के लिए बैरिकेड को हटाने का प्रयास किया था। इसके अलावा, **कय्यालक्कल नारायणी (टी. के. माधवन की पत्नी) ने देशाभिमानी में लेख** लिखकर आंदोलन को वैचारिक समर्थन दिया था।
- **अन्य प्रमुख व्यक्तित्व जिन्होंने सत्याग्रह का समर्थन किया:** सी. राजगोपालाचारी, श्री नारायण गुरु, चट्टम्पी स्वामीकल आदि।

**सत्याग्रहियों के समक्ष चुनौतियां**

- **रूढ़िवादी प्रतिरोध:** वायकोम सत्याग्रह में उच्च जाति के हिंदुओं और मंदिर प्राधिकारियों ने **सत्याग्रहियों पर हिंसक हमले** किए थे। उन्हें मारा-पीटा गया था और उनकी आँखों में जलनकारी पदार्थ डाले गए थे।
- **वित्त-पोषण और मनोबल संबंधी चुनौतियां:** सत्याग्रहियों की लगातार **गिरफ्तारियों और धन की कमी** ने आंदोलन के स्थायित्व और आंदोलनकारियों के मनोबल की कड़ी परीक्षा ली थी।
- **आंतरिक मतभेद:** सत्याग्रह के तरीकों को लेकर **गांधी जी और श्री नारायण गुरु के बीच मतभेद** उत्पन्न हो गया था। इससे आंदोलन में अस्थायी दरार पैदा हो गई थी।
- **बाढ़:** आंदोलन के दौरान एक गंभीर बाढ़ आ गई थी, जिससे **सत्याग्रहियों को कमर तक पानी में खड़ा रहना पड़ा था, जबकि पुलिस नावों में बैठकर पहरा** दे रही थी।

**वायकोम सत्याग्रह का महत्त्व**

- **आंशिक सफलता (नवंबर 1925):** मंदिर की चार में से तीन सड़कों को **सभी के लिए खोल दिया गया था, जिसमें एझावा और अस्पृश्य** भी शामिल थे। मंदिर की **चौथी सड़क** को केवल **ब्राह्मणों** के लिए आरक्षित रखा गया था।
- **दीर्घकालिक प्रभाव:** इस आंदोलन ने **त्रावणकोर में 1936 के मंदिर प्रवेश अधिनियम** का मार्ग प्रशस्त किया। इसके तहत **सभी हिंदुओं को मंदिरों और उनके आस-पास के मार्गों तक पहुंच की अनुमति** मिल गई।
- **राष्ट्रीय महत्त्व:** इस आंदोलन ने पूरे भारत का ध्यान आकर्षित किया। **डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे अस्पृश्यों के लिए "सबसे महत्वपूर्ण घटना"** कहा था, जिससे पूरे भारत में अस्पृश्यता के मुद्दे को लेकर व्यापक जागरूकता फैली।
- **सांप्रदायिक सद्भाव:** इस आंदोलन ने **सवर्णों, अवर्णों, ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों** के बीच एकता को बढ़ावा दिया था तथा **लोगों की एकजुटता** का उदाहरण प्रस्तुत किया था।
- **गांधीवादी सिद्धांत:** इस आंदोलन ने **सत्याग्रह की प्रभावशीलता को एक अहिंसात्मक सामाजिक सुधार के उपकरण** के रूप में सिद्ध किया है।

**निष्कर्ष**

वायकोम सत्याग्रह भारत में अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर था, जिसने सामाजिक न्याय को स्वतंत्रता आंदोलन से और देशी रियासतों को राष्ट्रीय संग्राम से जोड़ा।

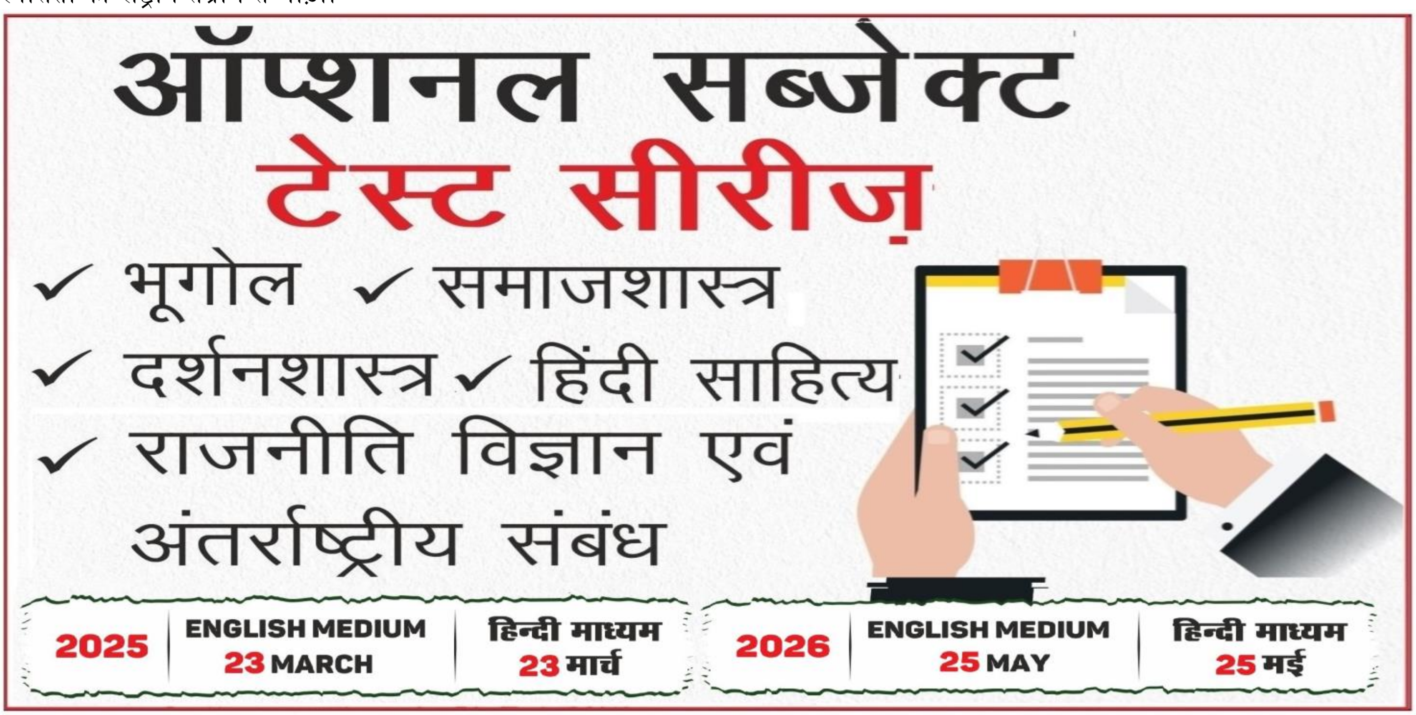

## 8.4. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व: सर चेत्तूर शंकरन नायर (1857-1934) {Personality In Focus: Sir Chettur Sankaran Nair (1857-1934)}

**परिचय**

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने भारत के प्रसिद्ध **वकील, न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ रहे सर चेत्तूर शंकरन नायर** को याद किया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही, उन्होंने **1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों और विशेष रूप से पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर के खिलाफ कानूनी लड़ाई का नेतृत्व** भी किया था। उल्लेखनीय है कि माइकल ओ'डायर के खिलाफ उनकी साहसी कानूनी लड़ाई हाल ही में रिलीज हुई फिल्म **'केसरी पार्ट 2'** का केंद्र बिंदु है।

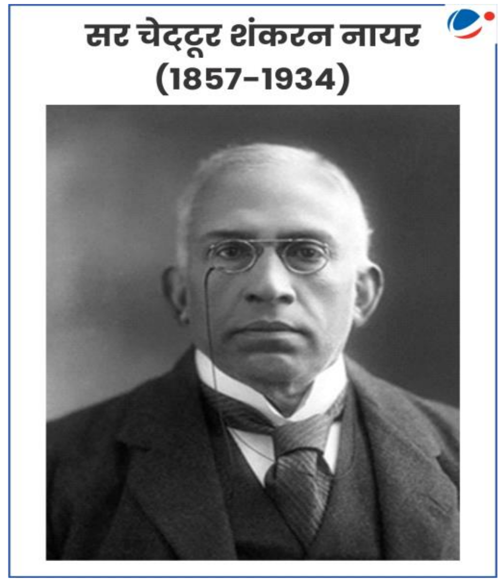


**पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन**

- **जन्म:** उनका **जन्म 1857 में केरल के पलक्कड़** जिले में हुआ था।
- **शिक्षा: 1877 में मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज में कला की पढ़ाई** की थी और **1879 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून** की पढ़ाई की थी।
- **करियर**
  - **1897** में अमरावती अधिवेशन में वे भारतीय **राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष** बने थे।
  - 1900 में वे **मद्रास विधान परिषद के सदस्य बने थे।**
  - 1908 तक सरकार के **महाधिवक्ता** रहे थे।
  - 1908 से 1915 तक वे **मद्रास हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश** भी रहे थे।
  - 1915 में वे **वायसराय की कार्यकारी परिषद** के सदस्य बने थे और **शिक्षा विभाग** की जिम्मेदारी संभाली थी।
  - 1920-21 में वे **लंदन में भारत के सचिव के लिए सलाहकार** रहे थे।
  - 1925 से **भारतीय राज्य परिषद** के सदस्य रहे थे।
  - **1928 में साइमन कमीशन के साथ सहयोग हेतु गठित भारतीय केंद्रीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे।**
- **सम्मान:**
  - **1904** में ब्रिटिश-सम्राट द्वारा उन्हें **'कमांडर ऑफ़ द इंडियन एम्पायर'** की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
  - **1912** में उन्हें **नाइटहुड की उपाधि** प्रदान की गई थी।
- **साहित्यिक योगदान:**
  - **1919 में भारतीय संवैधानिक सुधारों** पर लिखे दो प्रसिद्ध **मिनट्स ऑफ़ डिसेंट्स**;
  - **गांधी एंड अनार्की** (1922);
  - **मद्रास रिव्यू** और **मद्रास लॉ जर्नल** आदि।
- **मृत्यु:** उनकी मृत्यु **1934 में मद्रास** में हुई थी।

**प्रमुख योगदान**

- **ऐतिहासिक निर्णय: बुद्धसना बनाम फातिमा वाद (1914)** में उन्होंने **हिंदू धर्म में धर्मांतरण** को वैध ठहराया था और यह निर्णय दिया था कि ऐसे धर्मांतरित लोगों को बहिष्कृत नहीं माना जा सकता।
- **जलियांवाला बाग के लिए न्याय:** 1919 के नरसंहार में **माइकल ओ'डायर** की भूमिका के खिलाफ उन्होंने स्पष्ट और साहसिक रुख अपनाया था तथा उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी।
- **सामाजिक सुधार:** नस्लीय हीनता और **राष्ट्रीय अपमान** के रूप में असमानता की निंदा करते हुए उन्होंने पूर्ण समानता का समर्थन किया था।
- **राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** उन्होंने पहले चरण में भारत के लिए **डोमिनियन स्टेटस** का समर्थन किया था और माना कि दूसरे चरण में **पूर्ण स्वतंत्रता** प्राप्त की जानी चाहिए।
- **लिबरल और उदारवादी राजनीति:** उन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की आलोचना की थी तथा शांतिपूर्ण संवैधानिक सुधार और राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का समर्थन किया था।
- **महिला अधिकारों के पक्षधर:** उन्होंने **1920 में साउथबोरो समिति** में भारत की ओर से गए प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया था। इस प्रतिनिधिमंडल में **हीराबाई टाटा और मिथन लैम** भी थी। उन्होंने भारत में **महिलाओं को मतदान का अधिकार** दिलाने की वकालत की थी।

**प्रमुख मूल्य**

- **साहस:** सर चेत्तूर शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था।
- **नीतिपरायणता:** उन्होंने इंग्लैंड में **माइकल ओ'डायर** से मानहानि का मुकदमा हारने के बाद माफी मांगने से इनकार कर दिया था और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे थे।
- **देशभक्ति:** वे एक **प्रखर राष्ट्रवादी** थे। उन्होंने **ब्रिटिश लोकतांत्रिक संस्थाओं** की प्रशंसा की थी। लेकिन साथ ही, ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को उजागर भी किया था।
- **प्रतिबद्धता:** वे **भारत के स्वशासन के अधिकार** में दृढ़ विश्वास करते थे। जब वायसराय लार्ड इरविन ने भारत के लिए **डोमिनियन स्टेटस** को अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया था, तो उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था।
- **दूरदर्शी:** समाज में व्यापक स्वीकृति मिलने से बहुत पहले ही उन्होंने अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों का समर्थन किया था।

**निष्कर्ष**

सर नायर के विचार आज भी **न्याय, साहस, समर्पण और सही के पक्ष में दृढ़ संकल्प के आदर्शों** को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण बने हुए हैं, जो त्याग की भावना को प्रोत्साहित करते हैं।

**जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में**

**नरसंहार**

- **13 अप्रैल, 1919: ब्रिगेडियर जनरल डायर द्वारा सभा पर रोक लगाने** के आदेश के बावजूद, **बैसाखी** के दिन लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे।
  - यहां, **दो प्रस्तावों पर चर्चा** होनी थी। इनमें एक प्रस्ताव **10 अप्रैल को हुई गोलीबारी की निंदा** करने वाला था और दूसरा प्रस्ताव **अधिकारियों से अपने नेताओं को रिहा करने का अनुरोध** करने वाला था।
- **जनरल डायर** ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सैनिकों को भीड़ पर **गोली चलाने का आदेश दे** दिया, जिससे कई निर्दोष लोग मारे गए।

**नरसंहार के बाद की स्थिति**

- **लेफ्टिनेंट-गवर्नर माइकल ओ'डायर** ने जनरल डायर की **कार्रवाई का समर्थन किया।**
- अक्टूबर, 1919 में **डिसऑर्डर्स इन्क्वायरी कमेटी या हंटर आयोग** का गठन किया गया था।
  - इसने **जनरल डायर की कार्रवाई की निंदा** की, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।

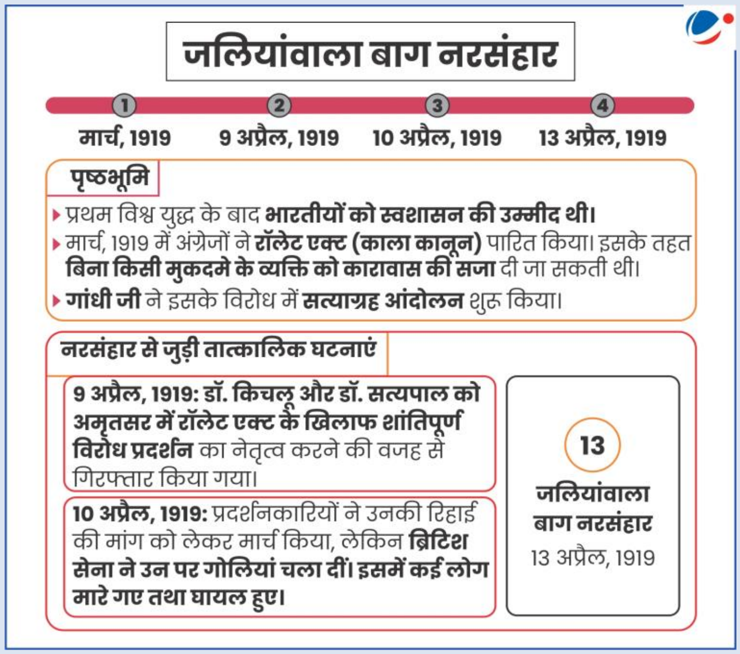


- **मार्च, 1940 में उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ'डायर की हत्या** कर दी थी। **गांधी जी** ने इस हत्या की निंदा करते हुए इसे **"पागलपन का कृत्य"** कहा था।

## 8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 8.5.1. बनारसी शहनाई और बनारसी तबला (Banarsi Shehnai and Tabla)

बनारसी शहनाई और बनारसी तबले को **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** प्रदान किया गया।

**बनारसी शहनाई के बारे में**

- यह एक भारतीय **सुषिर वाद्य यंत्र** है। यह **ओबो** वाद्य यंत्र के समान है। इसकी **सतह पर सात छेद** होते हैं।
- शहनाई का संबंध **देश के मंदिर संगीत** से है।
- अधिकांश **भारतीय विवाहों** में शहनाई वादन शुभ माना जाता है।
- इसे वैश्विक पहचान महान शहनाई वादक **उस्ताद बिस्मिल्लाह खान** के माध्यम से मिली।

**बनारसी तबले के बारे में**

- बनारस तबला घराने का विकास **200 साल पहले सुविख्यात पंडित राम सहाय** ने किया था।
- बनारस घराना **भारतीय शास्त्रीय संगीत में छह प्रमुख तबला घरानों** में से एक है।
- प्रसिद्ध तबला वादक **पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने** से संबंधित थे।

### 8.5.2. कन्नडिप्पया जनजातीय शिल्प (Kannadippaya Tribal Craft)

**कन्नडिप्पया भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त करने वाला केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प** बन गया है।

**कन्नडिप्पया के बारे में**

- यह एक **सुंदर बुनी हुई चटाई** है। इसे **"मिरर मैट" (दर्पण चटाई)** भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट में **विशिष्ट परावर्तक पैटर्न** होता है।
- यह चटाई **रीड बांस की कोमल भीतरी परतों** से बनाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि यह **सर्दियों में गर्माहट और गर्मियों में ठंडक** प्रदान करती है।

### 8.5.3. फसल कटाई उत्सव (Harvest Festivals)

भारत के अलग-अलग हिस्सों में पारंपरिक **फसल कटाई उत्सव** मनाए जा रहे हैं।

- ये त्यौहार **वसंत ऋतु के आगमन और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद** के रूप में मनाए जाते हैं। यह **नए साल का पहला दिन** भी होता है, जो नई शुरुआत का प्रतीक है।

**भारत में पारंपरिक फसल उत्सव**

- **बैसाखी (पंजाब):** यह **रबी** फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन **भांगड़ा और गिद्दा** नृत्य किए जाते हैं।
- **विशु (केरल और तमिलनाडु)**: यह त्योहार **वसंत विषुव** (जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है) का प्रतीक है।
- **पोइला बोइशाख (पश्चिम बंगाल)**: इस दिन **व्यापारी नए वित्त वर्ष की शुरुआत** नई खाता बही खोलकर करते हैं, जिसे **हाल खाता** के नाम से भी जाना जाता है।
- **अन्य प्रमुख उत्सव:**
  - बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू (असम),
  - पुथंडु (तमिलनाडु),
  - मकर संक्रांति (महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना),
  - लोहड़ी (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर),
  - पोंगल (तमिलनाडु) आदि।

### 8.5.4. पद्म पुरस्कार (Padma Awards)

**भारत की राष्ट्रपति ने सिविल इन्वेस्टिट्चर समारोह-I में पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए।**

**पद्म पुरस्कारों के बारे में**

- ये **भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों** में शामिल हैं।
- **प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या** पर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों के नाम घोषित किए जाते हैं।

- **पद्म पुरस्कारों की निम्नलिखित तीन श्रेणियां हैं:**
    - **पद्म विभूषण-** असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए;
    - **पद्म भूषण-** उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए; तथा
    - **पद्म श्री-** विशिष्ट सेवा के लिए।
- ये पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को सम्मानित करते हैं, जहां **सार्वजनिक सेवा का कोई तत्व** शामिल हो।
- **पद्म पुरस्कारों का इतिहास:** 1954 में प्रारंभ किए गए थे।
    - **1978–79 और 1993–97 के दौरान पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं** किए गए थे।
- **पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया:**
    - नामों की सिफारिशें **पद्म पुरस्कार समिति** द्वारा की जाती हैं। इस समिति का **गठन प्रत्येक वर्ष प्रधान मंत्री** द्वारा किया जाता है।
    - **आम लोग भी किसी व्यक्ति के नाम का सुझाव** दे सकते हैं। हालांकि, कोई व्यक्ति **अपने स्वयं के नाम की सिफारिश नहीं** कर सकता।
- **यह कोई 'उपाधि' (टाइटल) नहीं है:** पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस पुरस्कार का नाम अपने नाम के आगे या पीछे नहीं जोड़ सकता।

| | | |
|---|---|---|
| SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |


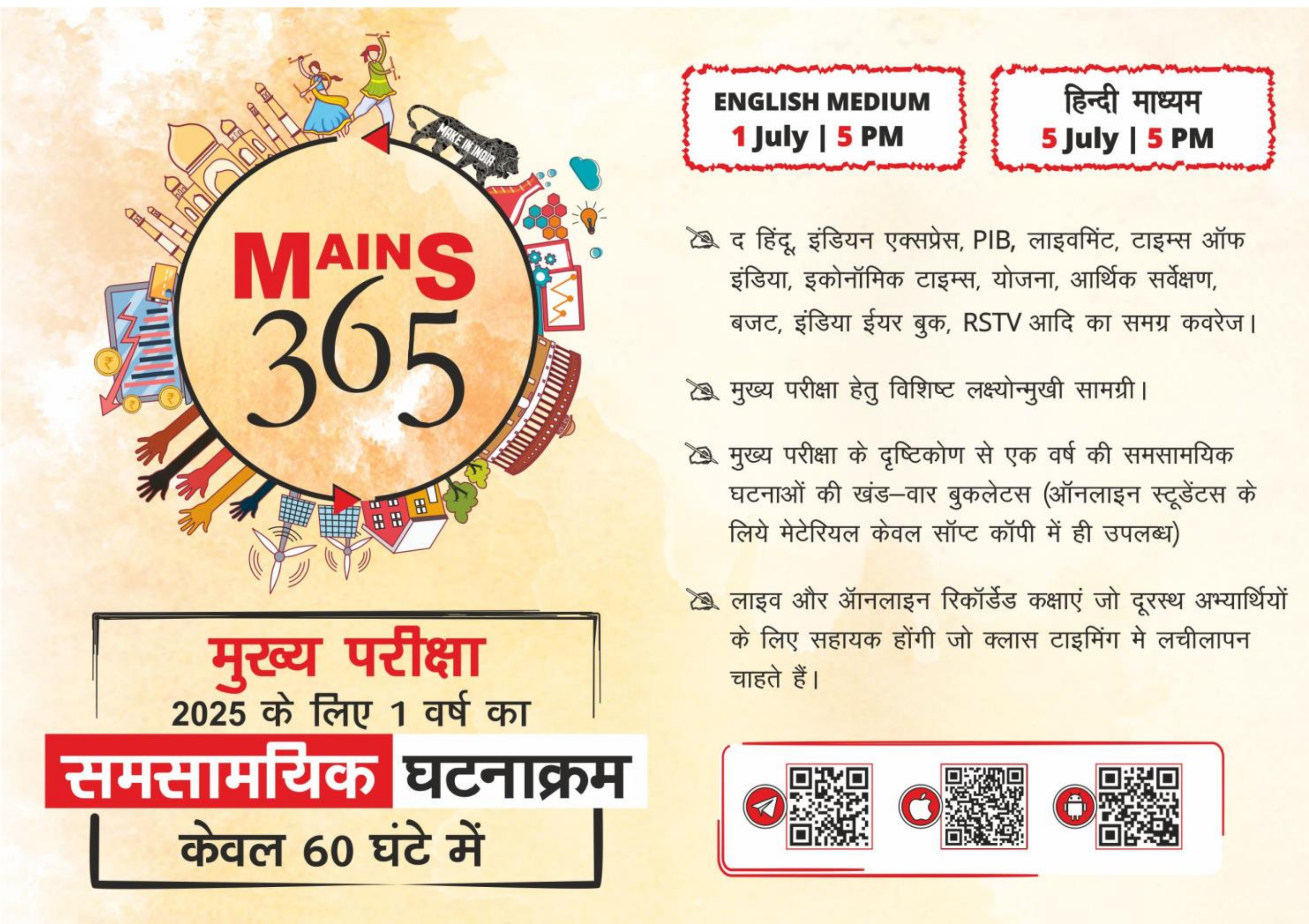

# 9. नीतिशास्त्र (Ethics)

## 9.1. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उपभोक्ता व्यवहार (Social Media Influencer and Consumer Behavior)

**परिचय**

डिजिटल युग ने न केवल वाणिज्य को बल्कि लोगों की पहचान और मूल्यों को गढ़ने के तरीके को भी नया रूप दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अब लोगों की इच्छाओं और व्यवहारों को आकार देने के शक्तिशाली साधन बन गए हैं। कभी कोई कंटेंट सामान्य रूप से फिटनेस टिप्स, लाइफस्टाइल व्लॉग्स के रूप में शुरू होता है, वह अक्सर आकांक्षा, चतुराई से किए गए सूक्ष्म हेरफेर और उपभोक्तावाद का मिश्रण बन जाता है। वास्तविक राय और सशुल्क प्रचार के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जा रही है।

E&Y रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उद्योग के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2026 तक 3,375 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है।

**उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका**

- **सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना:** इन्फ्लुएंसर मानसिक स्वास्थ्य, बॉडी पॉजिटिविटी और महिलाओं के अधिकारों पर जागरूकता को बढ़ाते हैं।
  - भारत के #MeToo आंदोलन ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न को उजागर किया और सुधारों को बढ़ावा दिया।
- **सचेत उपभोक्तावाद:** कुछ उपभोक्ता अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का विरोध कर रहे हैं, इसे "डि-इन्फ्लुएंसिंग" कहा जाता है। इस ट्रेंड में इन्फ्लुएंसर सोच समझ कर खर्च करने को बढ़ावा देते हैं और अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह देते हैं।
- **समावेशिता और विविधता:** कई इन्फ्लुएंसर लैंगिक रूढ़ीवाद को चुनौती देते हैं और हाशिए पर मौजूद समुदायों की आवाज़ों को उठाते हैं। इससे स्वीकृति और जागरूकता को बढ़ावा मिलता है।

- **सूचनाओं की उपलब्धता:** अधिकारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग अपडेटस, करियर टिप्स और सार्वजनिक योजनाओं को साझा करने के लिए कर सकते हैं। इससे शासन और नागरिकों के बीच की खाई को पाटा जा सकता है।

**इन्फ्लुएंसर संस्कृति से जुड़े नैतिक मुद्दे**

- **विवेकहीन उपभोग:** इन्फ्लुएंसर अक्सर उत्पादों को आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल के रूप में बढ़ावा देते हैं। इससे भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है और यह सादगी एवं संधारणीयता को कमजोर करता है। यह गांधीवादी नैतिकता के **आत्म-संयम** के विपरीत है।
- **मनोवैज्ञानिक हेरफेर:** 'फियर ऑफ़ मिसिंग आउट' (FOMO) और सामाजिक स्तर पर तुलना को ट्रिगर करके, इन्फ्लुएंसर्स खासकर युवाओं के बीच तत्काल उपभोग की प्रवृति को बढ़ावा देते हैं। इससे उनकी स्वतंत्रता और सूचित चयन की क्षमता पर असर पड़ता है।
- **जवाबदेही की कमी:** कई इन्फ्लुएंसर्स अनौपचारिक राय बनाने वाले नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिससे उपभोक्ता गलत सूचनाओं और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।
- **बेईमानी:** कंटेंट की चोरी करना या क्रियेटर्स को श्रेय देने में विफल रहना बौद्धिक संपदा का अनादर और फॉलोवर्स के साथ धोखा है। यह नैतिक एवं कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करता है।
- **गोपनीयता का उल्लंघन:** बड़े इन्फ्लुएंसर्स अक्सर उपयोगकर्ता के डेटा को उचित सुरक्षा उपायों के बिना एकत्र और हैंडल करते हैं। इससे गंभीर नैतिक और कानूनी चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान:** ऑनलाइन आदर्श जीवन-शैली व्याकुलता, आत्म-सम्मान में कमी और असंतोष को बढ़ावा देती है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखें तो यह सामूहिक कल्याण को कम करता है।

**इन्फ्लुएंसर जवाबदेही के लिए भारत में मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क**

- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):** यह उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करता है।
- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):** इसने निवेशकों की सुरक्षा के लिए विनियमित वित्तीय संस्थाओं और अपंजीकृत फिनफ्लुएंसर्स के बीच साझेदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

* **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI):** इसने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत इन्फ्लुएंसर्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सशुल्क प्रचार को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाया गया है।
* **उपभोक्ता मामले का विभाग:** इसके द्वारा इन्फ्लुएंसर्स और मशहूर हस्तियों को नैतिक और पारदर्शी प्रचार प्रथाओं का पालन करने में मदद करने हेतु 'एंडोर्समेंट नो-हाउज़' प्रकाशित किया गया है।
* **इंडिया इन्फ्लुएंसर गवर्निंग काउंसिल (IIGC):** इसे उद्योग जगत के नेतृत्व कर्ताओं द्वारा शुरू किया गया है। यह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए एक स्व-विनियामक निकाय है, जिसमें मेटा और गूगल जैसी प्रमुख कंपनियों के सदस्य शामिल हैं।
    * इसने हाल ही में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक रूप से अनुकूल कंटेंट क्रिएशन सुनिश्चित करने के लिए **आचार संहिता और साप्ताहिक इन्फ्लुएंसर रेटिंग** (इन्फोग्राफिक देखें) शुरू की है।

## इन्फ्लुएंसर्स के लिए मानकों की संहिता

* **पेड पार्टनरशिप्स:** इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी ब्रांड के साथ अपनी साझेदारी को स्पष्ट रूप से प्रकट करना होगा।
* **AI इन्फ्लुएंसर्स:** यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे मानव नहीं हैं।
* **ब्रांड रिलेशन:** इन्फ्लुएंसर्स केवल उन्हीं उत्पादों का समर्थन कर सकते हैं जिनसे वे वास्तव में सहमत हैं। वे एक साथ प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स का भी प्रचार नहीं कर सकते हैं।
* **डिफ्लुएंस:** इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड की ईमानदारी से आलोचना करने की अनुमति है, लेकिन यह सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ करनी होगी।
* **बच्चों के लिए सुरक्षित कंटेंट:** कंटेंट का बच्चों के लिए सुरक्षित, सकारात्मक और उपयुक्त होना अनिवार्य है।
* **शिकायत हेतु फोरम:** IIGC के तहत उपभोक्ता शिकायत फोरम की स्थापना करनी होगी।

**आगे की राह**

* **एंडोर्समेंट संबंधी स्पष्ट नियम:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को "एंडोर्समेंट नो-हाउज़" जैसे दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसके तहत "विज्ञापन," "स्पोंसर्ड," या "सशुल्क प्रचार" जैसे स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य किया गया है।
* **मीडिया साक्षरता:** युवाओं को ऑनलाइन कंटेंट का सोच समझ कर मूल्यांकन करने और इसमें निहित हेरफेर से बचने में मदद करने के लिए मीडिया संबंधी साक्षरता को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
* **लोकप्रियता से अधिक विश्वसनीयता को प्राथमिकता देना:** ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स की संख्या से आगे बढ़कर सोचना होगा। उन्हें इन्फ्लुएंसर की शैक्षिक पृष्ठभूमि, संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता और दर्शकों की प्रासंगिकता का आकलन करना चाहिए।
* **जिम्मेदार परक कंटेंट क्रिएशन:** इन्फ्लुएंसर्स द्वारा जानकारी देने वाला और शिक्षित करने वाला कंटेंट बनाया जाना चाहिए, जो दर्शकों की बुद्धिमत्ता को बढ़ाए, उन्हें शिक्षित करे और उसका सम्मान करे।

**अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए**

हाल के वर्षों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तेजी से विकास ने सार्वजनिक हस्तियों की एक नई श्रेणी जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के उदय को बढ़ावा दिया है। इस विशाल लोकप्रियता के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के पास सार्वजनिक राय को आकार देने, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने तथा फैशन, स्वास्थ्य और जीवन-शैली जैसे क्षेत्रों में लोगों के खरीद संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. समाज पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द)
2. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के विनियमन के लिए मार्गदर्शक नैतिक सरोकार पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)

***नोट:*** *सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अगस्त, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 9.2 देखें।*

## 9.2. बॉडी शेमिंग के नैतिक आयाम (Ethical Dimensions of Body Shaming)

**परिचय**

बॉडी शेमिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, आकार, रूप या उसकी हाव-भाव के आधार पर उसकी आलोचना या उपहास करना। यह किसी के साथ भी हो सकता है, और कोई भी इसका शिकार बन सकता है।

जैसे-जैसे आरोग्यता और सुंदरता का तेजी से व्यवसायीकरण हो रहा है, वैसे-वैसे मार्केटिंग में अक्सर बॉडी इमेज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए, एक थाई कैफे ने पतले ग्राहकों को छूट दी, जिससे शरीर के आकार को पुरस्कृत करने से जुड़े नैतिक मुद्दे सामने आए। इस तरह की रणनीति हानिरहित लग सकती है, लेकिन यह गरिमा, समानता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंताएं उत्पन्न करती है - खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में।

**बॉडी इमेज शेमिंग को बढ़ावा देने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक कारक**

- **सुंदरता के अव्यवहारिक मानक:** बॉलीवुड फिल्में और फेयरनेस क्रीम के विज्ञापनों सहित लोकप्रिय संस्कृति, गोरा रंग और पतले शरीर जैसे सुंदरता के संकीर्ण आदर्शों को बढ़ावा देती है।
  - यह बात अच्छे से दर्ज की गई है कि जब लोग शरीर के इन आदर्श मानकों से मेल खाने की कोशिश करते हैं, तो यह उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन मानकों को हासिल करने के लिए लोग अक्सर अनहेल्दी व्यवहार अपनाते हैं, जैसे- अत्यधिक डाइटिंग, वजन घटाने के लिए हानिकारक तरीके अपनाना, या भोजन संबंधी विकारों का शिकार होना, आदि।
- **मीडिया और सोशल मीडिया का दबाव:** इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म अक्सर फिल्टर और एडिटेड इमेज के माध्यम से अव्यवहारिक सुंदरता को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उन्हें भी एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, ऑनलाइन वजन घटाने की सलाह से प्रभावित होकर केरल की एक 18 वर्षीय लड़की उपवास गतिविधियों में शामिल हो गई। वह वाटर फास्टिंग कर रही थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।
- **सांस्कृतिक और पारिवारिक पूर्वाग्रह:** महिलाओं को अक्सर उनके रंग-रूप के आधार पर महत्व दिया जाता है, जबकि पुरुषों की मस्कुलर या लंबे कद वाला होने के आधार पर प्रशंसा की जाती है।
  - कई भारतीय घरों में, लड़कियों को शादी के अच्छे रिश्ते के लिए वजन कम करने या गोरा होने का सुझाव दिया जाता है। काले रंग या अधिक वजन को आकर्षक नहीं समझा जाता, जो कि पूरी तरह गलत एवं भेदभावपूर्ण है।
- **साथियों और सामाजिक स्थिति का दबाव:** कई बार स्कूल में बच्चों के बीच मस्ती और कॉलेज में चुटकुले किसी के शारीरिक रूप पर भी आधारित होते हैं। इस तरह के मजाक और बॉडी शेमिंग से यह संदेश जाता है कि किसी का रूप ही उसकी असली पहचान है। यह बचपन से ही यह सोच को सामान्य बना देता है कि किसी के रूप-रंग या आकार के आधार पर उसे आंका जाए।
  - बॉडी-पॉजिटिव से संबंधित शिक्षा की कमी इसका मुख्य कारण है।

**नैतिक फ्रेमवर्क और उल्लंघन**

- **कांट का नैतिक सिद्धांत:** अगर हम किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके शरीर या रूप के आधार पर आंकते हैं और उसे एक उत्पाद या मुनाफे का साधन मानते हैं, तो यह उसकी मानवीय गरिमा एवं आत्म-मूल्य का अपमान है। यह उसे एक इंसान नहीं, बल्कि एक 'उपयोग की वस्तु' बना देता है – जो कि नैतिक रूप से गलत है।
- **उपयोगितावाद:** ऐसे प्रचार या व्यवहार से भले ही थोड़े समय के लिए व्यापार को फायदा हो, लेकिन वे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, रूढ़ियों और भेदभाव के माध्यम से दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए, इसे नैतिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- **सद्गुण आधारित नैतिकता:** एक अच्छे समाज में करुणा, समावेश और सम्मान जैसे गुण होने चाहिए। यदि हम लोगों को केवल सुंदरता या शरीर के आधार पर पुरस्कृत करते हैं या उन्हें आंकते हैं, तो इससे घमंड, अहंकार और दूसरों को छोटा समझने की भावना पैदा होती है, जो कि नैतिक रूप से दोषपूर्ण है।
- **निष्पक्षता के रूप में न्याय (रॉल्स):** इन प्रथाओं की असल चुनौती यह है कि ये निष्पक्षता की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं। यदि कोई व्यक्ति यह न जानता हो कि उसका शरीर किस प्रकार का है, तो वह कभी भी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा जो शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव करती हो। इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रणाली, समानता और न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करती है।

**शामिल प्रमुख हितधारक**

| हितधारक | भूमिका/ हित |
|---|---|
| **समाज** | समानुभूति दिखाना, समावेशिता, और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। |
| **मीडिया और इन्फ़्ल्युएन्सर्स** | नैतिक जिम्मेदारी, अस्वास्थ्यकर सौंदर्य मानकों को बढ़ावा देने से बचना, समावेशी संदेशों को अपनाना। |
| **व्यवसाय/ मार्केटिंग** | नैतिकता परक विज्ञापन, ग्राहक का विश्वास बनाए रखना, और अल्पकालिक लाभ की बजाय ब्रांड की दीर्घकालीन छवि पर ध्यान देना। |
| **स्वास्थ्य पेशेवर** | बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याओं, ईटिंग डिसऑर्डर और मानसिक तनाव की स्थिति में सहयोग देना। |
| **सरकार** | हानिकारक कंटेंट को विनियमित करना, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और विज्ञापन के नैतिक मानकों को लागू करना। |

**आगे की राह**

- **मजबूत विनियम:** ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनों को लागू करना जो शरीर आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। स्कूलों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में शारीरिक विविधता आधारित शिक्षा को शामिल करना चाहिए।
- **मीडिया जागरूकता:** लोगों को अव्यवहारिक सौंदर्य मानकों को पहचानने और उन पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसे अभियानों का समर्थन करना चाहिए जो वास्तविक, विविध शारीरिक संरचनाओं का सम्मान करते हैं।
    - उदाहरण: डव (Dove) के "कैंपेन फॉर रियल ब्यूटी" ने सभी उम्र, रंग और शारीरिक आकार की महिलाओं को प्रदर्शित करके रूढ़ियों को तोड़ा है, जिसने सुंदरता के अर्थ में फिर से नया आयाम शामिल किया है।
- **नैतिक मार्केटिंग:** कंपनियों को समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ऐसे कंटेंट से बचना चाहिए जो शारीरिक बनावट को शर्मसार करते हैं। हानिकारक मैसेज का प्रसार करने के लिए इन्फ्लुएंसर और ब्रांडों को जवाबदेह ठहराना चाहिए।
- **मानसिक स्वास्थ्य और संवाद:** बॉडी शेमिंग से प्रभावित लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **माता-पिता की भूमिका:**
    - **बॉडी पॉजिटिव सोच** को बढ़ावा दें।
    - बच्चों की **शारीरिक बनावट पर टिप्पणी** करने से बचें।
    - उनके **अंदरूनी गुणों की सराहना** करें।
    - हर तरह के शरीर के प्रति **सम्मान सिखाएं**।
    - भावनात्मक अभिव्यक्ति का समर्थन करें।
    - **सौंदर्य संबंधी अनावश्यक अपेक्षा** न रखें।
- **स्कूलों की भूमिका:** स्कूल बच्चों में स्थायी आत्मविश्वास बनाने के लिए बॉडी इमेज आधारित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और वजन घटाने की बजाय मानसिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं।

**निष्कर्ष**

बॉडी शेमिंग को समाप्त करना एक साझा जिम्मेदारी है। इसलिए मीडिया, संस्थाओं और हर व्यक्ति को मिलकर काम करना होगा ताकि दिखावट पर ध्यान देने की जगह स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया जा सके। सच्ची प्रगति तभी होगी जब हम लोगों को उनके स्वभाव और अच्छे गुणों से पहचानें, न कि उनके रंग, आकार या शरीर से। हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ हर किसी को सम्मान और गरिमा के साथ देखा और समझा जाए।

**अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए**

थाईलैंड के एक कैफे ने पतले ग्राहकों को संकरी सलाखों से गुजरने पर छूट दी, जिससे बॉडी शेमिंग को बढ़ावा देने के लिए उसकी आलोचना हुई। भारत में, जहां सौंदर्य मानक पहले से ही गोरे, पतले या मस्कुलर शरीरों के पक्ष में हैं, ऐसी प्रथाएं सुभेद्य समूहों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मीडिया और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा आदर्श रूप-रंगों को बढ़ावा देने के साथ, बॉडी इमेज अब एक व्यावसायिक साधन बन गया है - जिससे युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए गंभीर नैतिक चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

आप एक राष्ट्रीय विनियामक निकाय में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिसे एक भारतीय कैफे चेन से उपर्युक्त के समान "फिट-टू-सेव" प्रचार अभियान चलाने के प्रस्ताव की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। आपको चिंता है कि ऐसी प्रथाएं शरीर-आधारित भेदभाव को आम बना सकती हैं और एक हानिकारक मिसाल कायम कर सकती हैं।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।
2. सुझाव दीजिए कि एक विनियामक प्राधिकरण के रूप में आप किस कार्रवाई की सिफारिश करेंगे।

## 9.3. मृत्युदंड और नैतिक आयाम (Ethics of Capital Punishment)

**परिचय**

ऐतिहासिक रूप से, लगभग सभी समाजों में जघन्य अपराधों को रोकने के लिए मृत्युदंड या प्राणदंड का उपयोग किया जाता था। 20वीं सदी के मध्य से, मानवाधिकार आंदोलनों के कारण लगभग 170 देशों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है या इस पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद, **एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार** चीन, ईरान, सऊदी अरब और सिंगापुर जैसे देशों में फांसी की सजा के मामलों में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में, मृत्युदंड आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली और नैतिकता के संदर्भ में एक अत्यंत विवादास्पद विषय बन गया है।

| **प्रमुख हितधारक और उनकी चिंताएं** | |
|---|---|
| **हितधारक** | **हित और चिंताएं** |
| **दोषी व्यक्ति** | जीवन जीने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया का अधिकार, भेदभाव, **अपरिवर्तनीय सजा**, मनोवैज्ञानिक तनाव, आदि। |
| **पीड़ितों के परिवार** | **न्याय और संतोष, बदला लेने की भावना (सजा)** और सुलह-संवाद आधारित न्याय, लंबी कानूनी प्रक्रिया, आदि। |
| **कानूनी और न्यायिक प्रणालियां** | **निष्पक्ष सुनवाई** सुनिश्चित करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना, मानवाधिकारों के साथ गतिरोध को संतुलित करना, गलती को सुधारा नहीं जा सकता है। |
| **मानवाधिकार संगठन** | प्रतिशोध के बजाय सुधार को वरीयता देना, मानवीय गरिमा, **जीवन का अधिकार** और न्यायिक त्रुटियों की संभावना। |
| **सरकार और नीति निर्माता** | **जनमत का दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व**, निवारक के रूप में मृत्युदंड की **प्रभावशीलता** का पता लगाना। |

**मृत्युदंड और इसके पीछे का दर्शन?**

- **मृत्युदंड** उस सजा को कहते हैं जिसमें किसी अपराधी को उसके आपराधिक कृत्य के लिए **अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर मृत्यु की सजा** दी जाती है। यह एक ऐसा दंड है जिसमें अपराधी के जीवन को समाप्त कर दिया जाता है।
- यह **प्रतिशोधात्मक न्याय (Retributive Justice)** के सिद्धांत पर आधारित है।
    - प्रतिशोध की अवधारणा के तहत, सजा का उद्देश्य अपराध को नियंत्रित करना या रोकना नहीं बल्कि गलत को सुधारना है, और सजा की प्रकृति अपराध की गंभीरता पर आधारित होती है।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) में, मृत्युदंड या प्राणदंड, मुख्य रूप से हत्या से संबंधित अपराधों के लिए **धारा 103 और 104** में उल्लिखित है।

**भारत में मृत्युदंड की सजा का क्रम विकास**

- **प्राचीन भारत:** हिंदू विधि के तहत विभिन्न रूपों में मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में मृत्युदंड का उल्लेख है।
    - हत्या, राजद्रोह या सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन जैसे अपराधों के लिए अक्सर कठोर दंड दिए जाते थे, जैसे- सिर को धड़ से अलग कारना, यातना देना या पानी में डुबोना।
    - हालांकि, सजा देने का तरीका क्षेत्र, शासक और जाति के अनुसार भिन्न होता था। कुछ ग्रंथों में कम गंभीर अपराधों के लिए देश निकाला या जुर्माना जैसी वैकल्पिक सजा भी दी जाती थी।

- **मध्यकालीन भारत:**
    - मुगल और अन्य क्षेत्रीय साम्राज्यों के शासन में इस्लामी कानून (शरीयत) के तहत विद्रोह, हत्या और चोरी जैसे गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड प्रचलित था।
    - वहीं, हिंदू साम्राज्यों ने मनुस्मृति आधारित परंपरागत कानूनों का पालन जारी रखा, जिनमें स्थानीय रिवाजों के अनुसार दंडों में भिन्नता पाई जाती थी।
- **आधुनिक भारत:**
    - **औपनिवेशिक काल:** अंग्रेजों ने 1860 में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत मृत्युदंड को औपचारिक रूप दिया। यह सजा हत्या, राजद्रोह और हत्या के साथ डकैती जैसे अपराधों के लिए निर्धारित की गयी थी।
        - इस प्रकार, फांसी सार्वजनिक स्थानों के बजाय जेलों में दी जाने लगी।
    - **स्वतंत्रता के बाद:** IPC के तहत मृत्युदंड की सजा जारी रही, मुख्य रूप से जघन्य अपराधों के लिए। हालांकि, अनुच्छेद 21 के तहत संविधान इसके लिए विधि की सम्यक् प्रक्रिया[75] सुनिश्चित करता है।

> "किसी भी स्थिति में बार-बार दंड देना सरकार की कमजोरी या उदासीनता को दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता कि उसमें सुधार न किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति के जीवित रहने से समाज को किसी तरह का खतरा नहीं है, तो उसे उदाहरण बनाने के लिए भी मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए।"
>
> — **जीन-जैक्स रूसो**

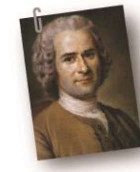

**मृत्युदंड के पक्ष में तर्क**

- **निवारक उपाय:** उपयोगितावाद (परिणामवादी नैतिकता) के सिद्धांत के आधार पर, कुछ विद्वानों का तर्क है कि मृत्युदंड गंभीर अपराधों को रोकता है। इससे समाज की रक्षा होती है और भविष्य में होने वाले अपराधों में कमी भी आती है।
- **प्रतिशोधात्मक न्याय:** इस सिद्धांत के अनुसार, अपराधियों को उनके अपराध के अनुपात में सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए अक्सर "आँख के बदले आँख" के सिद्धांत का उदाहरण दिया जाता है।
- **आपराधिक पुनरावृत्ति की रोकथाम:** मृत्युदंड के कुछ समर्थक तर्क देते हैं कि जिन्हें फांसी दी जाती है वे आगे अपराध नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार भविष्य में अपराध दर कम हो जाती है।
- **मानसिक शांति और संतुष्टि:** अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि मृत्युदंड पीड़ितों के परिवारों के लिए मानसिक शांति प्रदान करता है।
- **सार्वजनिक वित्त पर बोझ:** उच्च जोखिम वाले, हिंसक अपराधियों को सुरक्षा के साथ जेलों में रखना सरकार के लिए महंगा साबित होता है।

**मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क**

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** कान्ट की कर्त्तव्य-मूलक नैतिकता (Deontological Ethics) के अनुसार, कुछ कृत्य (जैसे- किसी का जीवन लेना) नैतिक रूप से गलत होते हैं, भले ही उनके परिणाम अच्छे क्यों न हों।
- **ठीक न की जा सकने वाली त्रुटि और भेदभाव का जोखिम:** न्याय व्यवस्था कभी भी पूरी तरह से गलतियों से मुक्त नहीं होती है। कभी-कभी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहरा दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है, तो इसे पलट नहीं सकते। यदि बाद में यह साबित हो जाए कि व्यक्ति निर्दोष था, तो मृत्युदंड एक ऐसी सजा है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता।
- **अपराध निवारण और विकल्पों की कमी:** इस बात का बहुत कम प्रमाण है कि मृत्युदंड अपराध को रोकने में आजीवन कारावास से अधिक प्रभावी है।
    - कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि मृत्युदंड का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कुछ मामलों में अपराधियों ने पीड़ितों को गवाही देने से रोकने और मृत्युदंड की सजा से बचने के लिए उन्हें मारने की कोशिश की है।

> "अगर उसने हत्या की है, तो उसे मरना ही होगा।"
>
> — **इमैनुअल कांट**

**भारत में मृत्युदंड**

- **कानूनी फ्रेमवर्क:** भारतीय न्याय संहिता आतंकवाद, लोक सेवकों की हत्या, बलात्कार जैसे हिंसक और जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करती है।
- **न्यायिक सिद्धांत:** सुप्रीम कोर्ट ने **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980)** मामले में "दुर्लभ से दुर्लभतम" सिद्धांत दिया और कहा कि मृत्युदंड उन अपराधों के लिए होना चाहिए जो इतने जघन्य हों कि वे समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दें।

---

[75] Due process of law

- ○ **मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद:** इसके तहत न्यायालय द्वारा कुछ मानदंड निर्धारित किए गए थे, ताकि यह आकलन किया जा सके कि वास्तव में दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत के अंतर्गत कौन-से अपराध आ सकते हैं।
- **राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति:** एक बार जब अपील की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और उच्चतर न्यायालयों ने प्रतिवादी (दोषी) के लिए मृत्युदंड की पुष्टि कर दी हो, तो प्रतिवादी राज्य या राष्ट्रीय कार्यपालिका को दया याचिकाएं प्रस्तुत कर सकता है।
- **वर्तमान स्थिति:** भारत में 500 से अधिक लोग मृत्युदंड की सजा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फांसी की सजा अब दुर्लभ हो गई है। कोर्ट ने अधिकतर मामलों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया है, जो सजग दृष्टिकोण को दर्शाता है। आखिरी बार वर्ष 2020 में निर्भया केस के दोषियों को फांसी दी गई थी।

**आगे की राह**

- **संतुलन की आवश्यकता:** मृत्युदंड पर बहस में आरोपी के अधिकारों, पीड़ितों के हितों और समाज की न्याय और निवारण की आवश्यकता को संतुलित करना जरूरी है।
  - ○ केवल प्रतिशोध को प्राथमिकता देने से न्याय के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलू की उपेक्षा हो सकती है, जो एक निष्पक्ष और मानवीय कानूनी प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।
- **विधि आयोग की सिफारिश:** 262वीं विधि आयोग की रिपोर्ट (2015) ने आतंकवाद और संबंधित अपराधों को छोड़कर सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की थी। आयोग ने कहा कि मृत्युदंड का निवारक प्रभाव सीमित है और न्यायिक गलतियों का खतरा भी है।

> "ऐसा एक अधिकार हो सकता है जिससे हम किसी व्यक्ति से जीवन छीन सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे हम उससे मृत्यु को भी छीन लें; यह तो सिर्फ़ क्रूरता है।"
>
> — **फ्रेडरिक नीत्शे**

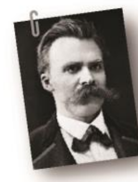

- **अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:** नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र (ICCPR)[76] का अनुच्छेद 6 केवल "सबसे गंभीर अपराधों" के लिए मृत्युदंड की अनुमति देता है और इसे समाप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
- **मानवाधिकार संगठन:** मानवाधिकार संगठन यह सिफारिश करते हैं कि न्याय व्यवस्था को **पीड़ित-केंद्रित** बनाया जाए और पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर जोर दिया जाए। पुनर्स्थापनात्मक न्याय में अपराधी को सुधारने और समाज में फिर से जगह बनाने के लिए काम किया जाता है।

**निष्कर्ष**

1948 में **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा-पत्र (UNDHR)**[77] को अपनाने के बाद से, दुनिया भर में मृत्युदंड के खिलाफ एक बड़ा रुझान देखा गया है। इसके बावजूद, कई देशों में मृत्युदंड अभी भी लागू है, और यह अक्सर अन्यायपूर्ण मुकदमों, राजनीतिक दमन या गैर-हिंसक अपराधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार, न्याय और जीवन के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए मानवीय और साक्ष्य-आधारित विकल्पों की आवश्यकता होती है।

**अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए**

रवि, एक 28 वर्षीय व्यक्ति है, जिसे एक हाई-प्रोफाइल मामले में एक पुलिस अधिकारी की पूर्व-नियोजित और क्रूर हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसे मीडिया में व्यापक कवरेज मिला है। ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मौत की सजा सुनाई है। मारे गए अधिकारी का परिवार फांसी के माध्यम से न्याय और मामले के निस्तारण की मांग कर रहा है, जबकि कई मानवाधिकार संगठन सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें सजा की अपरिवर्तनीय प्रकृति और मृत्युदंड के उन्मूलन की ओर वैश्विक रुझान का हवाला दिया गया है। रवि मुकदमे और अपील की प्रक्रिया के दौरान पहले ही 3 साल कारागार में व्यतीत कर चुका है, और उसका मानसिक स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से बिगड़ गया है। उसके वकील का तर्क है कि सजा उसके जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

आप विधि और न्याय मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें सरकार को यह सलाह देने का काम सौंपा गया है कि सजा को बरकरार रखा जाए या दया की सिफारिश की जाए।

---

[76] International Covenant on Civil and Political Rights

[77] Universal Declaration of Human Rights

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए।
2. इस परिदृश्य में मृत्युदंड से संबंधित प्रतिस्पर्धी मूल्यों और नैतिक दर्शनों (जैसे- उपयोगितावाद बनाम कर्त्तव्य-मूलक नैतिकता) पर चर्चा कीजिए।
3. इस मामले में प्रमुख हितधारक कौन-कौन हैं? संक्षेप में उनके दृष्टिकोण और नैतिक चिंताओं की रूपरेखा तैयार कीजिए।
4. यदि आप अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में होते, तो आपकी सिफारिश क्या होती और क्यों? नैतिक सिद्धांतों, संवैधानिक मूल्यों और प्रासंगिक कानूनी सिद्धांतों का उपयोग करके अपने उत्तर को उचित ठहराएं।
5. मृत्युदंड का सहारा लिए बिना न्याय और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक उपाय सुझाएं।

# 10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

## 10.1. पी.एम. श्री स्कूल (पी.एम. स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) {PM Shri Schools (PM Schools For Rising India)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **कुछ राज्यों ने पी.एम. श्री स्कूल योजना के कार्यान्वयन का विरोध** किया है।

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए **देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को पी.एम. श्री स्कूलों के रूप में विकसित** करना।
- 21वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण-विकसित व्यक्तियों का विकास करना व उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना।

</td><td>

- **संबंधित मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय
- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **लाभार्थी:** इस योजना से **20 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने** की उम्मीद है।
- **अवधि:** 5 वर्ष **(2022-23 से 2026-27)**
- **स्कूलों के चयन की विधि:** एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्कूलों द्वारा स्व-आवेदन के साथ पारदर्शी चैलेंज मोड के जरिए। (इन्फोग्राफिक देखें)
- **कार्यान्वयन रणनीति:** इसे **समग्र शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS)** की मौजूदा प्रशासनिक संरचनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

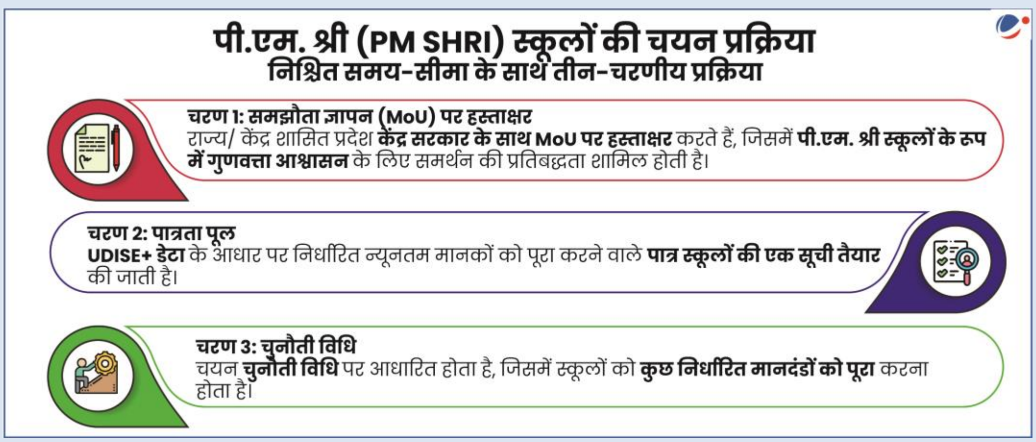


- **उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा:**
  - NEP, 2020 के अनुरूप अनुभवात्मक और समग्र शिक्षा शास्त्र (Pedagogy) को अपनाना।
  - वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाला **क्षमता-आधारित आकलन।**
- **ग्रीन स्कूल:**
  - **सौर पैनल, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त पहलों** जैसी पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को शामिल करना।
- **उन्नत अवसंरचना:**
  - स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकालय, व्यावसायिक (Vocational) प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान और विज्ञान संबंधी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं।
  - जादुई पिटारा और बाहरी खेल सामग्री सहित अलग-अलग ग्रेड्स के लिए उपयुक्त फर्नीचर एवं सीखने के उपकरण।

**कौशल विकास:**

- व्यावसायिक या पेशेवर प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों को शामिल करना।
- स्थानीय उद्योगों और सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ सहयोग करना।

</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | **मेंटरिंग और नेतृत्व:**<br>• पी.एम. श्री (PM SHRI) स्कूल आस-पास के स्कूलों का मार्गदर्शन और नेतृत्व करेंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक क्रमिक प्रभाव उत्पन्न होगा।<br>**समावेशी शिक्षा:**<br>• लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए सुरक्षित अवसंरचना के साथ समानता एवं समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना।<br>• शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना।<br>**निगरानी और गुणवत्ता संबंधी आश्वासन:**<br>• **स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क (SQAF)**[78] का उपयोग करके नियमित मूल्यांकन करना।<br>• चयन प्रक्रिया और निगरानी के लिए स्कूलों की जियो-टैगिंग करना।<br>**अभिसरण और सामुदायिक भागीदारी:**<br>• अवसंरचना के विकास और संसाधन जुटाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सामुदायिक समूहों के साथ सहयोग करना।<br>• **NEP, 2020 के लक्ष्यों के पालन को सुनिश्चित करने** के लिए कठोर निगरानी सुनिश्चित करना। |

[78] School Quality Assessment Framework

## 11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

### भारत

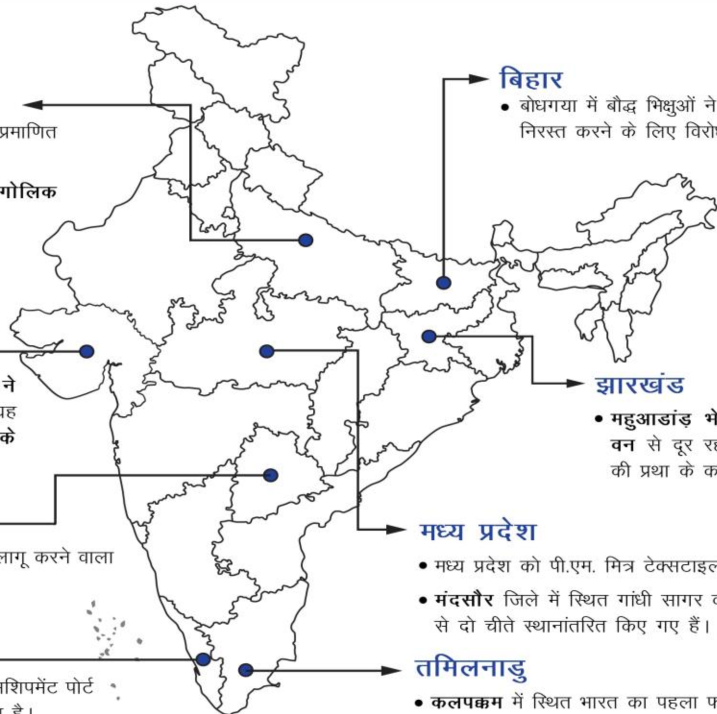

**उत्तर प्रदेश**
- गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड की शुरुआत की।
- बनारसी शहनाई और बनारसी तबले को **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** प्रदान किया गया।

**बिहार**
- बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने **बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949** को निरस्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया।

**गुजरात**
- **सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) ने प्रदूषण को 20–30% तक कम** किया है; यह **पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार** है।

**झारखंड**
- **महुआडांड़ भेड़िया अभ्यारण्य** सर्दियों में **साल वन** से दूर रहने की आदिवासी **'सरना आस्था'** की प्रथा के कारण सुर्ख़ियों में रहा।

**तेलंगाना**
- तेलंगाना अनुसूचित जाति में उप–वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।

**मध्य प्रदेश**
- मध्य प्रदेश को पी.एम. मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी मिली।
- **मंदसौर** जिले में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में कुनो राष्ट्रीय उद्यान से दो चीते स्थानांतरित किए गए हैं।

**केरल**
- **MSC** तुर्किये ने भारत के पहले डीपवाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट **विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय पत्तन** पर डॉक किया है।

**तमिलनाडु**
- **कलपक्कम** में स्थित भारत का पहला फास्ट–ब्रीडर परमाणु रिएक्टर **(500 MWe) 2026** तक चालू हो जाएगा।

### विश्व

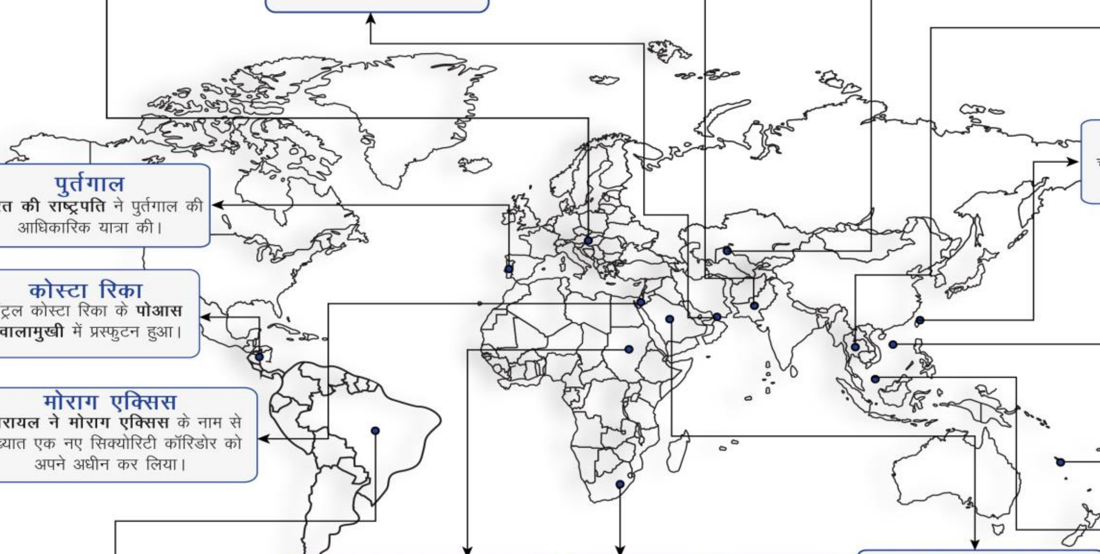

**स्लोवाकिया**
भारत की **राष्ट्रपति** ने स्लोवाकिया का दौरा किया।

**बंदर अब्बास बंदरगाह (ईरान)**
हाल ही में, **ईरान के शाहिद राजाई बंदरगाह पर "सोडियम परक्लोरेट रॉकेट ईंधन"** में विस्फोट हुआ।

**चोलिस्तान मरुस्थल, पाकिस्तान**
**सिंध** में विरोध प्रदर्शनों के बाद, पाकिस्तान ने **चोलिस्तान नहर परियोजना** सहित कई परियोजनाओं पर रोक लगाई।

**अरल सागर क्षेत्र**
शोध से पता चला है कि अरल सागर के सूख जाने के बाद उसके बेसिन की भूमि ऊंची हो रही है।

**थाईलैंड**
भारतीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में **वाट फो मंदिर** का दौरा किया।

**ताइवान जलसन्धि**
**चीन ने "स्ट्रेट थंडर–2025A"** नामक नए सैन्य अभ्यास शुरू किए।

**पुर्तगाल**
**भारत की राष्ट्रपति** ने पुर्तगाल की आधिकारिक यात्रा की।

**कोस्टा रिका**
सेंट्रल कोस्टा रिका के **पोआस ज्वालामुखी** में प्रस्फुटन हुआ।

**टाइक्सियन रीफ, दक्षिण चीन सागर**
**चीन ने फिलीपींस** के आउटपोस्ट **थिटू द्वीप (पग–आसा द्वीप) के पास विवादित टाइक्सियन रीफ** पर कब्जा किया।

**मोराग एक्सिस**
**इजरायल ने मोराग एक्सिस** के नाम से विख्यात एक नए सिक्योरिटी कॉरिडोर को अपने अधीन कर लिया।

**टोंगा**
टोंगा के नजदीक **7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप** आया।

**ब्राजील**
15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।

**तूती द्वीप (सूडान)**
तूती द्वीप सूडानी सेना और 'रैपिड सपोर्ट फोर्सेस' **(RSF)** के बीच चल रहे युद्ध से नष्ट हो चुका है।

**लेसोथो**
संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लेसोथो से आयात पर **50%** टैरिफ लगाया गया। यह अमेरिका द्वारा किसी देश पर लगाया गया अब तक का उच्चतम टैरिफ है।

**सऊदी अरब**
भारतीय प्रधान मंत्री ने भारत–सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद **(SPC)** की दूसरी बैठक की सह–अध्यक्षता की।

**मलेशिया**
मलेशिया के **सेंट्रल सेलंगोर राज्य के पुतरा हाइट्स में एक गैस पाइपलाइन फटने** से कई लोग घायल हो गए।

## 12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

| व्यक्तित्व | के बारे में | नैतिक मूल्य |
|---|---|---|
| <br>**जगद्गुरु बसवेश्वर** | • प्रधान मंत्री ने **बसव जयंती के अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि** अर्पित की।<br>• **जगद्गुरु बसवेश्वर के बारे में**<br>▸ वे **12वीं सदी के महान दार्शनिक, कवि और नीति–उपदेशक** थे। उनका जन्म **1131 ई. में कर्नाटक के बागेवाड़ी** में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।<br>▸ वे **लिंगायत परंपरा के संस्थापक** माने जाते हैं।<br>▸ उन्होंने **'वचन'** नामक कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई थी।<br>• **सामाजिक योगदान**<br>▸ उन्होंने **सामाजिक समानता** पर बल दिया था और **जातिगत भेदभाव** को खत्म करने की बात की थी।<br>▸ **आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी** का समर्थन किया था।<br>▸ **प्रमुख मान्यताएंः कायक** (कर्म ही पूजा है), **दासोह** (धन का समान वितरण) आदि। | **समतावाद और श्रमिक वर्ग की गरिमा**<br>• उन्होंने अपने समय के पद और संपत्ति के पदानुक्रम पर आधारित सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाली कविताएं लिखीं।<br>• अपनी शिक्षाओं में, उन्होंने शारीरिक श्रम की गरिमा पर बल दिया और उसके अधिकारों को मान्यता दिए जाने की मांग उठाई। |
| <br>**छत्रपति शिवाजी महाराज (1630–1680)** | • छत्रपति शिवाजी महाराज की **345वीं पुण्यतिथि (3 अप्रैल)** पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।<br>• शिवाजी महाराज का **निधन 3 अप्रैल, 1680 को रायगढ़ किले** में हुआ था।<br>• **शिवाजी महाराज के बारे में**<br>▸ **शिवाजी का जन्म 1630 में पूना के शिवनेर किले** में हुआ था।<br>▸ वे **पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक** थे।<br>▸ **1674** में, उन्होंने **रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक** करवाया था। इससे एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे **'राज्याभिषेक युग'** कहा जाता है।<br>▸ उन्होंने **आठ** मंत्रियों की एक परिषद **'अष्टप्रधान'** का गठन किया था।<br>▸ उन्होंने **1654 में कल्याण के पास मराठा नौसेना बल** की स्थापना की थी तथा पश्चिमी तटरेखा पर कई किलेबंद नौसैनिक अड्डे बनवाए थे।<br>▸ उन्होंने **गुरिल्ला युद्ध रणनीति विकसित** की थी और **1659 में अफजल खान** को पराजित किया था। | **जीवन मूल्य और सत्यनिष्ठा**<br>• उन्होंने न्यायपूर्ण शासन के सिद्धांतों का पालन किया, प्रशासनिक दक्षता और सैन्य रणनीति की कुशलता पर जोर दिया।<br>• धार्मिक सहिष्णुता और शासन संबंधी सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने एक सक्षम नेतृत्वकर्ता के रूप में उनकी सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित किया। |

| | | |
|---|---|---|
| <br>**महात्मा ज्योतिराव फुले (1827 – 1890)** | • 11 अप्रैल को देशभर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई।<br>• **ज्योतिराव फुले के बारे में**<br>▸ **जन्मः** उनका जन्म **1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले** में हुआ था।<br>▸ वे एक अग्रणी समाज सुधारक थे। उन्होंने **अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों का घोर विरोध** किया।<br>▸ **11 मई, 1888** को महाराष्ट्र के **सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठलराव कृष्णजी वंदेकर** ने उन्हें **'महात्मा'** की उपाधि दी।<br>• **सामाजिक योगदान**<br>▸ उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर **विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह की रोकथाम और बालिका शिक्षा** को बढ़ावा देने सहित कई सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।<br>▸ उन्होंने सावित्रीबाई की मदद से, **1848 में पुणे में तात्यासाहेब भिड़े के घर पर पहला बालिका स्कूल** शुरू किया।<br>▸ 1873 में, **ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज (सत्य के साधकों का समाज) की स्थापना** की।<br>• **पुस्तकें**: गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यधर्म, आदि। | **तर्कवाद और सामाजिक न्याय**<br>• फुले ने अपनी रचनाओं (जैसे– गुलामगिरी) के जरिए भारतीय अतीत की पुनर्व्याख्या की। साथ ही, उन्होंने भारतीय इतिहास, विशेष रूप से इसकी जाति–आधारित सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की।<br>• उन्होंने भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया और लड़कियों तथा दलित वर्गों के बच्चों के लिए कई स्कूल शुरू किए। |
| <br>**डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888 – 1975)** | • भारत के **दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी पुण्यतिथि (17 अप्रैल)** पर याद किया गया।<br>• **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में**<br>▸ उनका जन्म **आंध्र** प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था। वे प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे।<br>▸ वे इसमें दृढ़ विश्वास रखते थे कि **शिक्षा समाज को बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम है।**<br>▸ उनकी जयंती **5 सितंबर** को भारत में **"शिक्षक दिवस"** के रूप में मनाई जाती है।<br>• **मुख्य योगदान**<br>▸ उन्होंने **ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में "पूर्वी धर्म और नैतिकता"** के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था।<br>▸ उन्होंने **1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत** के रूप में कार्य किया था।<br>▸ उन्होंने **भारत के उप–राष्ट्रपति (1952–1962) और फिर राष्ट्रपति (1962–1967)** के रूप में कार्य किया था।<br>▸ **साहित्यिक कृतियां**: द प्रिंसिपल उपनिषद, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, धम्मपद, आदि।<br>▸ **पुरस्कार और मान्यता**: नाइटहुड (1931) और भारत रत्न (1954)। | **नेतृत्व क्षमता और विद्वता**<br>• उन्होंने पश्चिमी आदर्शवादी दार्शनिकों के विचारों को भारतीय चिंतन में शामिल किया। उन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर स्थापित किया।<br>• एक शिक्षाविद् के रूप में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। शैक्षिक चिंतन और शैक्षणिक कार्यक्रम से संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की 1948–49 की रिपोर्ट उनका सबसे प्रमुख योगदान है। |

| | | |
|---|---|---|
| <br>**दरिपल्ली रामैया** | • हाल ही में **तेलंगाना** के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् दरिपल्ली रामैया का निधन हो गया।<br>• **दरिपल्ली रामैया के बारे में ( 1937–2025)**<br>▸ वे तेलंगाना के **रेड्डीपल्ली गांव** के रहने वाले थे।<br>▸ उन्हें स्थानीय रूप से **'चेतला रामैया'** या **'वनजीवी' (वनवासी)** कहा जाता था।<br>▸ उन्हें **2017 में पद्मश्री पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।<br>• **योगदानः**<br>▸ **सामुदायिक वानिकी के प्रति समर्पितः** अनुमान है कि उन्होंने अपने जीवन में **1 करोड़ से अधिक पौधे** लगाए थे।<br>▸ उन्हें **'ट्री मैन ऑफ तेलंगाना'** भी कहा जाता है। लोगों में **पेड़ों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने** के लिए वे गले में हरे रंग की तख्ती पहनते थे।<br>▸ **पुरस्कारः** उन्हें 1995 में **सेवा पुरस्कार**, 2005 में **वनमित्र पुरस्कार** तथा 2015 में **राष्ट्रीय नवाचार एवं उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था। | **पर्यावरण संरक्षण और निःस्वार्थ सेवा**<br>• उन्होंने अपना पूरा जीवन वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रयासों के माध्यम से उन्होंने युवा पीढ़ी को भी प्रेरित किया।<br>• उनकी प्रतिबद्धता प्रकृति और समाज के प्रति उनके कर्तव्य बोध की गहरी भावना को दर्शाती है। |
| <br>**डॉ. कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन (1940–2025)** | • **प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिक** डॉ. के. कस्तूरीरंगन का निधन हो गया।<br>• **मुख्य योगदान**<br>▸ **अंतरिक्षः** इन्होंने **इसरो के अध्यक्ष (1994–2003)** के रूप में कार्य किया था। इनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण मिशन सफल रहे थे, जैसेः<br>* **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV)** का संचालन और **भू–तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV)** की प्रथम सफल उड़ान।<br>* **भास्कर–I और II** जैसे भू–पर्यवेक्षण उपग्रह।<br>* भारत की पहली अंतरिक्ष–आधारित उच्च–ऊर्जा खगोल विज्ञान वेधशाला **"एस्ट्रोसैट"** की योजना।<br>• **शिक्षाः** उन्होंने मसौदा **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2019)** पर समिति की अध्यक्षता की थी।<br>• **पर्यावरणः** पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील **पश्चिमी घाट** पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित **10 सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्य समूह के अध्यक्ष रहे थे।**<br>• रिपोर्ट में **पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्र** को पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील घोषित करने का सुझाव दिया गया था। | **वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता**<br>• उन्होंने दूरदर्शिता और सत्यनिष्ठा के साथ भारत में अंतरिक्ष और शिक्षा संबंधी सुधारों का नेतृत्व किया।<br>• उपग्रह प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, शिक्षा नीति और पारिस्थितिकी संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान ने विज्ञान व ज्ञान के जरिए राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। |

**Copyright © by Vision IAS**
*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.*

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
अपनी तैयारी से जुड़े रहिए
सोशल मीडिया पर फॉलो करें
http://bit.ly/3ueP7T7
VisionIASHindi
/VisionIAS_UPSC
vision_ias_hindi
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

# सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

## प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

**दिल्ली**
**27 मई, 11 AM**
**अवधि – 12 महीने**

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधिः 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधिः 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन / मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

## GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

### नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

### सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

### नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन / ईमेल / लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

### ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

### कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

### बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
10
in TOP 10 Selections in CSE 2024
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Shakti Dubey
2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student
3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student
4 AIR
Shah Margi Chirag
5 AIR
Aakash Garg
6 AIR
Komal Punia
7 AIR
Aayushi Bansal
8 AIR
Raj Krishna Jha
9 AIR
Aditya Vikram Agarwal
10 AIR
Mayank Tripathi
हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में
137 AIR
Ankita Kanti
182 AIR
Ravi Raaz
438 AIR
Mamata
448 AIR
Sukh Ram
509 AIR
Amit Kumar Yadav
DELHI
HEAD OFFICE
33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visioniashindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची